CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.XII, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No.23, Thursday, August 26, 2010/Bhadra 4, 1932(Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	**2-3**
Birth Centenary of Mother Teresa	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	**4-37**
***Starred Question No.421 to 425**	
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	**38-74**
Starred Question Nos.426-440	**38-74**
Unstarred Question Nos.4824-5053	**75 -512**

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 513-515

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 516

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 517
4th Report

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS 517
4th and 5th Reports

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS 517
12th Report

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL 518-519
Statements

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 519
21st Report

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Ministry of Railways

Shri K.H. Muniyappa 520

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report of Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on 'Strategy for Development of alternative Sources of Oil and Gas', pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas

Shri Jitin Prasada 521-522

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION TO PERSONS MAKING THE DISCLOSURES BILL, 2010 **523**

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to upgrade Royapuram Railway Station in Chennai, Tamil Nadu as a Model Railway Station

Shri N.S.V. Chitthan 526-527

(ii) Need to improve basic amenities in Duranto trains on New Delhi – Lucknow and Allahabad – New Delhi routes

Rajkumari Ratna Singh 527

(iii) Need to provide adequate compensation to police and revenue department officials who died in an incident of sudden fire in a fireworks factory in Sivakasi Taluk in Tamil Nadu

Shri Manicka Tagore 528

(iv) Need to develop Markhanda Devasthan, a religious place in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra as a tourist site of national importance

Shri Marotrao Sainuji Kowase 529

(v) Need to set up a Trauma Centre at Barabanki, Uttar Pradesh with a view to provide immediate treatment to the people injured in road accidents on National Highway

Shri P.L. Punia 530

(vi) Need to provide adequate infrastructural facilities at Model Schools set up under Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan in Karnataka

Shri R. Dhruvanarayana 531

(vii) Need to accord approval for construction of Mega Highway Project from Hanumangarh to Phalodi via Anupgarh-Khajuwala-Gaudu in Rajasthan

Shri Arjun Ram Meghwal 532

(viii) Need to provide railway service between Solapur junction and Tuljapur, Maharashtra

Shri Shripad Yesso Naik 533

(ix) Need to implement the recommendations of Renke Commission report on Denotified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes

Shri Devji M. Patel 534

(x) Need to ensure payment of dues to sugarcane growers by sugar mill in Hardoi, Uttar Pradesh and start operation of sugar mill at Ghatampur in Kanpur, Uttar Pradesh

Shri Rakesh Sachan 535

(xi) Need to release sufficient quantity of Vaccines to check the spread of Japanese Encephalitis in Eastern Uttar Pradesh

Shri Ramashankar Rajbhar 536

(xii) Need to fix royalty on Coal at 20% sale price on ad-valorem basis

Shri B. Mahtab 537

(xiii) Need to set up a Deer sanctuary in Aurangabad, Maharashtra

Shri Chandrakant Khaire 538

(xiv) Need to provide funds under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) for construction of a road bridge across Sarabanga canal in Edapadi Municipal town in district Salem, Tamil Nadu

Shri S. Semmalai 539

(xv) Need to review the new Railway Catering Policy, 2010 with a view to protect the interests of small holders and vendors.

Shri Prabodh Panda 540

DISCUSSION UNDER RULE 193 **542-584**

Situation in Jammu and Kashmir

Shri Gurudas Dasgupta 542-550

Dr. Murli Manohar Joshi 551-565

Dr. Girija Vyas 566-574

Shri Shailendra Kumar 575-577

Shri Sharad Yadav 578-584

Shri Dara Singh Chauhan 586-588

Dr. Mirza Mehboob Beg 589-592

Shri P. Karunakaran 593-596

Shri Tathagata Satpathy 597-601

Shri Chandrakant Khaire 602-605

Shri Asaduddin Owaisi 606-611

Shri C. Rajendran 612-613

Dr. Rattan Singh Ajnala 614-616

Dr. Farooq Abdullah	617-622
MOTION RE: TWENTY-FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	**585**
NALANDA UNIVERSITY BILL, 2010	**623-659**
Motion to Consider	623-659
Shrimati Preneet Kaur	623
	676-677
Shri Syed Shahnawaz Hussain	624-629
Dr. Girija Vyas	630-635
Shri Shailendra Kumar	636-638
Dr. Baliram	639-640
Shri Kaushalendra Kumar	641-643
Sk. Saidul Haque	644-647
Shri Tathagata Satpathy	648-651
Shri S. Semmalai	652-653
Shri Jagdanand Singh	654-655
Shri Narahari Mahato	656-657
Dr. Bhola Singh	658-659
Shri Mohd. Asrarul Haque	660-664
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	665-666
Shri Prasanta Kumar Majumdar	668-669
Dr. Tarun Mandal	670-671
Shri Prem Das Rai	672-673
Shri Om Prakash Yadav	674
Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary	675
Clauses 2 to 44	678
Motion to Pass	678
EDUCATIONAL TRIBUNALS BILL, 2010	**679-742**

Motion to Consider	679-742
Shri Kapil Sibal	679-683
Dr. Murli Manohar Joshi	736-741
Shri Sandeep Dikshit	684-694
Shri Shailendra Kumar	695-700
Shri Vijay Bahadur Singh	701-703
Shri Mangani Lal Mandal	704-707
Shrimati J. Helen Davidson	708-710
Shri P.K. Biju	711-712
Shri Mohan Jena	713-716
Dr. Sanjeev Ganesh Naik	717-721
Shri K. Sugumar	722
Shri Bibhu Prasad Tarai	723-724
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	725-726
Dr. K. S. Rao	727-728
Shri Prasanta Kumar Majumdar	729-732
Dr. Tarun Mandal	733-734
Clauses 2 to 55	742
Motion to Pass	742

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	761
Member-wise Index to Unstarred Questions	762-766

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	767
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	768

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, August 26, 2010/Bhadra 4, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER
Birth Centenary of Mother Teresa

MADAM SPEAKER: Hon. Members, today is the birth centenary of Mother Teresa. She founded the Missionaries of Charity in Kolkata in 1950 and for over forty-five years served the poor, the sick and the orphaned. She received Nobel Peace Prize in 1979 and Bharat Ratna in 1980 for her humanitarian work.

The House pays its homage to this great humanitarian and noble soul on her birth centenary.

… (*Interruptions*)

श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी (धार): अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश में सारी चिकित्सा सेवाएं ठप्प हो गयी हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस विषय को हम बाद में ले लेंगे।

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Q. No. 421 – Dr. Rattan Singh Ajnala is not present. According to the amendment of the rule, now his Question becomes the property of the House.

The first supplementary would be asked. Does someone want to ask the first supplementary?

Shri R. Dhruvanarayana may ask the first supplementary.

(Q.421)

SHRI R. DHRUVANARAYANA: Madam, even though Mysore Airport was inaugurated two months back, it is still due for operation. I would like to ask the hon. Minister, through you, when he is going to start operations and flights from that airport.

SHRI PRAFUL PATEL: Madam, this does not arise from the main Question at all. We are talking of temporary employees in our national carrier. Therefore, this would be completely unrelated.

MADAM SPEAKER: It is all right. You need not answer.

SHRI R. THAMARAISELVAN : Madam, there are about 53 operational airports of Airports Authority of India, out of which 47 airports are used for regular flight operations in the country. I came to know that only five airports of Airports Authority of India have so far obtained license from the DGCA and the remaining are in operation without any valid license. So, I would like to know, through you, from the hon. Minister whether any directions have been given to these unlicensed airports to obtain license quickly so that incidents like the one which had happened recently in Mangalore can be averted.

SHRI PRAFUL PATEL: Again, this is completely beyond the purview of this Question.

Since the hon. Member would like to know about licensing, I can only state that though some airports have been licensed, it does not mean that the other airports are operating without a proper dispensation from the DGCA. All airports

across the country, licensed or otherwise, are completely adhering to International Civil Aviation Organisation's requirements and are safe technically and otherwise.

As far as Mangalore airport is concerned, it was certainly a licensed airport as on the date of the tragic incident.

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : महोदया, मेरी कांस्टीट्वेंसी है कूच बिहार। पहले वहां विमान चलते थे, दिसंबर, 1992 में वे बंद हो गए। फिर उधर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विमान चलाने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया। केन्द्र सरकार तथा माननीय मंत्री जी राज्यों की मांग से वर्ष 2007-2008 में सहमत हुए।

वहां पर एयरपोर्ट और उसके डवलपमेंट के लिए 35 करोड़ रुपए भी दिए गए और वे पैसे खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां विमान सेवा शुरू नहीं हो पाई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कूचबिहार में विमान सेवा कब तक शुरू हो पाएगी?

SHRI PRAFUL PATEL : Madam, again this question is completely out of the purview of the Question before us.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please ask relevant questions.

SHRI PRAFUL PATEL : I can only state that as far as we are concerned, the Cooch Behar Airport is ready for operation and we would be more than happy to accord approval to any airline wishing to operate from there.

MADAM SPEAKER: Thank you. Shri Gurudas Dasgupta.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, the Minister -- with all his enthusiasm as a part of privatization and as a part of improvement -- has embarked upon a plan of outsourcing. It is all right. My specific question to him is this. How many people, who are now in the job as permanent or contract employees, will be downsized because of the outsourcing and will be given a VRS?

SHRI PRAFUL PATEL : Madam Speaker, firstly, it is not my enthusiasm to outsource jobs. Certainly, if the organization does require some external help for certain functions, then they have been doing this from time to time. Outsourcing does not mean that there is any reflection on the capability or the requirements of the people who are working within the organization. As of now, there is no … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am asking about permanent and contract employees both.

SHRI PRAFUL PATEL : What about them?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am asking about permanent and contract employees both.

SHRI PRAFUL PATEL : What about them?

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am asking this because in Alliance most of them are contract employees.

SHRI PRAFUL PATEL : No, the contract employees, by definition, are not regular employees. So, those who are permanent employees will continue to remain employees, and there is no question of any people, who are permanent, to be removed from the job.

SHRI PRATAP SINGH BAJWA : Madam, NACIL is contracting private parties to provide manpower at various airports. The contracted private companies are engaging or employing fresh Graduates or Post Graduates -- in order to maximize their profits -- who do not have the requisite technical or professional knowledge to handle operations at various airports. Since the antecedents of people who are employed by the contracted companies are not verified, it poses a big security risk at airports, which is a very sensitive area. Above all, the grouse of the airline operators is that their own staff ends up doing all the work since the manpower deployed by the private companies do not have the professional skills. They have also lodged serious complaints in this regard.

Is the Ministry aware that unskilled employees of contracted companies not only pose a security threat, but were also caught red-handed stealing cargo at the Amritsar Airport worth lakhs of rupees? There is an FIR lodged by the CISF on the 16 August 2010 *vide* FIR No. 38 while some exports containing tobacco was being sent to Afghanistan. Are they also aware that the passenger baggage is being stolen regularly by these employees resulting in severe public outcry and anger over the lost baggage? This is what I wanted to ask from the hon. Minister.

SHRI PRAFUL PATEL : The relevant question whether people working on contract or otherwise at airports are a security risk, the answer is that no person can work within the premises of any airport in India until he or she has been cleared by the Police Department / Home Ministry, and until we get the clearance, the Bureau of Civil Aviation Security will not give a pass for any person to enter or work within the airport premises. I am sure that this is a safeguard, which is undertaken and it is absolutely followed without any deviation.

As regards the other issue, if there are some issues of theft of baggage, I am sure that the concerned people are then handed over or the issues are handed over to the local Police for investigation. In case there is any further information, which the hon. Member would like regarding the Amritsar Airport, then I would most certainly ask the Bureau of Civil Aviation Security and the CISF at the Amritsar Airport to be as vigilant as possible.

(Q. No. 422)

SHRI PONNAM PRABHAKAR : Madam Speaker, as the House is aware, silk is the queen of all fabric and historically is one of India's most important industries. India produces a variety of silk, namely, mulberry, tasar, eri and muga. It is very disheartening to note that we have not yet been able to fully exploit this advantage so far. The sericulture industry today employs over 7,00,000 families, who are mostly concentrated in Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and to some extent in Assam and West Bengal. Karnataka accounts for more than 70 per cent of the total silk production in the country. No doubt, sericulture is one industry which is beneficial to agriculturists.

I would like to know whether it is a fact that sericulturists want imports of raw silk to be restricted so as to have better market for their produce whereas exporters want import of raw silk so as to be able to export more silk products at competitive rates. If so, what are the steps being taken in this direction so far for fully exploiting the advantage and make our presence felt in the international scene more prominently than at present by setting up Regional Silk Centres in the backward districts like Karimnagar in Telangana Region in Andhra Pradesh in the remaining period of the Eleventh Five-Year Plan?

SHRI DAYANIDHI MARAN: The hon. Member has asked me whether we are allowing import of silk. Although India can boast of being the second largest producer of silk in the world, we still have to import more than 30 per cent of our consumption and basically we are allowing import of silk. In fact, we are allowing import of higher grade silk; we are not allowing import of lower grade silk. In fact, we have now imposed anti-dumping duties for import of low grade silk which competes directly with our production. It is also seen that our silk production is in no way affected.

The hon. Member also asked as to whether any development schemes are coming for silk rearing in Karimnagar. We are now successfully implementing sericulture in Andhra Pradesh, especially in Karimnagar and we are seeing good results of tasar silk being cultivated in Karimnagar.

SHRI PONNAM PRABHAKAR : Madam, India is the second largest producer of raw silk after China. I agree with the hon. Minister. China contributes 82 per cent, whereas India contributes 15 per cent. India produced 19,00,690 MT during 2009-10, but we have still imported raw silk to the tune of 12,00,450 MT. When this is the situation, the cultivation by mulberry silk farmers has fallen from approximately 194 lakh hectares in 2002 to 183 lakh hectares in the year 2010. If it continues, we may have to import more quantities of raw silk for our domestic requirement at the expense of our foreign exchange reserves. Therefore, I want to know from the hon. Minister what steps are being taken to encourage farmers for not diverting their land to produce other crops or for other purposes. In other words, what incentive is being planned to be given, apart from the existing ones, to maintain the status.

SHRI DAYANIDHI MARAN: As the hon. Member mentioned, yes, we are the second largest producer of silk, but we also are the largest users of silk; more than China, we use a large amount of silk for production and most of them are exported. As the hon. Member mentioned, yes, we have been seeing a decline in the area of cultivation of mulberry silk in our country. This is mainly because of the mass urbanization which is taking place in our country. In fact, two years back, we have lost 10,000 hectares of land wherein mulberry silk was being cultivated basically because of the construction of a new airport at Devanahalli, near Bengaluru in Karnataka. It was a prime area for silk cultivation. The moment the airport came, right in the heart of the mulberry sericulture area, a lot of real estate development also took place. This is a constant fight which the Central Silk Board has been facing because as and when we introduce more areas under sericulture, we also lose a lot of area to urbanization.

This is a part of a process. In fact, we have been canvassing more farmers to come into sericulture. This is the primary duty of the Central Silk Board. In fact, the Catalytic Development Programme of the Central Silk Board is canvassing there. Fifty per cent of the project cost is given by the Central Silk Board, 25 per cent by the State Governments and 25 per cent by the farmers. We have seen that with the amendments made to the old Silk Act we are able to increase the revenue from Rs.170 per kg of silk to Rs.250. We are taking all initiatives. It is an ongoing process. We cannot do miracles because this activity involves agriculture also. After agriculture comes the seed. It is a continuous process. It is about the mindset. We are trying our best to improve it.

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे यहां, महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में, 100 एकड़ भूमि में, रेशम के कीड़ों की खेती हुआ करती थी, लेकिन उसे इसलिए बंद किया गया कि प्रदूषण के कारण, कीड़े मर जाते थे और वह वातावरण खेती के लिए लाभदायक नहीं था। जब मैंने इस बारे में लोक सभा में प्रश्न पूछा था तो जवाब में यही आया था कि इस वजह से बंद किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ऐसी हालत वहां नहीं है, वहां निजी क्षेत्रों में भी अनेक किसान रेशम के कीड़ों की खेती करते हैं। अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि क्या सरकार पुनः उस केन्द्र को प्रारम्भ करने के लिए कोई प्रयास करेगी?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Madam, sericulture is done mostly by the private sector. It is true that every State Government has got a Sericulture Department and through the State Governments we try to encourage farmers to come into sericulture. Since this is not like any other agricultural activity where the farmer just sows the seeds and reaps the harvest, it has to be a disciplined process. In the process of seeding we have to be very careful because we have a live worm there and the worm does get affected by disease. In the process we have seen that we find that farmers are a little reluctant to migrate immediately from the regular farming activities to sericulture. We also realize that more marketing activities are necessary. We are trying to encourage sericulture in every area possible.

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया जी, आजादी के 6 दशक बाद भी इस देश का बुनकर तबाह और बर्बाद हो रहा है। उन बुनकरों की तरफ भारत सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। चीन से बंगला देश के माध्यम से रेशम की स्मग्लिंग हो रही है और बिचौलियों के द्वारा बुनकरों को रेशम महंगे दामों पर दिया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में चाहे बनारस हो, मुबारकपुर हो या यूपी के और दूसरे क्षेत्र हों, सारे क्षेत्रों में बुनकर काम करता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस स्मग्लिंग को रोकने के लिए, रेशम की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर के रियायती दरों पर बुनकरों को रेशम उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिससे यहां का बुनकर भुखमरी का शिकार न हो, खुशहाल हो।

दूसरे प्रश्न का बी-पार्ट है कि उत्तर भारत में एक भी रेशम बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इसलिए उत्तर भारत में या तो भारत सरकार, सीधे राज्य सरकार से प्रस्ताव लेकर, सीधे राज्य को पैसा दे, या उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश, जो बहुत बड़ा बुनकरों का इलाका है, वहां रेशम बोर्ड गठन करने का कार्य करे, यही मुझे कहना है।

SHRI DAYANIDHI MARAN: Madam, even though this does not relate directly to the Question, I would like to answer it. We do realize that on the one side we are trying to promote silk production in the country and on the other we find that weavers, especially in Varanasi, are demanding more and more silk. The main issue is that of non-availability of good silk. We have realized that. In this year, the Ministry of Textiles through its public sector undertakings will be importing 2000 tonnes of silk from China to be sold to the weavers not only in Varanasi but also in Kanjeepuram and in other areas which are using silk.

SHRI O.S. MANIAN : I would like to know from the hon. Minister, through you, Madam, this. Handloom weavers and industry are facing a lot of problems, especially in repaying the loans of cooperative weavers society. Will the Government come forward for total waiver of loans provided to the handloom industry to save them from the present crisis.

SHRI DAYANIDHI MARAN: Hon. Member is from State, even though his question does not relate to this question, I would still say that the Government of India is considering this.

SHRIMATI ANNU TANDON : This is about textiles and Shri Dara Singh ji has already asked on behalf of Uttar Pradesh, लेकिन हिंदुस्तान में जब टैक्सटाइल की चर्चा होती है, तो सबसे पहले हिंदुस्तानी औरत के मन में बनारस की रेशम की साड़ियां आ जाती है। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इन्हें पसंद करती हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : लेकिन आप रेशम की साड़ियां नहीं पहनती हैं।

श्रीमती अन्नू टण्डन: मैं स्वयं भी रेशम की साड़ियां पहनती हूं। मैं बनारस की रेशम की साड़ियों की प्राचीनतम कला को बढ़ावा देने की इच्छा रखती हूं, परन्तु हिंदुस्तान में रेशम के धागे की कमी, जिसके बारे में मंत्री जी ने भी चर्चा की है और इस वजह से बनारस की इस कला के लिए जिसकी कमी है, उसे पूरा करने के लिए चीन से रेशम का धागा इम्पोर्ट किया जाता है। माननीय सदस्य ने स्मगलिंग की बात कही है, लेकिन इसे इम्पोर्ट भी किया जाता है। दुख की बात यह है कि इसका जो इम्पोर्ट होता है, उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी चीन से आने वाले सिल्क के कपड़े की कीमत से भी ज्यादा है। इसका असर यह होता है कि हथकरघे से बनने वाले रेशम के कपड़े चीन से इम्पोर्ट होने वाले कपड़े से महंगे होते हैं। मंत्री जी ने एन्टी डम्पिंग ड्यूटी की बात जरूर कही है, लेकिन इसे बुनकरों और प्राचीनतम कला का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं।

महोदया, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि क्या इस अनियमितता को दूर करने का कोई प्रयास किया जा रहा है? बनारसी रेशम की साड़ियां रेशम के इम्पोर्ट की वजह से चीनी कपड़े से भी महंगी हो जाती हैं। क्या भारतीय उत्पादन एवं आवश्यकता के अंतर को कम करने या दूर करने का कोई प्रयास किया जा रहा है? इसके साथ मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया एक ही सवाल पूछिए।

श्रीमती अन्नू टण्डन : महोदया, यह इसी का पार्ट है। भारत सरकार हमारे बुनकरों के लिए पहले से अधिक रेशम के धागों को इम्पोर्ट करने का या सब्सीडाइज करने की कोई बात सोच रहे हैं? मंत्री जी ने जो एक बहुत अहम बात आर्ट सिल्क के बारे में कही है। बनारस की कला को बचाने के लिए सरकार क्या कोई ऐसी पालिसी बना रही है कि आर्ट सिल्क को बढ़ावा न दिया जाए और केवल सिल्क को ही बढ़ावा दिया जाए?

SHRI DAYANIDHI MARAN: As I mentioned earlier, this is not related to this question but I would still like to reply to the hon. Member. As mentioned earlier, there has been complaint that some silk have been smuggled into our country from China. Basically, we are trying to protect our domestic industry because we

produce not the excellent variety of silk. So, we have imposed anti-dumping duty so as to protect our domestic sector. But there are also concerns from the weavers, especially from Benaras, Kanjeepuram and from our Tamil Nadu that they need good quality yarn because of this, they are finding it very difficult to import and also the black-marketeers are spoiling this show. In order to put an end to it, the Ministry of Textiles will be importing 2,500 MT of high grade silk to be sold to the weavers of Benaras, and Kanjeepuram so that they can produce good quality sarees, and I hope, when I see the hon. Member, she wears a good Benaras saree and enter the House. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, you may like to give one to her!

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रामकिशुन जी आप बैठ जाएं।

…(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन : वे भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाएं। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

…(व्यवधान)

DR. RATNA DE : Women play a major role as workers in the silk industry. West Bengal has become a famous destination for silk industry.

Those women workers in the silk industry are deprived of good health facilities. There is health insurance scheme for women. I would like to know from the hon. Minister, the number of women workers covered under this scheme, since the implementation of the scheme in 2008-09.

* Not recorded.

SHRI DAYANIDHI MARAN: West Bengal stands third in silk production in the country after Andhra Pradesh, primary being Karnataka. In the Ministry, the Central Silk Board has been offering insurance schemes only for the women workers in this sector.

At this moment, I do not have those details; since this supplementary is not related to the Main Question, I will definitely send the details to the hon. Member.

(Q. 423)

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है लेकिन देश के अंदर के.जी.डी. 6 ब्लॉक में गैस मिलने के बाद जो उपलब्धता हुई है, वह बढ़ गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्थिति हमारी वर्ष 2009 में थी, 2010 में क्या स्थिति बनी है और जो यह गैस मिली है, उससे आज कितनी मात्रा में गैस बढ़ी हुई है और देश की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर होगा?

श्री जितिन प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, मैं सदन और माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के मुताबिक 80 प्रतिशत गैस के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और इसकी प्रमुख वजह के. जी. डी. 6 गैस जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, वह गैस भारत में मिली है और इसका एमपॉवर्ड ग्रुप ने बड़े सोच-समझकर फैसला लिया है क्योंकि भारत की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है,। इसलिए प्रायोरिटी सैक्टर्स बनाये गये हैं जिन पर यह गैस दी गई है और प्राथमिकता पर फर्टिलाइजर सैक्टर रखा गया है। आज की तारीख में जितने भी भारत में फर्टिलाइजर्स प्लांट हैं, उन सबको गैस उपलब्ध कराई जा रही है और इस गैस को उपलब्ध कराने की वजह से जो फायदे हुए, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर सैक्टर को 76 लाख टन यूरिया का ज्यादा उत्पादन हुआ है जो कि 4000 करोड़ रुपये की मुनाफा सेविंग यानी बचत सरकार को हुई है।

दूसरी प्राथमिकता में पॉवर सैक्टर भी है जहां पर काफी मात्रा में के.जी.डी 6 बेसिन से गैस दी गई है। वहां पर उस पॉवर सैक्टर को गैस देने की वजह से 10,000 मेगावॉट बिजली का अधिक उत्पादन हुआ है जिससे करीब 11,000 करोड़ रुपये का मुनाफा पॉवर सैक्टर को होगा। इसी तरीके से और भी एलपीजी यूनिट्स को और स्टील इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी सीएनजी है, ट्रांसपोर्ट है और पैट्रो कैमिकल्स है और छोटे उद्योगों को भी गैस उपलब्ध कराई गई है ताकि देश में और बढ़ोतरी हो पाए।

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : अध्यक्ष महोदया, देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो गैस की डिमांड है, उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है और खासकर गुजरात के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। गुजरात एक विकासशील राज्य है जहां 1500 लघु उद्योग आज गैस की कमी के चलते हुए बंद होने के कगार पर हैं। दो दिन से गुजरात से डेलीगेशन आया है। मुझे और गुजरात के सारे एमपीज से वह डेलीगेशन मिल रहा है। अगर लघु उद्योगों को गैस नहीं मिली तो कम से कम 15 लाख लोग गुजरात के जो लघु उद्योगों में काम

करते हैं, वे बेकार हो जाएंगे। इसलिए खासकर मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात के जो लघु उद्योगकार हैं जो आपसे भी शायद मिले होंगे, उनको तात्कालिक प्रभाव से गैस सरकार कब तक उपलब्ध कराएगी और गुजरात के 15 लाख मजदूरों को जिनकी रोजी-रोटी छिनने के कगार पर है, उनको बचाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री जितिन प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, जहां तक गुजरात का सवाल है, मैं माननीय सदस्य की परेशानी समझ सकता हूं। जहां तक गैस का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है मगर फिर भी जितना गैस का उत्पादन भारत में हो रहा है, उसकी करीब 40 प्रतिशत गैस गुजरात प्रदेश में इस्तेमाल की जा रही है तथा कोशिश यह भी है कि और भी गैस जैसे-जैसे उपलब्ध होगी, गुजरात को प्राथमिकता दी जाएगी। वहां के बहुत छोटे छोटे उद्योगों का जिक्र किया गया है जहां पर लोगों को परेशानी है और जहां पर उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, वह मैं समझ सकता हूं। लेकिन फिर भी चूंकि गैस का उत्पादन कम है और माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि फर्टिलाइजर्स सैक्टर जो किसानों से संबंधित रहता है, उसको प्राथमिकता देने के बारे में विचार हमारी सरकार का है और जो पॉवर सैक्टर है, जो बिजली का उत्पादन है, वह भी हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। उन्हें हम लोगों ने प्राथमिकता पर गैस उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। एलपीजी जो घर-घर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है, उस सैक्टर को भी प्राथमिकता दी गई है। इसलिए माननीय सदस्य जो छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं, वे भी सरकार के प्रायोरिटी सैक्टर में हैं मगर प्राथमिकता सूची में वे 8वें नंबर पर आते हैं। इसलिए जैसे जैसे गैस उपलब्ध होगी, खास तौर से गुजरात का ख्याल रखा जाएगा क्योंकि सरकार की प्राथमिकता सूची में गुजरात है क्योंकि बहुत से उद्योग वहां पर है और जैसे मैंने बताया कि देश की 40 प्रतिशत गैस गुजरात में ही इस्तेमाल हो रही है। गुजरात में दो टर्मिनल्स भी एलएनजी टर्मिनल दहेज में और हज़ीरा में बनाये गये हैं। विदेश से गैस आए और वहां के लोग तथा वहां के छोटे उद्योग उसका इस्तेमाल कर सकें। गुजरात में चूंकि वहां टर्मिनल है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सबसे कम लगती है और इससे गुजरात के छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा। वहां के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, यही मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला - अनुपस्थित।

प्रो. रामशंकर : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा में ताजमहल होने के कारण वहां जितने उद्योग-धंधे थे, वे पूरी तरह से बंद हो गये। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी तरह से बंद होने से वहां बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं। वहां पर कोई उद्योग-धंधा नहीं चल सकता है।

केवल प्राकृतिक गैस से छोटे उद्योग धंधे चल रहे थे, लेकिन प्राकृतिक गैस के 60 प्रतिशत दाम बढ़ने के कारण अब वे बंद होने के कगार पर हैं। फिरोजाबाद और आगरा दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण और कोई उद्योग धंधा और किसी से नहीं चल सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां जो प्राकृतिक गैस की कमी है, क्या उसकी आगरा और फिरोजाबाद में भरपाई होगी और जो दाम बढ़े हुए हैं, क्या वे दाम कम होंगे? इस पर माननीय मंत्री जी का आगरा की जनता के लिए क्या विचार है और आगरा में जो दस लाख मजदूर हैं, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है?

श्री जितिन प्रसाद : जहां तक आगरा का सवाल है, मैं सदस्य जी की भावना समझ सकता हूं। आगरा में ताजमहल ट्रेपेज़ियम ज़ोन के अन्तर्गत आता है जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी कोयला और दूसरे तरह का जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, वह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वजह से दिल्ली और मुम्बई में भी यही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गैस लोगों को उपलब्ध कराई जाए ताकि वहां के उद्योग इस पर चल पाएं। जहां तक दाम के सवाल के बारे में आपने कहा है, जो एपीएम गैस थी, जिस दाम पर दी जा रही थी, उस पर ऑयल कंपनीज को बहुत घाटा हो रहा था और वे दाम जो एपीएम के पहले थे, उसकी अगर क्रूड ऑयल से तुलना की जाए तो 12 डॉलर क्रूड ऑयल के बराबर आ रहा था जबकि क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर हैं। अतः इसे बढ़ाना जरूरी हो गया था। आगरा या कहीं भी नए उद्योगों में नौजवानों के रोजगार के अवसरों की बात है, नए उद्योग आएंगे तो उन्हें महंगी गैस मिलेगी जबकि पुराने उद्योगों को सस्ती गैस मिल रही है। इस तरह से वहां नए उद्योग पनप नहीं पाएंगे और उन्हें बराबर कम्पीटिशन करने का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह रही है कि गैस के दाम बराबरी पर लाए गए हैं। वहां प्रयास भी किया जा रहा है। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं और नौजवान भी हूं। मैं आगरा के लिए खास प्रयास कर रहा हूं कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। वहां लोगों को गैस मिले, इसका प्रयास किया जाएगा।

श्री हरीश चौधरी : महोदया, मेरे लोकसभा बाड़मेर में 20 से 25 प्रतिशत डोमेस्टिक क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की संभावना है। बाड़मेर में ओएनजीसी और केन को यह ब्लॉक मिला था। हमें इतने दिनों से अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि न्यू लाइसेंस पॉलिसी के अंदर करार हुआ था जिसमें पूरी भागीदारी (रॉयल्टी) 30 प्रतिशत ओएनजीसी को मिलने के बावजूद 100 परसेंट रॉयल्टी ओएनजीसी को देनी पड़ रही थी। ओएनजीसी को 30 प्रतिशत भागीदारी के बावजूद नुकसान हो रहा था। वहां केन एनर्जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही थी। हमें अखबारों के माध्यम से पता चला कि वेदांता कंपनी ने केन एनर्जी को एक्वायर कर लिया। हमें पिछले एक महीने से लगातार सरकार की तरफ से जो सुनने को मिल रहा है

कि केन एनर्जी के वेदांता द्वारा एक्वीजिशन में सरकार की स्वीकृति नहीं हुई है। कल ही मंत्री महोदय ने बात कही है कि वेदांता को जो काउंटर बिड देनी थी, वह ओएनजीसी नहीं दे पाई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ओएनजीसी को जो नुकसान हो रहा है, क्या इसे ध्यान में रखा जाएगा?

श्री जितिन प्रसाद: महोदया, यह सवाल विषय से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्य ऑफिस में आएं, मैं उन्हें बढ़िया कॉफी पिलाकर पूरी बात का ब्यौरा दूंगा, पूरी बात बताऊंगा।

श्री हरीश चौधरी : कॉफी पीने की बात नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी प्रश्न पूछ रहे हैं। आप उनके ऑफिस में चले जाइएगा। आप उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री जी ने वक्तव्य में अपनी बात कही है कि मैं भी यूपी का रहने वाला हूं। यूपी में विद्युत की कितनी समस्या है, यह बात आप जान चुके हैं। आगरा के सम्मानित सदस्य ने भी कहा है। दादरी में गैस पर आधारित एक पावर प्रोजेक्ट खुलना था। इसके लिए जमीन बहुत दिनों से अधिग्रहित की गई और वहां थोड़ा-बहुत काम भी हुआ लेकिन भारत सरकार से गैस न मिलने के कारण प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह दादरी प्रोजेक्ट के लिए गैस आबंटित करेंगे? यदि नहीं तो क्यों? मेरे ख्याल से इसके शुरू हो जाने से उत्तर प्रदेश में तो विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी ही और इसके साथ दूसरे राज्यों को भी सप्लाई दी जा सकती है।

श्री जितिन प्रसाद: महोदया, जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इस वजह से एम्पार्वड ग्रुप ने प्राथमिकता तय की है। जहां तक पावर प्लांट्स का सवाल है इसमें प्राथमिकता तय की गई है कि मौजूदा प्लांट्स, जो चल रहे हैं उन्हें गैस उपलब्ध कराई जाएगी। देश में जो भी प्लांट्स हैं, उन्हें 70 परसेंट प्लांट लोड फैक्टर, यानी जो उनकी कैपिसिटी है, 100 प्रतिशत नहीं 70 प्रतिशत गैस दी जा रही है। मौजूदा जितने प्लांट्स हैं, उन्हें गैस दी जा रही है और जो पिछले वर्ष लगने की कगार पर थे, उन्हें भी दी जा रही है। जहां तक दादरी प्लांट की बात है, इसे भी पूरी तरह से गैस दी जाएगी। जब वह प्लांट गैस इस्तेमाल करने की स्थिति में आएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उन्हें गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

(Q. 424)

श्री मनीष तिवारी : महोदया, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली और मुम्बई को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए। Madam Speaker, in his reply the Minister has pointed out that there is a DGCA circular which says that there should be a departure from Delhi and Mumbai Airports every two minutes, *i.e.*, five in ten minutes and 30 in an hour. This Question relates to congestion at Delhi and Mumbai Airports.

The problem is apparently the implementation of the circular is not proper. It is because reports suggest that during rush hours there are 10 departures in 10 minutes from Delhi and Mumbai airports and there 40 departures in an hour. At times there are five aircraft which are scheduled for departure at the same time. I do not know whether these reports are correct or whether these reports are wrong. But these reports have appeared in the public space.

I would only like to ask the hon. Minister if he would kindly enlighten the House as to how many departure slots have actually been sanctioned at Delhi and Mumbai airports between 5 am and 9 am and 5 pm to 10 pm.

SHRI PRAFUL PATEL: Madam, the hon. Member is right when he asked about the congestion and the kind of aircraft movement that is allowed per hour at both the Delhi and Mumbai airports.

In Mumbai we have a cross runway operation which allows up to 32 movements an hour. It is a cross runway and so it allows 30 movements an hour. In Delhi, after the opening of the major runway, the total capacity of the runway is about 48 movements per hour. If there is a single runway in operation and if there are some technical and weather reasons, then it is 30 movements per hour. To say that there are more flights operating in a specified hour, the capacity cannot be increased or stretched beyond what it is. Airlines usually tend to be late not only for operational reasons but sometimes for technical and other reasons also. That is why the DGCA brought in a circular and it is strictly being monitored now first in Mumbai and now also being brought into Delhi where all airlines have to ask for

push back 15 minutes before departure. The last month's review of this new circular has shown very positive results. Both in Delhi and Mumbai the number of on-time arrivals and departure have gone up to almost 90 per cent.

So, I think, with this kind of strict implementation of the circular, I am sure – I am not saying that congestion can always be a thing of the past; as traffic will grow, the need of Mumbai and Delhi will grow and congestion is likely to happen – it certainly cannot be beyond the approved capacity of airports. Ultimately, all flight arrival and departure are monitored by a Slot Committee and therefore, they will only allow slots if there is capacity available and beyond that no slot is given to any airline.

SHRI MANISH TEWARI : Madam, my second question pertains to the absence of ground radar at Mumbai airport. The hon. Minister has informed that it is being procured. As I understand it, I am subject to correction, that the absence of ground radar means that the ATC is blind to the movement on the tarmac and anybody who has been to the Delhi and Mumbai airports would see that the volume of traffic has increased on the tarmac. Their buses, luggage trolleys, their aircraft and their people who are moving around, at any point of time there can be a serious mishap, even some of the people who drive these buses can put the blue line bus drivers to shame.

Madam, I would like to ask the hon. Minister whether he would consider deploying traffic marshals at the Delhi and Mumbai airports to regulate the ground traffic otherwise, we may head into a major disaster.

SHRI PRAFUL PATEL: I fully agree with the hon. Member that as the volume of traffic has grown it is important to have the best technologies available to monitor the movement of specially aircraft and other activities like vehicles and other ancillary equipment.

Madam, I would only like to say that the Surface Movement Radar will be operationalised by September 2010, that is, in a month's time from now. Not to say that while this is being operationalised, there is no tracking of aircraft or other equipment vehicle on the ground. There are enough, I would say, agencies looking into all these aspects and regulating the flow of traffic.

However, to say that the ATC is completely blind to all activities is not fair. The ATC towers are designed to have a complete 360 degrees view of every nook and corner of the airport. Notwithstanding that, the surface movement radar will be operationalised by September, 2010.

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : क्यों, आपकी सीट कहां गई?

श्री गणेश सिंह : मेरी सीट पीछे है।

अध्यक्ष महोदया : आप उस पर बैठिये।

श्री गणेश सिंह : क्या मुझे यहां से बोलने की अनुमति है?

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

श्री गणेश सिंह : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली और मुम्बई दोनों हवाई अड्डों से हवाई जहाजों का जो परिचालन होता है, आपने उसमें व्यस्तता का उल्लेख किया है और दोनों हवाई अड्डों से 690-700 हवाई जहाज चलाने की बात कही है। लेकिन देश के कई ऐसे हवाई अड्डे हैं, विशेष रूप से मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं, जहां विदेशी पर्यटकों का आना-जाना होता है। वहां पर ज्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं होती। मुश्किल से एक या दो हवाई जहाज चलते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब मौसम की खराबी भी नहीं होती और अन्य कोई तकनीकी कारण भी नहीं होता, फिर भी वहां हवाई जहाज हमेशा विलम्ब से आते-जाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे विदेशी पर्यटकों को मन ही मन में कहीं न कहीं यह लगने लगा है कि इनका परिचालन भारत सरकार ठीक से नहीं करा पा रही है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो हवाई अड्डे व्यस्त नहीं हैं, कम से कम वहां जहाज सही समय पर चलें। मैं विशेष तौर पर खजुराहो का उल्लेख करना चाहता हूं। अक्सर देखा जाता है कि खजुराहो में जहाज बहुत विलम्ब से आते-जाते हैं। जबकि वहां कुल मिलाकर एक-दो जहाज ही चलते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां ज्यादा हवाई जहाजों का आना-जाना नहीं होता, क्या उन हवाई अड्डों पर

आप समय की पंक्चुएलिटी फिक्स करेंगे? यदि ऐसा नहीं करते तो क्या उन जहाजों पर कोई दंड लगाने का प्रावधान किया गया है?

श्री प्रफुल पटेल : महोदया, मैंने मुम्बई और दिल्ली के बारे में पहले उत्तर में बताया है कि हमारे देश की करीब साठ प्रतिशत हवाई उड़ान सेवाएं मुम्बई-दिल्ली से ओरिजिनेट होती हैं। जब मुम्बई-दिल्ली में विलम्ब होता है तो उसका अन्य हवाई सेवाओं पर एक कास्केडिंग इफैक्ट होता है। जैसा आपने यहां खजुराहो का उल्लेख किया, खजुराहो का विमान दिल्ली से जाता है और इसलिए यदि दिल्ली से आने-जाने में विलम्ब हुआ तो आगे पूरे दिन की हवाई सेवा पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से सुधारित सर्कुलर डीजीसीए ने स्वीकार किया है और उसे लागू किया है। उसके माध्यम से केवल मुम्बई-दिल्ली में ही नहीं, बल्कि सारे देश की हवाई सेवाओं पर उसका पॉजिटिव असर हुआ है। मैं आशा करता हूं कि यह केवल मुम्बई-दिल्ली तक ही लागू नहीं रहेगा, इसे हम कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलुरू के जो बड़े हवाई अड्डे हैं, जहां से सेवाओं का ओरिजिनेशन होता है, वहां इसे लागू करने पर काफी मात्रा में हमारे सारे हवाई अड्डों पर तथा हमारी सारी विमान सेवाओं पर उसका सही असर होगा।

SHRI T.R. BAALU :Madam, we notice that the passenger and cargo traffic have increased exponentially in all the metro airports. In Chennai Airport, day in and day out, we could see that both the Kamaraj Terminal and the Anna Terminal are overflowing like anything. In fact, it looks like a mofussil bus stand. I want to know from the hon. Minister whether, with the ongoing expansion project at the Chennai Airport, the passenger traffic and cargo traffic will hold good by 2020 taking into account the present growth rate.

SHRI PRAFUL PATEL: In fact, hon. Member, Shri Baalu, would be well aware that the expansion of the Chennai Airport is very much on track. Most of it falls within his own constituency. I am sure that he sees it much more often than I do. But certainly, I can state that there is massive expansion going on and more than Rs. 2000 crore are being spent on the upgradation of the Chennai Airport to make it as competitive as the other major airports like Mumbai and Delhi Airports.

When we talk of upgradation, it is not only for passengers but also for cargo movement. A lot of expansion will be taking place for movement of cargo from in and out of Chennai.

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, जो सवाल यहां उठाये हैं, मंत्री जी ने कुछ सवालों का तो जवाब दे दिया है लेकिन दिल्ली और मुम्बई, विशेषकर दिल्ली में जब फ्लाइट आती है तो शाम के समय कंजैशन रहता है। लोग हवाई जहाज से इसलिये चलते हैं ताकि वक्त बचे, इसलिये पैसा खर्च करते हैं लेकिन जब भी जहाज आठ बजे, नौ बजे या साढे नौ बजे एअरपोर्ट पर आ गया या उसके पहले भी आ गया तो लैंड करने से पहले 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट पूरे एअरपोर्ट का दर्शन कराता है, चारों तरफ घूमता है। उस समय तकलीफ से मन इतना खराब हो जाता है कि जहाज से आने का पूरा मज़ा ही खत्म हो जाता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नया रनवे है, वह कब तक बनेगा? सरकार ने एअरपोर्ट प्राइवेट लोगों को भी दे दिया है लेकिन इसके बाद भी यह हाल है जैसा बालू जी कह रहे थे कि बस स्टैंड टाईप लगता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का जो दिल्ली एअरपोर्ट दर्शन है, यह परिक्रमा कब तक खत्म होगी, इसके लिये माननीय मंत्री जी पक्का-पक्का जवाब दें, वह इधर-उधर की बात न करें।

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदया, शरद जी ने जो सवाल परिक्रमा के लिये उठाया है, उसका कहीं न कहीं विराम करना होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो समय लगता है, उसका कारण यह है कि टर्मिनल-3 बना है, नया रनवे दूसरे छोर पर बना है। हम इस टर्मिनल-3 को डोमैस्टिक ऑपरेशन के लिए अगले कुछ महीनों में शुरु करेंगे। यह परिक्रमा टी-3 के उस ओर से लेकर अभी वर्तमान डोमैस्टिक टर्मिनल तक आना पड़ता है, वह वहां थम जायेगी और आप 5-7 मिनट में अपने पार्किंग स्टैंड पर टी-3 में पहुंच जायेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पुराना रनवे है, उस पर अभी काम चालू है, 10-12 साल में रनवे की रीसरफेसिंग, री-कारपेटिंग करने की जो प्रक्रिया है, पुराने रनवे में काम होने की वजह से काफी मात्रा में डायवर्जन्स किये गये हैं, इसलिये नये रनवे से इस रनवे तक आने के लिये समय लगता है लेकिन मैं माननीय सदस्य से निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 15 या 30 अक्तूबर के बाद आपकी परिक्रमा काफी छोटी हो जायेगी।

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने कंजैशन के दो कारण बताये - एक तो यह कि फ्लाइट्स शेडूल पर नहीं जा रही हैं, दूसरा मौसम की खराबी होती है। तीसरा बड़ा कारण यह कि एअरपोर्ट का एक्सपैंशन नहीं हो पा रहा है। मैं मुम्बई एअरपोर्ट के संदर्भ में यह सवाल पूछ रहा हूं। मुम्बई एअरपोर्ट पर 200 एकड़ लैंड में 80 हजार के आसपास झोंपड़े हैं। पिछले चार वर्षों में इसका सर्वे हुआ या नहीं हुआ, क्या होगा, उनकी शिफ्टिंग कब होगी, होगी या नहीं होगी, कितने फ्लैट्स बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं ? अगर मंत्री जी इस बारे में प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी मेहरबानी होगी।

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदया, सभी को यह परेशानी मालूम है कि बहुत वर्षों से वहां अतिक्रमण हुये हैं और करीब 80 हजार के आसपास वहां पर झुग्गी-झोंपड़ी बनी हैं, मुम्बई में जिन्हें स्लम्स कहते हैं, वे मुम्बई एअरपोर्ट को काफी मात्रा में बाधित किये हुये हैं। हमने मुम्बई एअरपोर्ट को जब जाइंट वैंन्चर में दिया, उसमें हमने एक कंडीशन लगाई है।.

आप यहां पर एक्सपेंशन करने के समय हर व्यक्ति जिसने उस परिसर में अतिक्रमण किया हुआ है, उन्हें पर्यायी घर महाराष्ट्र सरकार की स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की जो एसआरए स्कीम है, उसके माध्यम से जब तक उनका पुनर्वासन नहीं करेंगे तब तक आप उन लोगों को वहां से नहीं हटा सकते हैं। उसी के तहत अभी वहां पर काम जारी है। पहले 17,000 घरों का निर्माण वहां से एक या डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर कुर्ला में होने जा रहा है और इस वर्ष के अंत तक निश्चित ही उन 17,000, जो पहली लॉट है, उन लोगों को वहां शिफ्ट करने का काम किया जायेगा। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार के साथ हमारी बैठक हुई और उसमें यह जायजा लिया गया कि इन 17,000 के अलावा दूसरे और 6,000 लोगों के लिए भी इस वर्ष के अंत तक पर्यायी व्यवस्था की जायेगी। उसके बावजूद वहां हमें 50,000 से अधिक परिवारों को और रिहैबिलेट करना जरूरी है। उसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार कुछ जमीन का प्रबन्ध करने की कोशिश कर रही है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं और सभी माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर बहुत कम समय में लोगों का पुनर्वासन करना, यह आसान काम नहीं है। वह भी मुंबई जैसे शहर में, जहां विस्थापित लोग चाहते हैं कि हम जहां रहते हैं, हमारा उसके आस-पास ही पुनर्वासन किया जाये। इसीलिए मुंबई में हम दूसरे हवाई अड्डे के लिए भी काफी मात्रा में कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी साथ यहां बैठे हुए हैं, हम दोनों मिलकर, कदम से कदम मिलाकर नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत आतुर हैं।

(Q. 425)

SHRI VILAS MUTTEMWAR : Madam Speaker, in spite of the growth in the steel sector in our country year by year, why the domestic traders are continuously representing to the Government saying that the import of steel is responsible for the piling up of the stocks of steel with them and they are forced to sell their products at a loss? In this connection, I would like to know what steps the Government are taking to remove the grievances of the domestic steel producers and take serious look into the practical and genuine difficulties of the steel producers, particularly when, in the present economic melt down, the Government is expected to provide every possible assistance to indigenous industry to face the existing economic situation.

SHRI VIRBHADRA SINGH: Madam Speaker, I would like to say that steel import in India has shown an increasing trend over the past two years. As soon as the domestic economy emerged out of the shadows of the global economic recession in and around March 2009, the consumption of steel in the country showed an increasing trend. Due to the limitation in growth of production capacity, the increase in steel consumption in the domestic market was met through imports from other steel-producing countries where surplus capacity had existed.

Although the import of steel has increased higher in percentage terms, there is not much concern as steel import as a percentage of total finished steel consumption is still low. This shows that most part of the steel consumption in the country is met through domestic production and only a small share of it is being met through imports.

I would like to say that I have been meeting the stakeholders off and on. Whatever difficulties they have, they discussed with me and they are fully satisfied so far as I am concerned.

12.00 hrs.

SHRI VILAS MUTTEMWAR : Madam, an elaborate answer is given in the written reply of the hon. Minister. But today, India's growth rate of steel is 2.7 per cent as against China's 13.5 per cent. With a view to increase its production, not only the capacity of the existing steel plants needs to be increased, but other producers are also required to be provided incentives. The main reason is alleged to be the lack of resources.

MADAM SPEAKER: Question Hour is almost over. Please be very brief.

SHRI VILAS MUTTEMWAR : Due to this the steel industry is unable to fulfill the domestic demand of consumers. I would like to know from the hon. Minister as to what steps are being taken to incentivise production, increase cutting edge value added products and for making available steel to the consumers at a reasonable price by discouraging import.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please be brief.

SHRI VIRBHADRA SINGH: The answer to this is, we have to increase the production of steel in the country. Towards this end, we are taking appropriate action both in the public sector and the private sector. We have a massive scheme for modernization of steel mills in the public sector and also to increase the capacity. Similarly, in the private sector also production is increasing very fast. As against production of 56 million tonnes of steel, today we are producing 72 million tonnes of steel and by the year 2012 we hope to reach the target of 120 million tonnes.

12.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now Papers to be laid.

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SUBODH KANT SAHAY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, New Delhi, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No. LT-3038/15/10)

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Crop Processing Technology, Thanjavur, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Crop Processing Technology, Thanjavur, for the year 2008-2009.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT-3039/15/10)

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Oil from Ships) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 329(E) in Gazette of India dated the 16th April, 2010, under sub-section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT-3040/15/10)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI PRAFUL PATEL): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Aircraft (2nd Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 643(E) in Gazette of India dated the 29th July, 2010, under Section 14A of the Aircraft Act, 1934, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT-3041/15/10)

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अखबार अलग रख दीजिए बगल में। पढ़िये मत।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Bengal Chemicals and

Pharmaceuticals Limited for the year 2008-2009 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

(Placed in Library, See No. LT-3042/15/10)

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैडम, अखबारों में आया है कि ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except papers being laid.

(Interruptions) ...[*]

अध्यक्ष महोदया : पेपर मत दिखाइए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories on the Railways for the year ending 31st March, 2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT-3043/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI JITIN PRASADA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006:-

(1) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Amendment Regulations, 2010 published in the Notification No. G.S.R. 604(E) in Gazette of India dated the 19th July, 2010.

---

[*] Not recorded.

(2) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2010 published in the Notification No. G.S.R. 605(E) in Gazette of India dated the 19th July, 2010.

(Placed in Library, See No. LT-3044/15/10)

12.01 ½ hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 25th August, 2010 agreed without any amendment to the Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2010 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 17th August, 2010."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2010 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 25th August, 2010."

---

* Laid on the Table.

2. Madam, I lay on the Table the Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2010, as passed by Rajya Sabha on the 25th August, 2010."

12.02 hrs.

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
4th Report

SHRIMATI CHANDRESH KUMARI (JODHPUR): Madam, I beg to present the Fourth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women (2009-10) on the subject 'Working Conditions of ASHAs'.

12.02 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS
4th and 5th Reports

SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI (RAJAHMUNDRY): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2009-10):-

(1) Fourth Report on Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 2010.

(2) Fifth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in First Report on 'Demands for Grants (2009-10)' of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

12.04 hrs.

At this stage Shri Chandrakant Khare and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

12.04 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
12th Report

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): Madam, I beg to present the Twelfth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Action Taken by the Government on

the recommendations contained in the First Report of the Committee (2009-10) on 'Demands for Grants (2009-10)' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

12.05 hrs.

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL
Statements

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal and Steel:-

(1) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 21st Action Taken Report (14th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2006-07)" of the Ministry of Mines.

(2) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 22nd Action Taken Report (14th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2006-07)" of the Ministry of Steel.

(3) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 27th Action Taken Report (14th Lok Sabha) on the subject "Prevention of Illegal Mining" of the Ministry of Mines.

(4) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 28th Action Taken Report (14th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2007-08)" of the Ministry of Coal.

(5) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 29th Action

Taken Report (14th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2007-08)" of the Ministry of Mines.

(6) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 30th Action Taken Report (14th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2007-08)" of the Ministry of Steel.

(7) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 34th Action Taken Report (14th Lok Sabha) on the subject "Review of Performance of Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL)" of the Ministry of Steel.

(8) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 36th Action Taken Report (14th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2008-09)" of the Ministry of Coal.

(9) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapters I and V of the 37th Action Taken Report (14th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2008-09)" of the Ministry of Mines.

(10) Statement showing Action Taken by the Government on the Recommendations contained in Chapters I and V of the 38th Action Taken Report (14th Lok Sabha) on "Demands for Grants (2008-09)" of the Ministry of Steel.

12.05 ½ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
21st Report

SHRI SHAILENDRA KUMAR (KAUSHAMBI): Madam, I beg to present the Twenty first Report of the Business Advisory Committee.

12.05 ¾hrs.

At this stage Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members went back to their seats

12.06 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Ministry of Railways *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIAPPA): I beg to lay the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Parliamentary Standing Committee on Railways in pursuance of directive 73 A, of the hon. Speaker, Lok Sabha issued vide Lok Sabha Bulletin, Part-II dated 1st September, 2004.

The 7th Report of the Committee on **"Demands for Grants 2010-11"** presented in the Lok Sabha on 15.04.2010 contained 28 recommendations and Action Taken Notes thereon were furnished to the Committee on 14.07.2010 (English version) and on 27.07.2010 (Hindi version).

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3045/15/10.

Statements showing details of all the recommendations contained in the Reports and implementation status thereof are enclosed. Since the statements are voluminous, I request that the same may be taken as read.

12.06 ½ hrs.

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report of Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on 'Strategy for Development of alternative Sources of Oil and Gas', pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI JITIN PRASADA): I beg to lay the Statement on the action taken by the Government on the recommendations contained in the Seventeenth Report of the Standing Committee on Petroleum & Natural Gas (14th Lok Sabha) on 'Strategy for development of alternative sources of oil and gas' in pursuance of direction 73A of the hon. Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin Part II dated September 01, 2004.

The Seventeenth Report of the Standing Committee on Petroleum & Natural Gas (14th Lok Sabha) was presented to the Lok Sabha on 19.11.2007. The Report relates to the strategy for development of alternative sources of Oil and Gas.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Petroleum & Natural Gas on 4.2.2009.

There are 33 recommendations made by the Committee in the said Report where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to issues like alternative fuels like ethanol and bio-diesel, assessment of the indigenous availability of ethanol in the country, major roadblocks in the successful implementation of the Ethanol Blended Petrol Programme, extension of 5% to 10% blending of ethanol, formulation of National Biofuel Policy, development of bio-fuels in the country, facilitating cultivation of Jatropha/Pongamia, R&D studies on alternative sources of energy, imparting

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3046/15/10.

training on Jatropha cultivation and bio-diesel extraction, Bio-fuel technologies, improved seed varieties, oil production, usages, etc, Coal Bed Methane (CBM) resources, Underground Coal Gasification (UCG), hydrogen-CNG blends, Solar energy etc.

Present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. Replies of Government in respect of certain Recommendations of the Standing Committee have been accepted by the Standing Committee. But some of the replies have not been accepted by the Standing Committee. However, Final replies have been submitted to the Standing Committee in respect of these remaining recommendations in 21st Report of Standing Committee. I would not like to take valuable time of the House by reading out all the contents of this Annexure. I request that this may be taken as read.

12.07 hrs.

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION TO PERSONS MAKING THE DISCLOSURES BILL, 2010*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish a mechanism to receive complaints relating to disclosure on any allegation of corruption or willful misuse of power or willful misuse of discretion against any public servant and to inquire or cause an inquiry into such disclosure and to provide adequate safeguards against victimization of the person making such complaint and for matters connected therewith and incidental thereto.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to establish a mechanism to receive complaints relating to disclosure on any allegation of corruption or willful misuse of power or willful misuse of discretion against any public servant and to inquire or cause an inquiry into such disclosure and to provide adequate safeguards against victimization of the person making such complaint and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Madam, I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section – 2, dated 26.08.2010.

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांति से बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What is this?

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत हो जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत हो जाइए, ज़ीरो ऑवर चल रहा है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण। आप बोलना चाहते हैं, तो बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदय, मेरे मतक्षेत्र साबरकांठा, गुजरात में अहमदाबाद-हिम्मतनगर उदयपुर रेलवे मार्ग पसार होता है। हिम्मतनगर से उदयपुर जाने वाले मार्ग पर विरावाडा और रायगढ़ स्टेशन के बीच सूरजपुरा और वांटडा गांव के बीच एक 202 एल.सी. आया हुआ है। यह फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग है जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के साथ-साथ सूरजपुरा-वांटडा गांव के किसानों को खेत में जाने के लिए बहुत उपयोगी है। जब से रेलवे मार्ग बना है, तब से यह रेलवे क्रॉसिंग का उपयोग होता आया है। अब रेलवे ने इस क्रॉसिंग के फाटक को बंद कर दिया है। डीआरएम अजमेर सहित अन्य अधिकारियों के सामने शिकायत करने पर भी कोई परिणाम नहीं मिला। बोलते हैं कि यह इरीगेशन का क्रॉसिंग है। आम जनता के लिए नहीं है।

महोदया, यह कैसा कानून है जो किसानों को हैरान-परेशान करता है? दोनों गांव के लोग विशेषकर किसान बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त एलसी नम्बर 202 को खोल दिया जाए। जरूरत लगे तो इसी फाटक की चाबी पांटडा स्टेशन के किसी अधिकारी को दे दी जाए, जो रेलवे पसार होने के समय जरूरत लगे तो बंद करवा सके। वैसे तो दिन में सिर्फ दो बार ही ट्रेन पसार होती है। रात के समय आप इसे पूरी रात बंद रखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ दिन में खुला रखने की विनम्र मांग है। लोग बहुत हैरान हुए हैं। जन आंदोलन होने की संभावना है। इसलिए मेरी विनती है कि किसानों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए फाटक खोलने का उपाय किया जाए।

MADAM SPEAKER: Let us have the 'Zero Hour'. We will talk it over in my Chamber.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: We will talk it over in my Chamber. Let us have the 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : अध्यक्ष महोदया, इस फाटक को केवल दिन में खुला रखने की मेरी मांग है, क्योंकि लोग बहुत हैरान-परेशान हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। शून्य प्रहर चलने दीजिए। उनकी जो समस्या है, उनको जो कष्ट है, हमने कहा है कि हम अपने चैम्बर में बात कर लेंगे कि इसका क्या समाधान है, उस पर बात कर लेंगे, आप कृपया करके ज़ीरो ऑवर चलने दीजिए। जीरो ऑवर चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जीरो ऑवर चलने दीजिए। क्या आप जीरो ऑवर नहीं चलने देंगे? जीरो आवर चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जीरो ऑवर चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदया, जन आंदोलन होने की संभावना है, इसलिए मेरी विनती है कि किसानों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए, फाटक खोलने का उपाय किया जाए।…(व्यवधान)

…(व्यवधान)

12.10 hrs.

At this stage Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

12.11 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 be laid on the Table of the House. Those Members who are desirous of laying their matters under Rule 377 on the Table of the House may send slips at the Table within 20 minutes. Only those matters for which slips have been received at the Table shall form part of the proceedings. The rest of the matters shall be treated as lapsed.

(i)Need to upgrade Royapuram Railway Station in Chennai, Tamil Nadu as a Model Railway Station

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Royapuram Railway Station established in the year 1856 in the city of Chennai is the second Railway Station set up in India and first in South India. It has a platform with no access. It is just 4 kms. away from Central Railway Station. The 100 year old Royapuram Bridge on the western side of the Royapuram Railway Station could be replaced by a Road Subway. Royapuram Station will get 72 acres of land at its disposal. Now this station is just used as a yard for stationing empty coaches.

Royapuram is between Central Station and Egmore Station connecting North via Arakonam, East via Gummidipoondi and towards South via Tambaram. More than 25 lakhs of middle class and lower middle class people live around Royapuram Station. People coming from Andaman and Nicobar Islands to Chennai Harbour will have easy access to Royapuram Station because it is just at a walking distance. If this station is converted into a Terminal, the North bound trains from Central Station can be diverted to this station. It is well connected to the city with already existing roads on all four sides of this station.

* Treated as laid on the Table.

I urge upon the Hon'ble Minister of Railways to consider and allot sufficient funds to convert the Royapuram Railway Station into a most modern and model Rail Terminal. This will ease traffic congestion at Central and Egmore Railway Stations.

(ii) Need to improve basic amenities in Duranto trains on New Delhi – Lucknow and Allahabad – New Delhi routes

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): देश में नई रेल सेवा दुरन्तों आरम्भ की गई है। यह रेल सेवा काफी अच्छी है और अपने गन्तव्य स्थान पर कम समय पर पहुंचाती है और यह सेवा देश में बढ़ती रेल यात्रा की मांग को पूरा करने में काफी सफल हुई है, परंतु यह रेल सेवा जितनी अच्छी है उतनी इस रेल सेवा में सुविधाएं नहीं हैं। इलाहाबाद से नई दिल्ली एवं नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली इस रेल सेवा में मैं यात्रा करती हूं। इस रेल सेवा में कॉकरोच काफी मात्रा में पाये जाते हैं जो सोते हुए रेल यात्रियों के ऊपर गिर जाते हैं और बिस्तरों में खटमल हैं, जिसके कारण मुझे दो बार इन्फेक्शन हो गया और मुझे घर से अपने कम्बल ले जाने पड़ते हैं। शौचालय की दशा भी बहुत खराब है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह की यह रेल सेवा है उसी तरह की इसमें अच्छी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाई जायें और इस रेल सेवा में सफाई का विशेा ध्यान दिया जाये नहीं तो विदेशों से आने वाले पर्यटक इस रेल सेवा का उपयोग करने से कतरायेंगे।

(iii)Need to provide adequate compensation to police and revenue department officials who died in an incident of sudden fire in a fireworks factory in Sivakasi Taluk in Tamil Nadu

SHRI MANICKA TAGORE (VIRUDHUNAGAR): In Tamil Nadu, Sivakasi is famous for its fireworks, matchsticks and printing works. Many households are fully engaged in the production of matchsticks, small and medium variety of fireworks like small scale industry throughout the year.

In this city and its surrounding a number of factories are producing fireworks While checking production of fireworks in a village called V. Meenakshipuram in Sivakasi Taluk on 10.8.2010 morning, a joint team from Revenue and police departments Government of Tamil Nadu made a surprise raid/visit, in which 4 officials from Revenue department and 4 from police department died due to sudden fire in a factory. The family members of the deceased are demanding that the medical expenditure incurred for their medical treatment be borne by the Government and Rs. 20 lakhs be sanctioned as interim relief/compensation and suitable employment may be given to one of the family members on compassionate ground.

The district collector has also recommended to the Government that a compensation be sanctioned immediately to the deceased family as they were the sole bread winner in the family. But so far, the Tamil Nadu Government has sanctioned Rs. 5 lakh compensation to them. In addition to that, the police department has agreed to give an additional compensation of Rs. 5 lakhs to the deceased police officials only but the revenue department officials could not get anything.

Hence, I urge upon the Union Government to intervene in the matter for providing relief and enough compensation equally to both police and revenue departments officials who died in the sad accident leaving their small school going

children without any income. Moreover, the Government may take necessary precautionary measures to prevent such incident in future.

(iv) Need to develop Markhanda Devasthan, a religious place in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra as a tourist site of national importance

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तालुका चामोर्शी में मारखण्डा देवस्थान एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तथा यह काशी देवस्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस धार्मिक स्थल का बड़ा महत्व है तथा इस मंदिर के निकट से पवित्र वेणगंगा गुजरती है। यहां पर महाराट्र राज्य के ही नहीं बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है तथा महाशिवरात्रि पर्व पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 15-20 लाख के आसपास होती है। इस धार्मिक स्थल का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मारखण्डा धार्मिक स्थल, जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है, के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय पर्यटन की सूची में शामिल करते हुए इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने और इसका सौन्दर्यीकरण करने के साथ साथ वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(v) Need to set up a Trauma Centre at Barabanki, Uttar Pradesh with a view to provide immediate treatment to the people injured in road accidents on National Highway

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): बाराबंकी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, जो राजधानी लखनऊ से केवल 28 कि.मी. की दूरी पर होते हुए भी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण अनेक सड़क दुर्घटनाओं में लोग घायल होते रहते हैं और पर्याप्त उपचार न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। हालांकि लखनऊ में ट्रॉमा सेन्टर है, लेकिन वह पूरे राज्य भर के लोगों के लिए है, उसे एक सामान्य ट्रॉमा सेन्टर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। पूर्वान्चल में बहराईच, गोण्डा, श्रावस्ती की दूरी 100 कि.मी. से 145 कि.मी. के बीच है और वहां के लोग दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जाने के लिए दौड़ते हैं। लखनऊ पहुंचने पर वहां के ट्रॉमा सेंटर में स्थान उपलब्ध नहीं रहता है और उन्हें वहां से मना होने के बाद मजबूरन निजी अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ता है, जिससे काफी धन व्यय होता है। धनाभाव के कारण अनेकों गंभीर रूप से घायल लोगों की इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है। एक पिछड़े क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे क्षेत्र बाराबंकी में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के बाद लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पर दबाव कम हो जायेगा और घायल व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और अनेकों लोग मौत के मुंह में जाने से बच सकेंगे।

अतः मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार बाराबंकी में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना करने का आदेश दें, जिससे बाराबंकी के अलावा गोण्डा, बहराईच, श्रावस्ती जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों के दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जीवन रक्षा हो सके।

(vi) Need to provide adequate infrastructural facilities at Model Schools set up under Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan in Karnataka

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): While the Centre has taken commendable steps towards the attainment of the goal of universalisation of secondary education through its flagship programme like Sarva Shiksha Abhiyan and enactments Like Right to Education Act, the implementation of the Schemes has fallen short of expectations.

Under the new concept of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Government has launched setting up of Model Schools in each of the educationally backward blocks. However, the Model Schools functioning within my constituency Chamrajanagar in Karnataka lack basic infrastructural facilities which is a pre-requisite for the successful functioning of schools. In many cases the Model Schools are located in inaccessible areas and that too in makeshift premises like Anganwadi Centres. These model schools with English Medium have raised high hopes among the rural population to get public School Education at affordable cost. But their hopes have been belied due to lack of infrastructure in these Model Schools. I urge the Government to take immediate corrective steps to ensure that these Model Schools prove to be a role model for more such schools planned to be set up in future.

(vii)Need to accord approval for construction of Mega Highway Project from Hanumangarh to Phalodi via Anupgarh-Khajuwala-Gaudu in Rajasthan

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): राजस्थान का पश्चिमी भाग सीमावर्ती क्षेत्र एवं रेगिस्तानी भू-भाग होने के कारण विकास की दृटि से पिछड़ा हुआ है। राट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी अपेक्षाकृत कम है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से यह मांग करता हूं कि यदि राजस्थान के सीमावर्ती व रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए हनुमानगढ़ से फलौदी तक मेगा हाईवे का निर्माण किया जाता है तो यह पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर को आपस में जोड़ने का काम करेगा तथा वर्तमान सड़क मार्ग की दूरी को भी कम करेगा। इससे भारत-पाक सीमा क्षेत्र राट्रीय मेगा हाईवे से जुड़ जायेगा तथा सीमावर्ती जिलों का औद्योगिक व आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। इसके अतिरिक्त इस मेगा हाइवे के निर्माण से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों के लिए भी आवागमन का एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। वर्तमान में भीड़ भरे राजमार्गों पर यातायात का दवाब भी कम होगा, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी। इस प्रस्तावित नये राजमार्ग के क्षेत्र में रेल फाटकों की संख्या भी बहुत कम होगी, जिससे इन मालवाहकों को व्यर्थ की समय बर्बादी से मुक्ति मिलेगी।

अतः मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से मांग करता हूं कि हनुमानगढ़ से फलौदी तक वाया अनूपगढ़-खाजूवाला-गौडू लगभग 350 कि0मी0 के सड़क मार्ग का राट्रीय मेगा हाइवे निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी करावें।

(viii)Need to provide railway service between Solapur junction and Tuljapur, Maharashtra

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): महाराष्ट्र स्थित तुल्जापुर स्थान माँ तुल्जा भवानी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है । यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों लोग माँ तुल्जा भवानी के दर्शनों के लिए आते हैं। विशेारूप से नवरात्रि के दिनों में यहाँ बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं । चूंकि यहां पर गोआ, कर्नाटक तथा आस-पास के राज्यों से लाखों की संख्या में लोग आते हैं इसलिए सड़क यातायात बहुत ज्यादा होने से श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी होती है । आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस स्थान को रेल सुविधा से जोड़ा जाए और सोलापुर जंक्शन से तुल्जापुर शहर तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए ।

जैसा कि पूर्व में रेल मंत्री जी ने घोषणा भी की है कि सभी पवित्र शहरों को रेल सर्विस से जोड़ा जायेगा । अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सोलापुर जंक्शन से तुल्जापुर शहर तक ब्रॉड गेज रेलवे लाईन के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कट करें ।

(ix) Need to implement the recommendations of Renke Commission report on Denotified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): वर्ष 2005 में माननीय बालकृण रेनके की अध्यक्षता में विमुक्त एवं घुमन्त जातियों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आयोग का गठन किया गया । इस आयोग ने अध्ययन के बाद 2 जुलाई 2008 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को सौंप दिया। परंतु आज तक इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए जल्द लागू किया जाए एवं जनहित में मैं निम्न मांग करता हूँ ।

1. राजस्थान के विशेषकर जालोर सिरोही जिले के गाय पालने वाले रबारी हरियाणा एवं पंजाब में गाय चराने जाते हैं उन्हें निक्रमण पत्र दिए जाएं तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए ।
2. राजस्थान के भेड़ पालक रबाड़ी जाति के लोग अकाल के कारण मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाणा, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में जाते हैं उन्हें भी निष्क्रमण पत्र जारी करवाए तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए।
3. पिछले 10-15 साल से सभी चीजों के दाम बढ़े परंतु उन के भाव घटे हैं फलस्वरूप राजस्थान का भेड़पालक बेहाल हो गया है जिसे बचाने हेतु विदेश से आयात होने वाली ऊन पर एन्टी डम्पिंग ड्यूटी लगाकर देशी ऊन उत्पादकों को राहत प्रदान की जाए ।
4. जिस तरह से केन्द्र सरकार ने वन अधिकार कानून बनाया है उसी तरह से भेड़पालक एवं गायपालक की गोचर भूमि का उपयोग मवेशी चराने हेतु करते हैं उन्हें गोचर में मवेशी चराने का कानूनी अधिकार प्रदान किया जाए ।
5. बन्जारा एवं कलबी जातियों के कल्याण हेतु योजना बनाई जाए ।

(x)Need to ensure payment of dues to sugarcane growers by sugar mill in Hardoi, Uttar Pradesh and start operation of sugar mill at Ghatampur in Kanpur, Uttar Pradesh

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर के बकेवर, खजुहा तथा घाटमपुर (कानपुर) क्षेत्र के हजारों किसानों का गन्ना क्रय केन्द्रों से बघौली चीनी मिल हरदोई पेराई के लिए जाता है । किसानों के गन्ने का 5-6 करोड़ रूपया इस मिल पर बकाया है । किसानों को जो चैक्स दिये गये थे वे भी बैंक से बगैर भुगतान के बाउन्स होकर वापस आ गये जिससे वह अपने पैसे के लिए दर-दर भटक रहे हैं । इस चीनी मिल को अब किसी अन्य को बेच दिया गया है । जिससे बकाये का भुगतान अब कौन करेगा इसकी चिन्ता किसानों को हो रही है जिसके लिए वे मिल कर्मचारियों व अधिकारियों से मिल रहे हैं परन्तु नतीजा नहीं निकल रहा है । अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध हे कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि वह किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान जल्द से जल्द कराये जाने को कहे साथ ही घाटमपुर स्थित चीनी मिल जो बन्द पड़ी है उसे पुनः शीघ्र चालू कराये क्योंकि इस र्वा गन्ने की उपज फतेहपुर तथा घाटमपुर क्षेत्र में काफी ज्यादा है और किसानों को गन्ने की उपज को दूर की मिलों में न भेजना पड़े ।

(xi)Need to release sufficient quantity of Vaccines to check the spread of Japanese Encephalitis in Eastern Uttar Pradesh

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में ए0ई0स0/जापानी एंसेफलाइटिस रोग का काफी प्रभाव है जिसमें गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर आदि सबसे अधिक प्रभावित हैं । यह समस्त जे0ई0/ए0ई0स0 रोगियों का लगभग 80-85 प्रतिशत है। भारत सरकार के विशेाज्ञों द्वारा उ0 प्र0 के अति प्रभावित जनपदों में विशेा जे0 ई0 टीकाकरण का अभियान आयोजित किये जाने का निर्णय किया गया है ।

इन अति प्रभावित जनपदों में विशेा जे0ई0 टीकाकरण अभियान चलाने हेतु जनसंख्या के अनुसार 1 से 15 र्वा के बच्चों की कुल संख्या लगभग 67,46,309 है, जिसके अनुसार 74,20,941 डोज जे0ई0 वैक्सीन की आवश्यकता होगी । दिनांक 12 अप्रैल 2010 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य मिशल की बैठक में उत्तर प्रदेश मे पूर्वांचल में जे.ई. रोग के प्रकोप पर भारत सरकार का ध्यान आकृट करते हुए कुल 74.20 लाख डोज वैक्सीन भारत सरकार से मांग की गई । जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा केवल 17 लाख डोज वैक्सीन रिलीज करने का आदेश निर्गत किया गया एवं मात्र 15.47 लाख डोज वैक्सीन ही मई 2010 में वाराणसी में उपलबध कराई गई है । जिसका प्रदेश के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा " नेकेड आई " से वी.वी.एम. की जांच की गई जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक वैक्सीन प्रयोग हेतु उचित नहीं पाई गई तथा वैक्सीन की विभिन्न बैचों की एक्सपाइरी डेट भी जून एवं जुलाई 2010 पाई गई । अतः मई 2010 से प्रारंभ होने वाले जे0ई0 टीकाकरण को स्थगित कर दिया गया । अतः उ0 प्र0 के पूर्वांचल के प्रभावित जनपदों में आवश्यकतानुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाए ।

(xii) Need to fix royalty on Coal at 20% sale price on ad-valorem basis

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): The Twelfth Finance Commission has observed that Government of India has not been revising the royalty rates as regularly as provided for, particularly in case of coal and lignite. The commission recommended that the rate of royalty should be fixed on ad-valorem basis. The Hoda Committee has also recommended ad-valorem royalty system and this is more commonly used internationally. In a system of ad-valorem rates or royalty, revision of rates becomes necessary only when fundamental changes take place in the mineral economy, justifying a review of the rates. In our country there is unanimity among the states now in the demand that royalty rates should be shifted from tonnage to ad-valorem.

The ad-valorem system of royalty will be proportionate to the sale price. Therefore, the levy of royalty will not affect the economics of mining of coal in the event of any change in the price structure. Moreover, the states will be enabled to draw proportionate benefit out of any hike in the sale prices even if royally rates are not revised in time.

I would urge upon the Government to fix royalty on coal at 20 percent of sale price on ad-valorem basis.

(xiii) Need to set up a Deer sanctuary in Aurangabad, Maharashtra

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): There are nine Taluks under Sambhajinagar in Aurangabad, Maharashtra. Apart from scanty rain fall and resultant water scarcity, the villagers of Kannad, Vaijapur, Gangapur, Paithan and Khulotabad are facing problems due to Deers and Kalwits. For the past eight years, standing crops have been damaged by the Deers and Kalwits roaming in the area.

The menace has become severe particularly over the past three years. The population of deer has shown a rapid spurt. Now thousands of them roam around in groups of 30-40, damaging crops. Deers have proved more dangerous than drought. Even fencing is not helpful.

The State Forest Department had planned a project worth Rs. 9.53 crore and submitted it to the Government of Maharashtra. However, due to financial constraints of the State Government, it could not be sanctioned. The work to set up a Deer sanctuary in Talwada Bhadli has not seen any progress.

I, therefore, urge upon the Union Government to take necessary action for implementation of the said project to save Deers/Kalwits as well as the farmers, in the public interest.

(xiv)Need to provide funds under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) for construction of a road bridge across Sarabanga canal in Edapadi Municipal town in district Salem, Tamil Nadu

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): There is an absolute need for the construction of a road bridge across Sarabanga Canal in Edapadi Municipal Town limit of Salem District, Tamil Nadu. Two important areas namely Vellandivalasu at one end and Groundampatty at the other end remain unconnected because of crossing of the canal. As a result people on either side find it very difficult to reach from one place to other. They have to take circuitous route to go to their places. Due to this needless traffic congestion arises. Since Edapadi Municipality does not have sufficient funds, I request the Union Government to take up the issue on an urgent basis and allot sufficient funds under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) for construction of the said bridge. This is a long felt need of the people of that locality.

(xv) Need to review the new Railway Catering Policy 2010 with a view to protect the interests of small stall holders and vendors

SHRI PROBODH PANDA (MIDNAPORE) : The 'Catering Policy 2010' has been announced by the Railways after a prolonged review of policy of 2005.

Though it is a welcome move and some really progressive steps have been taken but it has failed miserably to fully address the problems of small stall holders and small vendors.

Following the implementation of policy of 2005 thousands of small vendors were evicted throughout the Indian Railway System. But the circular released by the Railways following the declaration of new policy 2010 states that only those vendors who were evicted within the last six months of declaration of new policy would be rehabilitated. But the question arises that what would be about others who were evicted much earlier.

The new policy spared no word for them. Even the new policy put these small vendors in direct competition with the big business houses.

I, therefore, urge the Hon'ble Railway Minister to re-examine the policy and take necessary steps to protect the interests of small stall holders and small vendors including the rehabilitation of evicted small vendors.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Since you are not ready for 'Zero Hour' now, we will take up 'Zero Hour' in the evening.

Now, we shall take up item no. 17 – Discussion under Rule 193.

Shri Gurudas Dasgupta.

… (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, how can I speak in din? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

…(व्यवधान)

12.11 hrs.

Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members then left the House

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जम्मू और कश्मीर पर चर्चा शुरू हो गई है, अब आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: रघुवंश बाबू, आप बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जम्मू और कश्मीर पर चर्चा शुरू हो गई है, अब आप शांत हो जाइए।

Shri Gurudas Dasgupta ji, please begin now.

* Not recorded.

12.13 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193
Situation in Jammu and Kashmir

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam Speaker, at long last Parliament finds it possible to discuss Kashmir. It is a belated discussion. This House owes an explanation to the people of Kashmir why this issue of that State is not being able to be discussed in Parliament, and why Kashmir has become a matter of low priority for this highest forum of parliamentary system.

The problem of Kashmir is persisting over decades, maybe since Independence. There has been hardly any decisive move or decisive change in the situation. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, let us have order in the House. A very serious discussion on Jammu and Kashmir is going on. Please maintain order and silence.

Shri Gurudas Dasgupta ji, please continue your speech.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, ever since Independence, the problem of Kashmir had been baffling. There have been steps, there have been moves but the matter remains unresolved for a prolonged period of time to the great detriment of our national interest.

Of late, there is some respite for a few days. I hope, it sustains.

I take this opportunity to appeal to the younger generation of Kashmir to come back to the national mainstream and find a place in the political spectrum. I can assure them that the Indian democracy is vibrant and pluralistic. There may be difficulties but solution will be found by the representatives of the people in consonance with the interest of the people who are living in Kashmir. This is an appeal for normalcy; this is an appeal for discussion; this is an appeal for reconciliation; and this is an appeal to come back to the mainstream. Although there is a respite but it is all well-known that Kashmir is on fire for a pretty long time.

It is also true that the problem of Kashmir is grave, may be as never before. What is most disturbing, what is most painful is that nearly 50 to 60 people – many of them are innocent, some of them are teenagers – have been killed; 10 to 12 policemen are also dead; and 1,800 security people, as per the report, have sustained injuries. It goes without saying that in a situation like this, the normal life has come to a standstill. People have lost their business and income and the commoners are the worst sufferers.

While it is true that brutalities have been perpetuated by some of the protesters, while it is true that pelting of stones have turned into a stone war as if we have gone back to the Stone Age, it is also true at the same time – right or wrong – that there is a complaint that excessive force is being used by the security personnel in the name of maintaining law and order.

The present cycle of violence had erupted with the death of an innocent teenager, a student while he was returning home from studies and he was hit by a teargas shell. That created the problem, and that was the beginning of the present cycle of violent crisis.

What is most important to take note of, Madam, is that thousands of teenagers are in the protest; they are all our children, all are the citizens of India and so closely linked with the mainstream of the country. A large number of women are on the street..It goes without saying what is to be taken note of by the Government…… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग कृपया शान्त हो जाइये, सुनिये।

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप इधर एड्रैस करिये। They will keep quite.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त होकर सुनिये, बहुत गम्भीर विषय पर, जम्मू-कश्मीर पर चर्चा हो रही है।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : What is important is that there is an element of anguish; there is an element of deep feelings of sorrow.

And, I am constrained to say to the Government and to the people of this country that there is a sense of alienation among a large number of people in Kashmir. That is the point to be reckoned with. I do not know why the situation could have been dragged to this critical point. Madam, it is difficult to believe that so many people could be moved into action by political manipulators. Somehow, a bridge has been built between the forces of recession and the people who are anguished. There is a bridge that has been built up. It is an important point to be taken note of.

I can hardly believe--tension is so high--that tension can be artificially whipped up if there was no genuine ground for grievance. That is an important point to be taken note of, and that genuine grievance is being exploited by the people who are unfriendly to India. Maybe, strings are being pulled from across the border but they would not have succeeded if there was no genuine grievance.

I am constrained to say, Madam, that there is a gap, as it exists today, between the Government and the governed, between those who rule and those who are ruled. There is a widening gap. It is the unfortunate tragedy for the Indian democracy. I must say that the political system as it exists in that part of the country, has failed to represent or reflect the aspirations of the common people. Therefore, what is needed is an initiative, aggressive initiative, or if I use the phrase of my senior friend, Advani Ji, proactive political initiative is needed. Has it been taken? Or, is it that the absence of that makes the situation worse? The political initiative must be coupled with an economic package, for economic empowerment, for the economic improvement, for the economic advance of that State and of the people living in that State.

Madam, it is a matter of surprise to me that Kashmir does not have any elected local body even today. It is a part of India. Indian Constitution applies. Everywhere in the country there are elected local bodies. Why in Kashmir there is no elected body? Democracy does not find its place at the root. That might be a reason why there is a gap between the rulers and the ruled, between the

Government and the governed. And that is why, as I explained, the political alienation sends absence of a feeling of belonging to that part of the country.

Madam, there is a complaint. We are spending too much of money on Kashmir.

Heavily you are spending. Does it go to the people or is it eaten by politicians and corrupt bureaucrats? Who is eating the money? There is a complaint, I am constrained to say, of poverty, baffling poverty. There is a complaint of under-development. There is a complaint of underpayment. There is a complaint that people do not get benefit out of the funds that Indian Government allocates for that part of the country. Corruption is rampant. I know we are just living within the boiling pot of corruption, India's own. It appears that the political system in Kashmir is more corrupt. There is a complaint of corruption. There is a complaint that nobody is there to listen to their complaints. That is more dangerous. There are no people to listen to their complaints.

In a situation like this, I am not ready to say that every act of protest is to be considered as an act of hooliganism. What is most surprising is that crores of rupees are spent for Central Government projects, but the projects remain incomplete. Money is spent, projects are sanctioned. But they are not complete. Who is there to take care of it? Will the hon. Home Minister take care of it? Or will the Finance Minister; or the newly appointed Chief Minister of the State do so? You are promoting youth. Let us do it. We want young people to become Chief Ministers. We may desire a young man to become the Prime Minister.

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): He is an elected Chief Minister.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Yes, he is elected, appointed by the Legislature. I concede.… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे ऐड्रैस कीजिए। आप बोलिए। Please continue.

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : He is the elected Chief Minister of the State. A young man has been promoted. I do not grudge.

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : Promoting like a system. … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, this is not the way.

अध्यक्ष महोदया : आप इधर देखकर बोलिए।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): You are adding spice to it.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : No spice.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR): You are adding flavour to the debate.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It is no flavour. It is disflavour. It is a disservice to his own State. I am speaking for his own State. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please continue with your speech. डा. बेग, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I am only saying that youths should come in the forefront. I do not grudge. But what I am saying is that the change of guard does not automatically lead to change of policy. Is there any point on that? Change of guard will not automatically lead to change of policy.

Agriculture in our entire country is in crisis. It is more in crisis in Kashmir. Unemployment is rampant. Social infrastructure has not been built. People living in high altitude do not have access to elementary human rights. How do I explain this?

There are many issues. I met the Prime Minister on a number of occasions requesting him not to close down the watch factory.

There was a watch factory. Since it is sick, it is closed down. I told the Prime Minister that HMT is a strategic issue and involves employment of hundreds of Kashmiri youth. Unfortunately, despite my talking to the Prime Minister and despite the Prime Minister writing to me that that watch factory would not be closed, it is almost closed. Then, ITI - Indian Telephone Industries

Limited - is limping. A number of Central Government public sector units are sick. There is the problem of *anganwadi* women. I had taken them to the earlier Chief Minister. It is very hard for them to work in high altitude. The hon. Chief Minister, who is now a Central Minister, had promised that it would be looked into, but nothing has been done.

You cannot keep people waiting for the redressal of their grievances for a long time to come. That is an aberration of democracy. This pollution of democratic system has been very well extended to Kashmir. Who is to be blamed? Madam, do not mind if I say that the security of the politicians has become more important than the food security of the people of Kashmir! The situation is such. … (*Interruptions*) Madam, the hunger for food … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : डॉ. बेग, आप बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : गुरुदास दासगुप्त जी, आप हर चीज पर रिएक्ट मत कीजिए। आप अपना बोलिये।

…(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, this is the perennial problem of parliamentary impatience.

Madam, right or wrong, there is also a complaint of violation of human rights. I am rephrasing my sentence Right or wrong, there is a complaint of police excesses. Right or wrong, there is a complaint of assault on young women. Therefore, I must say that the State structure is insensitive in Kashmir, more insensitive than it is anywhere else in our country. Therefore, I must say humbly that the policy of the Government has not succeeded in Kashmir. I do not say that it has failed. That may be too hard. I do not want to embarrass the Government who is already embarrassed.

I do not want to pelt stones because pelting stones on the Government or at the Ministers will not end the pelting of stones in Kashmir. Therefore, I would

only say that the policy of the Government of India has not succeeded in ameliorating the grievances of the people, nor bringing the Valley to normalcy nor settling the age old problem of the integration of that part of the country with the whole of India. That is the truth. Therefore, what I plead? I must plead, and I hope that I am reflecting the voice of the people, at least a part of the people of Kashmir, that the State apparatus must be cleaned. गंगा जल से धो दो। Make the State apparatus more accountable to the people, fight corruption, eliminate the heartless role of the politicians and administrators. The whole situation does not depend only on the presence of the security forces.

I do not say that they should be withdrawn, but the presence of security forces will not yield the result if the genuine grievance of the people is not taken care of / taken note of. Therefore, the people of Kashmir must get their due, and the people of Kashmir … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please conclude.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, please give me five more minutes. The people of Kashmir must get their right; they must get food; they must get job; they must have an accountable Government; they must have a vibrant democracy; and they must be allowed to feel and realise that they are enjoying democracy in the same way that the people in other parts of India do enjoy. Therefore, political package, political initiative and economic package of fruitful economic development and not fruitless economic development should take place in Kashmir.

There is a need to separate the people of Kashmir from the political miscreants. The bridge must be broken, and it cannot be broken by the paramilitary forces. It can be built by generating confidence; generating goodwill; giving the right message that here in India there are people who are ready to talk for them; who are ready to fight for them; and they do not have to look across the country as their saviours. We are here to speak for them, and I hope that the Government will respond.

I must say that peace in Kashmir does depend on the peace in the Subcontinent. It is a reality. Therefore, talks with Pakistan must go on for restoring normalcy; for restoring tranquillity; and for having normal economic relationship. I must say that the Pakistan society is a fractured society. Definitely, there is a large section of democratic people who want friendly relations with India. I believe that a majority of the people of Kashmir also want peace. I believe that the Indian people want to live in peace with Pakistan, with Bangladesh, with Nepal and with Sri Lanka, that is, the South-Asia region. Therefore, peace dialogue with Pakistan is an essential element that I am stressing on along with political initiative and along with economic empowerment. … (*Interruptions*)

Madam, please be a little more generous. You have always been generous.

MADAM SPEAKER: You have already taken so much time. Please conclude now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I know it, Madam, but it is after a long long time that Kashmir is there on the agenda.

There is a talk of hard-line in this country. Hard-line will harden the situation, and it will not soften the situation. There is a slogan of 'no concession to anybody'. I do not plead for any concession, but political initiative presupposes taking care of the feeling of alienation of the people of that part of the country. As a special case, the Government should consider broadening the framework of autonomy to the people of Kashmir, of course, within the sovereignty and integrity of the country. There has to be broadening of the autonomy. How it is to be done is for them to decide. My point is that be hard on the terrorists and there be no compromise with cross-border terrorism, but be soft on the people and defuse the feeling of alienation. It is the feeling of alienation, which is at the bottom of the present situation, to a large extent, that has erupted.

Therefore, I appeal to the Government for taking immediate initiatives. I appeal to the people of Kashmir to come back to the mainstream of political life. I appeal to the whole spectrum of Indian political body to be one and together in order to assuage the feeling of Kashmir and give them the belief, give them the

confidence that their problem can be solved only in India; even if they go out of India, their problem will not be solved. Therefore, their problem can be solved in India only. That is why I appeal to the people of Kashmir and I have always believed that the whole House will join me in extending our hand of friendship and instilling a sense of confidence among the people of Kashmir who are being sought to be misled by a number of miscreants.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए मुझे अवसर दिया है। कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग रहा है, आज से नहीं, हमेशा से रहा है और मुझे यह विश्वास है कि हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग नहीं कर सकती।

कश्मीर वह है जिसमें ऋषि परम्परा थी, सूफी परम्परा थी, जिसने देश को बहुत सारा ऐसा सद्भाव का वातावरण दिया। खास तौर पर यहां कश्मीर के सांसद बैठे हैं, जो आज भी हैं और पहले भी थे। वे हमेशा कहते हैं कि वे ऋषि परम्परा और सूफी परम्परा में विश्वास करते हैं। आज सवाल यह है कि ऐसे कश्मीर को जिसने हमें साहित्य दिया, प्राकृतिक सौन्दर्य दिया, अच्छे-अच्छे तीर्थस्थान दिए, जो इस देश का मुकुट, इस देश के सारे साहित्य में, धर्म में, संस्कृति में बना रहा, आज वह क्यों जल रहा है? यही वह कश्मीर है, जिसके लिए कहा गया - गर फिरदौस बर रूए जमीं अस्त, हमीनस्तो, हमीनस्तो, हमीनस्त। इसका अर्थ है कि अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है। लेकिन आज उस स्वर्ग में नर्क की ज्वाला कैसे आ गई। यह सारी लम्बी चर्चा को आज करने का समय नहीं है। लेकिन कभी न कभी इस देश को वह चर्चा भी करनी होगी।

आज हम विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य के आलोक में, प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य के आलोक में और विदेश मंत्री जी के दिए गए जवाब के आलोक में यहां चर्चा कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कश्मीर का मामला ऐसा है कि 'लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई '। आज 60 साल हो गए, सजा कश्मीर के लोग भी भुगत रहे हैं और सारा देश भी उस सजा को भुगत रहा है। इन सारे कारणों की हमें मीमांसा करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए। सारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को सामने रखकर होनी चाहिए। भारत विभाजन से लेकर आज तक का जो इतिहास रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर की हालत ऐसी क्यों हुई, कश्मीर इस तरह से विभाजित क्यों हुआ, इसके तथ्यों को जानकर ही हम कश्मीर की समस्या का असली समाधान कर सकते हैं।

मेरे सामने माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य है। उसमें उन्होंने चार-पांच बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। एक बिंदु हमेशा उनका यह है और जो सही है कि कश्मीर में यह हिंसा पत्थरों की मार के कारण शुरू हुई है। शुरूआत पत्थरों की मार से हुई है। वह कहते हैं - "Usually, the violence is triggered by stone pelting by large groups and their targets of attack are police stations, police outposts and other public property."यह आपका वक्तव्य है। फिर आप कहते हैं कि ऐसा खतरा

पैदा हो रहा था। "Danger of crowds overrunning the police stations or police outposts..." फिर आप आगे यह भी कहते हैं कि "Danger of police stations and police outposts being overrun has compelled the Security Forces to use force both in self-defence and in order to protect public property."

यह तथ्य है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बार-बार बात कही जाती है कि हिन्दुस्तान की जो फौज है, उसने वहां गोली चलाई। उसकी शुरूआत कहां से हुई? मेरी जानकारी अगर गलत हो तो सही कर दें कि शुरूआत में जे. एंड के. की पुलिस ने गोली चलाई।

लेकिन गुस्सा हमारी फौज के ऊपर उतारा जा रहा है, जबकि गोली की शुरुआत उन्होंने की। ...(व्यवधान) मैं तो माननीय गृह मंत्री जी का बयान पढ़ रहा हूं, अगर बयान गलत था तो उसी दिन बोलना चाहिए था।...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि "There have been instances where the security forces have been fired upon by someone in the protesting crowds. There is reliable intelligence that some armed militants may have mingled with the crowds and fired on the security forces." यह माननीय गृह मंत्री जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक यह बयान सच है। मैं इस बारे में आपको जरूर बधाई दूंगा कि आपने यह बात बहुत सफाई के साथ यहां कही है और यही हुआ भी है। मगर एक बात मुझे आपसे कहनी है कि इसकी जानकारी कि ऐसा होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, यह जानकारी अप्रैल के महीने से सरकार के पास थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आपके पास थीं। फिर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत शांति का और अपने ऊपर नियंत्रण का परिचय दिया। फिर कहते हैं कि प्राइम-मिनिस्टर और चीफ-मिनिस्टर ने, प्राइम-मिनिस्टर की मीटिंग के बाद, एक डायलॉग की अपील की और उसमें कहा गया कि "He offered a dialogue for the redressal of grievances including a dialogue to resolve the political issues that concern the people of Jammu and Kashmir." लेकिन वे पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं? वे पॉलिटिकल इश्यूज किस सीमा के अंतर्गत हैं? क्या वे काश्मीर की जनता और काश्मीर की सरकार के बीच में हैं या काश्मीर की सरकार के दो धड़ों के बीच में हैं या काश्मीर की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में हैं, ये क्या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कौनसे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसका जिक्र आप नहीं करते हैं? आगे चलकर आप यह कहते हैं कि "Government of Jammu and Kashmir is actively considering political and administrative measures that will help restore normalcy in the State." वे मेज़र्स क्या हैं, चीफ मिनिस्टर तो वहां जाते

ही नहीं हैं, लोगों से मिलने जाते ही नहीं हैं। जब वहां गोलियां चल रही थीं, जब वहां सिक्योरिटी फोर्सेज और जनता के बीच में संघर्ष हो रहा था, तब वे आराम के साथ किसी शिकारे में बैठे आनंद ले रहे थे या गोल्फ खेल रहे थे। सवाल यह है कि वे क्या डायलॉग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है, वे वहां लोगों को देखने तक नहीं गये। फिर आप कहते हैं कि सरकार ने जम्मू-काश्मीर के बारे में कई बार अपनी पॉलिसी साफ-साफ बताई है। माननीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा है कि "These issues have to be addressed through the political process, through a dialogue with all sections of the people of Jammu and Kashmir. Government has always favoured a dialogue. In fact, in 2009, the Central Government initiated a quiet dialogue with key political groups and individuals." ये कौन से ग्रुप्स हैं, क्या क्वाइट डायलॉग हुआ, आपने देश और संसद को तो बताया नहीं, क्योंकि अब तो उसका टाइम निकल गया, वर्ष 2009 से वर्ष 2010 आ गया, अब तो आप खुलासा कर सकते हैं कि वह क्वाइट डायलॉग किसके साथ था। क्या वह जिलानी साहब को जेल से निकालने के लिए था या किन्ही और लोगों के साथ था, हुर्रियत के साथ था, लश्करे-तैयबा के साथ था, किसके साथ था - यह हमें बताया जाए। फिर आप कहते हैं कि जब श्री फजरुल हक के ऊपर प्राणघाती हमला हुआ, तब यह डायलॉग समाप्त हुआ। माननीय गृह मंत्री जी, आपको उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था कि डायलॉग लोग नहीं चाहते हैं, डायलॉग करने वालों के लोग खिलाफ हैं। वहां के जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, वे कभी भी डायलॉग को पसंद नहीं करेंगे, कभी भी डायलॉग होने नहीं देंगे, डायलॉग उनका रास्ता नहीं है। इस बात को समझकर हमें चलना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि अगर शांति हो जाए, फिर हम "Holding a dialogue, redressing genuine grievances" ये जेनुअन ग्रीवेंसेज क्या हैं, यह हम आज तक नहीं समझ पाये हैं। देश भर में सब जगह ग्रीवेंसेज हैं, तो क्या और जगह अन-जेनुअन हैं? इनकी जेनुअन ग्रीवेंसेज का दायरा क्या है? कौन सी ग्रीवेंसेज जेनुअन हैं और कौन सी ग्रीवेंसेज जेनुअन नहीं हैं। हिंदुस्तान की सरकार वहां फौज भेज रही है, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमें कब्जे में किये हुए है, क्या यह ग्रीवेंस है? हमने तो किसी भी आंदोलनकारी के मुंह से यह नहीं सुना कि उनकी कोई आर्थिक मांग है, डिवेलपमेंट की मांग है।

या उनकी डवलपमेंट की मांग है, यह हमने किसी के मुंह से नहीं सुना या किसी सरकार के विरुद्ध कोई बात है, सिवाय इसके कि हम इस सरकार को नहीं मानते। उनकी कौन-सी जेनुइन ग्रीवेन्स है? अगर वे एक ही ग्रीवेन्स " आजादी या आटोनोमी " लेते हैं, इसके अलावा इस आंदोलन में मुझे कोई तीसरी ग्रीवेन्स समझ में नहीं आई। अगर यह उनकी जेनुइन ग्रीवेन्स आप मानते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा

कि इसे दूर करने का एक ही रास्ता है कि आप उन्हें साफ बता दें कि आटोनोमी या आजादी एक्सेप्टेबल नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बेग साहब, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): प्रधानमंत्री जी का बयान आया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्होंने आल पार्टी मीटिंग में दिया था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शारिक जी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जोशी जी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शारिक जी, आपकी टर्न आएगी, तब आप अपनी बात रखिएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। शारिक जी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सभी लोग बैठ जाएं। शारिक जी, आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप सभी लोग बैठ जाएं और चुप रहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सभी को बोलने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आएगी, तभी आप बोलिएगा। अभी आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाएं, डॉ. जोशी को बोलने दीजिए। डॉ. जोशी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Dr. Joshi has said.

(Interruptions) … *

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। नेता, प्रतिपक्ष कुछ कह रही हैं।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

अध्यक्ष महोदया : वह रिकार्ड में नहीं गया है। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER ; Nothing is going in to the record.

(Interruptions) … *

अध्यक्ष महोदया : देखिए, बहुत संवेदनशील विषय पर इस समय चर्चा हो रही है। कृपया थोड़ा संयम बरतें। अब आप बैठ जाइए। अभी कोई बात नहीं होगी। आपकी पार्टी को भी समय दिया गया है। उस समय जो भी आपकी भावना है, वह व्यक्त होगी।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going into the record.

(Interruptions) … *

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर का विषय बहुत संजीदा विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से यह अपील करना चाहती हूं कि हम लोगों की सोच में फर्क हो सकता है। हमारी पार्टी की सोच अलग हो, एनसी की सोच अलग हो सकती है तथा किसी और् पार्टी की सोच अलग हो सकती है। यह सदन विभिन्न सोचों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। सबको समय मिलने वाला है। आप हमारे मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते और हम आपकी सोच को नहीं बदल सकते। लेकिन हम सभी अपनी -अपनी बात संजीदगी से इस सदन में रखें। आज पूरा देश इस चर्चा को देख रहा है। जो डा. जोशी कह रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब नेशनल कांफ्रेस को समय मिलेगा, आप अपनी बात को बेबाक तरीके से कहिए। जो बात सीपीआई वाले सोचते थे, वह बात गुरुदास दास गुप्ता जी ने कही है। अंत में, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। इसलिए मैं सदन से अपील करती हूं कि यह चर्चा केवल देश में ही नहीं विदेश में

---

* Not recorded.

भी देखी जा रही है कि भारतीय संसद इस बारे में क्या सोचती है। इसिलए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करती हूं कि सबको अपनी अपनी बात संजीदगी से कहने दीजिए और सुनने का माद्दा रखिए।

...(व्यवधान)

13.00 hrs.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग में दिए गए बयान का हवाला दे रहा हूं, इसमें यह बात कही है - We should not do anything to demoralise the security forces. सही बात है। लेकिन आज वहां सिक्योरिटी फोर्सिस की हालत यह है कि लोग फील्ड ड्यूटी पर जाना नहीं चाहते हैं। मेरे पास रिपोर्टस हैं, समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपी हैं कि वे फील्ड ड्यूटी पर जाना नहीं चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ सिक्योरिटी आदि के बीच में इस बात को लेकर मनोमालिन्य भी होता है। अगर कोई अफसर फील्ड ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता है, इसका मतलब है कि वह डिमोरेलाइज्ड है। इसका स्पष्ट मतलब है कि वह हिचकिचा रहा है। ऐसे भी हालात हैं, मेरे पास रिपोर्टस हैं जिनमें जम्मू-कश्मीर पुलिस को अलगाववादियों ने मजबूर किया कि वे उनके साथ मिल जाएं, नारे लगाएं और पत्थर फेंके। यह डिमोरलाइजेशन का नतीजा है। डिमोरलाइजेशन हो रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आप बार-बार कहते हैं -Nothing should be done to demoralise the security forces. लेकिन सिक्योरिटी फोर्स डिमोरलाइज्ड हैं और यह हकीकत है। अगर वे डिमोरलाइज नहीं होते तो वे फील्ड ड्यूटी में जाने से नहीं हिचकिचाते। पुलिस वाले अपने घरों के आसपास ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं। यह स्पष्ट बात है। इसे नकारने से आप सत्य को नकारेंगे और हकीकत से दूर जाएंगे। आप कहते हैं कि हम कश्मीर की बहुत आर्थिक सहायता कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। आज तक के हालात हैं कि 94,000 करोड़ रुपया जम्मू-कश्मीर को दिया जा चुका है। हर साल 8,000, 9,000 या 10,000 करोड़ रुपया दिया जाता है। यह प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आप वहां पैसा दे रहे हैं। गुरुदास जी ने कहा कि पैसा जा रहा है। यह हकीकत है कि बहुत कुछ जा रहा है। लेकिन कहां जा रहा है? किसके पास जा रहा है? अगर इसमें करप्शन है तो वह जम्मू-कश्मीर सरकार का है। इसमें भारत सरकार का क्या दोष है? इसमें हिन्दुस्तान को गाली देने का क्या मतलब है? अगर यह संघर्ष कश्मीर सरकार के साथ हो तो समझ में आता है कि पैसा कश्मीर सरकार को दिया गया और उसने जनता को नहीं पहुंचाया, डेवलपमेंट के काम नहीं किए। आप उनसे लड़िए। हम भी उनसे पूछेंगे कि यह पैसा दिया गया तो कहां गया? जनता के पास पैसा क्यों नहीं गया? लेकिन इसका दोष भारत को तो नहीं दिया जा सकता। भारत को अपनी पूरी सद्भावना, सदइच्छा और पूरे स्नेह के साथ पैसा दे रहा है। देश की पापुलेशन की तुलना में जम्मू-कश्मीर

की पापुलेशन एक परसेंट है जबकि 10 या 11 प्रतिशत सहायता दी जा रही है। किस इकनॉमिक पैकेज की बात की जा रही है? गुरुदास गुप्ता जी ने कहा इकनॉमिक पैकेज चाहिए। कौन सा चाहिए? कितना चाहिए? किस काम के लिए चाहिए? कौन एग्जीक्यूट करेगा? साठ साल में दिया गया और पिछले दस सालों में तो बहुत कुछ दिया गया? यह कहना कि यह प्राब्लम इकनॉमिक प्राब्लम है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है।

13.04 hrs

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair)*

मैंने किसी आंदोलन की आवाज में सुना है, अखबारों में देखा है कि उन्होंने इकनॉमिक पैकेज की आवाज नहीं उठाई। उनकी एक ही आवाज है - आजादी, ऑटोनोमी, हिन्दुस्तान सरकार से मुक्ति। मैं अभी आपको वहां के बयान पढ़कर सुनाऊंगा। आप देखें तमाशा यह है कि सरकार कमेटी एपाइंट करती है। आपने इकनॉमिक पैकेजिस दिए हैं। आपने तीसरी बार कमेटी बनाई है। पहले श्री रंगराजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट दी। इसका क्या हुआ? वह रिपोर्ट कहां गई? और तीसरी बार फिर कमेटी बना दी। आपने कमेटी बनाई तो उसमें एक सज्जन ने कहा कि मुझसे पूछा ही नहीं गया। श्री कलंदर कहते हैं कि मेरी कंसेंट नहीं थी, मुझसे बिना पूछे घोषित कर दिया गया कि मैं इस इकनॉमिक पैकेज कमेटी का सदस्य हूं। आप ऐसे कमेटी बनाते हैं? दो-तीन कमेटी हो जाती हैं और रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती। वह कहां हैं? यह ठंडे बस्ते में है या कहां चली गई, कुछ पता नहीं चलता है।

आप फिर एक कमेटी बनाते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज घाटी के लोगों में आपकी सरकार के लिए कोई विश्वास नहीं है। They have no trust. आप जो कुछ कहते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते। आप जो कुछ ऐलान करते रहे हैं, उसे आपने अंजाम नहीं दिया। यह एक ऐसा तथ्य है, जो वहां के तमाम लोगों की जुबान पर है कि आपका क्या भरोसा करें। मेरे सामने सैयद अली शाह जिलानी साहब का बयान है। उन्होंने यह कहा है -

> "I do not give any importance to these meetings. What is the Prime Minister going to offer to the Party? There will be no result as far as the people of Jammu and Kashmir are concerned. These meetings are held in New Delhi under conviction that J&K is an integral part of India."

He says that it is under conviction. Yes, it is a conviction because it is a constitutional fact. It is a historical fact. It is a geographical fact. It is a political fact. How can he say that it is 'under conviction' and not real? It is under conviction. Then he says:

> "The Government is not even ready to recognize the political problem of Kashmir and the aspirations of independence of the people of Jammu and Kashmir."

This is the aspiration and not the economic development and not the package. He says further:

> "As long as India denies the people of Jammu and Kashmir their rights, their power and independence, the struggle will continue. India will have to recognize the independence of Kashmir and allow the people of Jammu and Kashmir to determine their own fate. Any other form of governance imposed from New Delhi is not acceptable to our people."

This is the statement after the announcement from the Prime Minister और मांग क्या है?

> "First, India must agree to withdraw all security forces from the State. Pakistan will also be asked to take back its troops. There should be a referendum on the future of J&K."

Is it that premise on which you are going to hold the dialogues? He further says:

> "This has been our demand for the last 62 years. India must accept this demand."

इनसे आप डॉयलाग करेंगे। आप कहते हैं कि कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में डॉयलाग होना चाहिए। क्या ये कदम उन डॉयलाग्स की तरफ बढ़ाये जा रहे हैं? फिर वह आगे कहते हैं -

> "These so called talks have been going on since March 23, 1952. There have been, at least, 130 rounds of talks between the Government of India and the people of Kashmir. The result has been a big zero. These talks are a futile exercise. They call us to fool us. They want to fool the people of Jammu and Kashmir. The Government of India tries its tricks to deviate us from our struggle."

साठ सालों में गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया की यह हालत हुई है।

You are not trusted. You are supposed to be fooling the people of Kashmir. You are supposed to be fooling the people of India also. फिर वह आगे कहते हैं।

> "All factions of the Huriyat want freedom from Indian security forces and a referendum on the future of Jammu and Kashmir."

This is what they want. Are you going to hold dialogue on this? Will it form the basis of your dialogue? Is it on the agenda? If yes, say: yes openly. If no, then say: no. इसमें आपकी जो महबूबा साहिबा हैं, जो पीडीपी और सरकार का हिस्सा भी रही हैं। वह कहती हैं -

> "The PDP which welcomed the PM's opening remark, however, reacted guardedly on the autonomy issue saying 'Kashmir is not a problem between the Centre and the State. It has both internal as well as external dimensions which have to be addressed. Devolution of powers can be a part of resolution but cannot be a resolution by itself because we need to sort out relations with the other side of the Kashmir."

क्या आप उसे बातचीत में शामिल करेंगे, क्या पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करेंगे?

What is the external dimension? उन्होंने यह बात साफ कर दी that there is an external dimension. मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सटर्नल डायमैन्शन है। इस स्टोन पैल्टिंग के पीछे भी एक्सटर्नल डायमैन्शन है। There is an external dimension. How are you going to solve it? Do you agree that there is an external dimension? Then he further says:

> "Mirwaiz Omar Farooq and Mr. Abdul Ghani Bhatt rejected the autonomy offer saying it was no solution to the problem that is begging resolution for the past six decades. Autonomy is an arrangement between Delhi and Srinagar. Kashmir has tasted autonomy. The autonomy that swallowed the Prime Minister of Jammu and Kashmir body and soul together."

Therefore, this autonomy is meaningless, they say. The Chairman of the hard line faction of the Huriyat, Syed Abdul Gilani has said,

> "The PM has spoken many words about Kashmir but neglected the real issue. I want to make it clear that the jobs and economic packages cannot be substitute to the right to self-determination of Kashmir."

आप इकोनोमिक पैकेज देते जाइये और वे कहते हैं -

> "This is not substitute. What we want is freedom from India; freedom from the yoke of Indian Forces and the Government of India should not impose any set up in Jammu and Kashmir."

अगर यह बात है तो फिर आप बताइये कि आप कैसे इस प्राब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं? क्या आप डायलाग करेंगे, किस तरह से करेंगे, कब तक करेंगे, क्या अलगाववादियों को खुलकर खेलने देंगे? यह बुनियादी सवाल है, आप इसको देखें।

उपाध्यक्ष जी, मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ ने एक बात कही थी कि हमने टाइम मिस कर दिया है, हमसे मौका चूक गया है। उन्होंने यह सही कहा था लेकिन बाद में यह जरूर कहा गया कि आर्मी चीफ को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी, पौलिटिकली बात नहीं बोलनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने सही बात कही थी। यह समस्या क्यों आयी, यह इसलिये आयी कि एक वक्त था, जब बहुत से आन्दोलनकारी शान्त थे, मिलिटैंसी मार्जिनलाइज्ड थी और बहुत सारे लोग डैमोक्रेटिक प्रोसैस में शामिल होने के लिये तैयार थे। एक वक्त था जब गिलानी साहब भी आपके डैमोक्रेटिक प्रोसैस में शामिल थे। मगर फिर क्या हो गया? यह आपकी नीतियों का ही नतीजा है। आप इस बात को समझ लें। अब ये

कहते हैं कि अगर ये सब लोग डैमोक्रेटिक प्रोसैस उस वक्त ले आते तो शायद आज के हालात पैदा नहीं होते। जैसा मैने कहा कि अप्रैल महीने से यह इंटैलीजैंस रिपोर्ट आ रही थी। गृह मंत्री जी को इसकी जानकारी होगी कि वहां कुछ बड़े अजीब-अजीब किस्म के लोकल लैवल पर एक्टिविस्ट्स खड़े हो गये थे। कुछ नये चेहरे, खासकर वैस्ट से आ रहे थे, Muslims from the Western countries. वे वहां आ रहे थे और लोगों से बातें हो रही थीं। यह हमें जानकारी है और गृह मंत्री जी को भी होगी। एक वक्त था जब बड़ी तादाद में मुजाहिदीन ने सरेंडर किया था। उनको यह वचन दिया गया था कि जब वे जेलों से बाहर आयेंगे तो उन्हें रीहैबिलिटेट किया़ जायेंगा। वे लोग 10-12-15 हजार की तादाद में थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने उन्हें रीहैबिलिटेट नहीं किया। उन्हीं में से एक सज्जन ने बताया कि मैं तो इस चिन्ता में था कि हम किस तरह रीहैबिलिटेट होंगे लेकिन जब वह काम नहीं हुआ तो मेरे पास एक मेरी विधवा मां और छोटी बहन है, मुझे 5 हजार रुपये महीना सेपरेटिस्ट्स की तरफ से मिल रहा है और मैं उनके लिये स्पोक्सपरसन हूं। सरकार ने क्या किया, आपका रुपया कहां जा रहा है, कौन से डेवलेपमेंट आप कर रहे हैं, कौन सा इकोनोमिक पैकेज है? अगर वहां अंदर-अंदर 10 हजार लोग खड़े हैं, सुलग रहे हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार झूठी है तो गलत नहीं कहेंगे। आपकी नीतियां बिलकुल नाकारा साबित हुई हैं, आपका ध्यान कश्मीर की तरफ नहीं है। और आज वही लोग हैं जो स्टोन पैल्टिंग में लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपके पास इंटैलीजैंस की रिपोर्ट होगी। अगर नहीं है तो उसे जानने की कोशिश करिये। वे लोग अखबार में बयान दे रहे हैं कि हम वे लोग हैं, जो जिहाद को छोड़कर हिन्दुस्तान के साथ रहे लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे एलीमेंट्स को भी साथ नहीं रख पाये हैं। आप जरा गौर से देखिये कि आपकी कोई पौलिसी, कोई नीति वहां सफल नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष जी, स्टोन पैल्टिंग के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, इकोनोमिक पैकेज नहीं दिया। इसका नतीजा कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के साथ हुई वार्ताओं के नजरिये को देखकर हुआ है। अगर सरकार ने वे नीतियां न बदली होतीं जो एन.डी.ए. सरकार ने श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलायी थीं तो शायद ये हालात पैदा न होते। एन.डी.ए. सरकार ने इस बारे में स्पष्ट ऐलान किया था।

यह कहा था कि हम इंसानियत के दायरे में सारी बात करेंगे मगर आटोनॉमी और आजादी का सवाल नहीं है। डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स हो सकता है और वह भी इस आधार पर हो सकता है कि सारे देश के लिए सेंटर-स्टेट रिलेशनशिप का विचार किया जाये, उसे करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालात बदलते हैं, उसके मुताबिक केन्द्र और राज्यों के संबंध में समय के मुताबिक, आवश्यकताओं के मुताबिक कुछ न कुछ

फेरबदल हो सकता है, कुछ अधिकारों के अंदर आदान-प्रदान हो सकता है, लेकिन आप उस तरफ भी आगे नहीं बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले जाकर कह दिया कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का विक्टिम है, फिर उसे ब्लूचिस्तान से जोड़ दिया और इतना ही नहीं जिन मुशर्रफ साहब से वाजपेयी जी की सरकार ने जो समझौता करवा लिया था कि उन्हें आतंकवाद समाप्त करना होगा और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी, आपने यह कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ चल सकते हैं। यह सवाल है, जिसमें आपने ये रास्ते खोल दिये हैं कि आतंकवाद चलता रह सकता है तो कश्मीर में भी चलता रह सकता है। आपने मुजाहिदीनों को आने की खुली छूट दी, आपने कश्मीर का वातावरण बिगाड़ने की खुली छूट दी। आप एक बात गौर कीजिये, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। अमेरिका, अफगानिस्तान से निकलकर भागना चाहता है और इसमें उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। पाकिस्तान को उसने बेहिसाब मदद दी है, आर्थिक मदद दी है, सामरिक मदद दी है और पाकिस्तान भी अमेरिका से खेल खेलता रहता है। वह कभी चार तालिबानी पकड़ लेता है और कहता है कि अगर पाकिस्तान को रैडिक्लाइजेशन से रोकना है तो जरा मेरी मदद कीजिये और कश्मीर में मुझे कुछ दीजिये। कश्मीर में हिन्दुस्तान से कुछ छूट दिलवाइये। बार-बार इसी बारे में अमेरिका हम पर दवाब डालता है कि कुछ करो। हमें शक हो जाता है कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी आज यहां नहीं हैं, विदेश मंत्री जी यहां नहीं हैं, बार-बार इन मामलों में हाथ जोड़ने की नीति का अवलंबन करती है। यह गलत बात है। आप अमेरिका और पाकिस्तान के हितों के लिए भारत के हितों का बलिदान नहीं कर सकते हैं। अमेरिका, अफगानिस्तान में पिटता है या रहता है, यह सवाल उसका है, वह कभी वियतनाम में पिटा, कभी इराक में पिटा, अब अगर वह अफगानिस्तान में पिट रहा है तो उसे पिटने दीजिये। सवाल इस बात का है कि अगर वह वहां तालिबानियों के हाथ में अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया तो पाकिस्तान पर भी तालिबानी कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। अगर उस वक्त यहां यह सब ढ़ीलम-ढ़ाल रही, फौज भी हट गयी और लोगों के साथ भी आपके संबंध ऐसे रहे तो कश्मीर के भी आपके हाथ से निकल जाने के रास्ते खुल जायेंगे। 60 साल से लगातार कोशिश हो रही है कि कश्मीर और हिन्दुस्तान के संबंधों को ढ़ीला किया जाये। ढ़ीला करो, ढ़ीला करो और इतना ढ़ीला कर दो कि इसे तोड़ने में आसानी हो। यह वैस्टर्न ब्लॉक की नीति हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पाकिस्तान और कश्मीर की जरूरत अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट और जियो स्ट्रैटिजिकल इंटरेस्ट के लिए है। उन्हें वहां से चीन पर निगाह रखनी है, उन्हें वहां से गल्फ कंट्रीज पर निगाह रखनी है, वहां से उन्हें हिन्दुस्तान पर निगाह रखनी है इसलिए वे वहां अपना अड्डा रखेंगे। अगर उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है तो वह जरूरत उनके सामने प्रमुख है और हिन्दुस्तान उनके सामने गौण है। आपको यह भी देखना होगा कि आज पाकिस्तान के साथ चीन भी है। आप अकेले हैं। आप कैसे नीतियों

का अवलंबन कर रहे हैं कि जिससे आप अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं। दूसरी तरफ आप अपनी ताकत प्रदर्शन नहीं करते, आप अपनी हिम्मत का प्रदर्शन नहीं करते, अपने हौंसले का प्रदर्शन नहीं करते और वर्ष 1994 में किये गये इस सदन के प्रस्ताव को याद नहीं रखते, जिसमें हमने कहा था कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और उसकी एक-एक इंच भूमि हमारी है। श्री नरसिंह राव जी के जमाने में वह प्रस्ताव हुआ था। आप उसे भूल जाते हैं। क्या आपके डायलॉग, आपकी बातचीत उस रास्ते पर है? मुझे तो नहीं लगता कि आप उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। क्या आप धारा 370 को घिसने की तरफ बढ़ रहे हैं या उसे और मजबूत करके हिन्दुस्तान में कश्मीर को एक अलग ढ़ीला-ढ़ाला राज्य बनाने की कोशिश में हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आपने यहां आटोनॉमी की बात शुरू की तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? उस बात पर अच्छी तरह से गौर कर लीजिये। आपके लिए सिर्फ इसी सीमा पर संकट नहीं है, उत्तर-पूर्वांचल में भी आपके लिए संकट है।

वही संकट असम में आएगा, वही संकट सैवन सिस्टर स्टेट्स में आएगा। इसको सोच-समझकर करिये, हिम्मत दिखाइए, हौसले के साथ कहिये और इन लोगों से कहिये कि देखिये काश्मीर हिन्दुस्तान का अविभाज्य अंग है, ये दंगे बंद कीजिए। इसके लिए किसी प्रकार का मन में संकोच मत कीजिए। उसका तो शमन करना ही पड़ेगा ताकि जो वहाँ की असली मांगें हो सकती हैं, उन पर गौर किया जाएगा। मुझे एक और बात कहनी है। फारूख़ साहब सामने आ गए। कुछ साल पहले फ़ारूख़ साहब और गुल शाह के बीच में संघर्ष हुआ था। उस वक्त कश्मीर में जो हालात पैदा हुए थे, मैं काश्मीर का दौरा कर रहा था। मैंने यहाँ आकर पार्टी की तरफ से उसकी रिपोर्ट प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को दी थी। क्या हुआ था, वे जानते हैं इस बारे में, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। आज भी पीडीपी और नेशनल कॉनफ्रैन्स के बीच में सत्ता का संघर्ष है। पीडीपी बार-बार कोशिश करती है कि अगर उमर हटे तो हम घुसें। आप क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ पत्थरबाज़ी से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं? यह कैसा रास्ता आप दिखाना चाहते हैं कि स्टोन पैल्टिंग हो जाए और चुनी हुई सरकारों को वापस कर दिया जाए? वह सरकार अच्छी है या बुरी है, वह एक अलग सवाल है। लेकिन डैमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से चुनी हुई सरकार के अंदर आंतरिक फेरबदल हो, लेजिस्लेटिव असैम्बली कुछ फेरबदल करे तो मंज़ूर हो सकता है लेकिन पत्थरबाज़ी से करें तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ पत्थरबाज़ी के आधार पर सरकारें बदली न जा सकें। …(व्यवधान)…* वह तो अलग बात है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुख्य मंत्री यह कहे कि पत्थर लगने से तो जूता लगना अच्छा है, मुझे यह कहने में बड़ा अफसोस होगा कि वह मुख्य मंत्री या तो अपने ऊपर जूता लगवाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उन पर दो-चार जूते और पड़ें

ताकि लोगों को बता सकें कि देखिये पत्थर की चोट से जूते की चोट कम गहरी होती है। वे अपने आप जूता खाएँ, लेकिन उन्हें हिन्दुस्तान की जनता को, इस देश की सरकार को, यहाँ तक कि सारी संसद को जूता खिलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह क्या तरीका है? क्या बातें कही जा रही हैं? उनको ज़रा समझाइए, बताइए कि किस तरह से काम करना चाहिए। जनता में जाएँ, मिलें, वह एक अलग बात है, वह उनका काम है कि वे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर गौर कीजिए और सोचिये कि काश्मीर अकेला संकट में नहीं है। उसके साथ सारा देश संकट में आता है। यह गहरा संकट है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संकट है, यह आपका घरेलू दब्बू नीति का संकट है, यह काश्मीर का इतिहास न समझने का संकट है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की एकता और अखंडता को न समझने का संकट है।

यह संकट आप कैसे हल करेंगे? कोई रोडमैप आपके पास नहीं है। प्रधान मंत्री कहते हैं कि साठ साल से यह समस्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाँ, किसने बनाई कॉम्प्लिकेटेड? हमने बनाई या बीएसपी वालों ने बनाई या सीपीएम वालों ने बनाई, किसने बनाई? यह काम्प्लिकेशन तो आपने पैदा किया है। अब आप हमसे कहते हैं कि रास्ते निकालिये। आप रास्ते निकालकर बताएँ। हम आपकी मदद करेंगे अगर रास्ते ठीक होंगे। हम मदद करेंगे आपकी उन तमाम कामों में जो काश्मीर का भारत के साथ मज़बूत संबंध रखेंगे। हम मदद करेंगे उन तमाम मामलों में जो भारत को विश्व की एक स्वाधीन सार्वभौम शक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए आप लेंगे। हम मदद करेंगे उन तमाम नीतियों में जो आप किसी विदेशी दबाव से हटने के लिए और उसका जवाब देने के लिए करेंगे, लेकिन अगर आप विदेशी दबाव में झुकेंगे, अगर आप अलगाववाद के सामने समझौते करेंगे, अगर आप पत्थर खाने से सरकारों को बदलवाने देंगे, तो माफ़ कीजिए, यह देश आपका साथ नहीं देगा। यह देश आपका साथ देगा काश्मीर को भारत के साथ रखने के लिए, मज़बूती के साथ एक साथ रखने के लिए। अगर आपने सामान्य तौर पर इस तरफ कदम बढ़ाना है तो आप ज़रा धारा 370 के बारे में भी गहराई से विचार कीजिए। मगर बजाय वैसा करने के, मुझे आज अफ़सोस है कि संसद में एक सवाल ऐसा उठा जो आपके बयान से संबंधित था कि एक सैफरन टैररिज़्म है। मैं गृह मंत्री जी से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्लीज़ आप बैठिये। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) ... *

---

* Not recorded.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि सैफरन हमारे राष्ट्रध्वज के ऊपर है। वह भारत का राष्ट्रध्वज जहाँ जाएगा, सैफरन उसके साथ जाएगा और वह देश और दुनिया में शांति फैलाएगा। वह टैररिज़्म का प्रतीक नहीं हो सकता। आपको शायद कांग्रेस पार्टी का इतिहास मालूम नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी स्वाधीनता से पहले कि भारत के झंडे का रंग क्या होना चाहिए।

उसने सर्वसम्मति से यह राय दी थी कि एक रंग का झण्डा होना चाहिए और यदि कोई रंग हो सकता है तो वह सैफरन हो सकता है। यह सैफरन था, जिसने हिन्दुस्तान को सारी दुनिया का गुरू बनाया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : यह सैफरन था, जिससे हमारे देश के महापुरूष, यहां के दार्शनिक, यहां के साधु-संत कोरिया में गए, चीन में गए, जापान में गए, इण्डोनेशिया में गए, सारे दक्षिण-एशिया में गए, सारे दक्षिण-पूर्व एशिया में गए और पश्चिम में गए।...(व्यवधान) यह सैफरन था, जिसने सारी दुनिया को शांति का संदेश दिया, सदभावना का संदेश दिया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं आपको विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं बराए-मेहरबानी उसके साथ किसी प्रकार के ऐसे अपशब्द का प्रयोग न करें।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप बोलिएगा।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : यह देश में भारी प्रतिक्रिया पैदा करेगा। मुझे कभी-कभी लगता है कि आप देश में प्रतिक्रिया पैदा कराना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपने कह दिया, आगे कहना बंद करें, वरना इस देश में भारी प्रतिक्रिया पैदा होगी। यह आपके कश्मीर के मामलों को सुलझाने में भी दिक्कतें पैदा करेगा।

उपध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया और मैं आज सारे सदन से प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाए रखने के लिए पूरे रोड़मैप का निर्माण करें और ठोस कदम उठाएं।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर सम्पूर्ण विश्व की निश्चित तौर पर निगाहें लगी हुई हैं। शांति की इस अपील में मैं सबसे पहले शाह फैज़ल को, जिसने कश्मीर से आईएएस में टाप किया है, उसे अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, सम्पूर्ण संसद की तरफ से बधाई देना चाहूंगी। यह सदन चाहता है, यह देश चाहता है कि शाह फैज़ल जैसे लोग बार-बार आएं। कश्मीर की वे फिजाएं जो हमारे रेगिस्तान तक हवा पहुंचाती हैं, कश्मीर की वह डल झील जब हिलती है, तो लगता है कि कहीं से सागर हिलौरे लेते हुए शांति का पैगाम दे रहा है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष जब परेड हो रही थी, उस समय उसकी अगुआ कश्मीर की महिला थी, मैं उसे भी अपना सलाम पेश करना चाहती हूं।

मैं कुछ कहने से पहले सदन से एक प्रश्न करना चाहूंगी, विशेषकर अपने पूर्ववक्ताओं से कि देश यह देख रहा था, हम भी चाहते थे कि कश्मीर के बारे में शीघ्र चर्चा हो, लेकिन जहां संसद की कार्यवाही दस बार बेवजह मुलतवी की जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि प्रधानमंत्री जी ने इसी दौर में लालकिले के प्राचीर से और कश्मीर में लद्दाख में जा कर अपनी बात को कहा और लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया। मैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त के भाषण को कोट करना चाहती हूं,

> "Kashmir is an integral part of India. Within this framework, we are willing to move forward in any talks which would increase the partnership of the common man in governance and also enhance their welfare. "

और फिर उन्होंने कहा था कि "The years of violence should now end. " और आज की बहस का मुद्दा भी निश्चित तौर पर यही है कि अब हिंसा की समाप्ति हो कर नए युग की शुरूआत होनी चाहिए। मैं मुरली मनोहर जी और गुरुदास दासगुप्त जी को कहना चाहती हूं कि आज यह विषय राजनीति का विषय नहीं है। आज यह विषय राजनीतिक दलों का या पूर्ववर्ती सरकारों पर उनके आक्षेप करने का नहीं, बल्कि आज सभी को मिलकर, जैसा डॉ. जोशी जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा है कि हम सभी काम ऐसे कश्मीर के लिए करें, जिसमें शांति बहाल हो। हम लोग यहां एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

लगभग दो डिकेट्स के बाद कश्मीर की पुरवाई में वह पुराना जोश आया था, शांति बहाल हुई थी, पुरवाई चलने लगी थी, गीत और संगीत फैलने लगे थे, कामगारों के हाथ अपने काम के लिए लगने लगे थे, युवा एक गति के साथ आगे बढ़ने लगे थे। यह बवंडर कहां से आया, हमें इस ओर निश्चित तौर पर सोचना होगा। हम चिन्तित हैं और इसीलिए यूपीए की सरकार का प्रयास हमेशा से यह रहा और उसके पूर्व कांग्रेस का भी यही प्रयास रहा कि वहां पर शांति की बहाली हो और विकास के कार्य भी हों। इसी वजह से वहां पर जो 94 हजार करोड़ रुपए दिए गए, वह इसलिए नहीं दिए गए कि वहां पर कोई खैरात बांटने का इरादा हो, बल्कि इसलिए दिए गए कि देश के उस मुकुट पर, जिसके लिए स्वयं डॉ. मुरली मनोहर जी ने कहा था कि यदि इस पृथ्वी पर कहीं पर स्वर्ग है तो वह केवल कश्मीर में है, यहीं पर है, यहीं है। उस कश्मीर की बदहाली को हटा कर उसे एक विकास की दिशा में, मैन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए 94 हजार करोड़ रुपए विभिन्न सरकारों ने अलग-अलग समय पर दिए, जो देने आवश्यक भी थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर यह अर्ज करना चाहती हूं, चाहे स्व. श्री जवाहरलाल नेहरू जी से लें, अगर मैं पार्टी की बात करूं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी तक, सरकारों की बात लें तो स्व. श्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर श्री मनमोहन जी तक एक मोहब्बत की डोर के साथ कश्मीर से बंधे हुए संबंध रहे हैं। हमेशा कश्मीर को विशेष तवज्जो दी और यह तवज्जो केवल दिमाग की तवज्जो नहीं है, क्योंकि दिमाग से बात करने का अलग ही ढंग होता है। मैं अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में थी, मुझे वहां पर कुछ साथियों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, जिसे मैं आज सदन में दोहराना चाहती हूं कि विभिन्न राजनीतिक दल, जो केवल लिप सिम्पैथी देना चाहते हैं, उससे हम लोग अज़ीज आ गए हैं, घबरा गए हैं। हमें वह नहीं चाहिए। "तेरा शोक भी, तेरा ज़ोक भी, मेरे दर्दे दिल की दवा नहीं।" उस दर्दे दिल को ढूंढने का प्रयास जो सरकार ने किया है, उसे हम नहीं भूल सकते। सरकार का प्रयास रहा और प्रयास है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले माननीय प्रधान मंत्री जी की अभी विजिट की बात और सरकार की बात भी कहना चाहती हूं कि निश्चित तौर पर कश्मीर में रिलीफ देना हमारा काम है, क्योंकि अभी कश्मीर और कश्मीर की घाटी एवं लद्दाख दो तरह की मार से अपने आप से जूझ रहे हैं। जहां एक तरफ लोगों का संघर्ष है, जहां विशेषकर युवा पीढ़ी सड़कों पर है, हाथ में पत्थर लेकर पाषाण युग की याद ताजा करने को आमदा है, वहीं पर प्रकृति भी अपना तांडव नृत्य दिखा रही है। उस समय जरूरत इस इस बात की है कि वहां पर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के कार्यक्रम पहले हों। इसलिए सरकार की प्राथमिकता इस बात को लेकर है और पूरा देश इस कठिन घड़ी में कश्मीर के साथ है। वहां पर जो हिंसा का तांडव है, उसके लिए हमें उसके कारणों की तरफ जाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर यह बात कहना चाहती हूं कि सरकार की अपील इस बात को लेकर है कि हमें नयी शुरुआत करनी चाहिए। मैं इस नयी शुरुआत की तरफ जोर देना चाहती हूं कि यदि हम पुराने परखचों, लिखी हुई पुरानी बातों को ही दोहराते रहेंगे तो हम नया रिजल्ट नहीं ला सकेंगे, क्योंकि अभी मुद्दा भी नया है और अर्थ भी नये हैं, इसलिए हमें एक नयी बिगनिंग के साथ अपनी बात की शुरुआत करनी होगी। इसके लिए यूपीए की सरकार ने जो प्रयास किए, वह निश्चित तौर पर इस तुल्य हैं। पाकिस्तान के साथ वार्ता का जिक्र किया, मैं यहां पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन यह देश भी जानता है कि वार्ता का फल तो मिलता है, लेकिन यदि केवल यूपीए पर यह आरोप लगाएं कि हमारी वार्ता का क्या आधार रहा तो हम भी यह कहने के लिए आज यहां पर स्वतंत्र हैं कि यदि वार्ता के बाद कारगिल का युद्ध हो सकता है, मेरे स्टेट से भी हजारों लोगों ने उस युद्ध में भाग लिया था, हमारे सैनिकों ने वहां पर शहादत दी थी। कारगिल कहां से होकर आया, इसलिए केवल यह कहना कि यूपीए की सरकार के संवाद संवादविहीनता की तरफ ले जा रहे हैं।

केवल एक दो लोगों को कोट करने से इस कार्रवाई की शुरूआत नहीं हो सकती। सरकार ने प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ कुछ टॉक हो और उनके साथ ट्रेड में भागीदारी हो। इसीलिए उनके साथ बस की सर्विस शुरू की गई, ताकि पाकिस्तान के लोगों के दो दिल, जो एक इधर छूट गया और दूसरा उधर छूट गया, उनमें सम्बन्ध स्थापित हो सके। राउण्ड टेबल कांफ्रेंस बहुत बार की गई। यह राउण्ड टेबल कांफ्रेंस वहां के उन लोगों के साथ भी की गई, जिन्हें अलगाववादी या दूसरे नामों से पुकारा जा रहा था, उन लोगों का भी आह्वान किया गया, क्योंकि संवाद ही एक रास्ता बचता है।

मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि यदि संवादहीनता होती तो शायद हम भारत को आजाद नहीं करा सकते थे। गांधी जी की अहिंसा के सिद्धान्त के आधार पर हम अहिंसा को नहीं भूल सकते और हम संवाद को भी नहीं भूल सकते। संवाद से बड़े-बड़े मसले हल हो सकते हैं तो संवाद को भूलकर केवल राजनीति के धरातल पर और केवल राजनीति की मिट्टी पर खेती करना कहां तक उचित होगा? इसलिए मैं सदन से अपील करना चाहती हूं कि आज हम कश्मीर के उन लोगों से अपील करने को यहां पर खड़े हुए हैं कि वे भारत सरकार पर विश्वास करें कि उसने हमेशा उनका साथ दिया है और वह हमेशा उनका साथ देगी। हम कश्मीर में लोगों को निश्चित तौर पर शान्ति का एक चांस देना चाहते हैं और इसीलिए अपोर्चुनिटीज़, चाहे वे एम्पलायमेंट की हों, चाहे वे फिज़ीकल और ह्यूमन रिसोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर की हों, उस के लिए सरकार कोई भी कोताही नहीं बरत रही है।

यहां पर आजादी की बात की गई। मैं यहां पर अपने साथियों से और आप सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूं कि आज वहां का युवा एक विभ्रमित स्थिति में है और इसलिए न केवल सरकार का, अपितु सभी लोगों का दायित्व बनता है कि उसे विभ्रमित होती हुई स्थिति से बचायें। हमारी अपील है कि उन्हें सुनाना होगा कि आजादी का सही और सार्थक अर्थ क्या है। वे भारत का एक हिस्सा हैं। भारत ने जो आजादी प्राप्त की थी, उससे निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के कार्यों और विकास को गति मिली है। सरकार की इसके लिए जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। यहां पर उन्हें बताना होगा कि वे आजाद मुल्क के हैं और आजादी के मायने आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और उन लोगों को समानता का अधिकार है। आज वे सारे अधिकार उन लोगों के पास हैं।

इस बात के लिए केन्द्र सरकार के दिए हुए पैसे का सदुपयोग भी बहुत आवश्यक है, इसलिए राज्य और केन्द्र सरकार पर भरोसा दिलाने के लिए हम लोगों की, सिविल सोसायटी की निश्चित तौर पर भागीदारी होनी चाहिए।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सिक्योरिटी वहां पर प्रैशर में है और उस प्रैशर में काम नहीं कर पा रही है। ऐसे हालात में हम अपील करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इस कार्य को देखें, इंगित करे कि कहां पर गलती है, बताये और उसका हल निकालने का प्रयास करे। शान्ति बहाली के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिये और विशेषकर पाकिस्तान आने-जाने का रास्ता खुला, ज्यादा संवाद की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं, कमेटीज़ का निर्माण पहले हो चुका है और उन कमेटीज़ की मीटिंग जारी हैं। बिजनेस और टैक्नोलोजी को बढ़ावा देने के लिए नारायण युक्ति जैसे लोगों को लगाया गया है और रोजगार मुहैया कराने के अनेक साधन वहां पर जुटाने की कोशिश यह सरकार कर रही है। मैं इस बात को समझती हूं कि यू.पी.ए. की सरकार दिल और दिमाग दोनों के साथ कश्मीर के भी और कश्मीर की जनता के भी साथ है, लेकिन हम सरकार की ओर से अपील करना चाहते हैं कि वे भी पूर्ण रूप से शान्ति बहाली के लिए भरोसा करें, क्योंकि केन्द्र सरकार उनके पीछे है। शान्ति और विकास एक साथ चलेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में जो कुछ यू.पी.ए. की सरकार कर रही है, उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। वहां के लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए हमें उस दिशा में भी प्रयास करने होंगे। सत्ता संघर्ष की ओर ध्यान दे रही है, इस बात को कहना उचित नहीं होगा। राजनैतिक दलों ने भी हमारी अपील है कि वहां पर संवाद को कायम रखें।

कश्मीर के हित में आज देश खड़ा हुआ है और यूपीए की सरकार खड़ी हुयी है, यह मैसेज जाना चाहिए। यदि संसद से एक-दूसरे के ऊपर आरोप उछाल कर वार्ताओं के जरिए, हम यदि साम्प्रदायिकवाद को फैलाने की कोशिश करें, तो यह उचित नहीं होगा। हमारा मकसद जो कश्मीर में शांति बहाली करके उन युवाओं को एक रास्ता दिखाने की दिशा में ले जाना है, उस कार्य की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं और प्राइम मिनस्टर साहब को कोट करना चाहती हूं। It says:

> "Today I wish to share with you my sense of hope for the people of Jammu and Kashmir that I have long nurtured.
>
> The State is only now emerging from the shadow of more than two decades of a deadly insurgency, which brought only death and devastation to the beautiful State. These were two lost decades in the history of Jammu & Kashmir's development."

आज जम्मू और कश्मीर पर धुंए के बादल जरूर छाये हुए हैं, लेकिन ये धुएं के बादल भी यहां से छटेंगे, इस बात में कोई संदेह नही है, क्योंकि जो अपोर्चुनिटी सरकार दे रही है, वह अपोर्चुनिटी आर्थिक विकास की अपोर्चुनिटी है। यहां यह कहना कि आर्थिक अपोर्चुनिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा और यहां से केवल एक व्यक्ति को कोट करके यह कहना कि केंद्र सरकार के इतने पैसे देने के बावजूद आज भी वहां पर इकॉनामिक संवाद का कोई सब्स्टीट्यूट नहीं है, तो मैं समझती हूं कि यह कहना गलत होगा। कश्मीर की विजिट के बाद हमें लगेगा कि दो डेकेड तक लगातार पिछड़े होने के बावजूद, अब जब वह करवट लेने लगा है, रीवैलिडेशन का जमाना आया है, ऐसे हालात में जब धुंध के थोड़े बादल हों, तो उन बादल को छांटने का निराकरण हम लोगों को संवाद के जरिए ही ढूंढना होगा और उसका निराकरण करना होगा। वर्षों से वालर्स को झेलते हुए, युवाओं से हमारी अपील होगी, क्योंकि यहां पर विवाद करना, संवाद करना इस बात का प्रतीक है कि वे युवा जिनकी मातायें स्वयं आगे बढ़कर उनको पत्थर थमा रही हैं, वे इस बात को समझें कि युवाओं का काम एक प्रगतिशील कश्मीर के निर्माण का है, जो अल्टीमेटली देश के निर्माण में अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकें। हम अहिंसा के पाठ को ऊपरी तौर पर नहीं पढ़ा सकते हैं। यहां पर सिविल सोसाइटी की आवश्यकता है और वह सोसाइटी आगे आए। हमारी अपील है कि चाहे वह किसी भी रूप में हो, यहां केंद्र सरकार कानूनन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वहां आर्थिक विकास और संवाद हो, वहीं वहां की सिविल सोसाइटी और वहां की राज्य सरकार को भी इस बात को देखना होगा।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार की बार-बार की कोशिशों के कारण ही यहां पर पीस का जो माहौल बना था, क्रास बार्डर टेररिज्म में कमी आयी थी, लेकिन लगता है और जो मैंने कहा कि जो हवायें श्रीनगर से गुजरकर मरूस्थल तक पहुंचती हैं, वहां कहीं न कहीं पीछे से हवाओं का एक दुष्प्रचार भी आ जाता है। क्रास बार्डर टेररिज्म की तरफ सरकार को और अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। एक कान्फिडेन्स बिल्डिंग की आवश्यकता है, लोगों में भी और और सरकार में भी, लोगों में इस बात को लेकर कि भारत सरकार उनके हित में कार्य कर रही है और सरकार को इस बात को लेकर कि केंद्र सरकार उनके पीछे खड़ी हुयी है। प्रधानमंत्री जी का दौरा एक नए आश्वासन के साथ खुला हुआ था। मैं यहां यह अपील करना चाहूंगी और आगे आने वक्ताओ से भी, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मां का कर्तव्य अपने बेटे की बहबूदी के लिए होता है और आज वे इस बात को समझें। यहां कहीं न कहीं कोई गैप है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। मैं यहां निवेदन करना चाहती हूं कि कश्मीर की महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में भी कमी आनी चाहिए और वहां विकास कार्य दिखने चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को अपने लिए नए तरीके ढूंढने होंगे, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम विकास के आयाम की तरफ बढ़ रहे हों, और उस समय अचानक से बवंडर आ जाए, तो पहला काम उस बवंडर को शांत करके फिर विकास की गति को बढ़ाना होगा। आज कश्मीर की सरकार यह कार्य कर रही है।

इसलिए उसके पीछे भारत सरकार की मंशा ही नहीं, भारत सरकार का पूरा आधार भी खड़ा हुआ है। राज्य और केन्द्र सरकार को कोसने से बेहतर है कि हम इस बात को सोचें कि युवा वर्ग जो भ्रमित हो रहा है, उसे भ्रमित होने से किस तरह रोका जाए, किस तरह आजादी के सही अर्थ को उन तक पहुंचाया जाए, किस तरह शाह फैज़ल जैसे लोगों को वहां और साधन मुहैया कराए जाएं, ताकि वे इस देश की मेनस्ट्रीम के साथ जुड़ सकें।

मैं यहां सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं, जिसके लेकर सब गंभीर हैं कि वहां के पाठ्यक्रम से लेकर विभिन्न संवादों तक बच्चों को अहिंसा की शिक्षा देनी होगी। यह मालूम है कि कभी-कभी लोगों के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, लेकिन उन पर लीपा-पोती करने के बजाए हमें उन्हें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए यूपीए सरकार का मस्तिष्क बिल्कुल खुला हुआ है। हमें कश्मीर पर गर्व है कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी वह अडिग रूप से आज भी भारत के प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। इसलिए हम आशावादी हैं और उस आशा के साथ यह निवेदन कर सकते हैं कि बवंडर हटेगा, लेकिन उसके लिए संवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। संवाद के तीन स्तर हैं। संवाद का पहला स्तर है, क्योंकि आज युवा पीढ़ी सामने आई हुई है, इसलिए युवा वर्ग के साथ संवाद भी आवश्यक है। संवाद पाकिस्तान के साथ भी आवश्यक है जिनकी दूषित हवा कभी-कभी आकर कश्मीर के लोगों के

मन को झकझोर डालती है और वे समझ नहीं पाते। संवाद वहां की सरकार, विशेषकर वहां के राजनैतिक दलों, जहां तक राजनैतिक दलों की बात है, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सत्ता संघर्ष की बात छोड़कर अभी केवल कश्मीर की बहबूदी के लिए वहां अहिंसा द्वारा फिर से शान्ति बहाली के लिए प्रयास करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब शान्ति बहाल होगी, तब हम दूसरी बात कर सकेंगे। लेकिन यूपीए सरकार इस बात की जानकार है कि शान्ति बहाली के साथ-साथ यदि वहां विकास के कार्य नहीं किए गए, युवाओं को समय पर रोजगार नहीं दिया गया, रीहैबिलिटेशन नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं होगा। जिस तरह विलंब हुआ, वहां आवश्यकता इस बात की है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। लेकिन कथनी और करनी में थोड़ा सा गैप भी नहीं होना चाहिए। कार्य अभी और इसी वक्त पूरे होने चाहिए। यूपीए सरकार ने जहां देशभर के लिए भारत निर्माण का सपना देखा है, कश्मीर के लिए अलग पैकेज दिए हैं, क्योंकि जब तक भारत निर्माण, छोटे से छोटा गांव और कश्मीर घाटी के छोटे से छोटे हिस्से में भी यदि भारत निर्माण का सपना पूरा नहीं होगा, तो विकास के मायने आगे नहीं बढ़ सकेंगे। युवाओं के लिए सबसे कठिन समस्या रोजगार की है। जब जेब में पैसे बजते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ए जर्रा हीरा है, उस वक्त ए शबनम मोती है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सरकार रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए वहां साइंस एंड टैक्नोलॉजी, विशेषकर टैक्नोलॉजी, टूरिज़्म, शिक्षा का नया हब बनाने का जो प्रयास कर रही है, उस प्रयास की यहां सराहना करनी होगी और यह कहना होगा कि उन प्रयासों द्वारा आगे बढ़ने का जो रास्ता प्रशस्त हो, उसमें हम सबकी भागीदारी है।

मैं यहां यही निवेदन कर सकती हूं कि कश्मीर की वादी से वे हवाएं फिर से आएं, वे फिज़ाएं फिर से दूर-दराज तक पहुंचें जिन फिज़ाओं के केवल स्पर्श मात्र से व्यक्ति स्फूर्ति से भर जाता है। वहां के झेलम और चिनाब में फिर वही लहरें उठें कि उन्हें देखकर मन प्रफुल्लित हो जाए। वहां की केसर की क्यारियां खिलती रहें। वहां के कामगारों के हाथ काम में लगे रहें। वहां हस्तकला और दूसरे काम की बहबूदी हो। जो कश्मीर पांडित्य में आगे था, आज भी एजुकेशनल क्षेत्र में आगे बढ़कर विश्व में सर्वोपरि स्थान पा सके और उस कश्मीर का जो थोड़े समय से भूला हुआ युवक है, अहिंसा द्वारा उसका रास्ता खोलकर, उसके दर्द को समझकर हम रास्ता खोलें, क्योंकि उसका दर्द भी वाजिब है, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल रही है। उसे सही दिशा की आवश्यकता है। हमारी इंटैशन पर कोई डाउट नहीं कर सकता। भारत सरकार का इंटैशन हो, कांग्रेस की पुरानी सरकारों का इंटैंशन हो, कांग्रेस पार्टी के इंटैंशन में दिल भी है और दिमाग भी है।

कश्मीर की समस्या को हम केवल दिमाग से सॉल्व नहीं कर सकते, कश्मीर की समस्या के लिए दिल की संवेदना चाहिए, संवेदना का फर्क चाहिए जो उन लोगों के घाव पर मरहम लगा सके। जिन लोगों ने केवल हिंसा के तांड़व को इतने वर्षों तक देखा, उस तांड़व को समाप्त करने के लिए उनको जो प्रयास करने चाहिए, उस दिशा का निर्देश भी होना चाहिए। इसलिए आज का संवाद जिसे दस-बारह दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, हालांकि उसमें विलंब हुआ, लेकिन फिर भी यह संवाद यहां पर जारी रहा। ये हवाएं और यहां की आवाज वहां तक पहुंचे, हमारी अपील उन माताओं तक पहुंचे कि तुम्हारे पुत्र, क्योंकि इस लड़ाई में कोई कुछ लेने वाला नहीं है, मरेगा तो आपका और हमारा बेटा मरेगा, क्योंकि जब भी हिंसा होती है, तब किसी औरत का सुहाग उजड़ता है। जब हिंसा होती है, तब उसकी गोद खाली होती है। जब हिंसा होती है, तो भाई के हाथ की कलाई में बंधी हुई राखी टूटती है। इसलिए मैं विशेषकर बहनों से अपील करना चाहती हूं कि इस युवा पीढ़ी को पत्थर थमाने की जगह उन्हें अहिंसा का सूत्र दीजिए। उनके हाथ में राखी दीजिए। उनके हाथ में एक नये भारत का, नये कश्मीर का सपना दीजिए। मैं राहुल गांधी जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उन्हें भारत के दूसरे हिस्सों की बात भी दिखाइये कि आज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मुम्बई कहां तक पहुंचा है। आज आर्थिक मंदता के बावजूद भी भारत की आर्थिक व्यवस्था की विकास दर नौ प्रतिशत से अधिक की स्थिति में पहुंची है। आज भी हम लोग विश्व को एक रास्ता दिखाने में कामयाब रहे हैं। आज भी हम लोग आसियान के भरोसे हों या यूरो के ऊपर हों, लेकिन भारत की तरफ आज अमेरिका तक की निगाह है। उनको यह बताने की आवश्यकता है कि आज ओबामा जी को यह कहना पड़ रहा है कि जब मन मोहन सिंह जी बोलते हैं, तो सारा विश्व बोलता है। आज अमेरिका तक हमारे युवाओं को लेकर पसोपेश में पड़ा हुआ है कि हमारे जैसे युवा वह कैसे पैदा करे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि शाह फैज़ल जैसे युवा वहां पैदा हों और उसके लिए जरूरी है कि वहां की माताएं और मेरी युवाओं से अपील है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल और दिमाग से उनके साथ रही है, उनके साथ रहेगी और आने वाले समय में उनसे एक अपील करेगी कि आप लोग पत्थर उठाकर अपने आपको लहूलुहान कर रहे हैं, तो आपका भाई, बेटा और पिता इससे घायल हो रहा है। इस घायल होने वाली स्थिति से आप बचें। कश्मीर सुरक्षित हो, कश्मीर विकास के लिए आगे बढ़े, कश्मीर के युवा शाह फैज़ल बन सकें और हमारे यहां पर परेड की सलामी लेती हुई महिला, जिसने पिछली बार कश्मीर का नेतृत्व नहीं भारत का नेतृत्व किया, उसका हाथ ऊपर अपने मस्तिष्क पर भारत के झंड़े को सलाम करता रहे, यही हमारी अपील है। हमारी यह भी अपील है कि आज हमें मरहम लगाने की जरूरत है। कश्मीर के लिए पूरा देश एकजुट होकर कश्मीर की इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ है, इसलिए संवाद होने दीजिए। विकास के कार्यों को और आगाज़ दीजिए। वहां की सरकार, वहां के लोगों को और भरोसा दीजिए कि हम उनके साथ

हैं ताकि कश्मीर में खुशहाली रह सके। कश्मीर मे जो हिंसा का तांड़व है, वह समाप्त होकर अहिंसा की तरफ बढ़ सके, शांति की बहाली हो, विकास की ओर बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि हमारी संसद और सभी दल एकजुट होकर सम्वेद स्वर में कह सकें कि यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है और उसमें सबकी जरूरत है। इस अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि आज विश्व जिस तांड़व को देख रहा है, वह केवल निर्माण और संवाद से संभव है। यूपीए सरकार का भरोसा हमारे समस्त देश का भरोसा है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी मैं आदरणीय जोशी जी और बहन गिरिजा व्यास जी को सुन रहा था। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लग रहा था कि मानो हम कश्मीर की वादियों में हैं। यह बात सत्य है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जिसके लिए हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक के नेताओं ने संघर्ष किया कि कश्मीर की एकता और अखंडता कैसे अक्षुण्य रहे।

कश्मीर कैसे विकास करे, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए है। माननीय गृहमंत्री जी ने जो लिखित वक्तव्य सदन में दिया है, मैं उसको पढ़ रहा था। उसमें दर्शाया गया है कि 11 जून, 2010 से वहां कानून-व्यवस्था बिगड़ी है। देखा जाए तो केवल 11 जून, 2010 से ही नहीं, बल्कि उसके पहले भी वहां पर समय-समय पर ऐसी छिटपुट घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इधर 11 जून, 2010 के बाद से जो घटनाएं घटी हैं, वह बहुत चिंता का विषय था और बहुत ही निंदनीय था। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि वहां पर कानून-व्यवस्था ही नहीं, लोकशांति को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरे साथी लाल सिंह जी यहां बैठे हैं, इन्होंने हम लोगों को जो बताया, जो बयां किया, मैं उस बात को यहां कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि उससे बहुत दुख और कष्ट होता है। इस घटना के पहले हम लोग दो-तीन बार कश्मीर गए थे, वहां पर हमारे रिश्तेदार भी हैं। वहां बहुत आनन्द आता है। अभी आदरणीय गिरिजा व्यास जी जब कश्मीर की वादियों के बारे में बता रही थीं, तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि जैसे हम लोग कश्मीर में हों। वहां पर इस बीच हुई घटनाओं का अगर मूल्यांकन करें, वहां पर व्यापक पत्थरबाजी हुई है, वहां पर केवल जून, जुलाई और अगस्त के तीन महीनों में पत्थरबाजी की 872 घटनाएं हुई हैं। इन 872 घटनाओं ने कश्मीर की कानून-व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। मुझे जहां तक जानकारी है, जो बहुत आथेंटिक जानकारी हैं, कि जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, वे बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाते हैं। इसके लिए बच्चों और महिलाओं को 500 रुपये प्रतिदिन पर लाकर वहां पत्थरबाजी कराई जाती है। वहां पर इस वक्त रोजगार के सभी संसाधन खत्म हो गए हैं, इसलिए 500 रुपये में वहां की महिलाओं और बच्चों को आगे करके, ढाल बनाकर पत्थरबाजी कराई जाती है और उसके पीछे तमाम आतंकी, उग्रवादियों का हाथ होता है जो सुरक्षाबलों के साथ बढ़-चढ़कर गोलाबारी करते हैं। हमारे सुरक्षाबलों की हमेशा यह कोशिश होती है कि बच्चों और महिलाओं को कोई नुकसान न हो, इसलिए पहले वे आंसू गैस छोड़ते हैं, उसके बाद प्लास्टिक की गोलियां चलाते हैं, फिर लाठी चार्ज करते हैं और जब सुरक्षाबलों पर उधर से गोलियां चलने लगती हैं, तब जाकर मजबूरन हमारे सुरक्षा बल के लोग गोली चलाते हैं। ऐसी घटनाओं में अब तक 63 सिविलियन मारे गए हैं और 30 जुलाई से अब तक 12 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे सुरक्षा बलों के 1266 लोग गंभीर

रूप से घायल हुए हैं। इन तमाम घटनाओं में पब्लिक और गवर्नमेंट की प्रापर्टी को नुकसान होता है, खासकर पुलिस की गाड़ियां, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स और कॉलेजेज को लक्ष्य बनाया जाता है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, अव्यवस्था होती है और तमाम नौजवान इससे प्रभावित होते हैं। यहां तक कि जब फोर्स वहां कुछ करती है, नेचुरल बात है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, तो हमारी फोर्स मजबूरन कुछ बल का प्रयोग करती है। मैंने बहुत गंभीरता से जोशी जी और गिरिजा व्यास जी की बातों को सुना है, यह कोई स्थायी समाधान नहीं है कि अगर कोई ऐसी घटना हो, तो फोर्स वहां जाकर कुछ बल प्रयोग करे।

14.00 hrs.

हमें कोई राजनीतिक समाधान कश्मीर के लिए ढूंढ़ना पड़ेगा। आज इस सदन के सभी लोग चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस बात को लेकर चिंतित हैं और इसीलिए इस विषय पर नियम 193 के तहत यहां पर बहस हो रही है। हम इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और आज इस पर देर से ही सही, लेकिन चर्चा हो रही है।

जहां तक जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था का सवाल है तो प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बारे में काफी समाचार आते हैं। उन्हें सुनकर और देखकर काफी कष्ट होता है कि वहां पर कैसी स्थिति है। कश्मीर में कैसे शांति बहाल हो, वहां के लोग कैसे विकास करें, इसके लिए पूरा देश चिंतित है। हम इस विषय पर संसद के मानूसन सत्र के आखिरी दौर में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस सत्र का सत्रावसान निकट ही है। मैं सभी सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कश्मीर में कैसे अमन और शांति बहाल हो, कैसे सुरक्षा बलों को भी इससे सुविधा हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को फिर से पहले वाला माहौल मिले, उसके लिए हमें आज के हालात पर विचार करके कोई समाधान निकालना चाहिए और उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।

जहां तक जम्मू-कश्मीर की स्थानीय सरकार का सवाल है, वहां सरकार बदलती रहती है और गठबंधन की सरकार चलती है। वहां का राज्य सरकार ने, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, अपनी तरफ से काफी प्रयास किया है और तमाम लोगों को बुलाकर बात की है। राज्य सरकार का जो रवैया होता है वह रिएक्टिव होता है और वह बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करके वहां कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। वहां की कानून व्यवस्था और शांति जो भंग हुई है, उसके कारण वहां के लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। उसके साथ ही साथ देश के बाकी हिस्सों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। मैं जब कश्मीर गया था तो वहां सेबों के बाग में भी गया था। उन्हीं सेबों का मूल्य आज कितना है, यह इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैंने आज 150-175

रुपए प्रति किलोग्राम से दिल्ली में खरीदे हैं। कश्मीर में पर्यटक काफी बड़ी तादाद में आते हैं। जब देश के अन्य हिस्सों से लोग अमरनाथ यात्रा के लिए वहां जाते हैं तो उन्हें भय और संकट की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं यह अपील करना चाहूंगा राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने जो वार्ता का दौर शुरू किया है, वह चलना चाहिए और वहां शांति बहाली के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए।

मैं तो अल्लाहताला से और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वहां जल्द से जल्द शांति बहाल हो और उस प्रदेश के लोग अमन और शांति से रहें। इसके साथ ही मैं कश्मीर के उन सिरफिरे लोगों से भी कहना चाहूंगा, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, कि वे इस बारे में सोचें और अपने परिवार की रक्षा करें। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वहां पर शांति बहाल हो। कश्मीर आर्थिक रूप से पर्यटन पर निर्भर हैं। वहां पर भारी तादाद में पर्यटक आते हैं, अगर वहां शांति व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो फिर से पर्यटकों की भीड़ वहां आएगी और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार आएगा।

इस अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में गम्भीर सवाल पर बहस हो रही है। जब से यह बहस शुरू हुई है, मैं तब से यहां बैठा हुआ हूं। फारुख साहब आप बैठिए।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला): मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यही बैठा हूं।

श्री शरद यादव: यह जो चर्चा है, उसका मकसद है कि कश्मीर की जो गम्भीर हालत है, उसका समाधान और रास्ता कैसे निकले। कश्मीर जब से हम आजाद हुए हैं, मैं 1947 का जिक्र करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष जी, 14 अगस्त की आधी रात को देश आजाद हुआ था। काश्मीर का सवाल कभी नहीं उलझता यदि देश का बंटवारा नहीं होता, लेकिन उलझ गया। आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और 27 अक्टूबर को यानी तीन महीने बाद, काश्मीर आजाद हुआ। शेख साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। काश्मीर का चेहरा शेख साहब के जमाने में कहां था और आज कहां है? उस समय, फारूख साहब की जो नेशनल कांफ्रेंस है उसका नाम मुस्लिम कांफ्रेंस नाम था और जिन्ना साहब देश के विभाजन के समय जब वहां गये, तो शेख साहब का नेतृत्व वहां की जनता पर था। वह सन् 1931 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री लेकर गये थे। उनकी त्रासदी यह थी कि वहां डोगरा लोगों का राज था और वह अलीगढ़ से शिक्षा प्राप्त करके जम्मू-काश्मीर गये थे। ...(व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): यह डोगरा राज के खिलाफ नहीं था, शायद यह शख्सी-राज के खिलाफ था।

श्री शरद यादव: एक बहुत बड़ी किताब है जिसमें पत्र-व्यवहार है जिसके चलते नाश हुआ है यहां, मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता हूं। भारत के साथ उनकी ममता और प्रेम का हिसाब यह है कि उन्होंने मुस्लिम कांफ्रेंस का नाम वर्ष 1938 में नेशनल कांफ्रेंस किया। स्वर्गीय जवाहर लाल जी के संपर्क और साथ का यह परिणाम था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कहां से हम शुरू हुए थे। शेख साहब का यूएनओ में जो भाषण हुआ वह अदभुत है। वह सदन की बहस के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसे समझें। विभाजन के समय मिस्टर जिन्ना काश्मीर में मुस्लिम लीग बनाने गये थे, शेख साहब की स्टेटमैनशिप ने उन्हें वापिस किया और कहा कि यहां तुम्हारी विभाजन की कारगुजारी चलने वाली नहीं है। वर्ष 1938 में शेख साहब ने यूएनओ में कहा कि " मैं जम्मू-काश्मीर के मामले में पाकिस्तान को पार्टी बनाने से इंकार करता हूं। हमने भारत के साथ काम करने का और साथ मरने का फैसला किया है। धार्मिक आधार पर राज कायम करने का कोई स्थान यहां नहीं है।" काश्मीर में आज जो हो रहा है, उसके पीछे के इतिहास पर भी हमारी नजर जानी चाहिए, उस तरफ झांकना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे कहूं कि कश्मीर आज से नहीं, उस समय उस तरफ से भी जिस समय शेख साहब जैसा स्टेट्समैन था, तब भी ऐसा ही था। बचपन में मेरा घर कांग्रेसी था। शेख साहब का देश में बहुत सम्मान था। जवाहर लाल जी और उनके बीच जो प्रेम था, उसका देश में बहुत जिक्र था। हालात यह है कि जब देश का विभाजन हुआ, तो अकेला वाहिद, वाहिद, वाहिद अकेला सूबा था। देश भर में कत्लेआम मचा। कोई दस लाख कहता, कोई बीस लाख कहता, लोग इधर या उधर काटे गए, मारे गए। जम्मू में भी थोड़ा बहुत दंगा हुआ था, लेकिन अकेले घाटी थी, जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान थे, लेकिन एक भी हिंदू और एक भी सिख को हाथ लगाने का काम नहीं हुआ। इसकी ताईद मैं नहीं कर रहा हूं, महात्मा जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा। शेख मोहम्मद अबदुल्ला-ट्रैजिक हीरो ऑफ कश्मीर, यह किताब सभी को जरूर पढ़नी चाहिए। महात्मा जी ने अपनी प्रार्थना सभा में क्या कहा है? किसी देश के किसी नेता के लिए गांधी से ज्यादा मन से और तन से कोई घायल नहीं था। किसी के बारे में महात्मा जी ने इतनी बड़ी ट्रिब्यूट नहीं दी है। 29 दिसम्बर, 1947, two months after the State joined the Indian Union, मतलब जब कश्मीर मिल गया - It must be evident to the outsider as it is to me that Kashmir must be lost invaders, otherwise called the raiders, if Sheikh Abdullah sahib's efforts to hold together the Muslims and minorities fail. My sole hope and prayer is that Kashmir becomes the beacon of light in this benighted subcontinent. महात्मा जी ने अपनी प्रार्थना सभा में वर्ष 1949 में कहा कि मेरी कोई आशा, मैं कोई रोशनी देखता हूं, तो वह रोशनी कश्मीर से आती है। मैं यह नहीं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में महात्मा जी से भी ज्यादा कोई सैक्यूलर आदमी1है। इतना बड़ा इंसान, जो हमेशा सच बोलते थे, वह कभी गलत नहीं बोल सकते थे। यह कैसे बिगड़ा? हमने उसे 20 साल तक जेल में रखा। कांग्रेस पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं, श्री जय प्रकाश जी और लाल बहादुर शास्त्री जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। हजरत बल में से कुछ चुरा लिया था, उस समय श्री जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शास्त्री जी को वहां 8-10 दिन नहीं बैठाया, शास्त्री जी उनके बाद दो नंबर पर थे, दो नंबर का मतलब सैकेण्ड-इन-रैंक थे। उनको वहां बैठाया। उन्होंने उस समस्या का समाधान ही नहीं किया, बल्कि अपनी रिपोर्ट जवाहर लाल जी को दी, मैं उसे पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, निश्चित तौर पर शेख अब्दुल्ला जी को जवाहर लाल जी और शास्त्री जी के प्रयास से उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर से मुख्यमंत्री बनाया।

1982 में जो चुनाव हुआ, वह चुनाव नहीं हुआ। ये जितने लोग हैं, सलाउद्दीन जो पाकिस्तान चला गया, वह जीता हुआ आदमी था।...(व्यवधान)

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: बात यह है कि जब मुकद्दस प्रोफैट का हेयर वापस भारत आया तो शेख साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। वहां पर बख्शी साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। बख्शी साहब को निकालकर फिर शमशुद्दीन शाह तशरीफ लाए थे। वह सिर्फ 14 दिन रहे क्योंकि वह कंट्रोल नहीं कर सके। फिर सादिक साहब प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने शेख साहब को रिलीज किया था।

श्री शरद यादव : उनको ज्यादा सही मालूम है। मेरी बात को सुधार दिया जाए। लेकिन मैं यह जानता हूं कि वहां शेख साहब के साथ वार्ता करके 20 साल के जेल के बाद रास्ता निकला था। 1982 का चुनाव हआ जिसमें आप भी थे। वह चुनाव कैसे हुआ है, यह केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। उस समय जितने लड़के कोई 1000 या कोई एक लाख कहता है, हजारों लड़के कश्मीर से पाकिस्तान चले गये और जो चुनाव में गड़बड़ी हुई, उससे उनका लोकतंत्र में विश्वास टूट गया।...(व्यवधान)

डॉ फ़ारूख़ अब्दुल्ला: वह गलत है। वहां कोई बात हुई थी, जिस पर मुझे बाद में डिसमिस कर दिया गया था। मगर यह 1987 का चुनाव था जिसमें हमारे पर यह आरोप है कि वह रिग्ड इलेक्शन था। चूंकि जो वहां हिजबुल मुजाहिद्दीन के पीओके में बैठे हुए हैं कि वे जीत रहे थे और हमने उनको हराया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मिनिस्टर हार गये। ऐसा नहीं है कि मेरे मिनिस्टर नहीं हारे हैं। मेरे मिनिस्टर जो थे, वे हार गये। लेकिन इलेक्शन में कहीं पर गड़बड़ की हो तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन के रास्ते हैं। आप उनको प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें गलती हुई है, इसको देखें। मगर बंदूक उठाने का रास्ता ठीक नहीं है। क्या हिन्दुस्तान के इतिहास में बंदूक उठाने का रास्ता है कि अगर मैं इलेक्शन हार जाऊं तो क्या मुझे बंदूक उठानी है? कोई भी व्यक्ति चुनाव में धर्म को इस्तेमाल नही कर सकता। उन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने अल्लाह के बैनर लगाये। नबी करीम सल्लाहु अलेह वसल्लम के बैनर लगाये। सब्ज़ झंडे लगाये। अगर मैंने अपना लगाना है तो मैं अपना हल लगाऊंगा। कांग्रेस अपना हाथ लगाएगी लेकिन राम का नाम नहीं लगाएगी। इन्होंने इलेक्शन लड़ा मगर राम के पोस्टर नहीं लगाये।...(व्यवधान) इसलिए वे जो कहते हैं कि इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। यह मेहरबानी इन लोगों की है जो ऊपर बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने इतनी आग लगाई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अगर मैं दिल खोलकर आपके सामने रखूंगा तो यह सदन सुन नहीं सकेगा कि ये कैसी-कैसी आग लगाते हैं और कैसी-कैसी कहानियां बनाते हैं। मुझे याद है कि 1983 में कैसे इन लोगों ने कहानियां बनाईं। लिखा कि 300 घर जला दिये, 300 लोग मार दिये। बेबुनियाद खबरें। मुझे अफसोस इसी बात का है। हमारे मीडिया को ईमानदारी से सच्चाई पर चलना चाहिए। पैसे से ये लोग क्यों कहानियां लिखते हैं जो बेबुनियाद होती हैं?...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : जो मैंने एक बात कही थी, उसका फारुख साहब ने खंडन किया है कि उस समय जो चुनाव हुआ था, वह ठीक हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। लेकिन यह भी सच है कि जे.एम.शाह को मुख्य मंत्री बनाया गया तो फिर आई.बी. ने क्या खेल किया है? आज़ाद साहब जानते होंगे कि कैसे बनाया है। वह तो कमाल आपका है।...(व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो यह समस्या है, यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं मानता हूं कि बहुत गंभीर स्थिति है।

आजादी के बाद से ही कश्मीर का सवाल है, कठिन सवाल है। इस सवाल के बारे में महात्मा जी ने कहा था कि मुझे देश में कोई सेक्यूलरिज्म की आशा, इंसानियत की रोशनी कहीं दिखती है तो कश्मीर से दिखती है, कश्मीर घाटी से दिखती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कश्मीर सिर्फ देश का हिस्सा नहीं है, कश्मीर में वादी और खूबसूरती भर ही नहीं है...(व्यवधान) कश्मीर में हिन्दुस्तान की सेक्यूलरिज्म का झंडा मजबूती से गढ़ा रहे, इसके लिए जरूरी है कि कश्मीर में जो हालात हैं, उन्हें बहाल ही न करें बल्कि सब तरह से देखें। मैं मुफ्ती साहब से इस सदन के जरिए से कहना चाहता हूं कि सरकार में मेरे साथ मंत्री थे, वे मामूली मंत्री नहीं थे, हिन्दुस्तान के पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर थे। मैं यह भी कहूंगा कि गंगा के मैदान से इस देश का हार्ट लैंड से मुजफ्फरपुर और कटियार, दो जगह से चुनाव लड़ाया गया ...(व्यवधान) उन्होंने अभी जीत कर दिखाया है। अभी जो विधान सभा चुनाव हुए हैं, वे मुख्य मंत्री भी थे।...(व्यवधान) उन्होंने आजाद साहब के साथ सरकार चलाई है। पहले आजाद साहब उनके साथ थे और अब फारुख साहब के साथ हैं। आप एक चाल चलिए। आप इधर-उधर चाल चलते हैं उसने भी कश्मीर के सवाल को बिगाड़ा है। आप कभी इधर ताकते हैं कभी उधर ताकते हैं और ताकने झांकने में आप जानते हैं कि मामला सुधरता नहीं है। कभी-कभी मोहल्ला इकट्ठा होकर ताकने झांकने वाले का विरोध करने लगता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): यह दिल्ली में आप लोगों से ही सीखा है।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आपकी बात सही हो सकती है लेकिन कश्मीर का मामला इतना नाजुक है लेकिन वहां भी ताकना झांकना होता है। सीधी बात है कि कश्मीर में आज जो हालात हैं, पहले भी खराब रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में इसका कारण कुछ वहां से भी है और कुछ यहां से भी है। दो हाथ के बगैर ताली कभी नहीं बजती है। मैं आपसे कहूं कि उस सवाल को हल करने के लिए पहले कितने लोगों का इस्तेमाल करते थे। आपकी सरकारें थी, कितने लोगों का इस्तेमाल करते थे। राजीव लोंगोवाल पैक्ट को करने में माननीय

राजीव जी ने कितने लोगों का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताऊं कि चार बार तो मैं ही उनसे मिला था। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप संक्षेप में बोलें तो अच्छा होगा। अभी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। इस तरह से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि मंत्री जी ने जवाब देना है। इसका ध्यान रखते हुए बोलें तो अच्छा होगा।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में हालात कश्मीर से भी खराब थे। वहां राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ और समझौते के बाद चुनाव का रास्ता पकड़ा गया। मैं आपसे फिर कहता हूं कि कश्मीर में उबाल आता है, जैसे इतिहास का पहिया चक्कर मारता है वहां उसी तरह से उबाल आता है।...(व्यवधान)

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): वह समझौता तो सिर ही नहीं चढ़ा था।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आप खड़े हो गए हैं, क्या आप उसके खिलाफ हैं?

डॉ. रतन सिंह अजनाला : जी, हां।

श्री शरद यादव : लेकिन रास्ता निकला। वह चुनाव से निकला, पंचायत और कार्पोरेशन के चुनाव हुए और फिर विधान सभा के चुनाव हुए। डॉक्टर साहब आपने उसमें शिरकत नहीं की। उसमें कांग्रेस और बीएसपी के लोगों ने शिरकत की थी।...(व्यवधान)

डॉ. रतन सिंह अजनाला : हमारे 25 उम्मीदवार मारे गए थे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में टोकाटाकी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : मैं 1985 का जिक्र कर रहा हूं, जब बादल साहब सेलम में बंद थे। तब मैं और चौधरी देवी लाल उनके पास गये थे कि वह चुनाव में हिस्सा लें। लेकिन वहां कारपोरेशन का चुनाव हुआ, विधान सभा का चुनाव हुआ। इसलिए फारूख साहब वहां चुनाव की प्रक्रिया बंद मत करिये। हिंदुस्तान के हिन्दू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। जैसे ही आप चुनाव करेंगे, वैसे ही समाज के अंतर्विरोध खलबल-खलबल करेंगे। आपने वहां चुनाव नहीं किये हैं। पंजाब में जो परिस्थिति वापस हुई है, वह चुनाव से हुई है। पंजाब में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। जो लोग खालिस्तान चलाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि कोई वोट डालने नहीं जायेगा। लेकिन वहां जो रामदसिया था, उन्होंने कहा कि तुम्हारी चौधराहट नहीं चलेगी। हम जरूर जायेंगे। इसलिए कश्मीर के सवाल पर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको हम सब लोगों का पूरा सहयोग है। बहुत लोग हमारी जान-पहचान के हैं, फारूख साहब से भी जान-पहचान है। लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। यह फंसे रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर के सवाल पर हम इतिहास में नहीं जाना चाहते थे। आज मैंने केवल इतना ही बताया कि कश्मीर कहां खड़ा था, जहां हिंदुस्तान नहीं खड़ा था। जहां एक इंसान, एक आदमी ने उंगली नहीं उठाई, धक्का नहीं लगाया। जिस कश्मीर में लोग पहले कपड़े से लड़ते थे, हाथ नहीं उठाते थे, वह कश्मीर आज फिर से उबाल पर है। वहां फिर से खदबद है। मैं भारत सरकार की गलतियां नहीं निकाल सकता। आप पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ा इधर-उधर के प्रयास को भी देखने का काम करिये। पं. जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने जयप्रकाश जी का इस्तेमाल किया। मुफ्ती साहब यहां रहे हैं, हम लोगों के साथ उनका बहुत अंतरंग संबंध है। हमारे गठबंधन में कई बार फारूख साहब रहे हैं। वहां जो लोग अतिवाद की बात कर रहे हैं, उनमें दो गुट हैं। उन सबसे भी हम लोगों का रिश्ता है, बहुत से लोगों का रिश्ता है।

मैं अंत में कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहूंगा कि आप प्रयास कर रहे हैं, उस पर मेरा कोई ऐतराज नहीं है, वह ठीक है। लेकिन आपके प्रयास में और दूसरे लोग, जिनका सरकार का, राज का और अर्थ का कोई स्वार्थ नहीं है, आप ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल कीजिए, जो आपके पुरखों ने किया है। तब इस समस्या को हम चारों तरफ से घेरकर नहीं, प्यार से, मौहब्बत से हल करेंगे। मैं आपसे कहूं कि वहां का कोई इंसान, कोई नौजवान गोली से हलाक होता है, कोई जवान हलाक होता है तो बहुत दुख होता है। वे इस धरती, भारत मां के दोनों तरफ से बेटे हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, पत्थर और ईंट चला रहे हैं। इधर से गोलियां चल रही हैं, चाहे वे रबड़ की हों, चाहें असली हों, बात ठीक नहीं हैं, कश्मीर हमारी रूहों में हैं। जब

मैं इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ता था तो मेरे साथ बहुत से कश्मीरी नौजवान पढ़ते थे। मैं आपसे कहूंगा कि वहां की तहजीब, वहां का खाना भी इतना लजीज है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता।

इसलिए अंत में मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि यह बात आपके शरीर की सीमाओं के बाहर है, हाथ-पैर मारिये। मेरा विश्वास है कि वहां शांति बहाल होगी। वहां शांति एक बार नहीं, पहले भी कई बार बहाल हुई है, फिर से वहां शांति बहाल होगी। लेकिन जरूरत है कि आपकी सरकार वहां पूरी स्टेट्समैनशिप कैसे दिखाती है, आप कैसे रास्ता निकालते हैं और उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। आप आधी रात को भी कश्मीर के बारे में हम लोगों का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग पूरी तरह से आपकी सर्विस में हैं, आपकी सेवा में हैं। आप जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कश्मीर हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है कि जिसके रहने के सिवा हमारा इकबाल नहीं बढ़ता, हमारी हैसियत नहीं बढ़ती, हमारा सेक्युलरिज्म का झंडा ऊपर नहीं होता। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

14.30 hrs.

MOTION RE : TWENTY-FIRST REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, I beg to move:

> "That this House do agree with the Twenty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 26^{th} August, 2010."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Twenty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 26^{th} August, 2010."

The motion was adopted.

14.31 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193
Situation in Jammu and Kashmir – Contd.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में सुबह से हो रही चर्चा को मैं बड़े ही ध्यान से सुन रहा हूं। माननीय श्री शरद यादव जी ने अपनी बात रखी लेकिन मैं इस गम्भीर मामले की इतनी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, जिस तरीके से चर्चा का शुभारम्भ हुआ और जिस तरीके से दोनों तरफ से टोका-टाकी का माहौल बना, उससे इस समस्या के समाधान के लिये हाऊस की ओर जो लोग ले जाना चाहते थे, निश्चित रूप से उसे धक्का लगा होगा। आज देश की सर्वोच्च संस्था में कश्मीर की समस्या के समाधान के लिये चर्चा करने का अवसर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुनिया ही नहीं बल्कि अपने देश और खासकर कश्मीर में बैठे हुये जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलायें हैं, माता-बहनें हैं, वे इसका एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। वे सोच रहे होंगे कि इस देश की सर्वोच्च संस्था संसद इस समस्या के प्रति कितनी गम्भीर है और कैसे इस समस्या का समाधान करना चाहती है? बार-बार यह सवाल उठा है और कहा गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे और जब भारत का नक्शा बनाया जाता था तो सब से पहले नक्शे की शुरुआत हम लोग कश्मीर से करते थे, वहीं से शुरुआत होती थी, नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से होती थी। हम साफ कहना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। हमारी पार्टी का मानना है कि इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिये। जिस तरह से निरंतर यह समस्या चली आ रही है, उसका क्या कारण है? बिना कारण के इस समस्या का समाधान कोई नहीं ढूंढ सकता है। अगर वहां की जनता का असहयोगात्मक रवैया है तो इसका क्या कारण है? अगर सरकार इस मसले पर गम्भीर है तो उसे गम्भीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं है बल्कि जिस प्रदेश के लोगों की पीड़ा के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं,

उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिना किसी आरोप के इस सदन को एकमत होकर इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से बराबर प्रयास हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं सर्वदलीय, सारे दलों के लोग मिलकर इस पर चर्चा करें। मैं समझता हूं कि शायद सरकार के अकेले वाहावाही लूटने के चक्कर में इस समस्या का समाधान न हो पाये। सब लोग जिम्मेदारी महसूस करते हैं, कश्मीर के लोगों को लेकर सबके मन में पीड़ा है...(व्यवधान) तो मैं समझता हूं कि सर्वदलीय नेताओं को बैठकर चर्चा करने की जरूरत है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। उन्हें बोलने दें।

…(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : हम लोग चर्चा करते हैं कि वहां के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है। यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उनके साथ दिल से, दिमाग से जब तक नहीं जुड़ेंगे निश्चित रूप से तब तक वे देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पायेंगे। यह मेरा विचार है।

महोदय, एक बार मैं सेंट्रल हॉल में था, वहां से एक पत्रकार ने फोन किया और वहां की पीड़ा की चर्चा की। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अगर हाउस के लोग उस बात को सुनते तो वे सारे भेद-भाव को भुलाकर एक-साथ बैठकर कश्मीर की समस्या पर मुतमइन होकर, एकाग्रचित होकर समस्या के समाधान का प्रयास करते। केवल वहां के विकास का सवाल नहीं है, विकास तो देश की सरकार बराबर करती आ रही है। हमने कक्षा छह या सात में पढ़ा है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। उसे देखने के लिए, वहां जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। मुझे भी कमेटी के टूर पर वहां जाने का एक-आध बार मौका मिला है। केवल वहां के विकास का सवाल नहीं है, वहां तो प्राकृतिक रूप से ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। हमें वहां कुछ अलग से करने की जरूरत है। आज वहां पर बेरोजगारी है और बेरोजगारी के चलते लोगों के अंदर विद्रोह की भावना है। जो लोग परेशान हैं, हम उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? हम एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। केवल पार्लियामेंट में चर्चा कर देने मात्र से ही नहीं, उनके मान-सम्मान, इज्जत के साथ उन्हें रोजी-रोटी के साथ जोड़ने की जरूरत है। आज नक्सलवाद की जो समस्या पूरे देश में है, उसके पनपने का कारण किसी से छिपा नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमें भी उनकी पीड़ा में साथ रहकर उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरे सदन को एकमत से एक बिन्दु पर, एक लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए। तब जाकर हम उस समस्या के समाधान के बारे में सोच सकते हैं। आज लोग कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है। केवल उनके यहां रात बिताने से नहीं, बल्कि उनकी घाटी में भी जाकर रहना चाहिए। मैं यह आरोप किसी पार्टी पर नहीं लगा रहा हूं। यह सारे दलों, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उनके साथ कंधा से कंधा से मिलाकर रहें और सरकार की जिम्मेदारी है कि केवल उनके विकास के लिए पैकेज देने मात्र से ही काम चलने वाला नहीं है। हमें उनकी बेरोजगारी के मसले के स्थायी समाधान के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है। जब तक हम उन बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी का स्थायी हल नहीं निकाल पायेंगे तो निश्चित रूप से हमें उस मुकाम तक पहुंचने में मुश्किल होगी। मैं समझता हूं कि यह मेरा अपनी पार्टी की तरफ से सुझाव है।

मेरा अपनी पार्टी की तरफ से सुझाव है कि हमें आपस में भाईचारा पैदा करके वहाँ की बुनियादी समस्या को दूर करने के लिए विकास करना चाहिए, चूँकि विकास बहुत ज़रूरी है। दुनिया के नक्शे में काश्मीर का जो मान-सम्मान है, वहाँ के नौजवान हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, वहाँ की बेरोज़गारी के लिए केन्द्र सरकार को स्थायी रूप से हल निकालने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग(अनंतनाग): ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो इश्यू इस फोरम के सामने है, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, उसमें मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉनफ्रैन्स की तरफ से अपना केस रखूँगा। जैसे सुषमा जी ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि पूरा सदन और पूरा ऐवान सुनेगा और हम क्या चाहते हैं और कश्मीर में क्या दुख और तकलीफ़ है, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे।

जब डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी ने यह कहकर कि जम्मू-कश्मीर को अगर हम ऑटोनॉमी देंगे तो मैं इस बारे में आपको बता दूँ कि जम्मू-कश्मीर का मसला पोलिटिकल इश्यू है और इसको पोलिटिकली एड्रैस किया जाना चाहिए। यह सही बात है कि इंप्लायमैंट भी एक बड़ा इश्यू है और वहाँ स्टेट गवर्नमैंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अनइंप्लायमैंट को दूर करने का। मगर बेसिकली यह एक पोलिटिकल इश्यू है जिसको पोलिटिकली एड्रैस करना है। जब हम इसको नॉर्थ ईस्ट से, पंजाब से और बाकी स्टेट्स से कंपेयर करते हैं तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, फिर आप कश्मीर के हिस्टॉरिकल पर्सपैक्टिव को या तो समझते नहीं या इंटैन्शनली उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अभी शरद यादव जी कह रहे थे, वे कश्मीर के सबसे टॉलैस्ट और अनडिस्प्यूटेड लीडर शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे थे। शायद डॉ. मुरली मनोहर जोसी जी भूल जाते हैं जब वे बात करते हैं, यह पीजेपी नहीं थी, यह कोई पार्टी नहीं थी, यह हमारी पार्टी थी नेशनल कान्फ्रैन्स जिसका लीडर मोहम्मद शेख अब्दुल्ला था। जब पूरे बरसगीर में, पूरे सबकॉन्टिनैन्ट में लोग मज़हब के नाम पर सोचते थे, मज़हब के नाम पर फैसले करते थे, मगर जैसे शरद यादव जी ने कहा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के बनाने वाले को जिसको कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, उसको भगा दिया और हिन्दुस्तान की सैक्यूलर डैमोक्रेसी के साथ इस देश के साथ हाथ मिलाया।

मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप कश्मीर को कंपेयर करते हैं बाकी रियासतों के साथ, जब जम्मू-कश्मीर का इलहाक़ हुआ, जम्मू-कश्मीर का एक्सैशन हुआ, जब जम्मू-कश्मीर यूनियन का हिस्सा बना तो उसके लिए बाज़ाफ़्ता नैगोसियेशन हुई गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के साथ, बाज़ाफ्ता बातचीत हुई, फ्यूचर में जम्मू कश्मीर की क्या रिलेशनशिप होगी बाकी देश के साथ, इसका बाज़ाफ्ता एक डॉक्यूमैंट बना। जब यह एक्सैशन हुआ तो फुली ऑटोनॉमस जम्मू कश्मीर का एक्सैशन हुआ बाकी देश के साथ। इस संसद में बैठा कोई ऑनरेबल मैम्बर बताए कि और भी कोई रियासत है जहाँ इन बुनियादों पर एक्सैशन हुआ है? डैफिनेटली और कोई रियासत नहीं है जिसका एक्सैशन इस तरीके से हुआ है।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सिक्किम है।

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: मेहरबानी करके आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे बता दीजिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असैम्बली जिसमें जम्मू के रिप्रेजैन्टेटिव्स थे, जिसमें कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रजैन्टेटिव्स थे, सैपरेटिस्ट्स नहीं थे, कोई सैसेशनिस्ट्स नहीं थे, जम्मू-कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रजैन्टेटिव्स थे - जम्मू से थे, कश्मीर से थे, लद्दाख से थे, उन्होंने यूनैनिमस रिसॉल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर को ऑटोनामी देनी नहीं है, ऑटोनामी रिस्टोर करनी है। आज कश्मीरी मुझसे पूछता है, आज कश्मीरी मुझसे सवाल करता है। आप लोग यहाँ बातें करते हैं मगर मुझे कश्मीर जाना है, मुझे उन्होंने वोट दिये हैं, मुझे अपने घर जाना है।

आज वह मुझे पूछते हैं कि आपने हिन्दुस्तान के साथ इलहाक किया तो जिन शर्तों पर किया था, फुल्ली एटोनामस कश्मीर ने इलहाक किया था, आज वह एटोनॉमी कहां है। जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे कश्मीर का रहने वाला पूछता है, मेरे भाइयो आप सुन लीजिए, वह कहते हैं कि जिस जम्मू-कश्मीर लैजेस्लैटिव असैम्बली की आप बात करते हैं, उस जम्मू-कश्मीर लैजेस्लैटिव असैम्बली के रैज्योलूशन को भारत सरकार ने कैसे दस दिन में फेंक दिया। मुझे इन बातों का सामना करना पड़ता है। मुझे इन बातों का जवाब देना पड़ता है। कश्मीर रियासत जो कि मुस्लिम मैजोरिटी राज्य है, उसने आंखें खोलकर यह फैसला किया था कि वह गांधी, नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के हिन्दुस्तान के साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। जब तक आप इस राजनीतिक मसले का हल, राजनीतिक रूप से नहीं करोगे, मुझे एक माननीय सदस्य बताए कि यदि आपकी असैम्बली की करारदाद को इस तरह से रिजैक्ट किया जाए तो आप कैसा फील करेंगे? मुझे जम्मू-कश्मीर में जवाब देना है। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने अपने साथियों की तकरीरें सुनीं, बड़ी खुशी हुई, लेकिन वहां से यह बात आयी कि इनको जूते दो, यह सैपरैटिस्ट हैं। मैं कहता हूं, हम कहां जाएं? शायद इसी के लिए एक शायर ने कहा था- न खुदा ही मिला, न वसाले सनम। न यहां का रहा, न वहां का रहा। आप मुझे पाकिस्तानी समझते हैं और वहां मेरी कब्र महफूज नहीं है। वहां सब मुझे हिन्दुस्तानी समझते हैं। मैं जाऊं तो किधर जाऊं, आप मेरा फैसला कर लीजिए। आप इसका मुकाबला अन्य रियासतों के साथ मत कीजिए। भारत सरकार नागा रिबैल से बात करती है। भारत सरकार देश में ही नहीं, देश से बाहर डिग्निटी से उनसे बातचीत करती है और जब उनको एटोनॉमी दी जाती है, जैसा कि प्रिंट मीडिया में आया, उन्होंने एटोनॉमी रिजैक्ट की, फिर भी उनसे बातचीत होती है। क्या वजह है? मुझे वापस कश्मीर जाना है। क्या वजह है, जब कश्मीर में यह बात होती है तो उनसे भी इज्जत और अख्सार बुलंद करके बातचीत नहीं की जाती है। जब तक यह नहीं होगा, हम लाख यहां तकरीरें करें, बातें करें, कश्मीर का मसला सियासी तौर पर जब तक हल नहीं होगा, जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी की

कमिटमेंट और कनविक्शन की बात है, जिन बुनियादों पर हम इस देश का हिस्सा बने हैं, उन बुनियादों को वापस लौटाना होगा, तब तक बहुत मुश्किल है। मेरी पार्टी कमिटमेंट और कनविक्शन से खड़ी है, लेकिन आप वहां मुझे सहूलियत देना चाहते हैं, आराम देना चाहते हैं, अगर मेरी बात, मेरी फिलोसफी, मेरी कमिटमेंट और सर-बुलंद करके बात करना चाहते हैं, तो आपको यह एड्रेस करना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है।

महोदय, किस रियासत में यह होता है? जम्मू-कश्मीर रियासत में सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सिज हैं। वाटर रिर्सोसिज़ पर यदि हमारा सेल्फ कंट्रोल होता तो जम्मू-कश्मीर के लोग न सिर्फ सेल्फ सफिशयंट होते, इसके अलावा हम देश की बाकी रियासतों को भी दे सकते थे, लेकिन इंडस वॉटर ट्रीटी के तहत हमारा अपना पानी पर कंट्रोल नहीं है और वह सारा पानी पाकिस्तान को जाता है, जिसको आप हमारा हमदर्द समझते हैं और वह हमदर्द चुपचाप हमारा पानी इस्तेमाल करता है। इस वक्त क्या है? इस वक्त पूरा जम्मू-कश्मीर अंधेर नगरी बनी हुई है, रोशनी की एक किरण नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि उस इंटरनैशनल ट्रीटी को स्क्रैप करें, लेकिन उस इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत जम्मू-कश्मीर का जो नुकसान हुआ, क्या यह भारत सरकार का फर्ज नहीं है कि हैवी कम्पनसेशन जम्मू-कश्मीर रियासत को दी जाए, क्योंकि अपना पानी होने के बावजूद उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। पंजाब का पानी भारत सरकार ने अपने पास रखा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर का सारा पानी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत था, उसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया। यदि हम कम्पनसैशन चाहते हैं तो यह क्या सैपरैटिस्ट की बात हुई। हम कुछ नहीं चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम कश्मीर की एलीनेशन को दूर करेंगे। आप देख लीजिए, इसका कितना अच्छा इम्प्रैशन वहां रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, उसको एड्रैस करेंगे, देख लीजिए, उसका कितना अच्छा इम्प्रैशन है। उन्होंने कहा कि हम एटोनॉमी पर बात करेंगे यदि यह संविधान के तहत आया। हम बात करेंगे, यदि कन्सैंशस हुआ।

इस पर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, कश्मीरी और रेस्ट ऑफ द कंट्री बढ़ता जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल गेंबिट ऑफ द कांस्टीट्यूशन में है। प्राइम मिनिस्टर इस बात से इग्नौर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इंडियन कांस्टीट्यूशन में ऑटोनोमी है, एक लफ्ज़ भी आटोनोमी का इंडियन कांस्टीट्यूशन से बाहर नहीं है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारी कमेटियां बनीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कमेटियां बनाईं, जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस ने वे कमेटियां नहीं बनाईं। प्राइम

मिनिस्टर, डॉ. मनमोहन सिंह जी ने कमेटियां बनाईं, उन्होंने रिकोमेंडेशंस दी, लेकिन आज तक उन रिकोमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमसे कश्मीरी पूछ रहा है, वे कहते हैं कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमेटियां बनाईं, उन्होंने रिकोमेंडेशंस दीं तो वे रिकोमेंडेशंस इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही हैं। इससे जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वह बढ़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें इनके नोटिस में लाना चाहता हूं। एक कमेटी ने कहा कि 390 मेगावाट ड्यूलहस्ती हाइडल पावर प्रोजैक्ट एनएचपीसी से स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाए। ये कौन सी खतरनाक बात है? इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इससे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जाता है। अगर ये कमेटी बनी, उसने कहा कि इसे वापस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो और यह ट्रांसफर नहीं होता है, हम कहते हैं कि इसे ट्रांसफर करो, ये आपकी कमेटी की रिकोमेंडेशंस हैं, ये कैसे सेपरेट इश्यु है? मैं आपसे ये इकोनोमिक फ्रंट पर कह रहा हूं। राजारंगन कमेटी फिर से बनी, तीन बार ऑलरेडी इस कमेटी ने जो रिकोमेंडेशंस दी, जो टास्क फोर्स बना कि उन्हें इम्प्लीमेंट करो, आज तक वे रिकोमेंडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हुईं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये सिचुएशन हो, इस तरह से कश्मीर हैंडल हो तो मुझे माफ कीजिए, हम यहां पर कितने भी डिसकशन, डिबेट करें, मेरे एक साथी ने कहा कि वहां पर जो यूथ है, उन्हें पैसे देकर पेल्टिंग की जाती है, ये दुनिया के किस कोने में होता है। एक मां के लिए अपना बेटा ही सब कुछ होता है। अगर हम इस तरह से इन चीजों को दफन करें, इन पर बात न करें, इन्हें इग्नौर करें तो फिर दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को इधर नहीं रख सकती है। कोई मां अपने बेटे के हाथ में पत्थर नहीं देती है, यह एक पोलिटीकल इश्यु है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: इसे पोलिटीकली एड्रेस करना पड़ेगा और जब तक यह एड्रेस नहीं होगा, बदकिस्मती से एलिनेशन बढ़ती जाएगी, दूर नहीं होगी।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would thank you very much for giving me this opportunity to speak on the situation in Jammu and Kashmir.

Sir, we discuss a very serious issue as well as a very sensitive issue. We discuss this issue after 63 years of our Independence. At the very outset, I pay my hearty condolence to the victims who lost their lives in the Valley and also condemn the atrocities. After 1947, there were various ups and downs in the political situation of Jammu and Kashmir. The most serious situation that we witnessed was in 1963-64. The agitation went on for about one month even in the chilling cold and people were fully in the midst of the road. There was a huge agitation. The situation prevailing now in Jammu and Kashmir is more serious. So, we have to take this issue in such a way that we find a way out to it.

Today, we have the privilege to discuss this issue in this House. There are two eminent ex-Chief Ministers of Jammu and Kashmir who are sitting near our Home Minister. Of course, their experience may be sought to solve this issue.

The situation has worsened for the last two to three months. About 60 persons have lost their lives. I think it started on 11th June. The 17 year-old Tufail Mattoo was fatally hit by the teargas shell. In the first week of August, 49 civilians had died. Today, we see the report in the newspapers that two more persons died just because of police torture and other issues. We have never seen such a fierce political uncertainty in the Valley. Thousands of protesters come on the street and they are also forcing the police and the CRPF to retreat.

They set on fire Police Stations, other Government buildings and shops. We have never seen this kind of serious situation. The Government has to bear in mind that the new generation is slowly getting alienated from the mainstream. Why is it so? In the report made by the Home Minister, it is stated that there is stone pelting from the side of the young children and also that this stone pelting should not be met by bullets. Of course, it is true that tear gas and lathicharge were used. But at the same time, the Home Minister's statement itself says that there were about 890

stone pelting incidents in the Valley in the last four months. Why is the young generation getting alienated from the mainstream? This has to be looked into very seriously. This is not merely a law and order situation which we are seeing in Jammu and Kashmir. The Government should bear in mind that the new generation has lost faith in the State Administration. This is one of the main reasons for the recent violence and the Government has to seriously look into it.

There were elections to the State Assembly in Jammu and Kashmir about 1 ½ years ago. Then, there were Lok Sabha elections in May, 2009. At that time, a good number of people have gone to the polling booths and the outcome was very good. This is a good message that the Government has to take into consideration. Both the State Government and the Central Government have failed to utilise this message of the people of the Kashmir Valley to strengthen the democratic forces there. That is the main issue which we have to analyse now. A large number of people have gone to the polling booths to cast their votes and they have elected their Government. Even then, after 1 ½ years, thousands of people are going to the streets, shouting slogans and pelting stones at the CRPF personnel and the State Police force. I do not blame any Government for this. But at the same time, the Government of Jammu and Kashmir and the Government of India have to use these sentiments of the people of Jammu and Kashmir because they are ready to have an elected Government. On this ground, there is a failure on the part of the Government of Jammu and Kashmir and also the Central Government.

Sir, when there was a Round Table Conference about two years ago, our Prime Minister participated in that and all political parties had also participated in that Round Table Conference. It was a good beginning. The Prime Minister has given an assurance that a 'Zero Tolerance' policy would be followed against violations of human rights in the Kashmir Valley. It was accepted by all. I do not know whether I am right or wrong, but no action has been taken on that front even when there were violations of human rights in the Kashmir Valley.

Now, when the situation in Jammu and Kashmir worsened, there was an All Party Meeting, but some political parties have not participated in that meeting. Even then it is a step taken in the right direction. But at the same time, cases of violations of human rights have to be taken very seriously. There was a good beginning made at the time of the last election as far as the Government is concerned. But after two or three months, I think, the situation has changed because some unfortunate incidents have taken place as stated by Comrade Gurudas Dasgupta. Two youngsters have died and some allegations have been made. It is true that it is not possible to change the situation only by imposing curfew and also with the help of the police forces. So, the need of the hour is to start a dialogue with all the sections of the State of Jammu and Kashmir, irrespective of whether they have representations in the State Assembly or not. We have to gain the confidence of the people in the Kashmir Valley. That is the major issue to be considered by the Government of Jammu and Kashmir and also the Central Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): The Government has to think whether we have to give more powers to the State of Jammu and Kashmir and also see whether there are other issues which have to be taken into consideration. This should be part of the political process.

15.00 hrs.

The Government should realise the facts that the huge alienation especially from the young generation is seen. So what we need is to evolve a credible mechanism of dialogue with all sections.

Maintenance of law and order situation in the Valley is important especially when there are secessionist forces and intervention of Pakistan in some issues is also there. So, the Government has to take steps, I do not disagree with that. But at the same time, the most important thing is to gain the confidence of the people.

So, the Government has to take administrative as well as political steps. With these two steps, I think, we can go forward.

Just blaming the Central Government will not help. The Government has taken a number of steps, a huge amount has already been sent to the State of Jammu & Kashmir. At the same time, the local administration has failed to utilise that amount. I do not know whether I am correct or not, but it is true that we do not know whether this amount has really reached the hands of the people. So, these issues are really exploited by others. So, we have to take some good initiatives.

I do say that this august House should give a strong message to the people of the Valley that we are with them. They should come with democratic process. They should come with the mainstream of the Indian nation. That is the only way. They should give up violence. The youth and other people should join with them. Then only we can take this issue in a more positive manner.

Sir, with these words, I would like to give one more suggestion that whatever we can do, we have to make it possible; and whether it is possible or not, but an all-Party delegation of the Parliament should go to the Valley. That also would get a channel to have interaction with the people that they can understand that this Parliament is the utmost place where we can discuss all those issues. So, such steps can be taken.

With these words, I conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, thank you for giving me this opportunity. We are all non-Kashmiris, but yet everybody is concerned about the country and therefore, we are all willing and very keen on finding out what is wrong with this nation.

Sir, I have noticed one thing that whenever there is a Congress-NC Alliance, whether it was in 1987 when the former Chief Minister said that the media had alleged that the elections were rigged; immediately two years later, in 1989, the trouble arose and there was so much problem that everybody thought that Kashmir would break-away from the Union.

15.03 hrs **(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)**

Similarly, in 2008, after the fresh elections, today we sit here in this House in August 2010, exactly two years later, again we are faced with the same problem. So, whether it is NC-Congress Alliance that is the creating the problem or not, it has to be delved into and looked into very deeply.

Sir, it is not the question of politics, we all have to look into history and learn from history and not dwell and keep repeating history or what happened in which year in this House and not come up with some tangible solution. Just talking, each Party getting some time and you shutting us up is not the solution to find what has to be done to this country.

Let us first deal with what is our problem at the Centre. Is it really insincerity? Is it really carelessness? Do we bother about Kashmir? Are we just talking something out of our heads? I will give two small examples. After the UPA-II came to power at the Centre, again with the NC Alliance here, although NC is a very small party, what has happened? Let us take the example of Faisal Haq. I am sorry nobody has mentioned this till now.

Faisal Haq and the hon. Home Minister had secret dialogues. The poor man was killed in December 2009.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): He was not killed. He is alive. Do not say, he is killed. He is alive.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): He survived; all right. Insha'Allah, the Lord blessed him.… (*Interruptions*) There was a killer attempt, a fatal attempt on his life but Allah, the merciful, protected him, and he survived. But, have we ever tried to find out that how did this secret dialogue between the Home Minister and Haq come to light? Is it not the Central intelligence agencies which leaked the information that we endangered his life?

DR. FAROOQ ABDULLAH: Nothing remains secret; these people know everything.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : That is one way of looking at it; a former Chief Minister talking so carelessly is surprising. But let us also take what happened in June 2009 immediately after the UPA came to power. I am not politicizing the issue. It has nothing to do with the UPA or with any individual. It is the process which our hon. colleague from the NC spoke earlier. I could feel the pain in his heart.

In June 2009, the Home Minister said that the Armed Forces (Special Powers) Act will be reviewed, and, maybe, in Kashmir, it shall be revoked. But let us find out what has happened today. I am not questioning the Home Minister. This is not a question-answer session. But we all know – we read the papers – the same newspapers and the same TV channels that we wish to decry, that the former Chief Minister says concoct stories, is the same media that has upheld the dignity of democracy in this country. It is not us, the politicians, not the judiciary, not the bureaucracy; it is the media. But what happened after June 2009? Today we are in the end of August 2010. Has the AFSPA been revoked in Jammu and Kashmir? Have our utterances, the Central Government's utterances been honest? Have we really cared for Kashmir? Are we bothered about it? No, we are not. Let us face the facts. If you are a group of administrators, I am not saying anything about UPA or NDA, all of them are of the same view. We saw that yesterday. We saw how the voting took place. We saw how the House was full to pass the Civil Liability for Nuclear Damage Bill because Washington is looking at Lok Sabha

live television. But, today, Kashmir, which is such an integral part of India, nobody is bothered to be present here on both sides. I am not naming any one side. It shows the concern.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please come to the point.

… (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I am happy that you gentlemen are here. Please keep up this good habit. We recommend it. You please keep up this good habit and be here. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Satpathy, address the Chair. Come to the point because your time is very short.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am sorry; I apologise.

Sir, it is not Kashmir Valley alone. I had gone to Meghalaya last weekend. I was there and I had an opportunity to talk to some young people from Manipur and Nagaland. You will be surprised to hear how they refer to India. They refer to India as a foreign country. They refer to us: “You have come from India. What is happening in India?” This is their tenor. It is not Kashmiris alone. It is happening all around us. Why is this happening? It is happening because we, the people sitting here, do not care for this country. There is no love today. We have fought for Independence. We have brought back that sublime, that subservient attitude back into our lives, and we are responsible for it. We have all become yes men; we have all become followers; we are incapable of thinking what should be done to this country.

Sir, the hon. Member of Parliament from Kashmir mentioned about the Special Agreement that Kashmir had. I would like to mention in this House it is not Kashmir alone. If Kashmir had Article 370, Sikkim had Article 371, and Goa also, which joined this Union after Independence, had Special Agreements with the Government of India.

Sir, let us also understand whether it is my State or your State or anybody else’s State, all of us today feel that we have been neglected by successive

Governments at the Centre for no fault of ours. It is not Kashmir alone. Jammu and Kashmir passed a Resolution and the Centre ignored it. So did the Centre ignore Bihar when Bihar was split into two States and when Bihar wanted Rs.5,000 crore, it was not given to Bihar. So also is the case with Orissa. When the Chief Minister of Orissa and the people of Orissa said: "We have minerals. It is given by God to us and we have the right to develop and work shoulder to shoulder with self respect with other States", we were denied under the pretext of environmental damage. So, people who have done a course in EDAT – Environmental Damage Aptitude Test – today have the right to sit here and decide that Polavaram project can come in Andhra Pradesh because it is ruled by the Congress Party but in Orissa, since it is ruled by the non-Congress Party the Chief Minister of Orissa and the people of Orissa will be deprived of development. This is something which should make all of us ashamed of what we are doing here today.

Sir, I would like to say that a time has come to raise this issue beyond politicization. Sir, whether it is Tamil Nadu, Puducherry, Jammu and Kashmir, Goa, Manipur, Nagaland and Orissa, all of us are one. We are one country.

When the Prime Minister and the Leader of the House could stand here and beg this House to pass the Nuclear Civil Liability Bill, I would have been happy if those same gentlemen were begging this House today that let us find a solution for Kashmir; let us find a solution for the North-East; let us not politicize the issue; let us not talk about 1987's rigging; let us not blame the media; let us love India. But it is not possible today because we need Indians in India today, not foreigners.

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में जो चर्चा हो रही है, उस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी ने 4 अगस्त को जो वक्तव्य दिया था, उस संबंध में यह चर्चा चल रही है। उनके कई वक्तव्य आये हैं, जिनके संबंध में मैं अंत में बताऊंगा। जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तानी संस्कृति का बहुत पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। वह हिन्दुस्तान का अविभाज्य अंग है। अभी हमारे कई सांसदों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को पहले स्वर्ग कहा जाता था। आज जो परिस्थिति है, उसे देखते हुए मैं कहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में माननीय अब्दुल्ला जी के चिरंजीव उमर अब्दुल्ला जी थे। उसी समय से कश्मीर में डेवलपमैंट्स चालू हो गये। आज तक जम्मू-कश्मीर के डेवलपमैंट के लिए 94 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये। वहां रेल जा रही है। वहां सब डेवलपमैंट्स इसलिए हो रहा है क्योंकि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का ही एक भाग है। लेकिन कुछ अलगाववादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी लोग कश्मीर के लोगों को जानबूझकर भड़का रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम हिन्दुस्तान में नहीं पाकिस्तान में जाना चाहते हैं।

बचपन में जब हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग कॉलेज में भाषण देते थे, मार्च निकालते थे : कश्मीर है हिन्दुस्तान का, नहीं किसी के...। मैं यह शब्द बोल नहीं सकता हूं क्योंकि यह ठीक नहीं है। कश्मीर हिन्दुस्तान का ही है, तभी से हम लोग देखते हैं कि कश्मीर के लिए लड़ाई चल रही है। इतनी सरकारें आईं, उनमें कांग्रेस की ही सरकार ज्यादा समय तक रही। कश्मीर की कई सांसदों ने जो भावना व्यक्त की, में कई बातों में आपके साथ हूं कि वहां की तरक्की नहीं की गयी, वहां कुछ देखा नहीं गया, वहां के रोजगार उसी तरह से हैं। मैं साल में दो बार जम्मू-कश्मीर जाता हूं- एक बाबा अमरनाथ जी का दर्शन करने और दूसरी बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए और कभी हमारी पार्लियामेंटरी कमेटी जाती है, तो उसमें जाता हूं। हम लोग वहां जाते हैं तो वहां के लोगों से मिलते हैं। जब अमरनाथ जी की यात्रा में जाते हैं, तो वहां घोड़े वाले सारे मुस्लिम होते हैं, सैकड़ों लोग उसमें लगे होते हैं। दुकान वाले भी मुस्लिम होते हैं, श्रीनगर में भी बहुत लोग मुस्लिम व्यापारी हैं, आज वे लोग खाली बैठे हैं। उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, वे रो रहे हैं कि एक जमाना था जब बहुत अच्छा धंधा चलता था, यह एक पर्यटन क्षेत्र था। सभी लोगों को मालूम होगा कि पहले कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग होती थी, कश्मीर की कली, हिमालय की गोद में आदि फिल्में आईं। ...(व्यवधान) हम लोग देखते थे कि कश्मीर कितना सुंदर है। आज अगर देखें तो कश्मीर कुछ नहीं रहा और वहां के बहुत से कश्मीरी लोग हिन्दुस्तान के साथ हैं, ऐसा

मैंने खुद देखा है, भले ही वे मुस्लिम समुदाय के हों, सिख समुदाय के हों, हिन्दू हों या कोई भी हों। लेकिन उनको भड़काया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप ऐसा करो, उन पर प्रेशर डाल रहे हैं।

यह बात भी सही है कि वहां पर राजनीति भी हो रही है। ...(व्यवधान) यह राजनीति के बाद वहां के लोगों के साथ जो हो रहा है, वह ठीक नहीं है। आज कितने लोगों को मारा गया। कश्मीरी पंडित, जो वहां के मूल निवासी थे, उनको वहां से भगाया गया। कई तो हमारे महाराष्ट्र में आए, शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने उनके बच्चों के लिए और उनके लिए बहुत मदद की। आज वे लोग इसे मानते हैं। दिल्ली में भी माननीय आडवाणी जी, माननीय अटली जी ने उनकी मदद की। ...(व्यवधान) आज वे लोग वहां नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहां के लोगों द्वारा उनको भगाया गया। कश्मीर की परिस्थिति 20 साल से खराब हो गयी है।...(व्यवधान) अब्दुल्ला साहब, आठ-नौ साल पहले मैंने एक पेपर देखा था, नवभारत टाइम्स में कुछ आंकड़े दिए गए थे। आपने आंकड़ों के बारे में कहा है कि मीडिया वाले इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं। उन आंकड़ों में बताया गया था कि ये आतंकवादी किसी के नहीं होते हैं। उन लोगों ने 31000 लोगों को मारा था, जिनमें से 11000 लोग मुस्लिम थे। अपने यहां के मुस्लिम समुदाय को मैं बोलता हूं कि आतंकवाद कितना गंभीर होता जा रहा है और आतंकवादी किसी के होते नहीं हैं। ...(व्यवधान) महोदय, मुझे बोलने के लिए कुछ और समय दीजिए।...(व्यवधान) मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार से वहां के लोग आज भी त्रस्त हैं, उनके लिए हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ बातचीत करते हैं। गृहमंत्री जी ने इनको बुलाया, उनको बुलाया, चर्चा की, लेकिन अटल जी के समय में जो शांति स्थापित हुई, उसमें अब्दुल्ला जी भी थे। उस पीरियड को छोड़ दीजिए, तो बाकी पूरे पीरियड में सरकार ने कुछ नहीं किया। आज हम कब तक इन आतंकवादियों से चर्चा करते रहेंगे। उनको गोली मार दो, भून दो उन ...*को। ...(व्यवधान) अगर उनको अभी नहीं मारेंगे...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The unparliamentary word will be deleted from the records.

… (*Interruptions*)

श्री चंद्रकांत खैरे : आतंकवादियों को गोली मार दो, जो आतंकवादी वहां से देश ...(व्यवधान) आतंकवादियों को गोली से मार दीजिए, भून दो उनको।...(व्यवधान) मैं कहूंगा कि

MR. CHAIRMAN: I have already said that any unparliamentary word will be removed from the records.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Khaire, please address the Chair.

---

* Not recorded.

श्री चंद्रकांत खैरे : आतंकवादियों को मार दो। कश्मीर की जनता के साथ शिवसेना हमेशा रहेगी। आज सरकार ने अगर कश्मीर के लिए कुछ किया, तो हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि कश्मीर के लोगों के साथ हम हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहां पर जो राष्ट्रविरोधी तत्व हैं, सरकार द्वारा उन्हें सख्ती से रोकना चाहिए। देश में कहीं भी अगर कोई ऐसा काम करता है, उसकी निंदा करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि घाटी में उग्र प्रदर्शन बंद हो।

MR. CHAIRMAN : Mr. Chandrakant Khaire, please try to wind up.

श्री चंद्रकांत खैरे : सभापति जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब-जब भी कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, हमेशा कुछ न कुछ आतंकी वारदातें भी होती हैं। इस यात्रा में कम से कम 15 दिन व्यवधान डालने की कोशिश की जाती है, ऐसा हुर्रियत वाले कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डाला जाए, जबकि वे शायद इस बात को नहीं जानते कि वहां का पुजारी एक मुस्लिम है। लेकिन जानबूझकर अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डाला जाता है और कहा जाता है कि हिन्दुओं को वहां दर्शन के लिए नहीं जाने देंगे। इस तरह जो धर्मांध लोग हिन्दुओं के खिलाफ हैं, उनका भी कुछ बंदोबस्त सरकार को करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please try to wind up. You have already taken 10 minutes. Please wind up.

श्री चंद्रकांत खैरे : मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने जो बयान दिया है, उसमें यह कहा है कि देश में भगवा आतंकवाद बढ़ रहा है, यह सही नहीं है। आप देखें कि माओवादियों ने, नक्सलवादियों ने देश के कुछ हिस्सों में कैसा आतंकवाद फैला रखा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने कितने ही सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों को मारा है। लेकिन आप उनके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं और भगवा आतंकवाद का बयान दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए गृह मंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इससे देश भर में हिन्दुओं की साख खराब होती है और कांग्रेस पार्टी में भी तो कितने ही हिन्दू हैं। आपकी ही पार्टी के कई लोगों ने मुझे बताया कि मैंने जो यह कहा है, वह सही कहा है।

सरकार को चाहिए कि वह कश्मीर में बेरोजगारी को दूर करे और लोगों को रोजगार दे। कश्मीर का विकास करे और उसके लिए पर्यटकों की सुरक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि कश्मीर में पर्यटन ही आर्थिक व्यस्था की रीढ़ है। वहां जैसे पहले पर्यटन का माहौल था, सरकार को वैसा ही माहौल बहाल करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही वहां फैल रही धर्मांधता को भी दूर किया जाना चाहिए। सरकार हिन्दुस्तान में लोगों के बीच प्रेम बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। कश्मीरी पंडित जो देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उन्हें पुनः कश्मीर में बसाया जाए और इसके लिए उनकी जमीन-जायदाद सरकार को

लौटानी चाहिए। देश के लिए कश्मीर अपना है, यह भावना सरकार लोगों में पैदा करे और आतंकवाद को खत्म करे। किसी भी हालत में कश्मीर को एटोनॉमस स्टेटस दिए जाने की कोशिश न की जाए।

मैं गृह मंत्री जी से यही कहूंगा कि वह सबसे प्रेम से बात करें। अगर ऐसा करेंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए लोगों में प्रेम की भावना बढ़ाएं न कि इस किस्म के बयान दें कि भगवा आतंकवाद देश में फैल रहा है। कश्मीर अपना है, हिन्दुस्तान का है। इसी बयान के साथ मैं शिवसेना की ओर से कश्मीर की जनता का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि सारा हिन्दुस्तान आपके साथ है।

)

MR. CHAIRMAN: Shri Asaduddin Owaisi, you speak briefly. You will be given five minutes' time.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): At the outset, I would like to congratulate the people of Jammu and Kashmir, the State Government and the UPA Government for the successful and peaceful organization of the Amarnath Yatra.… (*Interruptions*) I will complete.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I want to share with this House that this year 4,57,324 Yatris completed the Yatra, exceeding the number of 3,92,000 last year. Likewise, so far 5,16,972 tourists have visited J&K, far exceeding the number of 3,55,960 last year.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: I know that. मेरे पास भी ये फिगर्स हैं और मैं इन्हें सदन में रखना चाहता था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला।

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, you watch my time.

MR. CHAIRMAN : Okay.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : The figures given by the hon. Home Minister are very clear. Having congratulated the Government, in this august House, I would like to take this opportunity to offer my condolences to the 65 people who have been killed barbarically by the security forces. I offer my condolences to the policemen also who have been killed.

An ideal situation in Kashmir should arrive wherein Muslims of Kashmir live peacefully, the lakhs of pandits who are living outside Kashmir should return back and Sikhs should live peacefully. That is an ideal situation.

Having said that, I would like to submit that the 65 people, who have been killed, include people of all ages starting from eight years to senior citizens. On June 11 eight-year old Tufail died. Milad from Pahalgam was eight years old. Then, nine-year old Sameer Ahmad was trampled over by the security forces in Batmaloo. Those who died also include a 45-year old fruit vendor and a retired ASI. Whenever funeral processions are taking place, the security forces are firing on them. What is happening is that the killing of people of Kashmir is not stopping them from coming out; in fact, it is making them more aggressive.

I would like to go on to say, without any prejudice to the Chief Minister of Jammu and Kashmir who is a good friend of mine, that honest speaking should be done over here and it is that he has completely failed in terms of providing administration. What is the situation now over there? It is the Kashmiris *versus* the security forces. There is no buffer zone now. The more we talk about the administration, the less it is. To cover a distance of eight kilometres to go and meet the injured people, the Chief Minister has to travel by helicopter. This is the state of governance over there.

The person who had thrown a shoe over the Chief Minister, though the Chief Minister had forgiven him in the month of Ramadan, was given a hero's welcome in his village. Instead of improving the situation, armaments are being improved. I can give an example wherein one boy had a pellet injury. When his *post mortem* was done, there were different holes in his intestine. Is this how we are going to control the situation?

What is happening now? For the last six weeks, the Jama Masjid of Srinagar is closed. In this month of Ramadan, people cannot go out and do the night prayer of *taravi*. Hazratbal is locked. Local masjids are locked. I would like to take this opportunity … (*Interruptions*) Farooq *saheb*, let me complete. I am not yielding.

MR. CHAIRMAN: He is a Minister. A Minister has the right.

… (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I know. I want to complete. … (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: I think, the time has come that it should be … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please be courteous.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, let me complete. … (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: You do not want to listen the truth. Hazratbal is not closed. … (*Interruptions*) You take your words back. … (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI You cannot speak to me in this tone, Dr. Farooq Abdullah. I have the right to speak what is right. Let me speak. … (*Interruptions*) I have the right to say. … (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: You are giving wrong information to the House. … (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : You can clarify. You do not think that I am under your pressure. … (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, nobody should be interrupted by the Minister, particularly from Kashmir. This gives a wrong message to the whole nation. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No. That I cannot.

… (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: He is speaking wrong in the House. … (*Interruptions*) Do you mean to say that I should keep quiet? … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, you watch my time.

MR. CHAIRMAN: I am already watching your time. Please be brief.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : In Ramadan, only for one last Friday, Jama Masjid was opened. Why do you not allow the people to go out and pray in their local masjids, why do you not allow the people to protest? Is it not right, Dr. Abdullah?

MR. CHAIRMAN: If you address him, he will answer. That is the problem. Why are you addressing him? You address the Chair.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, you can delete it.

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Is it not right that because of curfew, small baby food is not available, medicines are not available, and people are dying and

---

* Not recorded

starving because of lack of basic necessities, that too in this holy month of Ramadan? The statement of the hon. Home Minister says that a quiet dialogue is happening. He is right to say that nothing is secret, but I would like to know how it is possible that details are known in the Press of how Mirwaiz Umar Farooq was called to Khan Market. Apparently, Khan Market is a favourite joint for all Kashmiri leaders.

He was called to Khan Market inside an optical palace, and then he was told to go out from the other door of the optical palace after having a dialogue. How can the details of it come out in the newspaper? … (*Interruptions*) This is what I am saying. What has happened? You have discredited Mirwaiz Umar Farooq. What has happened because of us or you not doing anything to him? The hardcore separatists like Gilani's writ runs in Kashmir. He says that : "We will open on Sunday and Kashmir is open on Sunday." He says that : "We will close on Saturday and it is being closed on Saturday." What is happening? Youngsters are doing *ragda* with the hardcore separatists like Alam, and bullets are being fired at them.

In conclusion, I would like to say and bring to the notice of the hon. Home Minister that it is also for the Congress Party to see that heavy political marginalisation is taking place over there. The great steps that were taken by the Congress Party under the leadership of Shri Azad or whatever happened, what is happening over there? … (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: It is the past.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Please Mr. Satpathy, I do not agree with all your views. Therefore, keep them to yourself. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please, no comments from the other side.

… (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : In conclusion, I would like to say that open the *masjids*. Tomorrow is Friday. Let all these *masjids* be open. If people want to

protest, let them protest. Why has bullet become the first option? How many killings can happen? The more you kill, the more tough it is going to get.

So, in conclusion, I would like to say that release the political prisoners; stop this clamp-down; let us remove the Public Safety Act; and if we cannot remove the Armed Forces Special Powers Act, then why cannot we take it from civilian areas? I am asking this because that is where the stone-pelting is happening and that is where the Army bunkers are. Why cannot we control our security forces? I am asking this because for everything they have to fire on people, and children are being killed.

Hon. Dr. Girija Vyas, the Congress Leader, has appealed to the Kashmiri women not to give stones in the hands of their children. The question is this. How can a mother -- who has carried her son in her womb for nine months -- be forced to say that take this stone and throw it on to the Police? What is the reason behind it? This is where the success lies, that is, if we go behind and see the question. Why is she telling her children to take the stone and throw it? Thereafter, we will find our answers.

Lastly, as regards the threatening letter being issued to Sikhs, I condemn it. But at the same time, I would like to bring this to the notice of the august House. What happened in Chattisinghpura where people have been killed? Let the Kashmiri Minister answer over here. In Chattisinghpura, the people who were butchered and massacred and Sikhs were massacred, and later on when their bodies were taken out, they were known to be local people. What happened in Nadihal in Baramullah District? An Army Major gave money to labourers and killed them to get reward. What is the message that we are sending? In Kupwara, a 70 year old man was killed and later on when his body was exhumed, it was found that he was a local beggar. Is this the message that we are going to send?

So, I totally agree that a Parliamentary Delegation should go there. I am not for Shri Omar Abdullah to be removed. I want him to complete his term, and the people will decide whether he is popular or not popular. But we have a right to

send a message. Kashmir is part of India, and we love Kashmir. But why do not we love the Kashmiris? It is high-time that we love Kashmiris, and then only this problem can be addressed in the right way.

SHRI C. RAJENDRAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairman, Sir, we would not be speaking on the law and order subject of a State in the normal course, which has an elected body to control and take stock of the happenings in the State. This is one of the exceptional cases where this House has decided to discuss this subject, which is otherwise beyond the purview of the House, namely, 'the situation in the valley of Jammu and Kashmir'.

After flag-marches and curfew by the Army in the valley and bandh-calls, the situation in the valley is limping back to normalcy. We, in this House, should not create a situation whereby it ferments more trouble than bringing peace and calm in the valley.

The Prime Minister announced, during the Independence Day celebrations, that he is going to announce some sort of a package for the people of Jammu and Kashmir. I request that before making any such announcement, the Government of India may consult all the political parties so that some consensus is arrived at.

In the normal circumstances, again, it is not fair to blame the elements from across the border for whatever happens inside our soil. But in this case, there are clear indications, intercepts, which show that the trouble was being fomented by the elements inimical to peace in the Valley, inimical to the unity of the country. They were out to create tension in the Valley.

There were two successful elections conducted in that troubled State. There were considerable gains achieved against the terrorists. The support to these elements was diminished. There was revival of tourism in that State over the past few years. Hence, the trouble mongers were working to a plan to reverse the gains achieved by the State of Jammu and Kashmir so far, and they fomented trouble.

There were reports which indicate that they were planned by Pakistan-based elements. They are funding the trouble-makers by organizing transfer of money on a daily basis. The involvement of hard-line separatists in engineering some of the violence was indicated by an intercept between two of the separatists. They were discussing about the killing of at least 15 people in a procession near

Srinagar on 7th of July. Moreover, it is a common knowledge that whenever there is a peace initiative between India and Pakistan, the level of violence went up in Jammu and Kashmir due to the elements who were opposed to the talks.

In this hour of crisis, what is needed is an effort to restore calm and peace. There has to be some kind of an initiative to reach out to the people so that the Kashmir situation improves. There has to be special efforts at the highest level to bring back credibility to the institution of dialogue. There is a very urgent need for taking these efforts because the so-called separatists are inching closer to hardliners after these incidents.

Hence, the whole House should send out a signal to the people of the Valley that all of us are supportive of their concerns. A calm and peaceful Kashmir will not allow the separatists to come to the fore. It will also ensure that elements from across the border cannot create any trouble inside India. The whole House should condemn the efforts of the people from across the border in creating and fomenting trouble inside India. We condole the death of those innocent lives.

*Dr. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Hon'ble Chairman Sir, I thank to you for allowing me to participate in this serious debate on the 'Situation in Jammu & Kashmir'.

Sir, 63 years have passed since we attained independence. All of us made supreme sacrifices for this noble cause. However, along with our independence came the partition of India. Pakistan was carved out of India. I hail from a region that now falls in Pakistan. We had to migrate to India. Those were traumatic times. Lakhs of people migrated from India to Pakistan and vice versa. Lakhs of people were butchered in cold blood. Property worth billions of rupees was destroyed. 63 years have passed since we attained independence. But we have not been able to find a solution to any of the vexed issues that plague us.

The Jammu & Kashmir problem is like a festering wound that refuses to heal. If a father commits a mistake, his children and successive generations have to sometimes pay the price. The then leadership of the country had failed us. The Jammu & Kashmir problem is the legacy of the mistakes of the then leadership of India. We are saddled by the baggage of history. We have not been able to solve this vexed issue till now.

Sir, we have fought so many wars with Pakistan. In 1965 and 1971, both the nations went to war against each other. We helped in the liberation of Bangladesh from Pakistan in 1971. Thousands of soldiers of Pakistan army surrendered to the Indian troops. We made them prisoners. That was the time

---

*English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

when we should have pressurized Pakistan to give up the Pak-occupied Kashmir area. We should have resolved this issue then. However, the leadership of the country failed to act in a decisive way. We were too liberal with our enemy. The Pakistani troops were released without getting anything in return.

Sir, what was the need for our Government to take the issue of Kashmir to U.N.O.? It was a blunder committed by the then leadership of this country. Hon'ble Farooq Abdulla ji is present here. I would request him to have patience and not to lose his cool. This problem cannot be solved in a fit of rage. We must put our heads together and find an amicable solution to this problem.

Sir, Hon'ble Members from Jammu & Kashmir demand special status for their state. In fact, all states of this country want such a special status. When India attained independence, Sikhs too wanted a separate state of their own. At that time, Mahatma Gandhi had promised a state to us where the Sikhs would be free and feel the spirit of independence. 63 years have passed since we attained independence. Much water has flown down the rivers. However, all the promises made to the Sikhs remain unfulfilled. In fact, Sikhs have been at the receiving end all these years. Injustice has been meted out to us. So, the Central Government will never give any autonomy to Jammu & Kashmir either.

Sir, in Jammu & Kashmir, Sikhs are a minority. The Muslims are in majority there. Christians and Hindus are also in minority there. However, the Jammu & Kashmir Government has not granted minority status to the Sikhs residing in Jammu & Kashmir. No educational facilities have been granted to the Sikh children residing there. The Government has failed to provide safety and security to the Sikhs residing in the valley.

Sir, the Sikhs residing in Kashmir valley are native Kashmiris. They are residing there for the last several centuries, since the time of Guru Nanak Dev ji. There are 126 villages of Sikhs in Jammu & Kashmir. Sir, an Hon'ble Member has made a mention of Chattisgarh. All residents of the village there were butchered. However no one was brought to book. Who was responsible for these

killings? The Government is responsible for these killings. The Government cannot wash its hands off this sordid incident. It is the duty of rulers to protect the people. Those who are in power in the state must take the blame for the gory incident. I would appeal to Farooq Abdulla Sahib and others to leave the U.P.A. and come to our fold. We will provide justice to them. This Government at the centre will not give you anything. Farooq Sahib, when you are a part of this Government, why are you complaining? You should first leave this coalition. You should come to our fold. We will give you your rights. The Central Government will not grant any autonomy to you.

Sir, the minorities in Kashmir are suffering. The Sikhs are at the receiving end. The Hindu Pandits have been hounded out of Kashmir. Now, the extremist elements are targeting the Sikhs. There is a saying – "The streets are deserted. Everyone has been made to leave. But, Mirza is enjoying this." Sir, a sinister campaign has been launched to hound the minorities out of Kashmir.

Chairman sir, Sikhs have been targeted in Afghanistan too. Many Sikhs have left Afghanistan and migrated to Delhi. They are Afghan Sikhs. Their forefathers belonged to Afghanistan. But, fanatic elements are harassing them. Sir, I demand dual citizenship for all Sikhs and Hindus living in Pakistan and Afghanistan, because sooner or later, they are going to be targeted in Pakistan too. Secondly, the federal system in India has to be protected at any cost. We cannot become fresh signatories to continue the historical follies committed by our first Prime Minister. At no cost would the federal system of India be compromised. And the question of giving autonomy to Kashmir or any other state does not arise. These are my main suggestions.

Sir, there should be no discrimination among citizens of India. We must all live together in peace and harmony. All the citizens of India should get equal treatment. In fact, we should rise as one man to face any threats to our country.

DR. FAROOQ ABDULLAH: Thank you, Mr. Chairman, Sir, for this opportunity. I would like to put some things straight to my friends from the Opposition as well as people on my side. Kashmir is not a simple problem. Do not make it look simple. In this very House, many of your must have been Members of this House, a Bill has been passed.

श्री शरद यादव : यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो देश भी समझेगा।

MR. CHAIRMAN : Let him speak in a language of his choice. Do not compel him.

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : ठीक है, मैं हिंदी में बोलूंगा। यही वह सदन है, जिसमें वह बिल पास किया गया था कि सारा जम्मू-कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह का कश्मीर था, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, कुछ हिस्सा उन्होंने चाइना को दे रखा है, जिसे वह आजाद कश्मीर कहते हैं और हम लोग ऑकुपाइड कश्मीर कहते हैं और नॉर्दर्न टैरेटरीज जिसमें स्कर्दू, गिलगित, हुंजा और नगर हैं, ये सारा महाराजा जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था। मगर आज मैंने एक भी शख्स को इसके बारे में कुछ कहते हुए नहीं सुना कि कोई इस इलाके की भी बात करे। वहां क्या हो रहा है, कैसे जुल्म हो रहे हैं, कोई नहीं जानता? जो हमारे मेहरबान ऊपर हैं, वे भी कभी नहीं लिखते हैं।

यह सही बात है, आप लोग कहते तो बहुत कुछ हैं, मगर एक बात याद रखियेगा, गलतफहमियां बहुत पैदा की जाती हैं। कश्मीर जो हमारे साथ है, वह कोई आपकी ताकत से, आपकी बंदूकों से, आपकी एयरफोर्स से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना। वह महात्मा गांधी, पं.जवाहर लाल नेहरू और उन लीडरों ने जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा था, उनकी नीतियों को देखकर कश्मीर इस बड़े हिंदुस्तान का हिस्सा बना। न सिर्फ यह हिस्सा बना, बल्कि मजबूती से टिका रहा। जब इतनी दफा लड़ाइयां हुईं और भूलिये मत, आखिरी लड़ाई कारगिल की हुई। तब भी यह खड़ा रहा, हिला नहीं। मगर अफसोस इस बात का है कि हम लोग जब आपके सामने दिल की बात करते हैं तो आप या तो हमें पहचानते नहीं न हमें समझ सकते हैं। न कोई ऐसी मशीन आई है, जिसमें हमारे दिल पर चेन लगी हो और हम दिखा सकें कि चारों खानों में हिंदुस्तान का नामं लिखा हुआ है। मगर वह आपको दीखता नहीं है। आप छोटी-छोटी बातों पर रुक जाते हैं।

आज वहां पर छोटे से छोटा बच्चा भी आजादी मांगता है। क्यों मागंता है, क्या आप उससे पूछते हैं कि आजादी का मकसद क्या है, आजादी क्या है? क्या जम्मू-कश्मीर आजाद रह सकता है? एक तरफ से चीन लपक रहा है, वह आज भी आहिस्ता-आहिस्ता हमारे लद्दाख के एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश

करता है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, जो एक तरफ सैलाब से अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आतंकवादियों को आज भी भेजने की कोशिश कर रहा है। हालत देखिये, ये तीन मुल्क, जो एटम बम से लैस हैं क्या कश्मीर इनमें आजाद रह सकता है? क्या हम अफगानिस्तान की हालत नहीं देख रहे हैं? क्या हम अल-कायदा, तालिबान को नहीं देख रहे हैं? क्या वही हालत एक दिन कश्मीर में नहीं होगी?

सभापति जी, मुझे वह दिन याद आ रहा है, जब वाइस प्रेसीडैन्ट ऑफ इंडिया श्री शर्मा साहब थे और मैं उनके साथ काबुल गया था। बादशाह खान को जलालाबाद में दफन करना था। उस डेलिगेशन में मैं भी गया था और जब मैं जलालाबाद से गाड़ी से उनके जिस्मे-खाक को लाने पाकिस्तान के बॉर्डर खैबर तक गया तो मुझे एक भी पुल, एक भी घर सीधा नहीं दीखा।

क्या जो लोग आजादी मांगते हैं, वे देखते हैं कि जो आपको बंगले दिखते हैं, जब आप जहाज से उतरते हैं, क्या आपको कोई घर कच्चा दिखता है? क्या उनको दिखता है खुदा निज़ात दे, ऐसी हालत न पहुंचे जहां हमारी हालत भी वही हो, जो आज अफगानिस्तान की है। इसलिये, मैं सामने वालों से कहता हूं कि आप हमारे दिलों की बात को समझने की कोशिश कीजिये। जब मैं अटोनमी का रिजोल्यूशन लाया था, मैने कोशिश की थी कि दिलों को जोड़ सकें। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम पहले दो चीजे मांग रहे थे। हम कहते थे कि हमारे पास दो चीजों की सुविधा नहीं है कि हम आईएएस के बच्चों को तैयार कर सकें, या हमारे बच्चे आईएएस के लिये तैयार हो सकें। हमने वे चीजें तैयार करनी हैं, कोई इंस्टीट्यूशन्स तैयार कर रहे हैं। हमारे आईएएस के बच्चों के लिये 50 परसेंट प्रमोटी दे दीजिये, 50 परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटी आयें। उस समय श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री, श्री वी.पी. सिंह फाईनैंस मिनिस्टर और डा. मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन के वाईस चैयरमैन थे। जब मैंने 1986 में हुकूमत फिर से सम्भाली तो एक मीटिग हुई। जब हमने उनके सामने यह बात रखी तो श्री राजीव गांधी जी ने कहा कि बिलकुल सही है, इनको यह देना चाहिये मगर डा. मनमोहन सिंह जी को याद हो या न हो, उन्होंने कहा कि श्री वी..पी. सिंह फाईनैंस मिनिस्टर हैं, वह मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हमने कहा कि बाकी पसमांदा रियासतें हैं, बैकवर्ड स्टेट्स हैं, वहां 90 परसेंट ग्रांट और 10 परसेंट लोन है। जम्मू कश्मीर स्टेट को उनके साथ जोड़ा गया है, फिर उनके लिये 70:30 किया गया है, उन्हें भी यह दिया जाये। इससे हमारे कर्जे का भार कम हो जायेगा। उन्होंने कहा कि श्री वी.पी. सिंह जी नहीं मानते हैं। जब 1990 में बंदूके चलने लगीं, ग्रेनेड मारने लगे और पाकिस्तानी के आतंकवादियों का हमला शुरु हो गया, हमें 90:10 भी मिल गया, 50:50 भी मिल गया मगर कोई बेचने वाला नहीं मिला। जब हम आटौनमी का रिजोल्यूशन आपके पास लाये, मैं उस

समय बंगलौर में था। मुझे प्राईम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने बुलाया। उस दिन सुबह स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन था, आप लोगों को कोलकाता जाना था। आप लोगों ने कैबिनट में यह फैसला लिया था कि हम यह कबूल नहीं करेंगे जबकि कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स ने इनसे खुद कहा कि हमने यह पढ़ा नहीं है, हमें पढ़ने दो, उसके बाद हम फैसला करेंगे। मगर चूंकि इन्होंने ठान रखी है कि 370 को मिटाना है और हमने दिलों पर राज नहीं करना है, हमें जमीन पर राज करना है। अगर आपको दिलों पर राज करना है तो दिलों की धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे तब हिन्दुस्तान एक रहेगा। जब दिलों की धड़कन को हिन्दुस्तान की धड़कन समझेंगे, अगर आप नार्थ-ईस्ट के दिलों की धड़कन को नहीं समझते तो आप हिन्दुस्तान नहीं रख सकते। अगर आप सिर्फ दिल्ली की धड़कन को समझेंगे, और दूसरी रियासतों की धड़कनों को नहीं समझेंगे तो हिन्दुस्तान मजबूत नहीं रह सकता। मैं आया और वजीरे-आजम के सामने हाथ जोड़े। मैने कहा कि जनाब क्या आपने यह पढ़ा, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ा तो फिर मैने कहा कि फिर आपने फैसला कैसे लिया? आप पहले पढ़िये और जो चीज आपको लगती है कि यह चीज़ हिन्दुस्तान को कमजोर करेगी, हमें बता दीजिये, हम सुनने के लिये तैयार हैं। हमने दरवाजे बंद नहीं किये हैं। यह कुरान नहीं है जिसकी आयतें बदली नहीं जा सकती हैं। यह तो हमने बनाया है, हम इसे बदल भी सकते हैं। मगर हमें समझाने की कोशिश कीजिये कि हम कहां गलत हैं? उसके बजाय उठाकर फैंक दिया। हमारी लोगों के सामने क्या इज्जत रही कि आपकी हुकूमत में बैठा हुआ हूं और उसके बाद आप यह सलूक करते हैं। आज सवाल इस बात का है कि हमने दिल जीतने हैं। तकरीरों से कुछ नहीं होगा। तकरीरों से आप उस बच्चे का दिल नहीं जीत सकते। वे बेचारे, जिन्होंने जानें दे दी हैं, उनकी जानों का वे आपसे पैसा नहीं मांगते हैं। वे कहते हैं कि हम से इसाफ कीजिये। क्या हमें इंसाफ करने का मौका नहीं देंगे? क्या हम बातचीत नहीं कर सकते? जब आपने खुद 20 आदमियों की एक लिस्ट पाकिस्तान को दी है, और आपने कहा कि हम तब तक आपसे बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमें 20 आदमी हमारे हवाले नहीं करेंगे। क्या वह दिन आप भूल गये जब आपने जनरल मुशर्फ साहब को यहां बुलाया लेकिन उन 20 आदमियों की लिस्ट उधर ही है।

वे वापस हिन्दुस्तान नहीं आये। उन्हें क्यूं बुलाया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत करके ही हमें अपने मसले हल करने हैं। मुझे आपके वजीरे-आज़म की बात याद है, जब उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ौसी नहीं बदल सकते, या तो हम प्यार से रह सकते हैं या फिर नफरत में रहकर हमारी तरक्की कमजोर हो जायेगी और आपकी कमजोरी और ज्यादा कमजोर हो जायेगी। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर आप सबसे अपील करता हूं कि धड़कनों को समझने की कोशिश कीजिये। हम हिन्दुस्तान से अलग नहीं होना चाहते हैं, कोई भी नहीं है, जो हिन्दुस्तान से अलग होना चाहता है। जो अलग होगा, वह नहीं जानता है कि दूसरी तरफ क्या है?

They think everything is green on the other side till they land. I would like to correct my people here, there is a lot of mis-information, and a lot of things have been said wrong. I would like to request all of you to try to understand that we want to find a solution within India, not within Pakistan or China or America. So, if we want to find a solution, let us sit down rather than have an obstruction that Article 370 will go and we will have a better India. You will never have a better India unless you win hearts and minds of people. To win the hearts and minds of the people, for God's sake open your hearts, open your brains and accommodate people's views.

Sir, I will speak to Sardar Ajnala in Punjabi. He has said that we will not get autonomy. Therefore, we should forgo autonomy. Let me tell you, Sir, without autonomy, you too will not get what you want.

… This part of the Speech originally delivered in Punjabi

What I feel, one day India will have to have a true federal structure. A true federal structure will mean that every State will have its power and Centre will have its power. If a State is weak the Centre will never be powerful. If you want to make Centre powerful then the States must be made powerful because they are the arms, legs and the body of India and unless the body of India is strong the mind can never be strong. Therefore, my request to all of you is that if we have to get on, let us make a prosperous India where people live together not in hatred.

I have no hatred for Hindus. Why? It is because I see God in various forms. To me, if you believe in God as Rama, Krishna, Mahesh, Vishnu or Brahma, the creator, let me tell you as far as a Muslim is concerned, it is one vision. It is the same power except the view you see is different. You see him in different forms but the power is the same. I see him as Allah. The power is the same. To you I say, let us not build animosity on religion for your religion is welcome to you and my religion is welcome to me. That is what makes India great. That is what makes India strong because we follow so many different religions yet are with one body and one soul and that soul is India and that soul will remain India so long as we remember that we have to work for the betterment of the people. That is why, we are here. We are here for the success of the people and the success of our nation depends if we work together.

Therefore, to Shri Murli Manohar Joshi, Shrimati Sushma Swaraj and to all of you I would say, let us sit together, let us find out a way forward where we can win the hearts and minds of these young people rather than using bullets and firing on right sights. That is the only way we can do it.

I would request the Home Minister to do something in this regard. I would request Shrimati Gandhi to bring all of us together and let us find a way forward in solving the problem of Jammu and Kashmir. At the same time, when our Prime Minister goes across the border or their Prime Minister comes here, it is made

abundantly clear to them that not only is 'this' Jammu and Kashmir ours, 'that' Jammu and Kashmir is also ours.

16.00 hrs.

We forget this. We do not ever mention this as if we have given that to them. The time has come when we must tell them with one voice – enough is enough. We are not going to take it sitting down. That country belongs to us and it will remain with us. Let us start thinking of that. To the media, I would say that my earnest request to you is that please think of India. Please write for India because I know in my own State how the media puts the things in such a manner that it creates hatred.

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला (श्रीनगर): जब वे तस्वीरें आप देखेंगे जो उर्दू के अखबारों में वहाँ से निकलती हैं तो दिल खौल उठता है, आँसू दिल से आते हैं, खून के आँसू आते हैं कि ये लिखते क्या हैं और करते क्या हैं। आपके दोस्त होंगे वहाँ, मित्र होंगे, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, उनसे कहिये कि नफ़रत न फैलाएँ। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

DR. FAROOQ ABDULLAH : My best request is that we are not only Kashmir but it is Jammu, Kashmir, Ladakh, POK and Northern Territory, that is India.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, discussion on this issue shall continue tomorrow.

<u>16.01 hrs</u>

NALANDA UNIVERSITY BILL, 2010

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Item No.18 – Nalanda University Bill, 2010.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI PRENEET KAUR): Mr. Chairman, Sir, on behalf of Shri S.M. Krishna, I beg to move:

> "That the Bill to implement the decisions arrived at the Second East Asia Summit held on the 15th January, 2007, at Philippines and subsequently at the Fourth East Asia Summit held on the 25th October, 2009, at Thailand for the establishment of the Nalanda University in the State of Bihar as an international institution for pursuit of intellectual, philosophical, historical and spiritual studies and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

<u>16.02 hrs</u>

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill to implement the decisions arrived at the Second East Asia Summit held on the 15th January, 2007, at Philippines and subsequently at the Fourth East Asia Summit held on the 25th October, 2009, at Thailand for the establishment of the Nalanda University in the State of Bihar as an international institution for pursuit of intellectual, philosophical, historical and spiritual studies and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण विषय के बाद और फ़ारूख़ साहब की बेहतरीन तकरीर के बाद मुझे नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

हमारे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि जब से बिहार में हम लोगों की सरकार बनी, तब से नालन्दा विश्वविद्यालय का गौरव फिर से लौटा। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी की पहल थी कि राज्य सरकार ने संकल्प लिया और उस 1495 संकल्प संख्या के द्वारा 17.8.2006 को नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। बिहार विधान सभा द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा अधिनियम 2007 पारित किया गया। 24 अगस्त, 2007 को यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा की स्थापना की अधिसूचना हुई और 24 अगस्त, 2008 को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रथम विज़िटर नियुक्त हुए। हमारी सरकार ने लगभग 75 करोड़ रुपये इस पर खर्च किये और 500 एकड़ ज़मीन इसके लिए अधिकृत की जिसको 99 साल के पट्टे पर नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाएगा।

1603 बजे

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण वि-ाय के बाद और फ़ारूख़ साहब की बेहतरीन तकरीर के बाद मुझे नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

हमारे लिए यह सौभाग्य का विाय है कि जब से बिहार में हम लोगों की सरकार बनी, तब से नालन्दा विश्वविद्यालय का गौरव फिर से लौटा। भूतपूर्व राट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी की पहल थी कि राज्य सरकार ने संकल्प लिया और उस 1495 संकल्प संख्या के द्वारा 17.8.2006 को नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। बिहार विधान सभा द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा अधिनियम 2007 पारित किया गया। 24 अगस्त, 2007 को यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा की स्थापना की अधिसूचना हुई और 24 अगस्त, 2008 को भूतपूर्व राट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रथम विज़िटर नियुक्त हुए। हमारी सरकार ने लगभग 75 करोड़ रुपये इस पर खर्च किये और 500 एकड़ ज़मीन इसके लिए अधिकृत की जिसको 99 साल के पट्टे पर नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाएगा।

हम जानते हैं कि बिहार शिक्षा का स्रोत रहा है और बिहार से शिक्षा की गंगोत्री पूरी दुनिया में फैलती रही है। बिहार के लोग आज इंटैलीजेंट माने जाते हैं। यह इंटैलीजेंस हमें विरासत में मिला है। बिहार की सरजमीं ने आर्यभट्ट, चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य, गुरू गोबिन्द सिंह, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, शमशुल हक आदिलाबादी जो कि इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, शेरशाह सूरी, बड़े कवि रामधारी सिंह

दिनकर, विद्यापति जी, ऐसे महान लोगों को, जहां डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और श्री जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकूर और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं भागलपुर जो अंग की भूमि, महाराज दानवीर कर्ण जैसे महापुरूषों को जन्म दिया है। इस भूमि ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी है। आज दुनिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की बात होती है, लेकिन दुनिया को सर्वप्रथम शिक्षा देने का काम इस विश्वविद्यालय ने किया है। पांचवीं-छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहां की यात्रा महात्मा बुद्ध ने की। पटना के निकट बड़ा गांव के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के जहां अवशेष हैं, यहां इसकी स्थापना गुप्त वंश ने पांचवीं शताब्दी में की थी। विश्व के छात्रों को आकर्षित करने वाला, यह पहला संस्थान था, जिसमें दस हजार छात्र और दो हजार अध्यापकों के रहने की व्यवस्था थी। लेकिन आज तो छात्रों और अध्यापकों का रेश्यो घट गया है। यहां खड़े होकर सदस्य ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की मिसाल देते हैं, लेकिन आप अनुपात देखिए, दस हजार छात्रों पर दो हजार शिक्षकों की व्यवस्था थी। बौद्ध और सनातन धर्म की करीब-करीब 40 हजार पांडुलिपियां सहित हजारों हस्तलिखित दुर्लभ पुस्तकें वहां थीं। प्रसिद्ध चीनी विद्वान व्हेंगसांग और इत्सिंग ने यहां संस्कृत और दर्शन का अध्ययन किया था। महायान और हीनयान के अलावा वैदिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, योग, गणित, चिकित्सा की शिक्षा यहां दी जाती थी। चीन, कोरिया, श्रीलंका, जापान, यूनान, मंगोलिया, सुमात्रा और थाइलैण्ड तक से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां आते थे। 12वीं शताब्दी में खिल्जी के हमले में पुस्तकालय को आग लगी तो वह पुस्तकालय 6 महीने तक जलता रहा। उसके बाद किसी ने फिक्र नहीं की।

महोदय, हमारी सरकार बिहार में बनी। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी सरकार बिहार में आयी। जिससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी। उसने भारत सरकार से बातचीत की और भारत सरकार ने भी उसमें योगदान दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप जानते हैं कि बिहार बदल रहा है और बदले हुए बिहार से पूरे देश को यह अपेक्षा थी कि बिहार में अच्छा काम हो। यदि कुछ राज्य तरक्की कर जाएं और कुछ राज्य पिछड़ जाएं तो यह देश महान नहीं बन सकता है। बिहार की नौ करोड़ जनता जो बहुत दिनों से उपेक्षित थी। वहां शांति व्यवस्था नहीं थी, कानून का राज्य नहीं था।

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार कहां और किस जगह पहुंच गया है, जिस बख्तियार खिलज़ी ने नालंदा को तबाह एवं बर्बाद किया था, उसका कैम्प बख्तियारपुर में था। बख्तियारपुर में आज जो चीफ मिनिस्टर हैं, वे वहीं पैदा हुए और वहीं उनका लालन-पालन हुआ। इतिहास में कैसे इतिहास चक्र होता है कि जिस जगह पर तबाह करने वाले ने कैम्प किया था, उसी जगह के व्यक्ति ने फिर से उसे रिवाइव करने का काम किया।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति महोदय, आज बिहार के बारे में नेगेटिव चर्चा नहीं होती। अभी बिहार के चुनाव आने वाले हैं, वहां जो भी टूरिस्ट जाते हैं, वे वहां कुछ न कुछ बोल कर, बिहार का अपमान करके आते हैं, लेकिन उससे हमारा बिहारी स्वाभिमान ही बढ़ता है। आज बिहार की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है। बिहार में ताकत है कि हमने नालंदा विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर का खड़ा हो, इसके लिए योजना में हमारा जो खर्च था, लोग मखौल उड़ाते थे। हमारी जो 4900 करोड़ की योजना थी, आज वह बढ़ कर 16 हजार करोड़, 20 हजार करोड़ का बजट बिहार का पहुंचा है। राज्य की स्थिति जहां 2005-06 में 3471 थी, वह आज आठ हजार करोड़ से आगे है, लेकिन बिहार में हमें और भी अपेक्षा है। नालंदा विश्वविद्यालय के गठन में, फिर से पुनर्निर्माण में केन्द्र मदद कर रहा है, इससे हम इंकार नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रियाअदा करते हैं। लेकिन हमारी अपेक्षा आपसे बहुत ज्यादा है।

मेरा सौभाग्य है कि मैं बिहारी हूं, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं। ...(व्यवधान) बिहारी होना कोई जुल्म नहीं है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There are three Members to speak. Be brief. Otherwise, they will not get a chance to speak. You may continue now.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति महोदय, हमें अपने लीडर की तरफ से बोलने के लिए कहा गया है और केवल मैं ही बोल रहा हूं। बिहार के नाम से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात का गर्व है, ...(व्यवधान) मैं अच्छी बात कह रहा था, आप धीरज से मेरी बात को सुनें। आप ज्यादा रोकिए मत, बिहार में कभी आपका भी राज रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, do not disturb the House. Please maintain decorum in the House.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति महोदय, हमने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है, बिहार राज्य है और भारत का एक अभिन्न राज्य है। बिहारी कहने में, हमने कोई एंटी नेशनल नहीं कहा, जो किसी को एतराज हो रहा है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे यहां ही नालंदा है, मैं जहां से सांसद हूं, हमारे यहां ही विक्रमशिला है। नालंदा हमारे यहां है, उसके लिए युनिवर्सिटी बन रही है, उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे यहां विक्रमशिला है, जहां अभी सौ एकड़ में खुदाई हुई है। विक्रमशिला भी बालवंश के समय से स्थापित है। विक्रमशिला की खुदाई हुई थी। भागवत झा आजाद साहब के जमाने में, हमारे मित्र कीर्ति आजाद साहब यहां बैठे हैं, इनके पिता जी मुख्य मंत्री थे, वे भागलपुर के सांसद थे। उनके प्रयास से वहां पर खुदाई हुई, 4600 अवशेष मिले थे। 16 एकड़ जमीन का अभिग्रहण हुआ, बीस साल पहले अभिग्रहण किया गया। विक्रमशिला कैंपस में खुदाई होगी तो हमारे मित्र निशिकांत दुबे जी के घर तक पहुंच जाएगी।

विक्रमशिला को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, मैं खुद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला था, मैं उनका आभारी हूं। मैं उनसे जब मिला तो उन्होंने आर्कलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी को वहां पहली बार भागलपुर भेजा, उन्होंने विक्रमशिला में विजिट किया, लेकिन वह भी बहुत दिनों से उपेक्षित है।
उसकी उपेक्षा हो रही है। मैं इस बात को इससे इसलिए जोड़ रहा हूं कि आज हम इतिहास रच रहे हैं, यह डिबेट बहुत बड़ी है, यह बिल बहुत बड़ा है, आप इसकी गम्भीरता को समझिए। आज लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात करते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए तो ऑक्सफोर्ड बड़ा आदर्श हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नालन्दा फिर से पुनर्स्थापित हो रहा है, इससे बढ़कर कोई बात इस देश के लिए इतिहास में हो नहीं सकती है। ...(व्यवधान) सभापति जी, आप ऐसी सख्ती हम पर न करें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : Please address the Chair.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आगे से मैं आपको ही देखूंगा।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह विषय सदन के सामने लाना चाहता हूं कि नालन्दा तो उस ऊंचाई पर पहूंचे, यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी फिर से जागृत किया जाये, फिर से सरकार उस पर विचार करे, यह मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। सिर्फ रैफरेंस के तौर पर ये बातें मैंने आपसे कही थीं।

जहां इस बिल में इस बात की चिन्ता की गई है कि इस पर जो अध्ययन होगा, वह नालन्दा के इस विश्वविद्यालय के गठन के बाद बौद्ध मत का, दर्शनशास्त्र का, ऐतिहासिक अध्ययन होगा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और शान्ति अध्ययन होगा, लोकनीति विकास अध्ययनों की तुलना होगी, भाषा-साहित्य पर बात होगी और मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया के लोग इसमें लगेंगे। खासकर इस बारे में थाईलैंड और पूर्वी एशिया के देशों में जो सम्मेलन हुआ था तो बहुत से देश इस काम में लगे हैं। इसमें कुलाधिपति होंगे, कुलपति होंगे, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे, बिहार सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे और तीन प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे, लेकिन यह संस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा अन्य विश्वविद्यालयों में है, मैंने खुद अपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अन्दर दो सांसद भेजे, मैं भी उसमें हूं तो इतनी बड़ी संसद, जो यह बिल पास कर रही है, इसके भी दो प्रतिनिधि इसमें जरूर होने चाहिए, यह हमारा सुझाव है।

मैं आपके जरिये सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा बिहार तरक्की कर रहा है। राजनीति जब भी होगी, जब चुनाव होंगे तो अपनी-अपनी राजनीति के भेष में आइये, लड़िये, जीतिए-हारिए, लेकिन आपको बिहार की चिन्ता जरी सी करनी पड़ेगी।...(व्यवधान) मैंने पहले जीतना बोला, आपने बाद में

बोला, आपका चांस नहीं है। लेकिन आज बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिहार में आधिकारिक निजी निवेश के लिए हमने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, वह नहीं मिल रहा। हमें बाढ़ का पैसा नहीं मिल रहा, हमने राष्ट्रीय उच्च-पथ करीब 1657 किलोमीटर अपने पैसे से बनाई और 969 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार लेकर बैठी है, हमें दे नहीं रही, ताकि हम बदनाम हो जायें, लेकिन हम भी इनकी चालाकी समझते थे, इसलिए हमने राज्य सरकार के फंड से उस रोड की रिपेयर की है। अगर कोई किरायेदार किसी मकान में रहे और उसको पेंट करा ले तो मकान मालिक को उसका पैसा देना चाहिए, लेकिन केन्द्र सरकार की रोड है, वह उसका पैसा हमें नहीं दे रही।

हमने राज्य की सड़कें अच्छी कर लीं, कानून का राज स्थापित कर लिया, बिहार के अन्दर आज हम लोगों ने जब कहा कि आप बिजली के अन्दर कोल लिंकेज दीजिए, क्योंकि बिजली का संकट है तो हम नालन्दा विश्वविद्यालय तो बना लेंगे, लेकिन अगर हम बिजली नहीं देंगे तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की वह संस्था देश का संस्थान माना जाये, भारत का चिन्ह माना जाये, भारत का प्रतिबिम्ब माना जाये तो आपको बिहार को भी चमकाना पड़ेगा।

बिहार के ऊपर इल्जाम तो बहुत लगते हैं, लेकिन मैं आपके जरिये एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोगों की आज जिस तरह से सपोर्ट, केन्द्र की मदद वहां पर घटाई गई है, हम लोगों ने कहा था कि अभी बाढ़ आई, मैं खुद कोसी का रहने वाला हूं, शरद जी कोसी के सांसद हैं, वहां बाढ़ आई, लेकिन एक रुपया केन्द्र सरकार ने हम लोगों को नहीं दिया। एक हजार करोड़ रुपया दिया, वह भी कोई फौजी गये, कोई और गये, उसमें काट लिया।

अभी बिहार में सूखा पड़ा है। उसका एक रूपया भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please do not go beyond the purview of Nalanda University Bill.

... (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति महोदय, इसी सदन में कौन कहां-कहां जाता है ...(व्यवधान) और जब मैं बिहार का दर्द रखूं, तो आप ऐसा कह रहे हैं। हमें चेयर से आपका प्रोटेक्शन चाहिए। यहां शोर हो रहा है और आप भी मदद नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? हम बिहार का दर्द रख रहे हैं। ...(व्यवधान) अगर बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय बनेगा तो बिहार में बिजली चाहिए या नहीं। उस इलाके में पूरी दुनिया से लोग आएंगे। बिहार के अंदर पहले करीब 94 हजार टूरिस्ट आते थे। आज बिहार में टूरिस्ट्स की संख्या बढ़कर 4 लाख 23 हजार हो गयी है। वहां पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। मैं यह आंकड़ा दे रहा हूं, आथेंटिकेट कर रहा हूं। मैं कोई पालिटिकल स्पीच नहीं कर रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं और मुझे पता

है कि मेरे लिए मेरी पार्टी चुनाव का मंच सजाएगी और वहां से जो भाषण मुझे देना होगा, मैं दूंगा। इस प्लेटफार्म का उपयोग मैं बिहार के लोगों का दर्द रखने के लिए आपके सामने कर रहा हूं। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। राज्य के लिए जो ग्रास बजटरी सपोर्ट था, वह 34 पर्सेंट से घटाकर 23 पर्सेंट कर दिया गया। बिहार के साथ आपने कदम बढ़ाया तो हमने आपका शुक्रिया भी अदा किया। हमने इसमें कोई कंजूसी नहीं की। हमने कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया और सपोर्ट किया। आज बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस दर्द को दूर करने के लिए आप केंद्र सरकार की ओर से बराबर की नजरों से देखिए। आपके वहां 9 ही एमएलए हैं। अगर 9 एमएलए हैं तो क्या हुआ, हम सब आपके गैर नहीं हैं। राजनीति में ऐसा होता है, कभी कर्नाटक में वर्ष 1992-94 में हमारे चार ही एमएलए थे, लेकिन आज वहां हमारी सरकार है। आज आपके नौ एमएलए हैं तो कुछ काम करके दिखाइए, तब आपका खाता खुलेगा, नहीं तो नौ की जगह आपकी सीटें और कम हो जाएंगी।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Now, you are going to other parts of the area.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इसलिए मैं आपके जरिए अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे।

महोदय, मैं अब कंक्ल्यूड करता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी है, इसके लिए मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह गुजारिश करता हूं कि नालंदा के बाद आप आराम से बैठ मत जाइएगा। इसके बाद विक्रमशिला की स्थापना का बिल मैडम जब आप लाएंगी, तो मैं, कीर्ति आजाद जी और निशिकांत दुबे जी, तीनों मिलकर और पूरा सदन आपको बधाई देगा। मैं मानता हूं कि देश के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि हम इस बात पर गर्व करें कि हमें अपने देश की संस्कृति पर गर्व करना है। हमें अपने देश की शिक्षा पद्धति पर गर्व करना है। हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति पर नहीं नालंदा की शिक्षा पद्धति पर गर्व करना है। ऐसे संस्थान को फिर से पुनर्जीवित करना है।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं विषय पर बोलूंगी, लेकिन जवाब जरूर दूंगी। जवाब इस बात से कि यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार के दिए हुए उस समय के अर्थ और अभी के अर्थ दोनों के बारे में आपके अगले बोलने वाले एमपी साहब जरूर बतायें, यह मैं आपके माध्यम से आपसे आग्रह करूंगी। बोलने से पहले मैं निवेदन कर दूं कि किसी भी राज्य के साथ किसी मतभेद का, किसी मनभेद का, किसी सौतेले व्यवहार का या किसी अन्याय की पोषक यूपीए सरकार नहीं रही है और यही वजह रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला उस भूमि पर किया गया, जिस भूमि में गौतम बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, गुरू गोबिन्द सिंह जी पैदा हुए और निश्चित तौर पर परंपरायें यहां पैदा हुयी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: There should be no cross talks in the House.

… (*Interruptions*)

डॉ. गिरिजा व्यास : 15 जनवरी, 2007 और 25 अक्टूबर, 2009 को फिलीपींस और थाइलैंड में चौथी और दूसरी पूर्वी एशिया शिखर बैठक में बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के अनुशीलन के लिए बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किए गए विनिश्चयों को क्रियान्वित और उससे संबंधित विषयों वाले विधेयक पर चर्चा हेतु आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। महोदय, मैं विषय पर ही बोलूंगी और सबसे पहले मैं सरकार को विशेषकर यूपीए की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने समय पर जमीन आदि उपलब्ध करा दी।

यूपीए सरकार के दृष्टिकोण, विचार, कौनसैप्ट कि किस तरह हम अपने पुराने भारत को फिर से पुरस्थापित कर सकें, इस दिशा में जो प्रयास किया गया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं।

अल्लामा इकबाल ने कहा था - यूनान-ए-मिश्र रोमां, सब मिट गए जहां से, कायम है अब तक भी नामो निशां हमारा। यदि हम नालंदा जाएं जो अब खंडहर है या जिन्हें तक्षशिला जाने का मौका मिला, जो इस्लामाबाद गए हों या विक्रमशिला जिसकी बात अभी माननीय सदस्य कर रहे थे, मुझे विश्व के अनेक विश्वविद्यालय और इन तीनों पुराने विश्वविद्यालयों को देखने का मौका मिला। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब हम नालंदा, तक्षशिला या विक्रमशिला के परिसर में जाते हैं, तो लगता है कि जैसे हम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और बड़ी-बड़ी यूनीवर्सिटीज़ को भूल गए हैं। चारों तरफ से एक प्रकार आज भी वहां शिक्षा का जो आलोक है, वह दैदीप्यमान हो रहा है। इसलिए हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं।

मैं आपको पिछले कुछ दशक में ले जाना चाहती हूं जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा पांचवीं सैंचुरी में गुप्तवंश द्वारा, जैसे सदस्य महोदय बता रहे थे, उसकी स्थापना की गई। महायान-हीनयान स्कूल जो बुद्धिज़्म के थे और ब्राह्मण वैदिक टैक्स्ट फिलॉस्फी, लॉजिक, थियोलॉजी, ग्रामर, सबके अध्ययन के लिए नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दस हजार स्टूडैंट्स और दो हजार टीचर्स एक साथ काम करते थे।

ह्वेन सांग जो चाइनीज़ पिलग्रिम यहां आए, उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की। आज भी नालंदा के खंडहर इस बात के साक्षी हैं कि उस वक्त भी हम लोग बौद्धिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर और विशेषकर वैदिक, बौद्ध, जैन और बाद में चूंकि पटना साहिब और जैसे कहा गया कि गोविंद सिंह जी का जन्म भी वहीं पर हुआ, वहां सिखिज़्म का भी एक वातावरण बना। बिहार में उस वातावरण को देने का सारा श्रेय उस वक्त की व्यवस्था को जाता है। मैं इसी के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय का जिक्र भी करना चाहूंगी जो आज इस्लामाबाद के पास है। वहां चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार आलोक फैलाया और उसकी स्थापना की, उसके बाद तक्षशिला चाणक्य, चार्वाक और चरक ऋषि, जिन्होंने चरक संहिता बनाई, उनका भी आधार रहा। तक्षशिला में उन्होंने न केवल शिक्षा ग्रहण की बल्कि वहां पढ़ाया भी। आज का अर्थशास्त्र इस बात का गवाह है कि चाणाक्य की अर्थनीति अप्रासंगिक नहीं है। इसी प्रकार से चरक संहिता भी, चरक ऋषि द्वारा जो बनाई गई, आज भी उनकी पंचकर्म थैरेपी किसी न किसी रूप में विश्वभर में व्याप्त है। वहां हाइयान का आना और 405 ईस्वी में इस बात का प्रतीक है कि उस वक्त सारे विश्व, विशेषकर साउथ ईस्ट एशिया और एशिया भर से दूर-दराज के जो लोग पढ़ने के लिए आते थे, उन्हें सब प्रकार का ज्ञान मिलता था।

आपने विक्रमशिला का जिक्र किया। उसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि वहां कुछ अन्य विश्वविद्यालय भी उसी जमाने में मौजूद थे। मैं उनका जिक्र इसलिए करना चाहती हूं कि जैसे मैंने कहा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उसी के साथ-साथ वैदिक व्यवस्था, तीनों पर एक साथ शिक्षा होती थी। इतिहास के तीन हजार वर्ष पीछे जाना और उसके कौनसैप्ट - सा विद्या या विमुक्तये, विद्या है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, हमें अपने बंधनों से मुक्त करती है। वहां इस बात का सिद्धान्त था। मैं गुणशिला विश्वविद्यालय की जिक्र इसलिए करना चाहती हूं कि आज हम वूमैन्स एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन गुणशिला जो 500 बीसी में बिहार में, आपके राज्य में ही स्थित था, वहां मुख्य रूप से जैन धर्म-ओ-दर्शन का बिंदु था, वहां वूमैन्स एजुकेशन की व्यवस्था थी और उसे एक तरह से वूमैन्स एजुकेशन कहा जा सकता है। कुंडलपुर जिसकी स्थापना 500 बीसी में हुई थी, वह फिज़िकल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट था जिस पर आज आश्चर्य होता है कि उस जमाने में भी इस तरह के इंस्टीट्यूट हो सकते थे। इसी के साथ कांची जो सौ

बीसी में 500 एडी तक रहा, उनका भी अपना स्थान है। 400 एडी से 1200 एडी तक यूयान ने 14 विद्या और 64 कलाओं का नालंदा विश्वविद्यालय में जो जिक्र किया है, वह इस बात का प्रतीक है। 78 डिस्पिलन उस समय वहां पढ़ाए जाते थे।

उस वक्त आयुर्वेद से धनुर्वेद तक और वेद से विमान तक की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में दी गयी थी। इसलिए यह सोचा गया, मैंने थाईलैंड और फिलीपींस का जिक्र किया, कि हम क्या वैसी ही स्थापना फिर से नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में कर सकेंगे। जहां एशिया अभी फिर से उभरता है, फिर से करवट लेने की दिशा में है, फिर से भारत एक नये चमकते हुए सितारे के रूप में उभरकर सामने आया है, वह भारत एशिया के माध्यम से चमक सके। इसलिए इस स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सोनिया जी और प्रणब मुखर्जी जी, जो उस समय इस कार्य को देख रहे थे, इन तीनों को ही बहुत बधाई देना चाहूंगी।

महोदय, बख्तियार खिलज़ी ने गौरवशाली कहानी के वे खंडहर भले ही नष्ट कर दिये, लेकिन पुनः संस्कृति के निर्माण में आज हम उनके योगदान को नहीं भूल सकते। इसलिए उस योगदान को जो इसमें दिया, उनको याद करते हुए पुनः संस्कृति के निर्माण,. संस्कृत, पाली, प्राकृत और अंग्रेजी के द्वारा एशिया का पुनः जागरण हो रहा है। आज हमारी जो थिंकिंग और थॉट्स बेस है, वह यूरो बेस है। उससे हटकर भारत की अगुवाई में एशिया जो एक नया रूप धारण कर रहा है, उसमें आसियन के साथ-साथ जहां एक तरफ हम आर्थिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जा रहे हैं, वहीं नालंदा यूनीवर्सिटी के माध्यम से हम प्राचीन गौरव को प्राप्त करेंगे जिसमें कुछ नया भी है, कुछ पुराना भी है। यूनेस्को तक ने दर्शन को एक आधार मान लिया है। उस वक्त बिजनेस मैनेजमैंट, आई.टी, ज्ञान और विज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में उस पुरानी विद्या का आना एक नये सूत्र का सूचक है।

महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहती हूं कि केवल दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और धर्म तक सीमित हमारी ज्ञान और विज्ञान की परम्परा नहीं थी। जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है। भारत ने जीरो का आविष्कार या लीलावती सूत्र, कम्प्यूटर का सारा बेस उस लीलावती सूत्र पर आधारित है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज भी उसका सम-सामयिक मूल्य है। मूल्यपरक एजुकेशन जिसमें चाहे हिन्दु हो, जैन हो या बौद्ध हो, उसमें मूल्यपरक एजुकेशन आधार बने, उसका निषेध न हो, इस बात को कहा गया।

महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहती हूं कि उस वक्त आर्किटेक्ट, गणित, विज्ञान, खगोलशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र आदि का जो अध्ययन किया जाता था, इस यूनीवर्सिटी में उन सबका जिक्र है। लेकिन एक बात का भय, जिसका हमेशा हर एक व्यक्ति को रहता है, उसका भय हमें

भी है कि कहीं यह केवल उन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में न पड़ जाये। इसलिए माननीय सदस्य ने यह बात उठायी कि पार्लियामैंट से भी दो सदस्य जायें, पर एक्सीलैंसी यहां पर वहां का निर्णय हो, इस बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगी।

महोदय, यहां पर धर्म की अलग व्यवस्था नहीं है। जीवन दर्शन के रूप में धर्म की व्याख्या की गयी है। प्लूरेलिज्म यानी बहुतवाद हमारा आधार रहा है चाहे वह जैन हो, बौद्ध हो। इसलिए अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांत आज भी मूल्यपरक हैं, कल भी मूल्यपरक थे और रहेंगे। भारत के सिद्धांत अन्य आश्रय भागों में प्रवाह, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि उस समय जब यहां पर वृहदेश्वर मंदिर था, वहां पर उसी वक्त अंगकोरवाट, इंडोनेशिया और कम्बोडिया में उनकी स्थापना की गयी थी, जो भारतीय इम्पैक्ट के प्रभाव को दिखाता है। भारतीय संस्कृति शांति की संस्कृति है, सहायता की संस्कृति है। हमने कभी भी किसी भी धर्म के अलग रूप को अपनाने की कोशिश की, तो उसमे आधिपत्य कहीं भी नहीं रहा, बल्कि उसमें यह बात रही कि समवन्य के साथ हम उसे ग्राह्य कर सकें। ग्राह्यता, एसीमिलेशन हमारा मूल आधार रहा और यही वजह है कि आर्ट और लिट्रेचर या दूसरी अन्य विधियों पर भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भारत का प्रभाव पड़ा था। यही वजह रही कि नागार्जुन हो या ह्वेनसांग हो, वे यहां पर आते रहे और जिस शिक्षा का मूल आधार है--आमभद्रा प्रत्योअन्तु यानी अच्छा ज्ञान सभी ओर से आये, तो अच्छा है, इस बात की ओर ध्यान दिलाते रहे।

मैं निवेदन करूंगी कि इसी परंपरा को कायम रखते हुए आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस इस बात के लिए प्रतिबद्ध रही है। गांधी जी ने कहा था कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर चारों तरफ से गवाक्ष खुले हुए हैं, बाहर की हवाएं भी आएंगी, बाहर के विज्ञान भी आएंगे, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें कैसे स्थिर बने रहें। इसलिए इस बात की जरूरत है कि यह स्टेबिल्टी हम कैसे लाएं। इस स्टेबिल्टी के लिए सरकारें प्रयत्नशील रही हैं। नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो या और किसी स्वरूप में उनके दर्शन को पढ़ लिया जाए, इसके बाद हमारे देश में जो विद्वान हुए हैं, उनके विचारों में इस बात का पोषण रहा कि चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो या राजनीति हो, वह मूल्यपरक होनी चाहिए और हम आज भी उस पर कायम हैं। यह नालन्दा विश्वविद्यालय उस मूल्यपरकता को वापस दर्शाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। केवल इस भावना के लिए कि उस समय के नालन्दा, तक्षशिला या विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के कारण भारत शिक्षा का हब था और आज भी यूपीए सरकार का आधार है कि भारत विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का हब बने। फिर भी इतना सारा धन शिक्षा विभाग को देना, शिक्षा की उच्चता को, खासकर उन विश्वविद्यालयों के पैटर्न पर ही, जो हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, नए कांसेप्ट को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। यह नालन्दा विश्वविद्यालय इस दिशा में

एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ा कदम है। मुझे समय की सीमा मालूम है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो सपना हमारे विचारकों ने देखा था, उसके आधार पर ही यह विश्वविद्यालय हो। यहां पर सिब्बल जी बैठे हुए हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि आपकी रिपोर्ट के आधार पर ही आज यूनिवर्सिटीज के जो हालात हैं, वे बड़े गंभीर हैं। उन हालात को सुधारने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, सरकार के प्रयासों की मैं प्रशंसा करती हूं, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। सम्प्रदायवाद जिस तरह से उसमें पेनिट्रेट हुआ है, पिछली सरकार ने जिस तरह से कुछ विषयों को डालकर उन यूनिवर्सिटीज को सांप्रदायिकता के घेरे में डाला है, नालन्दा विश्वविद्यालय इस बात का गवाह है, तक्षशिला इस बात की गवाह है कि वहां पर उस समय सम्प्रदायवाद के नाम पर, धर्म जो आज सम्प्रदायवाद का इक्विवेलेंट हो गया है, बल्कि वहां धर्म का अर्थ था वैल्यूज, मूल्य। हम किसी भी मूल्य को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज को एक करवट लेनी होगी। उनको दिए हुए जो पाठ्यक्रम, जिनसे सांप्रदायिकता आई, उनसे उनको मुक्त करना होगा, राजनीति से मुक्त करना होगा और सबसे ज्यादा उनको ब्यूरोक्रेटिक आक्रोश से उनको मुक्त करना होगा। आज अनेक विश्वविद्यालय लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, ताकि वे पूरे समय, 365 दिन इसमें न लगे रहें। आज नालन्दा विश्वविद्यालय की इस प्रकल्पना के बारे में मैं केवल यही कह सकती हूं कि हमारी परंपराओं में जिस बौद्ध धर्म ने हमें मध्यम मार्ग दिया, जिस भारतीय दर्शन ने आपो सर्वभूतेषू की बात करके सबकी समानता और संगच्छ्द्धवं संवदद्धवं की बात करके सभी को साथ लेकर चलने की बात कही। जिस प्रकार से हमारे जैन धर्म में नवोंकार का मंत्र दिया गया, उसे देखें नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अय्याणं और नमो सब्बसाधूणां की बात के जरिए सभी धर्मों के प्रति जो आदर की भावना सिखाई और गुरू गोविन्द सिंह जी ने बिहार में जिस प्रकार की समरसता का मार्ग दिखाया, नालन्दा विश्वविद्यालय उसके अनुरूप होना चाहिए, आज भी आवाज गूंजनी चाहिए - धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यह नारा देना होगा। अति विज्ञान और अति अर्थ हमें नीचे धकेल रहा है, इसलिए मध्यम मार्ग की आवश्यकता है जो असम्पृक्त संस्कृति को पुनः संवेदनशीलता में डाले। शिक्षा का एक आवश्यक लक्षण है संवेदनशीलता। वह संवेदनशीलता जो विश्वविद्यालयों से खो गयी है, उसको नालन्दा विश्वविद्यालय के माध्यम से फिर से पुनर्स्थापित करेंगे जिससे अन्य विश्वविद्यालय भी सीखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में, मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय संस्कृति तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और यही वजह है कि हमारे यहां चार पुरूषार्थों की व्याख्या है - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।

हमने कभी भी अर्थ को और काम को भी, धर्म का अर्थ यहां पर रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ है एथिक्स, मोरल, मोरेलिटी पर आधारित अर्थ, कमाया हुआ अर्थ और मोरेलिटी के आधार पर भोगा हुआ काम, जिसमें

अन्य चीजें विवाह से लेकर प्रसाधन आदि भी आते हैं, उनका उपयोग यहां पर निषेध नहीं किया गया है। जो अंत में मोक्ष की तरफ ले जाए, सभी के लिए ग्राह्य हो, उसकी ओर संकेत किया गया है। नालन्दा, तक्षशिला और विक्रमशिला इसके उदाहरण थे। फिर से ये विश्वविद्यालय उसके आधार बन सकें, मध्यम मार्ग से चलते हुए हम विज्ञान की भी प्राप्ति करें। यहां मैं राजीव जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। राजीव गांधी जी ने इसी सपने के अनुरूप सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना भारत में की। उसी के अनुरूप विश्व में इंडिया के शोज़ कराए, उनमें उनका तात्पर्य यही था कि केवल हमारी परफार्मिंग आर्ट से हम आगे जाते हुए अन्य विधायों में भी अन्य देशों को अपनी संस्कृति, अपनी चेतना, अपनी गति, अपना संगीत जो हमारी संस्कृति है, उसके दर्शन करा सकें। उनका सपना उस काल में भी पूरा हुआ और आज यूपीए सरकार प्रतिबद्धता के साथ उस सपने को जिसमें गांधी जी का भी सपना है, जिसमें हमारे मूल्यपरक उस युग के, उस सांस्कृतिक विरासत के वैदिक सपनों का भी सार है, उन्हें लेकर चल रही है। ऐसे अतुल्य, ऐसे अनुपम विश्वविद्यालय के लिए जो यह बिल पेश किया गया है, उसमें हमारी शुभकामनाएं भी हैं और इस बिल के लिए यूपीए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। भाई शाहनवाज जी का भाषण मैंने सुना। उन्होंने प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय के बारे में, वहां से जो तमाम हमारी पूर्व विभूतियां हुईं, उनके बारे में बड़े विस्तार से बताया। इसी तरह बहन गिरिजा व्यास जी का भाषण भी बहुत अच्छा रहा। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे हम लोग किसी विश्वविद्यालय में बैठे हैं और गिरिजा व्यास जी व्याख्यान दे रही हैं। उन्हें सुनना मन को बहुत भाया।

भारत की संस्कृति और सभ्यता की कोई मिसाल नहीं है। सर्वभौम पंचशील को मानने वाला यह देश जो विश्व में अपना एक स्थान रखता है। यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसा पहले लोगों ने कहा और विदेशियों ने भी कहा था कि भारत सोने की चिड़िया है, यह सत्य बात है। यहां की प्राकृतिक धरोहर की कोई मिसाल अन्य देशों में नहीं है। बहुत विस्तार से बहन गिरिजा व्यास जी ने और भाई शाहनवाज जी ने अपनी बात रखी।

मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी कुछ बातें कहना चाहूंगा। दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख शिक्षा केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय रहा है। जिसे पुनर्जीवित करने के लिए यह विधेयक यहां पेश किया गया है। जनवरी 2007 में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, थाईलैंड में इस पर अन्य देशों के साथ विचार किया गया। उसमें यह कहा गया था कि बौद्धिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक अध्ययन का केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाए। इस पर जिन देशों ने सहयोग देने की बात कही, उनका भी आज सदन के माध्यम से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे।

जहां तक देखा गया है, खासकर यह विश्वविद्यालय जो पुनर्जीवित किया जा रहा है बिहार में, तो वहां की स्थानीय सरकार ने तुरंत इसके लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके केन्द्र को देने का काम किया है। नालन्दा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का केवल एक ही संकल्प है कि दक्षिण और पूर्व एशिया को जोड़ने वाली 21वीं सदी की शिक्षा को किस प्रकार से पुनर्जीवित कर दें, एक साथ कर दें।

बौद्धिक मिलन का एक स्थल नालंदा विश्वविद्यालय को हम पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था तथा आध्यात्मिक दर्शन को जोड़ने वाला, पुरातन एवं आधुनिक चिंतन को समाहित करने वाला, यह अनुसंधानात्मक विश्वविद्यालय होगा, जो अपने आप में एक मिसाल होगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक तरीके से यह मॉडल विश्वविद्यालय बनेगा, जो पीपीपी विश्वविद्यालय होगा। राजगीर नामक जगह पर, 500 एकड़ जमीन को अधिगृहीत करके, इसका निर्माण कार्य शुरु कराया जा रहा है। पूरे विश्वविद्यालय के निर्माण में 1005 करोड़ रुपये खर्च होंगे और मैं केन्द्र

सरकार को मैं बधाई दूंगा कि 50 करोड़ रुपये का बजट अभी उन्होंने इसके लिए स्वीकृत किया है। विश्वविद्यालय के बिल की कॉपी अभी मैं देख रहा था, उस गवर्निंग बॉडी में विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और बिहार राज्य के प्रतिनिधि भी उसमें होंगे। अभी शहनवाज भाई यह कह रहे थे कि वहां के स्थानीय एमपीज को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। यह बात सही है कि हमने यहां बहुत सी कमेटियां बनाई हैं, गवर्निंग बॉडीज बनाई हैं और उनमें स्थानीय सांसदों को भी समाहित किया गया है। माननीया गिरिजा व्यास जी ने भी इसका समर्थन किया है कि ऐसा होना चाहिए, ताकि उसका मैनेजमेंट सुचारू रूप से और अच्छी तरह से चल सके। यह बात उसमें होगी।

हमारे इलाहाबाद में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें भी हमारे स्थानीय सांसद वहां हैं, वहां उसमें दो सांसद हैं और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। उस विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बारे में बड़े विस्तार से बात हुई है कि पर्यावरण, भाषा, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति, अध्ययन और इतिहास, बौद्ध-धर्म दर्शन की तुलनात्मक शिक्षा पर जोर होगा और ऐसी शिक्षा वहां पर दी जाएगी। इसमें चाहे हमारे वैदिक, सांस्कृतिक, आधुनिक और प्राचीन जो भी हमारे शास्त्र थे, उनका समावेश करके, हम उस विश्वविद्यालय में एक नयी शुरुआत करेंगे। बहुत से हमारे शास्त्रों का विलोप हो गया था, उन्हें भी पुनर्जीवित करने का एक रास्ता इसमें निकलेगा। नोबल पुरस्कार विजेता आमर्त्यसेन जी की अगुवाई में परामर्शदात्री समिति जो गठित हुई है, यह एक बहुत अच्छी बात है कि उसमें विद्वतजन भी हैं। मेरे ख्याल से यह बहुत जल्दी बन जाएगा। एक सुझाव और आया है कि बौद्ध धर्म के गुरू, जिन्होंने हिंदुस्तान से हमेशा संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, दलाई लामा जी को भी अगर उसमें रखा जाए, तो बहुत अच्छा होगा। यह मेरा सुझाव है।

भारत के बौद्ध सर्किट से जुड़ने और पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार ने और स्थानीय सरकारों ने बहुत प्रयास किये हैं। उसी कड़ी में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म हो रहा है और यह उसी कड़ी की एक रूपरेखा है। यह विश्वविद्यालय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होगा, जिसमें सबसे बड़ा फंड केन्द्र सरकार का होगा। अन्य देश भी उसमें मदद करेंगे, लेकिन भारत मेजबान देश है, उसे पहल करनी चाहिए और यह अच्छी बात है।

अभी बहन गिरिजा व्यास जी ने अपने उद्‌बोधन में एक बात कही है कि आज के वर्तमान विश्वविद्यालयों में तमाम ऐसे झगड़े हैं, उसके बिल लेकर हमारे सम्मानीय मंत्री जी अभी आयेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रकार से बहुत से प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, उन्हें सुदृढ़ और पुनर्जीवित करने की जरूरत है। वहां की स्थिति बहुत दयनीय है। विदेशी विश्वविद्यालय के लिए जैसा कहा कि एजुकेशन हब यहां लाएंगे, मेरे खयाल से यह उचित नहीं होगा। हमारे यहां इतने विश्वविद्यालय हैं कि अगर उनकी मनेजमेंट व्यवस्था, जैसे इलाहाबाद को मिनी ओक्सफोर्ड कहा जाता था, आज उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। आज वहां बहुत दिक्कतें हैं, जिन्हें सुधारने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि विदेशी विश्वविद्यालय का सपना न देखकर, बल्कि अपने यहां के विश्वविद्यालयों को अगर पुनर्जीवित किया जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी।

इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो बात आई है, अगर नालंदा को ले रहे हैं, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी पुनर्जीवित किया जाए। इसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता, साइंस और टेक्नोलोजी दुनिया के देशों में सबसे विकसित रही है। हम जो विधेयक लाए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित, यह हमारी संस्कृति और सभ्यता तथा देश की धरोहर रहा है। अभी हमारे शाहनवाज भाई बता रहे थे कि वह सिर्फ बिहार की धरोहर है। यह केवल बिहार की ही धरोहर नहीं है, बल्कि इससे हमारे देश की पहचान होती है। जहां दुनिया के देशों के लोग हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को सीखने के लिए, साइंस और टेक्नोलोजी जानने के लिए यहां आते थे। हमें खुशी है कि यह विधेयक लाया गया है, यह सचमुच हमारी संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन इस विधेयक को लाने में विलम्ब हुआ है। आजादी के बाद से ही इस विधेयक को लाना चाहिए था, लेकिन अब लाया गया है, तो निश्चित रूप से इससे पूरे भारतवर्ष का गौरव जुड़ा हुआ है। चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, ये हमारी धरोहर रही हैं इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, चाहे वे थाईलैंड में हुए हों, चाहे वे फिलीपीन्स में हुए हों और लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो पुनर्जीवित करने की बात कही है, उसे स्थापित करने की बात कही है, वह बहुत अच्छी है। बिहार सरकार ने पांच सौ एकड़ जमीन उपलबध कराई है तथा पांच सौ एकड़ जमीन और उपलब्ध कराने की योजना है। हमारी भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपया दे कर उसे संचालित करने की योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे, हमारी संस्कृति और सभ्यता को यह अक्षुण्ण बनाएगी। इसमें जो देश पार्टनरशिप के तहत सम्मिलित हो रहे हैं, चीन भी, जहां सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट हैं, वह भी इसमें सम्मिलित हो रहा है, थाईलैंड और बैंककाक भी सम्मिलित हो रहे हैं। तमाम देशों के लोग जो पूर्व में शिखर सम्मेलन हुए हैं, वे आज यहां आ रहे हैं।

हम इतना निवेदन करेंगे कि इसमें हमारे भारत के लोगों की ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए कयोंकि यह बिहार में स्थापित हो रहा है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत का ज्यादा धन भी लगेगा और जहां तक अनुमान लगाया गया है कि 1005 करोड़ रुपये से इसका पूरा विस्तार हो जाएगा। आज इस बात की जरूरत है कि जो यहां हमारे बौद्ध हैं, अध्ययन केन्द्र हैं, दर्शन शास्त्र और धर्म, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और शांति प्रबन्धन, भाषा, साहित्य और पर्यावरण है, निश्चित रूप से इससे हमारा देश विकसित होगा और आज जब हम इसे बड़े पैमाने पर स्थापित करेंगे तो यहां के लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जाना और तमाम दूसरे देशों में जो इस तरह के विश्वविद्यालय हैं, वहां लोग जाना भूल जाएंगे क्योंकि नालंदा में तो दूसरे देश के लोग आकर विद्या ग्रहण करते थे। लेकिन इस देश के ऊपर तमाम आक्रमण हुए

हैं। उस आक्रमण में हमारे ये विश्वविद्यालय नष्ट हो गये थे लेकिन आज इस विधेयक के लाने से खुशी हो रही है कि कम से कम हमारी भारत सरकार इस तरफ पहल कर रही है कि कैसे हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को, साइंस और टैक्नोलॉजी को अभूतपूर्व बनाने के लिए प्रयास करें। इसलिए हम इस विधेयक का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करते हैं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस 15वीं लोक सभा में नालंदा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरे लिए और मेरे समस्त क्षेत्र के वासियों के लिए अति गौरव की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पर बन रहा है जहां पर प्राचीन विश्वविद्यालय था। मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाईटेड की तरफ से नालंदा विश्वविद्यालय के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यसभा ने 21-08-2010 को ही इस विधेयक को पास कर दिया था। अब यह लोक सभा में मंजूरी के लिए आया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस विधेयक को तैयार किया है और इस पर आम सहमति बनी। 25 अक्टूबर 2009 के शिखर सम्मेलन में इस पर आम सहमति बननी थी। मैंने भी एक वर्ष पहले इसी जुलाई के महीने में लोक सभा में शून्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना के मामले को उठाया था। यह जवाब केन्द्रीय विदेश मंत्री एस.एम.कृष्णा ने भी दिया था और कहा था कि अगले विधेयक में इसे लाया जाएगा। मैं केन्द्रीय सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं। 427 ईसवीं में बना नालंदा विश्वविद्यालय 1197 ईसवीं तक रहा। लगभग 650 वर्ष मानवता की सेवा की। उस समय के राजा ने इसके वित्तीय प्रबन्धन के लिए 100 गांवों से प्राप्त राजस्व को भी दिया करते थे। उसका पूरा राजस्व विश्वविद्यालय के लिए होता था। जैसा कि बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, दर्शन शास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, धर्म, इतिहास एवं शांति प्रबन्धन, भाषा साहित्य और पर्यावरण जैसे विषयों के स्कूल होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर लगभग 1005 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए दिल्ली में एक परियोजना कार्यालय बनाया गया है। विधेयक के संसद में पारित होते ही यह कार्यालय काम करने लगेगा। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आयो़जक देश के रूप में भारत शुरुआती चरण में अधिक योगदान करेगा। योजना आयोग ने विशेष अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। बाकी अन्य देश के सदस्य बिहार सरकार ने नालंदा के लिए इस विश्वविद्यालय के लिए लगभग 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है।

17.00 hrs.

जिस जगह भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उस जगह ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय था। आज भी वहां नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मौजूद हैं और देखने लायक हैं। मैंने भी इसका अध्ययन किया है। प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय के लिए और 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना है। बिहार सरकार इसे कर रही है और इसके लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। उनके अथक प्रयास से वर्ष 2007 में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कराया और जल्द से जल्द किसानों को मनाकर भूमि अधिग्रहण करवाया। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं नालंदा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और स्वयं

नालंदावासी हैं। मुख्यमंत्री जी बौद्ध धर्म और दर्शन से विशेष रूप से प्रभावित हैं। इनकी बौद्ध धर्म और दर्शन में विशेष रुचि की वजह है क्योंकि वे मानते हैं कि इससे ही देश में मानवता का कल्याण हो सकता है। महात्मा बुद्ध का सत्य और अहिंसा का संदेश लेकर राष्ट्रपिता ने भारतवर्ष को अंग्रेजों की दासता से मुक्त करवाया था। मुख्यमंत्री जी ने बौद्ध तीर्थ स्थान, बोध गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, का आधुनिकीकरण करवाया है और सड़कों को नया रूप दिया है। खास तौर से 28 जून, 2007 को केंद्र सरकार ने नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में नालंदा परामर्शदाता समूह गठित किया था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना को लेकर अपनी रिपोर्ट अगस्त 2010 तक देने को कहा था। प्रो. सेन और माननीय विदेश मंत्री श्री कृष्णा जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में जो भी किया, वे इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। यहां सभी बौद्ध देशों के धर्म विहार और पूजा स्थल हैं। बिहार सरकार वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहां महाबोधि मंदिर है, इसके लिए भी बिहार सरकार विशेष प्रबंध करती है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय की परिसर एवं विद्यार्थीगण की सुरक्षा का जिम्मा भी बिहार सरकार ने लिया है।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र के उन सभी किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 500 एकड़ भूमि दी है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जिन किसानों की जमीन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिग्रहीत होगी, उनके बच्चों को इसमें पढ़ने के लिए विशेष रियायती व्यवस्था की जाए। इसके साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी जो यहां पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है उसे विशेष छूट प्रदान की जाए या स्कालरशिप दी जाए। मेरा संसदीय क्षेत्र काफी पिछड़ा और अल्पसंख्यक इलाका रहा है। मेरी मांग है कि इस विश्वविद्यालय में जो भी दुकानें, मार्किट या कॉम्पलेक्स बनाए जाएं, वह निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को दिए जाएं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना है। इसमें 10,000 छात्र और 2000 शिक्षक थे। पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें थी वे सभी शिक्षकों द्वारा लिखी गई थी। यहां पर चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा के वृतांत में इस विश्वविद्यालय का जिक्र किया था। अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग म्यूजियम है जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को दोहराने संबंधी जानकारी है। यहां नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर और म्यूजियम भी है। लेकिन अभी भी राजगीर, घोड़ा, कटोरा, दामनखंधा इत्यादि कई ऐसी जगह हैं जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर थे। इसके आसपास ताम्रपाषणिक काल के अवशेष मिले हैं। इसके उत्खनन की जरूरत है ताकि नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को और दिखाया जा सके। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि प्रोजेक्ट नालंदा बनवाकर प्राचीन नालंदा परिसर एवं उसके आसपास राजगीर, घोड़ा, कटोरा,

दामनखंधा का उत्खनन कराया जाए ताकि हम प्राचीन नालंदा के इतिहास से परिचित हो सकें। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई होने से इसके पूरे इतिहास एवं संस्कृति से सारा विश्व परिचित हो सकेगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था तथा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया था।

जिसके बारे में कहा जाता है कि छः महीने तक जलता रहा था। जो इस बात का प्रमाण था कि पुस्तकालय में कितनी अधिक किताबे थीं। कहा जाता है कि पुस्तकालय नौं मंजिला था। जिस समय वह विश्वविद्यालय ध्वस्त हुआ था, तभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी। तब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जन्म भी नहीं हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से नालंदा को पूर्वी और एशियाई के मुख्य शिक्षा केन्द्र के रूप में फिर से स्थापित किया जायेगा और इसे भारत के बौद्ध सर्किट से जोड़ा जायेगा। इससे पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, चूंकि इसमें सारे विश्व से छात्र और अनुसंधानकर्ता आयेंगे।

बिहार के माननीय मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने यह भी कहा है कि जब तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय के काम के लिए भेजेंगे। विश्वविद्यालय के शासी निकाय में विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास विभाग के अलावा बिहार सरकार के प्रतिनिधि होंगे. यह जानकारी भी दी गई है।

मेरा एक सुझाव है कि इसमें स्थानीय स्तर पर सांसदों को भी रखा जाए। अंत में, मैं प्रो.गोपा सब्बरवाल, अध्यक्षा समाज विज्ञान विभाग, लेडी श्रीराम महाविद्यालय, नई दिल्ली को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके जैसे अनुभवी प्रोफेसर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। मैं आशा करता हूं कि प्रो.गोपा सब्बरवाल के निर्देशन में विश्वविद्यालय दिन दोगुना, रात चौगुनी तरक्की करेगा।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Hon. Chairman, I thank you for giving me a chance to speak on this very important Bill – Nalanda University Bill. This Bill has been placed to implement the decision arrived at the Second East Asia Summit held in 2007 and the Fourth East Asia Summit held in 2009 for the establishment of the Nalanda University as an international institution for pursuit of intellectual, philosophical, historical and spiritual studies. The Government of India constituted Nalanda Mentor Group under the chairmanship of Nobel laureate, Prof. Amartya Sen, for revival of Nalanda as a Centre of Excellence.

Sir, I do support the Bill. We, the Indians, are proud of our long heritage in the field of education, culture, knowledge and wisdom. Ours is a great ancient civilisation. We did a lot for the development and advancement of human civilisation. Various tendencies have come into us. We have assimilated tendencies and on the basis of that, we have advanced. Let me tell the words of Rabindranath Tagore :

‘*Sak, Hun, Dal, Mughal, Pathan – ek dehe holo lin’*

It means that Sak, Hun, Dal, Mughal and Pathan all came and became part of India. They all became Indians. He also said that India is *maha milaner sagar thirthga* which means that India is the pious ocean of great assimilation. It is this spirit of assimilation and religious tolerance that our land represented all over the world.

In the past, Nalanda did the same thing 800 years ago and for 800 years or more, Nalanda was – as described by Huen Tsang who came here in 7th Century – not only a temple of knowledge but also a temple of the highest pinnacle of tolerance. That religious tolerance is something that we have to imbibe today. So, in restarting the Nalanda University, we should look towards the future.

In India, there were other great universities also, like Vikramshila and Takshashila. Nalanda University was par excellence. It was the international symbol of India’s eminence in the field of knowledge. Probably, it was the first ever large educational establishment. The college counted the great Buddha

among its visitors and alumni. At its height, it had 10,000 students and 2,000 staff. It was said to have been an architectural masterpiece featuring ten temples, a nine-storeyed library - where monks used to copy books by hand - lakes, parks and students' accommodation. Its students were coming from Korea, Japan, China, Persia, Tibet and Turkey as well as from across the country.

Nagarjuna came here and was associated with it. Nagarjuna's concept of 'madhyamaka', the middle path, was very much part of Nalanda curriculum. It was not only the site of Buddhist studies but also of other fields like medicine, language, philosophy and science. Raja Ramanna, the nuclear physicist told that he was surprised to find the concept of quantum physics and relativity in a text of Nagarjuna. Even the Arabs, who are famous for discovering Arab numericals and for discovery zero, gave the Indians the credit of discovering it.

Such discoveries were made from a base like Nalanda. Today, this much celebrated centre of learning is in ruin.

The University was sacked in 1193 by Bakhtiyar Khilji, the Turkish General and he burnt down its library. This is a frightful episode in our history. Bakhtiyar Khilji destroyed Nalanda and burnt down its library, but he had not been able to destroy and burn down the very ethics of India that Nalanda stood for. Nobody will ever be able to destroy the great achievements of Nalanda.

Now, it is a wise decision to revive this great centre of learning. The proposed University will have collaboration with other old Universities including Al-Azhar University of Egypt; Oxford and Cambridge Universities in Britain; and Harvard University in the USA. But, we must remember that Nalanda was not Oxford or Harvard at that time. Rather we should be proud to say that Oxford, Harvard, Cambridge are what Nalanda was at that time.

In the revival of the old site of learning, we have to remember that our task is not just to restore the past glory, but to put forward the glory of the future. Nalanda must actually represent the building of the glory of the future. Prof. Amartya Sen has observed that the aim of the University should be to contribute to the promotion of regional peace and vision by bringing together the future leaders of East Asia who by relating to their past can enhance their understanding of each other's perspectives.

Mr. Jeffrey Garten, the Professor of Yale School of Management, Yale University has rightly observed that : "A new Nalanda could set a benchmark for mixing nationalities and cultures for injecting energy into global subject … Today, it could be an institution devoted to global religious reconciliation." Further, this is what Vivekananda told in Chicago. He said : "Not to destroy someone's religion for the purpose of ones own religion, and every religion should bear the message of assimilation and not destruction." In my opinion Nalanda stood for this.

So, the idea behind a new University, near the site of Nalanda, should be to ensure three things. Firstly, it should be a quality centre of higher learning with emphasis on Buddhist learning, philosophy, science, literature and language, and environment studies.

Secondly, it should be a retrieval of roots, that is, a connection to the spirit of Indian learning, at least, symbolically, at almost the exact physical location of the ancient University. We must really see to it that the present architecture also reflects the ancient greatness, that is, the innovative architecture.

Thirdly, Nalanda of Yore was a global brand where scholars came from different nations. Given the collaborations with several nations, particularly, of East and South East Asia and interest groups with a stake in this ancient seat of learning, there is every opportunity for the new University to make itself a signature of the new India in a globalised world.

This new University will be a non-State, non-profit, secular and self-governing international institution. As such, I think that it would have been better if the name of the University became 'Nalanda International University'. I think that in the global arena, Nalanda will stand for humanism; for tolerance; for reason; for adventure of idea; and for the search of truth. Many great people came here, received knowledge and went back. They also brought some knowledge and, we received it. It means that good knowledge and good thoughts came to us from every side.

In the words of Ravindra Nath Tagore : "*Debe ar Nebe, Milabe Milibe*." It means that : "We shall give, we shall take, and we shall unite all." This is what Nalanda stood for in the past. Let this new Nalanda University play that role.

With these words, I conclude and support this Bill.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you, Sir. At the outset, I support wholeheartedly this sincere effort of our Government, and all Indians will be proud that today for the first time the UPA-led Government has thought of doing something good for this country. … (*Interruptions*)

I must congratulate the Minister that in spite of failure of the RTE and so many other confessions of sincerity falling, by the way on the way, in the progress of the country, the Nalanda University Bill is an extremely welcome step.

Sir, in the years gone by, India has seen many great thinkers like Sri Aurobindo, Vivekananda, who rose above religion, caste, creed and colour and could envision India as a country that was destined to lead this world in the world of spirituality. Sri Aurobindo had created a small example which he wanted to manifest on earth through the education system which is practised in Sri Aurobindo International Centre of Education at Puducherry where I had the good fortune of spending a few years.

Sir, Nalanda University was side by side operating along with other universities of great learning in this country. It was not limited to Shri Shahnawaz's Vikramshila or Takshashila alone, but what was known as Bihar and Orissa earlier, or I would put it Orissa and Bihar earlier, it used to be one whole complexity of humanity where learning was at its peak in this part of the world.

I am proud that we belong to a country which gave the very first universities to this world. When Nalanda, Takshashila and Vikramshila were operating in a certain part of the world, simultaneously, concurrently, there was also Pushpagiri about which Hiuen Tsang, Fa-Hien have written in their treatises that before Nalanda came into existence, historically it is a proven fact, Pushpagiri Vihara was the highest centre of learning in the whole world. People came from Greece, people came from Persia, from Indo-China, from China, and from very many places around the globe to study here, to teach here, to take back learning to their respective countries.

We know that when the Christ was crucified and when he was resurrected, the period in between, ensuing period, it is said that he came to East, he came to India. The Prophet, someone said, had mentioned once that the essence of wisdom he had derived in his life was from the East.

In this background, while supporting this Bill and trying to make my speech as short and definitive as possible, I would request this Government to look at our education as it is today. Since in the East Asia Summits of 2007 and 2009, so many other countries have reposed their faith on India that this is probably the only country where the base of higher education can be created, it is our solemn duty that we live up to this expectation of all our neighbouring countries. We all know we have terrible relationship with our neighbouring countries. The Minister must be congratulated for she has taken the right step that through education, through learning, we can create bonds, and we can make chords and tie chords with our neighbourhood which will go a long way in building a more peaceful, amicable and equitable Asia.

The Look East policy that was espoused by Mr. Atal Bihari Vajpayee is something that we all appreciate. While saying that we also know that the Mahayana Buddhism, the Vajrayana Tatva - which today is headed by the present Dalai Lama - was founded at Pushpagiri Vihara which is based in Orissa. If we are dealing with Nalanda, it is only proper that we consider Pushpagiri Vihara as a complex which should be a part of this centre of learning, this centre of excellence.

It is not only Yale or Cambridge or Harvard that we should look up to. Only the sons of millionaires go and study there. It is not necessary to make foreign universities have an easy game of India. We were the leaders in education, but we have lost our path. We have lost our moorings in the process of history. I must congratulate Madam Minister that she has in her own way found the moorings to bring this society back on its keel.

Only two religions existed in the subcontinent once and they were Sanatana Dharma - I am not saying Hindutva because that is a coloured and discriminatory

word - and Jainism. Later on came Buddhism and Sikhism. But when these two religions, these two paths of life – they are not even religions but two paths of life – existed in this subcontinent, it was a process of learning that created the Gurus. It was not a blind faith in customs and in mere rituals.

Everybody here knows that the maritime activities that were emanating from the then Kalinga, which is part of Orissa now, spread the Indian thoughts of Jainism and later on Buddhism to the Far East and even as far as Arabia. This I would like to say was a period when other parts of India were in the darkness, were uneducated - I am not denigrating anybody – and in some ways were underdeveloped. At that time, the area that is Bihar and Orissa now gave light to the human mind.

I would go back to Huen Tsang's treatises and would request this Government – I will not beg like we heard yesterday somebody was begging – and say that taking a leaf out of Sri Aurobindo's and Vivekananda's teachings, and what Huen Tsang had said in his treatises, let us create a complex of higher education where you get Pushpagiri Vihara and Nalanda together and create a centre of excellence, a centre of learning where our students, the future generations not only of India but also of Myanmar known as Burma, of Thailand, Cambodia, Vietnam, China, Pakistan and Afghanistan, should feel attracted to come here, they should feel attracted to study here, to learn facts of life, to learn things of spiritual excellence, thoughts not only of materialism but also thoughts which are much greater than what we encounter today on the streets.

So, I would only request that this should be considered seriously. I support this Bill wholeheartedly, which is a rare thing for me; and our Party, the Biju Janata Dal, also supports this Bill. We only want that it should be built into a Complex and Pushpagiri Vihar should also be made into a Complex along with Shahnawaz Hussain ji's Taksha Shila, and of course, Nalanda.… (*Interruptions*) I would suggest that this should be taken very seriously and we should go ahead with this.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you for giving me this opportunity to speak on The Nalanda University Bill, 2010. Nalanda University is a prestigious institution adding glory and fame not only to Bihar but also to our nation. This is a crowning glory to our educational system. At the outset, I support the Bill.

Nalanda Mentor Group head, Shri Amartya Sen has recently stated that it would take some more time for the university to take shape. He is having a doubt in his mind about the financial constraints. The total cost for the establishment of the university will be in the range of Rs.1,000 to Rs.1,500 crore but the Planning Commission has sanctioned initially Rs.50 crore towards the endowment fund. I am sure that the Centre and the State would contribute their might to fulfil the dream. I am of the opinion that finance should not be a constraint to achieve our ambitions.

Nalanda University is perceived as a symbol of Asian cooperation – a decision taken at the East Asian Summits in 2007 and 2009. I am of the opinion that it would be better to expand the composition of the Governing Body of the university with the inclusion of members from other East Asian countries also to lend the university as a university for the whole of East Asia. There is no representation from the HRD Department in the Governing Body. The Governing Body should also be expanded with more members. Hence, I request the hon. Minister to give serious thought on it.

On reading of the Bill, I find that in Clause 12 Visitor of the proposed University has been clothed with enormous power. I am asking the hon. Minister this. Will it not erode the autonomy of the University? In Clause 9, it is stated that the University shall be autonomous and accountable to the governing body but through Clause 12 overriding powers have been given to the Visitor. It is stated in Clause 12 that the Visitor may, after obtaining the views of the Governing Body, takes such action and issue such direction, and University shall be bound to comply with the directions. Governing Board shall be bound to comply with such directions of the Visitor. I would request the hon. Minister to examine the

feasibility of clipping the powers of the Visitor or Nominee in running the University. So, this Clause may be suitably amended.

Finally, I fully support and welcome this Bill, which should pave the way for international understanding and peace; and it would prove to be a landmark one in South Asia and even globally, in the days to come.

With these words, I conclude.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं बिहार से आता हूं, नालंदा का क्या महत्व है, हम सभी जानते है यह देश और दुनिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्राचीन काल से है, जिसके पुनरूद्धार की बात आज इस सदन में की जा रही है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्राचीन भारत के सबसे बड़े ज्ञान स्थल को फिर से पुर्नजीवित करने के लिए इस सदन में बिल आया है। इसमें अवश्य थोड़ी सी परेशानी है कि एक अंतरराष्ट्रीय इनिशिएटिव के तहत यह कार्य हो रहा है। आजाद भारत के 63वें वर्ष में अंतरराष्ट्रीय इनिशिएटिव पर यह कार्य होने जा रहा है, जब कि यह केन्द्र की सरकार के द्वारा बहुत पहले ही होना चाहिए था। सन् 2007 और 2009 की दूसरी और चौथी पूर्वी एशिया शिखर बैठक के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए यह बिल सदन में पेश किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 770 वर्ष, पांचवी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यह विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख ज्ञान का केन्द्र रहा। जब 1197 में यह समाप्त कर दिया गया, दुख है कि 812 वर्ष, बाद अर्थात आठ शताब्दी बीत गई, फिर से इसके पुनरूद्धार की बात तय करने में इतना वक्त बीत गया। हम सब खुशनसीब हैं कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा हम सब आज तक अपने जीवन में सुनते आ रहे हैं, वह अपने स्वरूप में हम सब के सामने आएगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, संयोग से बिहार में नालंदा खुला विश्वविद्यालय भी है, जो वहां के आम लोगों को शिक्षा का एक अवसर प्रदान करता है। इस अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने प्राचीन भारत में दुनिया को संदेश दिया, जहां दुनिया के हर कोने से विद्यार्थी बन कर, जिज्ञासी लोग नालंदा में आते रहे हैं। आज फिर से दुनिया की चाहत उसी स्थान पर है, जहां प्राचीन काल में दुनिया के लोग आते थे, फिर से दुनिया के सभी देशों को वहां आने का अवसर मिले। उन लोगों को विश्वास है कि भारत का बिहार राज्य का यह स्थान जो ज्ञान का स्थल रहा है, यह फिर से वर्तमान में ज्ञान का स्थल बन सकता है।

सभापति महोदय, मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि बिहार की वर्तमान सरकार ने इसमें पांच सौ एकड़ जमीन एक्वायर करके दी है, पांच सौ एकड़ जमीन और भी लगेगी और हजार-करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। एक सामान्य बात मेरे जैसे व्यक्ति के दिमाग में आती है कि यदि हजार-करोड़ के व्यय में नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव वापस किया जा सकता है तो क्या भारत सरकार के लिए दुनिया के सामने आवश्यक है कि वह सहयोग के लिए लोगों से कहे या दुनिया के लोगों को सहयोग के लिए आना पड़े।

सभापति महोदय, हमारे महान कवि ने कहा है कि जहां की पुस्तकों को जला दिया जाए तो समझो कि वहां की आबादी को जला दिया गया। आज संयोग से बिहार शिक्षा में इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। वहां पर सबसे निरक्षर लोग रहते हैं।

यदि 12वीं शताब्दी में यह घटना नहीं घटी होती तो बिहार इस देश के नक्शे पर इतने नीचे पायदान पर नहीं होता। उस समय इस ज्ञान के केन्द्र को समाप्त करना ही बिहार का आज का जो स्वरूप है, उसका कारण बन गया। लेकिन मुझे खुशी है कि अपने स्वरूप में बिहार अब धीरे-धीरे खड़ा हो रहा है।

मैं कोई राजनैतिक बात नहीं करना चाहता हूं, हमारे शाहनवाज़ साहब जो कह रहे थे, मैं उसका जवाब भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जब इस विश्वविद्यालय का वर्तमान खड़ा होने जा रहा है तो संयोग से शाहनवाज़ जी के लोगों के जाने की बारी आ गई है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि तीन महीने से सारे विश्वविद्यालय वहां बन्द थे, हम वहां पर इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने जा रहे हैं, हम प्राचीन गौरव को वापस करने जा रहे हैं, बिहार की सारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की इससे हमें वहां एक ताकत मिलेगी, हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा और बिहार आगे बढ़ेगा।

इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देश ही नहीं, दुनिया में भी धर्म, व्याकरण और अध्यात्म की बातें ही नहीं जाएंगी, बल्कि बिहार भी अपना गौरव वापस करेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बिल को लाकर यू.पी.ए.-2 ने एक बड़ा काम किया है। बिहार को आगे ले जाने में, शिक्षा के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होगा।

इसी के साथ मैं बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): I am highly thankful to you for having given me a chance to speak on the Nalanda (University) Bill. I will not discuss it vividly but in brief.

A number of hon. Members have participated in this discussion. I would say that it is a prestigious Bill. In ancient times the Nalanda University had brought glory and fame to our country. If one looks at the educational system of the ancient India, one would be amazed to see the infrastructure of the Nalanda University. Not only Indian students but students from abroad used to come to Nalanda University for getting education. We know that education is the manifestation of the perfection already in man. Keeping this in mind the Nalanda University was born. The primary object of the Institution was to make the Nalanda University one of the national importance institutions. It is hereby declared that the Nalanda University is known as an institution of national importance.

In this century if we wish to develop our education system or educational infrastructure, we must revisit the ancient education system of Nalanda University and I am sure we will be able to step forward our present education system. We all know that Nalanda University was a prestigious institution which brought glory and fame to our nation. Today, when this Bill is being discussed, I hope that all matters relating to education and educational infrastructure are looked into. I am of the opinion that for an educational institution giving finance alone is not enough but proper thought and reasoning must be given towards it to make it a great institution.

My humble suggestion would be that its Governing Body should be expanded. The institution was very famous in ancient India.

Sir, I do not want to discuss it vividly. I welcome this Bill which is being discussed today on the floor of the Lok Sabha wholeheartedly. Many hon. Members have discussed this Bill. My humble submission to the hon. Minister would be to establish this prestigious institution in near future and inculcate into it our ancient and ancestral prestige.

With these words, I conclude my speech.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति जी, जो आलोच्य विषय है, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सर्वप्रथम केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और वह हमारे शुक्रगुजार की हकदार है।

सभापति महोदय, जब राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि महर्षि हम दुनिया को कैसे देखते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा कि जनक, हम दुनिया को सूरज की रोशनी से देखते हैं। फिर जनक ने पूछा कि महर्षि अगर सूरज नहीं होगा, तब कैसे देखेंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा कि जनक, तब हम चांद की रोशनी से देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि यदि चांद भी नहीं हो, तब कैसे देखेंगे? उन्होंने कहा कि अंधेरे में जब हम एक-दूसरे को पुकारेंगे, तो दोनों की आवाज एक-दूसरे से मिलेगी, इस तरह से हम देखेंगे। उसने पूछा कि यह स्थिति भी नहीं हो, तब कैसे देखेंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा जनक, तब हम आत्मा के दीप को जलायेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कोई शरीर नहीं है। उसके साथ कोई स्थानीय पृष्ठभूमि नहीं है। वह सांस्कृतिक चेतना का आत्मदीप, संस्कृति और संस्कार है, जब हिमालय का पहाड़ बनता है, तब संस्कृति बनती है।

सभापति महोदय, बिहार सरकार ने जब विकास के कदम उठाए, तो उसने कहा कि केवल आर्थिक विकास होंगे, तो लंका बनेगी, आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास होंगे, तो अयोध्या बनेगी। इसीलिए राज्य सरकार ने आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास के कदम उठाए। किसी ने ठीक कहा है कि विगत नहीं मरता है, the past is never dead. उससे वर्तमान का फल निकलता है और वह भविष्य का बीज होता है। मैं कहना चाहता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की किसी राज्य सरकार ने स्थापना नहीं की थी। नालंदा विश्वविद्यालय सामाजिक चेतना का फल था, नालंदा विश्वविद्यालय सामाजिक प्रबंधन का फल था। यह किस तरह से चला करता था? सभापति महोदय, जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा तो एक दरबान जो वहां दरवाजे पर खड़ा था, उसने उसे रोका। ह्वेनसांग से उस दरबान ने कहा कि आपको अंदर जाने से पहले मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। ह्वेनसांग ने कहा, पूछो। दरबान ने उससे प्रश्न पूछा और उसने जवाब दिया। ह्वेनसांग कहता है कि अरे, तुझे तो वाइस चांसलर होना चाहिए।

तू दरबान बना हुआ है। उसने कहा I have knowledge but I have no meditation. मुझे नॉलेज है पर मेडिटेशन नहीं है। जो वाइस चांसलर होगा, उसे नॉलेज के साथ-साथ मेडिटेशन भी होना पड़ेगा। मैं नॉलेज रखता हूं, मेडिटेशन नहीं। मैं इन बातों को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आज विज्ञान में प्रगति हुई है, तकनीकी में प्रगति हुई है, दिमाग ने आसमान को स्पर्श किया है, पर ह्रदय के क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह गए हैं। आज हम जो पढ़ते हैं, उस जमाने में उसके विपरीत कि हम क्या हैं,

मनुष्य क्या है, हम कहां से आए हैं, इसका अध्ययन होता था। आत्मा को जानने के लिए आत्म को जानना जरूरी है। बिना आत्म को जाने हुए आत्मा को नहीं जाना जा सकता। बिना आत्मा को जाने हुए परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। इस संबंध में नालंदा विश्वविद्यालय ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम उठाया था।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में हजरत मूसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए। कहा जाता है कि हजरत मूसा के साथ-साथ क्राइस्ट भी आए। दुनिया की सारी सामाजिक, सांस्कृतिक भाषा इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। आज बड़ा अंधेरा है, घुप अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझता। हम बड़ी ऊंचाई पर हैं, लेकिन हार्दिक क्षेत्र में बहुत पीछे पड़ते जा रहे हैं। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से भ्रातृत्व की भावना फैलेगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से हम दुनिया के देशों की परम्पराओं को जान सकेंगे, दुनिया के देशों की अंतर्कथा जान सकेंगे।...(व्यवधान) हम दुनिया की भाषाओं को जान सकेंगे। सभापति महोदय, इसलिए हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। न केवल नालंदा विश्वविद्यालय बल्कि तक्षशिला और विक्रमशिला ये हमारे सारी लाइट हैं। इन सबको हमें प्रज्ज्वलित करना है ताकि हमारा वर्तमान सुखद हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं केन्द्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे नालंदा यूनीवर्सिटी बिल, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बिल की ताईद में खड़ा हुआ हूं और इसके लिए सबसे पहले दिल की गहराई से यूपीए सरकार को मुबारकबाद पेश करता हूं। वैदिक दौर से लेकर आधुनिक दौर तक का हिन्दुस्तानी इतिहास यह बताता है कि सियासी, सामाजी, मजहबी, अदबी और तहजीबी व सकाफ्ती मैदानों में रियासत-ए-बिहार का मुकाम बहुत अहम रहा है। प्राचीन भारत की तारीखी अहमियत का तीन-चौथाई हिस्सा बिहार की तारीख से ही जुड़ा हुआ माना जा सकता है। बिहार महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर, शर्फुद्दीन, यहैया, मुनेरी और गुरु गोबिंद सिंह जी जैसे अहिंसा, कुर्बानी, बलिदान, रूहानियत, देश प्रेम और आला अमल व किरदार के आलम बरदारों की सरज़मीं है। यह स्टेट संतों, सूफियों, आलिमों और ज्ञानों का केन्द्र रहा है। प्राचीन काल में इसने भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांधा, पंचशील के सिद्धान्तों को आम किया और उसे लोगों में फैलाया। मध्य काल में सूफी और संतों के जरिए शान्ति और नैतिकता का जबरदस्त प्रचार किया गया। बिहार शिक्षा, कला, मजहब-ओ-रूहानियत की धरती रही है। जहां नालंदा, विक्रमशिला और वोदन्तपुरी की यूनिवर्सिटीज़ में विज्ञान, दर्शन, भाषा शास्त्र, समाज शास्त्र, साहित्य, आयुर्वेद, तंत्र और कई दूसरे विषयों की तालीम के लिए हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों और विश्व के दूसरे देशों से शिक्षा और इल्म के प्यासे अपनी इल्म की प्यास बुझाने आते थे। नालंदा का मतलब ही इल्म और शिक्षा देने वाला है।

427 ईसवी से 1197 ईसवी के दौरान यह यूनीवर्सिटी बुद्धिस्ट तालीम का मरकज़ रही है। मौरियन सम्राट अशोका ने अगर इसकी तामीर में हिस्सा लिया, तो गुप्ता काल में उसे उस वक्त के राजा की सरपरस्ती हासिल रही। नालंदा को तारीख की सबसे बड़ी यूनीवर्सिटी में से एक यूनीवर्सिटी होने का दर्जा हासिल था।

महोदय, आज जबकि सदन में नालंदा यूनीवर्सिटी बिल, 2010 पर बहस हो रही है, तो मैं इसकी भरपूर ताईद करता हूं। हमें विश्वास हो चला है कि रियासत-ए-बिहार इस यूनीवर्सिटी के कयाम के जरिये पुरानी तारीखी रिवायतों को फिर से पनपता हुआ देखेगी और दुनिया के सबसे पुराने शिक्षा केन्द्र से, जहां कभी चीन, यूनान, पर्शिया, कोरिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया से आये दस-दस हजार तलबा लगभग दो हजार ज्ञानियों से शिक्षा पाते थे, फिर वही तारीख दोहरायी जायेगी।

महोदय, पांचवीं सदी मे कायम करदा नालंदा यूनीवर्सिटी के खंडहर आज भी उसके अतीत के अमली दास्तान और कुशान तर्जे-तामीर की झलक पेश करते हैं। आज जिस नालंदा यूनीवर्सिटी बिल पर बहस हो रही है, उसके बुनियादी मकासिद ये हैं –

1. मैम्बर मुमालिक में कदीम उलूम बिलखसूस वो उलूम जिनका रिवाज सदियों पहले नालंदा में था, जैसे फलसफां, लिसानियत, तारीख और हायर एजुकेशन के उन मजामीन के सिलसिले में तहकीक की कुवत पैदा करना है, जो म्यारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अजहद जरूरी है।

2. ईस्ट एशिया के मुस्तकबल के उन रहनुमाओं को इकट्ठा करके, जिनकी माज़ी की तारीख एक-दूसरे की मसाइल और उनके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने से मुत्तालिक हैं, उन्हें एक जगह लाकर इलाकायी अमन व सकून को बढ़ावा देना है।

3. तालीम और निसाव-ए-तालीम में उन मेयारात को लाना, जो तमाम मैम्बर मुमालिक को काबिले-कबूल हों, ताकि तालीमी-ए-मियार में हम अहंगी लाई जा सकें। इसकालसर और मैम्बर मुमालिक की माबैन एक मुनफरिद साझेदारी का माहौल पैदा करना। गौतम बुद्ध की तालीमात को मौजूदा दौर में उन दूसरे अफकार को खारिज किये बगैर समझना, जो दुनिया के किसी हिस्से में भी मौजूद हों। एशियाई मुल्कों के बीच खुसुसन जुनुबी मशरकी एशियाई मुमालिक के बीच जो मजबूत तारीखी मुमासलत, तिजारत, साइंस, रियाज़ी, मजहब, फलसफां और सकाफती हम आहंगी है, उन पर रिसर्च और तहकीकात को बढ़ावा देना। तलबा के दरम्यान एक-दूसरे को समझने और उन्हें बर्दाश्त करने की कुवत पैदा करना ताकि उन्हें मयारी शहरी बनाया जा सके और बेहतरीन जम्हूरी समाज की तशकील की जा सके। सदियों पहले राईज नालंदा की तालीम के तनाजूर में मैम्बर मुमालिक की तालीम के तनाजुर को बेहतर बनाना और मैम्बर मुमालिक के माबेन मुख्तलिफ उलूम-ओ-फनून और पेशा वराना सलाहयतों की तरबियत फरहम करना।

महोदय, नालंदा यूनीवर्सिटी के लिए बिहार सरकार ने जमीन फराहम की। वह शुक्रिया की मुस्तहिक हैं और इसी तरह हम अपनी यूपीए सरकार को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस अजीम यूनीवर्सिटी की तामीर के लिए, उसे बनाने के लिए दिल खोलकर फवड फराहम किया।

महोदय, चूंकि मैं इस सदन में किशनगंज की नुमाइंदगी करता हूं, इसलिए इस मौके पर इस मामले का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूं कि तालीम-ए-लिहाज से बिहार की सबसे ज्यादा पसमांदा कमिश्नरी पूर्णिया है। वहां सभी फिरकों में तालीम की शरह बहुत ही कम है। उस कमिश्नरी के किशनगंज में एएमयू के स्पेशल सैंटर के कयाम के लिए वहां के सभी मजहबों और तबकों के अवाम रियासती सरकार की तरफ निगाहें उठाये हुए हैं। अगर रियासती सरकार उस स्पेशल सैंटर के लिए चंद टुकड़ों में दी गयी जमीन को एकजा करके उसे एएमयू को जल्द फरहाम कर दे, तो मुझे उम्मीद है कि उस इदारे के कयाम से भी बिहार तालिमी फिलड मौ अपना अहदसाज रिकार्ड बनायेगा।

महोदय, तालिम के फरोग़ में यूपीए सरकार दिलचस्पी दिलकशीं का मुज़ाहरा कर रही है, इसलिए मैं यूपीए सरकार की लीडरशिप की खिदमत में एक शेर नज़र करके अपनी बात पूरी करता हूं - " कोई बज्म हो कि कोई अंजुमन, ये शेआर अपना कदीम है, जहां रोशनी की कमी मिली, वहां एक चिराग जला दिया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, नालंदा विश्वविद्यालय को देखने से मालूम होता है कि कबीर दास जी कहा करते थे - अचरज देखा भारी साधू, अचरज देखा भारी। विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने एक कानून बनाया नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 और अब दूसरा कानून आ गया नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 भारत सरकार के द्वारा, विदेश विभाग के द्वारा। अब ये दो विश्वविद्यालय हैं या एक ही विश्वविद्यालय है, कौन सा कानून चलेगा इस पर? एक विश्वविद्यालय एक होगा और कानून दो होंगे या राज्य सरकार वाला कानून खत्म हो गया और अब यह कानून रहेगा? यह मेरा सवाल है। इसमें लिखा है कि प्रस्ताव विधान यह उपबंधित करता है कि भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को कुलाध्यक्ष नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे। फिर कहा गया है कि बिहार के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए गए नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अधीन नियुक्त नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति के नामनिर्देशित के रूप में नियुक्त किया समझा जाएगा। फिर आगे लिखा गया है कि उक्त नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अधीन नियुक्त नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति प्रस्तावित विधान के अधीन कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक पदधारण करेगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। पांच वर्ष का कार्यकाल उस कानून में है और तीन वर्ष का कार्यकाल इस कानून में है। यह अलग-अलग है। राज्य सरकार बहाल कर दे, वह भी रहेगा, जो राष्ट्रपति बहाल करेंगे, वह भी रहेगा। यह कैसा कानून है? इसलिए मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह बात साफ होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी एक और कानून दो? राज्य सरकार का कानून अलग और भारत सरकार का कानून अलग। पांच वर्ष से मैं सुन रहा हूँ। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब ह्वेनसांग आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर नियुक्त हुए थे। यह उस समय की दृष्टि थी कि एक चाइनीज यात्री, जो यहां बुद्ध धर्म का अध्ययन करने आये थे, वहां वाइस चांसलर नियुक्त हो गए। शीलभद्र चांसलर थे और ह्वेनसांग वहां वाइस-चांसलर थे। अब यह स्पष्ट नहीं है कि वाइस-चांसलर राज्य सरकार नियुक्त करेगी या भारत सरकार नियुक्त करेगी?

इसमें लिखा है कि पीपी मॉडल से होगा। माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल भी हम पीपी से करेंगे, कितने वर्ष इसमें लग गए? ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पांच वर्ष से सुन रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री 20 बार कलाम साहब को प्रोफेसर बहाल कर चुके हैं। 20 बार अखबार में छपा कि कलाम साहब एशोशिएट प्रोफेसर हो गए। हम लोग आजिज हैं कि यह यूनिवर्सिटी कब शुरू होगी। इसमें 1050 करोड़ रूपए खर्च होने हैं, 50 करोड़ रूपए योजना आयोग ने तय किया है। अब पीपी मॉडल दुनिया भर में खोजा जाएगा। इसमें दलाईलामा साहब को शामिल नहीं किया कि चीन का भी सहयोग लेना है।

चीन का सहयोग चाहिए तो दलाईलामा, जो धर्म गुरू हैं, उनको कैसे जोड़ा जाएगा। कह रहे हैं कि हम बुद्ध धर्म पढ़ाएंगे, वहां जो धर्मरक्ष, महाबोधकल्याण, अनिरूद्ध, मंजूश्री, महाकस्सप आदि सभी जो बौद्ध अनुयायी थे, महायान, हीनयान संप्रदाय, आचार्य विमलकीर्ति, कुमारजीव - जो जम्मू-कश्मीर के राजकुमार थे जिन्होंने चीन की राजकुमारी से शादी की थी, आचार्य विमलकीर्ति की रचना का आठ बार चीन में अनुवाद हुआ, जापान में अनुवाद हुआ, विमलकीर्तिनिर्देश को पढ़कर जापान के राजा ने उसे राजधर्म घोषित कर दिया। यह सब चीजें भी हैं। सवाल इस बात का है कि किस बात का वहां अध्ययन होगा, कब से होगा। पांच वर्ष तो बीत चुके हैं।

18.00 hrs.

अब पीपीपी माडल के तहत यह किया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने माडल स्कूल्स को भी पीपीपी योजना के तहत खोलने की बात कही है, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह तो एक युनिवर्सिटी है और इसमें अन्य देशों की भी भागीदारी होगी, तो इसमें पीपीपी माडल लागू करेंगे तो पता नहीं यह नालन्दा विश्वविद्यालय कब खुलेगा। नालन्दा युनिवर्सिटी के मेंटल ग्रुप में अमर्त्य सेन जी भी हैं। उन्होंने भी कहा है कि नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनः खोलने में समय लगेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अमर्त्य सेन जी ने कहा है। इसलिए हमें भी आशंका है, क्योंकि पीपीपी माडल में समय लगता है। जब माडल स्कूल्स उसके तहत अभी तक नहीं खुल सके हैं तो इधर तो आपको युनिवर्सिटी बनानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि समय पर इसका स्पष्टीकरण हो। एक युनिवर्सिटी और दो कानून, राज्य सरकार का अलग और केन्द्र सरकार का अलग, इसके भी स्पष्ट किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister for Parliamentary Affairs wants to say something.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Hon. Members representing various parties at the B.A.C. yesterday were good enough to agree to my request that if we were to take up the discussion in the morning, as we did today, we would sit late and conclude two Bills today. The one Bill which is being taken up and this I hope would be concluded in the next few minutes only, and thereafter the next Bill, viz., Educational Tribunals Bill may also be taken up. Then, we can take up `Zero Hour' matters.

MR.CHAIRMAN: What is the sense of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: So, the House has agreed.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

MR. CHAIRMAN: Shri Prasanta Kumar Majumdar. Please conclude within two minutes.

… (*Interruptions*)

[*] Not recorded.

18.05 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : The most ancient university of the world is the university of Nalanda which was set up in the 5th century A.D. All the emperors of that era like the Maurya emperors, Gupta emperors or the Pal emperors gave patronage to this institution. On a land of 14 acres, the university was built with 10,000 students and 2000 teachers coming under one roof. They used to stay together and learn. Not only that, the major attraction of the institution was its library. It was a nine-storey building comprising of scores of books and manuscripts. The library was known as a treasury of truth. The architecture of the building was also a masterpiece. The curricula were so vivid that all aspects of learning were covered, all disciplines were taught. Starting from ancient science, medicine, logic, metaphysics, philosophy, yoga, Buddhism, foreign philosophy, austerity – everything was dealt with. Shilabhadra, Atish Dipankar were the acharyas of the university. They were well-known for their in-depth knowledge and far-reaching vision.

So such was the quality and stature of the university which was situated in Bihar. But today what is the educational scenario of this state? It is in a pitiable situation. There has been absolutely no development and Bihar is lagging far behind in knowledge and education. The Government of India and the State Government should have paid more attention to this aspect. Not only that, the East-Asia Summit Conference has proposed that the teaching of Buddhism should be strengthened through international research. If that becomes possible then Buddhism will spread in the entire Himalayan region, Tibet, Bhutan. Moreover, Gautam Buuddha used to stay in this region. Therefore Buddhism as well as

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

Jainism were discussed at length. There were exchange of ideas and opinions. Various subjects used to be taken up for in-depth analysis. Scholars from all over the world – from Tibet, China, Philippines, Malaysia and other parts of East Asia used to pour in to study in this university. It was an international residential university. Infact the first of its kind. Therefore it has a rich tradition. The Government should have revived it many years ago to make it regain its past glory. Bihar could also have progressed shedding its backward tag. It is very unfortunate that neither the Central Government nor the State Government ever thought of promoting our heritage and culture. The Turkish emperors had tried their best to vanquish our rich, prosperous heritage but failed every time, they could not destroy the cultural fabric of our country. It is still shining bright. So it is time we do something about our tradition.

This Bill is non-payment, non-profit, private partnership, autonomous and accountability Bill. I whole-heartedly support the Nalanda University Bill 2010 and also emphasize that the views of Hon. MP of the area should be considered seriously. In the end I congratulate the Central Government along with the State Government for coming out of deep slumber after such a long time and introducing this important Bill in this august House. With the words, I thank you for allowing me to speak and conclude.

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, I welcome this Bill. This Bill will help increase the number of universities in our country and particularly when it is established in the name of Nalanda, it will help us to have an introspection about our past glory and rich heritage. This university should help the present day generation to develop democratic spirit and secular and scientific fabric advocated by our nation builders and great educationists of this country who thought that every seat of education should be for making a person a complete human being and it should help him to build good character in human beings. Every university should make students as comprehensive men when they come out of the university and not sectarian men.

In this connection, I would like to draw the attention of the hon. Minister towards Clause 24 of this Bill where there is a provision for introduction of Business Management in relation to Public Policy and Development Studies. I believe that this goes against the very objective as declared and it should not be a part of this university's education system.

Secondly, in Clause 33 of this Bill, regarding service conditions of employees of the university it has been stated that they would be appointed on the basis of a written contract. I suggest that all employees should be made permanent. Then, there is a provision regarding arbitration for any problems of professors and other employees of the university. There is a tribunal proposed for that and there is no scope for anybody to go to court. I suggest that they should be allowed to go to court. If students and teachers want to lodge any complaint against the management, there is no scope for that. So, they should also have scope to go to court.

Then, PPP will be a hindrance to the cause of this university. As one of our great parliamentarians and later Vice President of India Dr. Sarvapalli Radhakrishnan once said, our universities and institutions should be a seat of free thinking and sovereign ideology. To achieve this, PPP would be a hindrance for the students to come into this university.

Further, the Governing Body and the Academic Council should always be elected and nominated members should be very less so that the democratic structure of our education system remains. With these words, I support this Bill.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman Sir, thank you for allowing me to participate in this very important debate. The Nalanda University Bill 2010 is, in my opinion, an extremely important step as India is a rising power and as we flex our soft power, I think, this falls within the ambit of our soft power. This would have been not possible maybe 10-15 years ago but that it has happened in the year 2010 augurs well for our country and for the people at large.

My Party, the Sikkim Democratic Party, welcomes this as a very interesting and a very good development for our country and for our people. The people of Sikkim would like to thank not only the Government of India but also the people of Bihar for this great step forward. The people of Sikkim and mainly the Buddhists of Sikkim will find it a very useful mechanism for further studies.

In this context, I would like to draw the attention of this House to two very important visits made by our Prime Ministers. The first was by our Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, in 1959, when Palden Thondup Namgyal, the King of Sikkim at that time, set up the Namgyal Institute of Tibetology. You will recall that at that time, in 1959, there was already a movement in Tibet and all the Buddhist books and literature, which were there, had to be kept somewhere and in this great institution, called the Namgyal Institute of Tibetology, which is housed in Sikkim, with the help of Pandit Jawaharlal Nehru and the Government of India, at that time, this was set up.

Then the second was in the year 1982 when none other than our then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, visited the same institution. This institution is a vibrant institution housing an immense amount of resource in the area of Buddhist studies. I would, therefore, make a humble plea that the Director of Namgyal Institute of Tibetology be a member of the governing council of this wonderful university that is going to come because it links the Buddhists thought of that time, which is housed in this institution, to the new and upcoming university.

Finally, I would like to make another comment that as history repeats itself, now we find in the year 2010, the Nalanda University coming up as a centre of

great learning. It is something which we all as Indians should be very proud of. With these words, I thank the Government and this House for, at least, giving full support to this Bill.

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बिहार महान जनता की तरफ से और अपने निर्वाचन क्षेत्र, देश रत्न डॉ. राजेन्द्र बाबू की पावन पवित्र जन्म स्थली सीवान की जनता की और से कोटि-कोटि केंद्र सरकार को धन्यवाद देंगे। श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति आभार व्यक्ति करते हैं। देश के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि बिहार की गौरवमय इतिहास को पुनः दोहराने के लिए यह महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं। निश्चित रूप से बिहार देश का जगतगुरु रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में बिहार की शिक्षा में ह्रास हुआ है। बिहार की डिग्री की मान्यता दूसरे राज्यों में नहीं हो रही है। उसका कारण भी था कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विद्यालय होने के बावजूद जो स्थिति पैदा हुई, उससे बिहार के शिक्षा जगत में शिक्षा का ह्रास हुआ। उससे बिहारवासियों को काफी लज्जित होना पड़ा। इसका कारण भी था, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री को डिग्री घोटाले कांड में जेल जाना पड़ा था, लेकिन केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण विधेयक ला कर एक बार पुनः दुनिया में बिहार के मान और सम्मान बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, आपने नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए यूपीए सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन इस के साथ साथ मेरी कुछ मांग है और उन मांगों को भारत सरकार को अति जल्द ही पूरा करना पड़ेगा। पहली मांग है कि हमारे बोडोलैंड में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। दूसरी मांग है कि आज हमारी सरकार ने सारे देश में कम से कम 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पॉलिसी अपनाई है। लेकिन हमारे बोडोलैंड में बोडो भाषा से बोडो माध्यम की जो शिक्षा विगत 1963 साल से चलकर आयी है, वह आज समाप्ति के कगार पर है। कम से कम बोडो माध्यम के 1000 प्राथमिक स्कूल, 500 अपर प्राइमरी स्कूल्स, 500 संख्या के हाई स्कूल्स को असम सरकार धनराशि के अभाव के बहाने पर प्रोविन्सेलाइजेशन सिस्टम में नहीं ला पाई है। हमारी बोडो भाषा को वर्ष 2003 में भारत सरकार ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। लेकिन हमारी बोडो भाषा की जो बोडो मीडियम शिक्षा है, वह समाप्त होने जा रही है, उसकी रक्षा कौन करेगा? Who will rescue the moribund Bodo medium schools? आज देश में 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात हो रही है। नालंदा विश्वविद्यालय आज कई शताब्दियों के बाद फिर बनने जा रहा है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? निश्चित तौर पर सुपर यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या मिलेगा? आज जम्मू-कश्मीर की हालत बिगड़ रही है। बोडोलैंड अंचल के लोगों के दिल दिमाग में जो परेशानी है, उस परेशानी की भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा। इसलिए मेरी मांग है कि नालंदा विश्वविद्यालय की तरह एक कैम्पस हमारे बोडोलैंड में भी स्थापित करना चाहिए। बोडोलैंड जो स्टेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है, उस बोडोलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी को केन्द्र सरकार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्टेटस देना पड़ेगा और बोडो माध्यम के जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं और हाई स्कूल्स हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए केन्द्र सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, यह मेरी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI PRENEET KAUR): Mr. Chairman, Sir, in the first instance, may I express my appreciation and gratitude to the hon. Members for supporting the Bill and their valuable suggestions made regarding the establishment of the Nalanda University?

I would first like to clarify that the Ministry of External Affairs has taken on the task of drafting the legislation to establish the Nalanda University as the University is to be international in character. It is being supported by 15 other countries at the East Asia Summit meetings, and the idea would be to establish it as an international centre for excellence to remind us of the glory of ancient Nalanda.

The Nalanda University shall be established as a non-State, non-profit, secular and self-governing international institution with continental focus. The Government of India, as the host country, shall make the land available. The Government of the State of Bihar, which has acquired 446 acres of land for the University, has agreed to transfer this land to the Nalanda University.

Private donations, international contributions from other foreign Governments and member countries of the East Asia Summit are expected on a voluntary basis. Positive indications have been received from some of the member countries of the East Asia Summit for this project.

In fact, the Foreign Minister of Singapore, in his recent visit, has given an offer of four to five million dollars as private donations from there to set up a Library in the Nalanda University.

Regarding the various suggestions put forward by the hon. Members, I would like to submit that the Bill we will pass today gives only the framework and outline of the establishment of the University and its structure.

There are possibilities of incorporating these valuable suggestions made right from our opening speaker, Shri Shahnawaz Hussain to every other Member

of Parliament here while drafting the statutes, Ordinances and Regulations following upon this legislation to be drawn by the governing body.

Dr. Girija Vyas ji said that besides reviving the ancient knowledge we should also project the present skills that are bringing our country into great prominence. So, when there are going to be six schools already in the existing draft, the Board of Governors has also envisaged another school which is for Information Technology to be set up. Schools can always be expanded, as we see the need to do so and as sufficient resources become available as there is an enabling clause to open any other school as decided.

I would especially like to thank Shri Satpathy ji for his rare support and appreciation that he has given for the step taken by the Government of India and the Ministry of External Affairs. He made a great reference to Pushpa Vihar University. I am sure that with the full support of all your people of Orissa and if your Government does put this step forward, you should be able to manage to set up again this ancient school of learning.

We do require as this was our international initiative to announce that we will be setting up the University at Nalanda at the earliest.

The early passage of this Bill by this august House will enable the Government to fulfil its international obligations and initiate action to set up the University.

With these words, I would request the House to pass this Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill to implement the decisions arrived at the Second East Asia Summit held on the 15th January, 2007, at Philippines and subsequently at the Fourth East Asia Summit held on the 25th October, 2009, at Thailand for the establishment of the Nalanda University in the State of Bihar as an international institution for pursuit of intellectual, philosophical, historical and spiritual studies and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 44 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 44 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Long Title were added to the Bill.

SHRIMATI PRENEET KAUR: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed. "

MR. CHAIRMAN : The question is

"That the Bill be passed. "

The motion was adopted.

18.26 hrs.

EDUCATIONAL TRIBUNALS BILL, 2010

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up Item No. 19 – Educational Tribunal Bill.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the establishment of Educational Tribunals for effective and expeditious adjudication of disputes involving teachers and other employees of higher educational institutions and other stakeholders (including students, universities, institutions and statutory regulatory authorities), and to adjudicate penalties for indulging in unfair practices in higher education and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. "

I was privileged to be present in this House today to listen to an enormously informative and enlightening debate on the revival of Nalanda University. It gave me great pleasure to witness the extent of unanimity that I was able to perceive in this House during the course of that debate. It is with this unanimity as we revive the past, to make India a crucible of knowledge once again, that is required for us to move forward.

I find that when we revive the past, we move with unanimity; and when we try to construct the future, unfortunately, there is always dissention. I believe that the time has come, specially, in the field of education to change all that. Education impacts every child in this country, every young man and woman who are going to university, every family who try very hard to make sure that their children get very high quality education. Every thinking member of society is impacted by education that the State and the private sector provide in this country. It is now our new tryst with destiny to be able to provide the kind of quality education that is demanded by our children, that is required for our children, that is

crucial if you want to take our nation forward with this thought. It is with that I want to introduce this Bill today for your consideration.

The second thing that I want to state is that no law is perfect. When we enact a law, it is on the basis of our understanding of the past our understanding of the needs of the present and our understanding of what we have to combat in the future. But our understanding in the past may be imperfect. Our realisation of what is required in the present may also be imperfect. Our ability through the law to deal with the challenges of tomorrow may be equally imperfect.

So, I want state right away that no law is perfect like no human being is perfect, like no State is perfect. Therefore, we should approach the issue with the intent that, what we are trying to do is to build the future for our people.

Let us move forward with a sense of unanimity that we showed in the House as we seek to built upon the energies of India of the past, the enlightenment of India of the past, the crucible of knowledge that India was in the past; it should be our cherished dream that we bring forth in the future for our children the very same crucible of knowledge.

Sir, what is the future? Why are we trying to take this step forward? The future is of 546 million children who are less than 25 years of age. That is the future that we are looking at. When India became independent, our literacy level was 16 per cent. It was 16 per cent of 300 million people, which makes it less than 50 million in all. Today, our literacy level is 64 per cent of 1.2 billion people, which is over 750 million people.

Times have changed. What we needed to deal in the past is no longer relevant for the present and what we need to do to deal with the future is something that we together have to create for our own children. So, in a sense, this is the first historic step that this House is taking to move away from the past to create a future for our children. I do not say that this is a perfect step. I do not say that this is going to solve the problems of India. But what I say to you, Sir, is that it is time for us to stand united and show the same sense of unanimity that we

showed just a couple of hours ago. Now, this is the first of a string of four Bills that we are going to bring to this House, which have already been introduced in Parliament.

As we move forward in education, more and more of our young children are going to go into higher educational institutions. We are now served by about 504 universities. We are now served by 25,951 colleges. But I dare say by 2020 we will have to build another 800 universities. By 2020 we will need another 35,000 colleges. There is no way in the world that the Central Government can build these colleges and set up these universities. The players and the stakeholders of the future are different. Our solutions for the future must also be different.

Now, in the process, you are going to get all kinds of disputes—disputes between universities and affiliating colleges, disputes between institutions like AICTE when they grant approval to institutions, disputes between the MCI when they grant approval to institutions, disputes between the UGC when they grant approval and recognition to institutions, inter-se university disputes, inter-se college disputes, disputes between teachers and the university, disputes between students and the university. The nature and the extent of disputes are going to increase exponentially.

But we are not prepared for the future. We do not have an architecture of the future for the resolution of these disputes. This Bill is an attempt to create that architecture. This Bill is an attempt to set up a separate system of adjudication of disputes, away from the civil court, away from the appeal court, away from all the present systems of adjudication, which are dilatory, which are ineffectual. Teachers must be seen in the class, not in the court rooms. Teachers should not have to run from the sub-judge and then go to an appeal court. Teachers must know that there is a particular forum, a fixed forum, where they can go and get redressal of their grievances and this does not apply to teachers alone. It applies to students. It applies to private institutions. It applies to public institutions.

I dare say that there is going to be an increase of private investment in the education set up. We see what is happening in the private sector. You have an advertisement which says one thing but on the ground what you get is something entirely different. Therefore, the next Bill that is going to come before you is a Bill on educational malpractices. Those educational malpractices will also be decided by the same Tribunal. You have advertisements which, in fact, hoodwink young students. You have people who charge capitation fee and there is no way to go to any particular forum for adjudication of those disputes.

So, the point that I wish to make is that the nature of the education scenario in the next 10-20-30 years is going to be entirely different from what prevailed in the past. The aspirations of our young people are entirely different. What we have tried to do in the process is to build a two-tier system, a system of State Tribunals and three National Tribunals and through that process give succour to those who might have grievances against the system, against institutions, teachers against universities and so on. Through this two-tier system we have tried to make sure that all stakeholders have a remedy that they can actually seek out as they move forward. That is really the purpose of this Bill.

The third Bill, which has been introduced and which is going to come before you, is a Bill relating to accreditation, namely, no institution which imparts higher education must go without accreditation because that ensures quality. Those processes must be far removed from the Government. What we have tried to do in the three Bills is to move away from Government and allow the university system to mushroom on its own. Universities like Nalanda become centres of excellence, centres of learning and Government should have very little to do with them and allow them to mushroom on their own so that they can provide the kind of quality education that we need for our future. Yet make sure and regulate the system in such a way that the private sector does not exploit the poor people of our country. That is very very important. That is why the regulation.

Of course, in the context of all this we are also going to talk about foreign education providers. But all this will come up before the Standing Committee. It is before the Standing Committee. We will not move forward. I will give an assurance to this House that we will not move forward unless we have had a full dialogue with every Member sitting on the other side of the House. We want unanimity because this is important not for politics, it is important for the future of our children. Therefore, there should be no difference of opinion on this particular issue.

With these words, I commend that the Bill be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That the Bill to provide for the establishment of Educational Tribunals for effective and expeditious adjudication of disputes involving teachers and other employees of higher educational institutions and other stake holders (including students, universities, institutions and statutory regulatory authorities), and to adjudicate penalties for indulging in unfair practices in higher education and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के वक्तव्य को सुना। नालंदा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विधेयक के बारे में इस सदन ने जिस प्रकार की वैचारिक एकता का प्रदर्शन किया और भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में जिस प्रकार का स्नेह, ज्ञान और सम्मान प्रकट किया, उसके लिए मैं सदन का बहुत आभारी हूं। मंत्री जी ने एक बात यह कही कि जब कभी हम अपने अतीत की तरफ ध्यान देते हैं तो हम बड़ी एकता का परिचय देते हैं और जब कभी हम भविष्य की तरफ देखते हैं, उसके बारे में कुछ विचार करते हैं तो हममें विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। अतीत एक यथार्थ था और उसके विषय में सभी को ज्ञान है कि वह क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, वहां क्या शिक्षा होती थी, कैसे होती थी, वह विश्व भर में लोगों को मालूम है? इसलिए उसके बारे में कोई विमति होने का या असहमति होने का सवाल नहीं उठता है, लेकिन भविष्य के बारे में तो अभी गर्भ में है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि वह गर्भ कहीं किसी विकलांग को जन्म तो नहीं देगा। संभावना यही है। वह स्वस्थ्य भी हो सकता है और विकलांग भी हो सकता है। इसलिए उसके बारे में चिन्ताएं होना, आशंकाएं होना बहुत स्वाभाविक है। प्रयत्न यह होना चाहिए और हम सबका यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह स्वस्थ्य निकले। एक हैल्दी, वायवरेंट, प्रोग्रेसिव विधेयक का जन्म हो।

आप उस विधेयक की दाई बनकर खड़े हुए हैं, midwife of that Bill. हमारी पूरी शुभकामना है कि वह विधेयक जब अधिनियम का रूप ले तो एक स्वस्थ अधिनियम के रूप में उन तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित करे जो इस सदन में हो सकती हैं या होंगी।

श्री कपिल सिब्बल: मैं तो शायद मिडवाइफ हूँ लेकिन डिलीवरी आपको करनी है। ...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : वह हम कर देंगे, लेकिन हम [illegible]ीय पद्धति से करेंगे, नालंदा की पद्धति से करेंगे और आप याद रखिये कि सिज़ेरियन भी नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): वे तो एबॉर्शन की तैयारी में हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : जी नहीं, वह तो इन्होंने इतना अस्वस्थ कर रखा है कि वह स्वतः ही अबॉर्ट हो सकता है। ...(व्यवधान) हमारे होते हुए ऐसी कोई चिन्ता की बात नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह एक स्वस्थ स्वाभाविक और प्राकृतिक डिलीवरी हो। भारत में प्राचीन काल में जितनी भी डिलीवरी होती थीं, उसमें अचानक ही कभी अकस्मात ही कोई सिज़ेरियन होता हो तो हो, बाकी तो सब..., और हमारे यहाँ भ्रूण हत्या तो पाप माना गया है।

सभापति जी, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि बहुत सारे विवाद शिक्षा संस्थाओं में हो रहे हैं और आगे होंगे। विवाद क्यों होते हैं? पहले इस बात को देखें कि इन विवादों का उत्स कहाँ है, क्यों विवाद हो

रहे हैं? विवाद तब होते हैं जब कोई विश्वविद्यालय की संस्था या जो नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, वह नियमों का उल्लंघन करती है। मैंने यह देखा है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में एक ऐसा कुलपति नियुक्त हो जाए जो उस विश्वविद्यालय के बारे में जानता ही न हो, यहाँ हमारे मित्र शैलेन्द्र जी बैठे हैं, जो जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर कुलपति का चयन ठीक हो और उसकी कार्यकारी परिषद् का, गवर्निंग बॉडी और काउंसिल का चयन ठीक हो, राजनीति से परे हो, और उसमें शैक्षिक व्यक्ति हों, एकैडैमिक परसन्स हों तो विश्वविद्यालय सामान्य तौर पर ठीक चलेंगे। विश्वविद्यालयों में गड़बड़ियाँ नियुक्तियों को लेकर तब होती हैं जब वाइस चांसलर और कार्यकारी परिषद् राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती हैं। सबसे बुनियादी बात यह है और हमने इस बात का ध्यान रखा था कि विश्वविद्यालयों के अंदर ऐसी नियुक्तियाँ न हों, कार्य-परिषदों में ऐसी नियुक्तियाँ न हों, लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों का बहुमत कार्यकारी परिषद् में होगा तो नियुक्तियाँ राजनीति से प्रेरित होंगी। आप इस बात को जान रहे हैं। अगर छात्रों के साथ राजनीतिक दृष्टि से भेदभाव होगा तो अवश्य विवाद खड़े हो जाएँगे। यह सवाल है। बुनियादी बात यह है कि इन नियुक्तियों की तरफ ध्यान दें और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जो नियम, परिनियम, अधिनियम के अंतर्गत बने हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वे सब अपने हिसाब से काम करें, विश्वविद्यालय उन्हीं के हिसाब से काम करे, विवाद कम हो जाएँगे। आप देखेंगे कि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ विवाद बहुत कम हैं और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ विवाद बहुत अधिक हैं। अगर आप गहराई में जाएँगे, अब आपको भी कुछ समय हो गया है इस विभाग को संभालते हुए। आप स्वयं भी अध्यापक रहे हैं, जैसे आज आपने बताया, मैंने चालीस साल अध्यापन किया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आजकल वकील हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : आजकल मंत्री हैं। ...(व्यवधान) वे बता रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है।

श्री कपिल सिब्बल : मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिन्दू कॉलेज में इतिहास पढ़ाता था।

श्री शैलेन्द्र कुमार : पढ़ा था या पढ़ाया था?

श्री कपिल सिब्बल : पढ़ाता था।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : इसलिए मैंने कहा कि कुछ न कुछ ज्ञान अध्यापन और वहाँ की समस्याओं के बारे में आपको है। अब सवाल यह है कि अगर नियुक्तियाँ ठीक हों, जैसे अभी एक कानून पास किया गया आपके मंत्रालय की ओर से निदेश गया कि रिसर्च के लिए प्रवेश का एक नया मानक आ गया। वे लोग जिन्होंने 2008 में पीएचडी प्राप्त की थी, वे सबके सब पीएचडी के लोग नियुक्तियों से डिबार कर दिये गये। मैं अभी पिछले दिनों काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में था। मेरे पास छात्र आए कि साहब हमारा क्या कुसूर है,

हमने 2008 में पीएचडी हासिल कर ली है और 2009 में जब इंटरव्यू के लिए आवेदन किया तो बताया गया कि आपकी पीएचडी बेकार है।

क्योंकि जो वर्ष 2009 के इस परिनियम के अनुसार आएंगे, वही क्वालीफाइड होंगे। यह कैसे हो सकता है? जिसने वर्ष 2008 में पंजीकरण करवाया हो, उसे क्या पता था कि वर्ष 2009 में क्या आने वाला है? जिसने वर्ष 2008 में पीएचडी हासिल कर ली, विश्वविद्यालय ने उन सब का आवेदन खारिज कर दिया। वे लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि नहीं आप इन्हें बुलाएंगे। यह विवाद किसी छात्र की तरफ से नहीं है। यह यूजीसी और आपके बीच का विवाद है। यूजीसी कह रही है कि गलत हो रहा है, लेकिन आपका मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, यही ठीक है, यही करो। आपने रिसर्च में प्रवेश का एक नया रास्ता निकाल दिया कि सारे देश में एक परीक्षा होगी और उसके बाद रिसर्च में प्रवेश होगा। मैं संसद की ओर से इंडियन इन्स्टीटयट आफ साइंस में प्रतिनिधि हूं। उनके यहां कैसे होता है? क्या यह कोई आईएएस या पीसीएस की प्रतियोगी परीक्षा है? आपने कहा कि पूरे बीएससी के प्रवेश के लिए सारे देश में एक परीक्षा हो जाएगी। इससे विवाद अपने आप खड़े होंगे। यदि आप इस तरह के आदेश निकालेंगे, तो यह ट्रिब्यूनल भी इनका निस्तारण नहीं कर पाएगा। आप ऐसे आदेश निकालते हैं। आपके यहां से ऐसे प्रस्ताव आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप स्वयं ऐसे कानून बनाएंगे, जिनसे विवाद पैदा होंगे तो हजारों छात्र इसमें आएंगे और रोज़ आपसे लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। यह होगा। इसलिए आप इस पर गौर करिए कि इस तरह की बातें न हों। यदि आप इसी तरह से करेंगे तो आप एक नहीं दस ट्रिब्यूनल बना लीजिए, उनका कभी निबटारा नहीं हो पाएगा। पहली बात यह है कि सही नियम और परिनियम बने। दूसरा, यह कि उसका पालन और संचालन ठीक से हो और तीसरी बात यह कि वह राजनीति से परे हो। यदि यह होगा, तो विवाद बहुत कम होगा, अन्यथा विवाद बढ़ेंगे।

महोदय, मंत्री जी ने जिस प्रकार का विधेयक रखा है, वह स्थायी समिति के पास गया था। उसने इसकी प्रत्येक धारा पर विचार किया और विचार करने के बाद उसने एक प्रतिवेदन दिया। मैंने इस प्रतिवेदन को देखा। इसमें आपने उसके हर सुझाव पर असहमति व्यक्त की है। 20 अगस्त को यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया गया था। आज 26 तारीख है। इन 6 दिनों में 21 और 22 की छुट्टी थी, 23 और 24 को त्यौहार थे, दक्षिण भारतीय अधिकारी ओणम को नहीं आए होंगे और उत्तर भारतीय अधिकारी रक्षा बंधन पर नहीं आए होंगे। इतनी जल्दी में आपने रिपोर्ट को देख भी लिया? उसकी हर एक संस्तुति को आपने कह दिया कि यह बेकार है, यह भी बेकार है, इसे नहीं माना जा सकता, अस्वीकार्य है। यह बिल कैबिनेट में कैसे जाएगा? क्योंकि इन्होंने इसे माना ही नहीं। अब सवाल यह है कि यह सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट है। इसके अध्यक्ष श्री आस्कर फर्नान्डिस हैं। इसके बारे में आपने गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। मैं आपको

बताऊंगा कि इसमें जो बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ वजनदार बातें हैं, जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि बहुत गहराई से ध्यान दिया जाए। आपने कहा है कि कोई भी कानून पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है, पूरे तौर पर पूर्ण नहीं है, अगर पूर्णतया को आप स्वीकार करते हैं, तो इसे पूर्ण करने के लिए आपने आश्वासन भी दिया है। मैं समझता हूं कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और शीघ्रातिशीघ्र इसे ठीक करेंगे। यह जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जो शिक्षाविदों की दृष्टि में आगे चलकर कठिनाई पैदा करेंगे।

महोदय, मैं रिपोर्ट के आधार पर भी और बिल के आधार पर भी मंत्री जी को बता सकता हूं। पहली बात यह है कि जब यह विधेयक सामने लाया गया, तो इस समिति का यह कहना है कि इसका प्रसारण ठीक नहीं हुआ था। हमें बताया गया कि प्रसारण ठीक हुआ था, केब की मीटिंग हुई थी। कमेटी इस बात से संतुष्ट नहीं है, कमेटी कहती है कि बहुत कम लोगों ने इसका समर्थन किया। मंत्रालय का विचार है कि बहुत लोगों ने समर्थन किया। अब कमेटी में अगर यह बात आती है तो वहां अवश्य ही मंत्रालय के प्रतिनिधि गए होंगे, उन्होंने किया होगा। अब विश्वविद्यालयों की राय है, पांच सौ से अधिक विश्वविद्यालय हैं, मुझे पता नहीं कि कितने विश्वविद्यालयों की राय आई, क्योंकि उसके अंदर बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। कितने छात्र यूनियंस, अध्यापक यूनियंस और कर्मचारी यूनियंस की राय आई, कब आई और कितनी जल्दी आई, ये सवाल हैं, इस प्रतिवेदन पर जो संसद में पेश हुआ, उसे देखने से पता चलता है। अगर मंत्री महोदय, मंत्रालय और मंत्री परिषद उससे संतुष्ट हैं तो मुझे फिर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपका संतोष ही सर्वोपरी है। मगर यह जो प्रतिवेदन है, ये अपना संतोष हर जगह व्यक्त करता है। फिर आप देखें, आपने इसमें एक बात बड़ी मजेदार कही है और वह यह कही है कि इसमें छात्रों का भी आप ध्यान रखेंगे, उनके भी विवाद सामने लाएंगे। अब छात्रों के विवाद लाने के लिए इसमें कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। छात्रों के विवाद क्या होते हैं, प्रवेश, फीस, कोर्स और डिग्री से संबंधित होते है तथा छात्रसंघ के चुनावों से संबंधित होते हैं। जो डिसिप्लनरी कमेटियां हैं, वहां तय हो जाता है, उसमें खास ज्यादा बात आती नहीं। लेकिन ये सवाल आते हैं, जो कानूनों से संबंधित होते हैं। फिर एक नयी बात आ गई है, आपने कहा कि पीपीपी मॉडल आ गया है। इसके जो प्रबंध के कायदे एवं कानून हैं, उसमें आपने कहा कि बहुत सी मेल प्रेक्टिसीस होती हैं। उनका जानकार इस सारी व्यवस्था के अंदर कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए। पीपीपी मॉडल के कानून सार्वदेशिक नहीं हैं, अलग-अलग राज्यों ने उसमें कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की हुई हैं। ये पीपीपी मॉडल कैसा बनेगा, क्या देश भर में एक समान होगा। हर विश्वविद्यालय का रूप, करेक्टर और इतिहास अलग है, यह देखने की बात है। जो सौ-सवा सौ साल से विश्वविद्यालय हैं, उनकी अपनी अलग परम्पराएं और अपने अलग ढांचे हैं, जो पांच-दस साल के विश्वविद्यालय हैं, उनके अलग मामले हैं, उनमें अलग प्रकार के विवाद हैं। आपने ये जो स्टेट के अंदर तीन आदमियों की व्यवस्था बनाई है, वे उसके लिए

सर्वथा मेरी दृष्टि से अपर्याप्त है, वह काम नहीं कर सकती। आपने इसमें जो बताया है और आनंद की बात है, आपने यह कहा है कि इसमें तीन व्यक्ति होंगे, एक न्यायिक व्यक्ति होगा और उसमें दो अन्य व्यक्ति होंगे, जिसके लिए आप कहते हैं।

It states that : "A person shall be qualified to be appointed as a Member of the State Educational Tribunal, if such person, -

(a) is not less than fifty-five years of age;

(b) is of ability, integrity and standing and has adequate knowledge and experience of at least twenty years in dealing with matters relating to higher education, public affairs or administration in educational matters;

(c) is, or has been, a Vice Chancellor or a person who is, or has been, of the rank and equivalence of a Chief Secretary of the State Government."

आपने इसमें दो व्यक्ति रखे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक एकेडेमिक, अब is or has been, a Vice Chancellor, ये तो देश में बहुत हैं। इसमें से अगर आप किसी मौजूदा वाइस चांसलर को लेंगे तो वह स्टेट युनिवर्सिटी का लेंगे। उसी स्टेट में कई प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, एफिलिएटिंग का लेंगे या नॉन एफिलिएटिंग का लेंगे। दोनों की समस्याएं अलग-अलग हैं। ऐसा वाइस चांसलर मिलना मुश्किल होगा जो दोनों जगह वाइस चांसलर रहा हो। फिर आप कहते हैं कि इसमें से एक महिला का होना जरूरी है तो क्या जज वाली महिला होगी या जो दो मेम्बर्स हैं, इनमें से महिला होगी? फिर आप कहते हैं कि जो चीफ सैक्रेट्री के लेवल होगा, उस स्टेट के सैक्रेट्री के लेवल का होगा, चीफ सैक्रेट्री ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी महिला आपको कहां मिलेगी, बहुत कम राज्यों में चीफ सैक्रेट्री के लेवल पर महिला मिलेगी।

ये सवाल उठते हैं। इसमें मिनिमम एज आपने 55 साल रखी है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह एज नहीं है, वहां तो अगर एक अच्छे हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरिएंस है तो आप हो सकते हैं। 35 साल में आप राज्य सभा में मैम्बर हो जाते हैं, 21 साल में आप विधान सभा के लिए क्वालीफाई हो जाते हैं, 25 साल में आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो वहां 55 साल क्यों? इसमें 55 साल का क्या तर्क है? शायद ऐसा लगता है कि कुछ नियर रिटायरमेंट वाले या रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट्स के वास्ते या कुछ ऐसे जजेज़ के वास्ते, कुछ आपके ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी बिरादरी के लिए और आपने अपनी बिरादरी के लिए इन्तजाम कर लिया है कि आप लोगों के लिए 2000-2500 ट्रिब्यूनल खोल दिये जायें।

इसके जो एपाइंटमेंट्स हैं, यह अपने आपमें काफी शंकाएं पैदा करते हैं कि यह व्यावहारिक कैसे होगा। इसी तरह से जो इनकी सलैक्शन कमेटी है, वह भी बड़े कमाल की है। वे कहते हैं:

"7 (1) The Chairperson and Members of the State Educational Tribunal shall be appointed by the appropriate Government from a panel of names recommended by a Selection Committee, consisting of –

(a) the Chief Justice of the High Court or his nominee….Chairperson;
(b) the Chief Secretary of the State Government…..Member;
(c) an officer of the State Government of the rank and equivalence of a Secretary to the Government of India with experience in dealing with educational matters….Member."

अब आपने कोई एजुकेशन सैक्रेटरी रखा तो वह तो चीफ सैक्रेटरी का मातहत ही होगा, उससे सीनियर तो नहीं होगा। एक तरह से यह चीफ जस्टिस के नोमिनी और चीफ सैक्रेटरी के बीच में रह जायेगा। किसी ब्यूरोक्रेट की यह हिम्मत नहीं है कि वह अपने चीफ सैक्रेटरी के खिलाफ जाये। उसकी बहुत सारी प्रोन्नतियां और सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं।

इसमें एपाइण्ट आप किसको करने जा रहे हैं, जो शिक्षा संस्थाओं में विवादों को तय करेगा, कौन से विवादों को तय करेगा, रैगुलेटर्स और उसके बीच के विवादों को तय करेगा, दो विश्वविद्यालयों के बीच के विवादों को तय करेगा, एफीलिएटिंग और नॉन एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ के बीच के विवादों को तय करेगा, विद्यालयों के बीच में और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में विवादों को तय करेगा। इतने बड़े स्कोप के लिए इसमें एक भी व्यक्ति सलैक्शन करने के लिए, चयन करने के लिए नहीं है, जो उनमें से लोगों को ला सके। यह इसकी एक इन्फोर्मिटी है, कमी है, इसको आप जरूर सुधारें। अगर आज नहीं सुधार सकते तो जब आप और बिल लाएंगे, तो उस वक्त इसको सुधार कर लाइये, हम उस सुधार को पास करेंगे। लेकिन इसके अन्दर आलोचनात्मक चीजें हैं। अपने तजुर्बे के आधार पर मैं कह रहा हूं कि यह चलेगा नहीं, यह व्यावहारिक नहीं रहेगा। बाकी बातें तो और लोग कहेंगे।

इसी तरह से जो आपका सैण्ट्रल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, उसके एपाइंटमेंट्स में भी आप जरा देखें। उसमें तो एक और मजेदार बात यह है:

"23 (1) The chairperson and Members of the national Educational Tribunal shall be appointed by the Central Government from a panel of names recommended by a Selection Committee consisting of—

(a) the Chief Justice of India or his nominee….Chairperson;
(b) the Secretary in charge of higher education in the Ministry of Human Resource Development of the Government of India…Member;
(c) the Secretary in the Ministry of Law and Justice of the Government of India….Member;
(d) the Secretary in charge of medical education in the Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India….Member;
(e) the Secretary in charge of the Department of Personnel and Training of the Government of India…Member.

आश्चर्य की बात यह है कि लॉ की एजुकेशन और मैडीकल की एजुकेशन इस विधेयक की परिधि के बाहर है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री कहती है कि इसमें हमारी कोई सहमति नहीं है। हैल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हमारी इससे सहमति नहीं है। आई.एम.सी. और आपमें कॉन्फ्लिक्ट है। आप उसको मानिये, जो यथार्थ है। आज जो स्थिति है, कल आप उसको सुधार लें तो अलग बात है। मुझे यह बताया गया है कि यहां तक बात है कि ये लोग कहते हैं कि हमसे इसमें कोई परामर्श नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप तथ्य सामने रखेंगे। जहां तक वस्तु-स्थिति है, वह यह है। बाकी कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, मैं जानता हूं, कैसे मंत्रालय के अधिकारियों के काम होते हैं। ऐसा कोई नहीं है, जो अपना अधिकार क्षेत्र आपको सौंप देगा। अगर आप बहुत कोशिश करेंगे तो यह जो टैक्नीकल एजुकेशन है, जो लेबर मिनिस्ट्री देती है, जो आपके शिक्षा मंत्रालय के पास होनी चाहिए, वह भी आपको नहीं देंगे। वे कहेंगे कि नहीं, यह हमारा कार्याधिकार है तो वह जो ब्यूरोक्रेटिक आपस में अधिकार क्षेत्र की लड़ाई है, उसे आपने अभी तक अच्छी तरह से समझ लिया होगा।...(व्यवधान) टर्फ वार इसके अन्दर होगी और लोग नहीं आएंगे और आएंगे भी तो इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो उस ट्रिब्यूनल के असली महत्व को समझ सके, बता सके। इनमें से कौन ऐसा है कि जिसको विश्वविद्यालयों के विवाद सुलझाने का और कैसा आदमी वहां चाहिए, इसको जानने का मौका होगा।

19.00 hrs.

क्या आप यह समझते हैं कि जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी बड़े आफीसर हैं, ये सब के सब दुनिया के हर विषय और शिक्षा के हर विषय के जानकार हैं? अगर ठीक से जानकार होते तो शिक्षा की यह दुर्गति ही नहीं हुयी होती। यह इसीलिए है कि बहुत सारे काम वे लोग करते हैं, जो शिक्षा के मर्म को

नहीं समझ रहे हैं, जो शिक्षा में बदलाव को नहीं समझ रहे हैं और जिस बदलाव की आप भाषा बोल रहे हैं, उस बदलाव से अनभिज्ञ हैं। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी आपने नालंदा विश्वविद्यालय का विधेयक यहां पास किया है। नालंदा विश्वविद्यालय इसकी परिधि में कैसे आएगा? वह इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है। उसमें दो सरकारों के बीच में झगड़े होंगे। ...(व्यवधान) इसमें फर्क है। अनेक सरकारों के सहयोग से बन रहा है। ...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, in the Nalanda University Bill there is a separate provision for arbitration. It has nothing to do with this. There is a separate special provision for setting up a tribunal through an arbitration process. Therefore, please do not confuse Nalanda with this.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हर विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन का प्रोवीजन है। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसके कानून में आर्बिट्रेशन का प्रोवीजन नहीं है? कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें आर्बीट्रेशन का प्रोवीजन न हो। श्रीमन्, आप स्वयं अध्यापक हैं। आपके विश्वविद्यालय में आर्बिट्रेशन है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, पढ़ाया हूं, उसमें आर्बीट्रेशन है। यहां वकील साहब बैठे हुए हैं, यह यूनिवर्सिटी के केसेज करते रहे हैं, सब जगह आर्बीट्रेशन है। ...(व्यवधान) हर विश्वविद्यालय में आर्बीट्रेशन है। लेकिन अगर नालंदा विश्वविद्यालय से किसी भारतीय विश्वविद्यालय का किसी मामले में झगड़ा हो जाए, तो कौन तय करेगा? ऐसे विश्वविद्यालय अभी और खुलेंगे। अभी तो एक शुरूआत है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अनेक प्रकार के खुलने चाहिए और खुलेंगे भी। कभी आप भी दूसरे देशों में जाकर विश्वविद्यालय खोलेंगे। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब भारत सरकार कहेगी कि तक्षशिला में हम एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाते हैं, उसकी पहल हम करेंगे, जैसे यहां जापान, चीन, थाइलैंड और ये सारे लोग मिलकर विश्वविद्यालय बना रहे हैं। कल को आप श्रीलंका में विश्वविद्यालय बना सकते हैं। आप इस सवाल को देखें ...(व्यवधान) अगर इनमें विवाद आएगा ...(व्यवधान) यह तो भविष्य का सवाल है। आपने कहा कि विवाद बढ़ सकते हैं अभी आप कह रहे हैं कि विवाद नहीं बढ़ेंगे। ...(व्यवधान) आप बहुत अच्छे वकील है, हर एक चीज का जवाब दे सकते हैं। आपके जवाब देने की क्षमता पर इस सदन में किसी को संदेह नहीं है। ...(व्यवधान) बहुत एबल वकील हैं। यह इधर बैठकर उधर का जवाब दे सकते हैं और उधर बैठकर इधर का जवाब दे सकते हैं, इसमें हमें कोई संदेह नही है। ...(व्यवधान) So capable. ...(व्यवधान)

महोदय, मैं वकीलों की जवाब देने की क्षमता को जानता हूं। हमारे यहां पंडित कन्हैया लाल मिश्रा एडवोकेट जनरल थे। वह नव्य प्रतिष्ठ वकील थे और अपने जमाने के देश भर के प्रतिष्ठित वकीलों में से

एक थे। वह एक बार कोर्ट में आए, किसी बहस से उतरकर सीधे कोर्ट में चले गए और देखा कि बहस शुरू हो रही है, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उनका जो मुवक्किल था, वह बहुत देर तक सुनता रहा, फिर बोला हुजूर यह आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे विरोधी की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। Now My Lord, this is what all my adversary could say. Now I am speaking for myself. इसलिए वकीलों की क्षमता के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर कल ऐसी स्थिति आ जाए, आप इधर आ जाएं, तो आप फिर वही सारे तर्क देंगे, उन्हीं बातों के खिलाफ, जो आपने आज कही हैं। मैं आपकी इस क्षमता का कायल हूं और सदन भी कायल है। ...(व्यवधान) मैंने एक बार इनसे कहा था कि एक मामले में आप मेरी वकालत करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, वह बात अलग है। ...(व्यवधान) आपको याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ...(व्यवधान) मैं फीस नहीं दे सकता था, यह बात सही है। ...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आपकी पार्टी के कई लोगों के केस मैंने हमेशा फ्री किए हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : जरूर किए होंगे।

श्री कपिल सिब्बल : पैसे का मामला हमारे बीच कभी नहीं आता।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा केस आपने मना कर दिया था। ...(व्यवधान) एबल भी हैं, इसमें मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सवाल यह है कि इस बारे में यह भी देखा जाए ...(व्यवधान) महोदय, मैं आप ही के चरण चिन्हों पर हूं। घंटी बजाने के जितनी देर बाद श्रीमन् आप इधर खड़े होकर टाइम लिया करते थे, मैं उससे कहीं ज्यादा टाइम लूंगा और ...(व्यवधान) आपके आदर्श के अनुसार चल रहा हूं। आप क्षमा करेंगे। ...(व्यवधान) मैं उतनी जोर से भी नहीं बोल रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): डा. साहब, आप वैसे भी इन्हीं की बात कह रहे हैं, जो स्वयं यह कहना चाहते हैं, आप प्रोफेसर रहे हैं न।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय के अनुसार ये ट्राइबुनल बनाए जा रहे हैं या बनाए जा सकते हैं, उनमें एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित किया गया है और वह यह है कि जो भी ऐसा ट्राइबुनल बने, उसमें ज्युडीशियल मैम्बर की संख्या औरों से अधिक होनी चाहिए...(व्यवधान) इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है कि अगर तीन सदस्य हैं, जिनमें एक ज्युडीशियल मैम्बर है और वह इत्तफाक से बीमार हो गया, तब भी दो आदमी काम कर सकते हैं। यह बिल्कुल असंवैधानिक बात है, क्योंकि ज्युडीशियल मैम्बर का होना अनिवार्य है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए इसे सुधारने की जरूरत है। कहते हैं कि कभी ऐसी बात होगी। मैंने कहा, कभी होगी तो उसका विचार होना चाहिए। कभी न हो,

आखिर कानून में जितना कम से कम इम्परफैक्शन हो, उतना अच्छा है।...(व्यवधान) आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, करना तो पड़ेगा। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा कि कानून में यह खामी है, तो फिर करना पड़ेगा। अभी से सुधार लें तो बेहतर होगा। यही तकलीफ वहां आ रही है। नौ सदस्यों में से उनकी संख्या पांच होनी चाहिए, चार तो कम से कम होनी ही चाहिए, पांच हों तो अच्छा है। वहां आपको तीन महिलाएं रखनी हैं। उसका भी वही सवाल आएगा कि उस स्तर की, वहां से छांटना और फिर अगर आप महिला के नाम पर पौलिटिक्स करवाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। इसलिए मेरा कहना है कि इन सारी चीजों को समझकर, व्यावहारिकता को समझकर सारा काम करना चाहिए, अन्यथा यह बिल्कुल व्यावहारिक नहीं रहेगा, चलेगा नहीं, यह मुझे आशंका है और इस बारे में खतरा है।

दूसरी बात, इससे अच्छा हो कि पहले आप विश्वविद्यालयों के लोगों से यह कहें कि उनके कानूनों में जहां कहीं सुधार की जरूरत है, जिससे कम से कम विवाद हो। हरेक राज्य सरकार ने कानून बनाए हैं। कुछ कानून बीस साल पहले बन गए थे, 1973 में बन गए थे जिन्हें तीस साल होने को आए हैं। विश्वविद्यालयों की परिस्थितियां बदल रही हैं। इसलिए नए-नए कोर्सेज़ आ रहे हैं। वहां भी पीपीपी मॉडल आ रहे हैं, वहां भी सैल्फ फाइनैंसिंग कोर्स आ रहे हैं। आप कृपा करके उसके बारे में विचार कीजिए ताकि विश्वविद्यालयों का मेकैनिज़्म ज्यादा से ज्यादा विवादों को वहीं निपटाने का हो।

मैंने एक बात यह भी देखी कि दुनिया में कहां-कहां ऐसे ट्राइबुनल्स हैं या क्या व्यवस्था है। यह देखकर लगा कि दुनिया में ट्राइबुनल्स बहुत कम जगहों पर हैं। In USA, there are private and public universities where they have Internal Grievance Settlement Mechanism for students and staff. If not satisfied with this Internal Mechanism, both have the right of recourse to courts. In UK, the Higher Education Act, 2004 states that students' complaints may be reviewed by a Body Corporate to be designated by the Secretary of State, Britain and National Assembly for Wales. Each higher education institution – each higher education institution – has a formal procedure for addressing complaints of students. In case, the issue is not resolved, students can take the complaint to the office of the Independent Adjudicator or office of the Ombudsman.

In Australia, in case student has a complaint, he can use the internal students redressal procedure in the first instance. After that, student may contact

the relevant Commonwealth State or Territory Ombudsman. The staff has the option to explore internal complaint procedure through Trade Unions and certain external mechanisms, before approaching the courts for redressal. Here too, Tribunal is not there.

In Sweden, Sweden's higher Education Act, 1992, modified in 2006, states that a Joint Board shall decide on the expulsion of the student. Student and the institution may appeal to General Administrative Courts against the decisions of the Board. The Equal Treatment of Students of Universities Act, 2001, promotes equal rights of students and applicants in higher education institutions.

मेरा कहना है कि इस दृष्टि से कानूनों में वहां सुधार करने की जरूरत है, ताकि ये ट्रिब्यूनल्स काम कर सकें।

अंत में, मुझे यह कहना है कि अगर एजुडिकेशन ही करना है, तो क्यों न आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ड की डेजिगनेटेड बेंचिस बना दें। जज तो आपको यहां भी रखना है और वहां भी रखेंगे। आप दोहरा खर्चा क्यों करते हैं? इस तरह से आपने और जगह बनायीं, और चीजें की हैं। कमर्शियल ट्रिब्यूनल्स को आप एजुकेशनल ट्रिब्यूनल्स के तौर पर लायें। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, वे ज्यादातर कमर्शियल ट्रिब्यूनल्स के हिसाब से किये गये हैं। उनके सामने एक उपाय के केस में जरूर आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बनने चाहिए। वर्ष 1986 की पालिसी में कहा गया था, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद भी केवल गुजरात, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र आदि में ऐसे ही ट्रिब्यूनल्स बने हैं। उनका काम कैसे चल रहा है, उसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। सदन के पास भी नहीं है और कमेटी के पास भी नहीं था। इसलिए इस बारे में बहुत गहराई के साथ, गंभीरता के साथ विचार कीजिए, क्योंकि बिल टेढ़ा हो जाये, उससे इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन टेढ़ी हो गयी, विवादों में सारी संस्थाएं फंस गयी, तो वे देश का बहुत नुकसान करेंगी और 50 करोड़ आने वाले लोगों के लिए भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने यह बिल यहां रखा।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके इस बिल का स्वागत करता हूं। जैसे उन्होंने अपने शुरुआती शब्दों में कहा कि वे कई बिल लाने वाले हैं। वे तीन-चार चरणों में बिल लायेंगे, जिनके द्वारा वे हिन्दुस्तान की उच्च्व शिक्षा को बदलने और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। उसका यह एक प्रथम पायदान है। आदरणीय जोशी जी ने एक कथा लॉयर्स के बारे में सुनायी थी।

सभापति जी, अगर आप इजाजत दें, तो मैं एक छोटी सी कहानी अध्यापकों के बारे में भी बताना चाहता हूं। मुझे याद है जब 1977 का चुनाव हुआ था, उस समय मैं बेंगलुरू के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था। हमारी उस समय सिविक्स की क्लास चल रही थी। यह मेरी आपबीती है। मुझे याद है कि सुबह हमारी सिविक्स की दो क्लासेज हुआ करती थीं। सुबह के भाषण में फादर डेविड हमारी सिविक्स की क्लास लेते थे। उन्होंने आपातकालीन स्थिति और इंदिरा जी पर हम लोगों को कुछ वाक्य बताये। वही सैशन जब दूसरी बार चला, तो लौटकर फादर डेविड हमें बताने लगे कि जिस आपातकालीन स्थिति की हमने आपसे चर्चा की थी, जिस नेता के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, वही कारण है कि जिससे कभी-कभी सरकारें भी गिर जाती हैं। जब मैं वापिस आया, तो पता चला कि सुबह और शाम के बीच में इंदिरा जी चुनाव हार गयी थीं और वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गयी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की क्वालिटी उन्होंने लॉयर्स के बारे में बतायी, कभी-कभी अध्यापकों पर भी चर्चा को तर्क-वितर्क करने की यह कहानी अप्लाई करती है। ...(व्यवधान)

मंत्री जी, आपने इस विधेयक को लाने के पीछे जो कुछ उद्देश्य बतायें हैं, मैं उनमें अपने थोड़े से तर्क आगे देना चाहूंगा। हम सब लोग यहां सांसद हैं। हम सब लोगों के पास बच्चे आते हैं, जो यूनीवर्सिटी मे पढ़ते हैं। कभी टीचर्स आते हैं। हमने एक चीज देखी है कि बच्चों को खासकर विद्यार्थियों को कभी भी अगर यूनीवर्सिटी के सिस्टम से कोई न्याय चाहिए, तो वे साल-दर-साल भागते-फिरते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर अटैंडेंस में कोई दिक्कत हो जाती है, तो वह अपना तर्क देता रह जाता है, लेकिन उसे यूनीवर्सिटी से कभी न्याय नहीं मिलता। कभी-कभी उसका अपने प्रोफेसर या हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट से झगड़ा हो जाता है, तो स्टूडैंट भागता फिरेगा, लेकिन उसे अटैंडेंस का सर्टीफिकेट नहीं मिलेगा। इस वजह से कभी-कभी उसके दो-तीन साल छूट जाते हैं।

सभापति महोदय, आदरणीय जोशी जी ने बताया कि इंटरनल ग्रीवैंस मैकेनिज्म होते हैं। इंटरनल ग्रीवैंस मैकेनिज्म में हम ज्यादातर देखते हैं कि हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट या प्रोफेसर को ही महत्ता मिलती है, स्टूडैंट्स की बात कभी सुनी नहीं जाती। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारी यूनीवर्सिटीज में एससी और ओबीसी स्टूडैंट्स के लिए कोटा दिया जाता है। देर-सवेर वे सीटें नहीं भर पाते, तो यूनीवर्सिटीज उसे डिजाल्व करके सामान्य स्टूडैंट्स के साथ जोड़ देती हैं। बच्चे भागते रहते हैं, सारे सांसद भागते रहते हैं कि कम से कम एससी और ओबीसी बच्चों को एडमिशन मिल जाये, लेकिन एक बार यूनीवर्सिटी जिसे टर्न डाउन कर देती है, हमारे पास कोई द्वार नहीं होता है। जब तक द्वार होता है, सितम्बर-अक्टूबर निकल जाता है और एडमिशन की लॉस्ट डेट खत्म हो जाती है और सारा का सारा मसला वहीं समाप्त हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 11 बजे इम्तिहान है, बच्चा भागकर किसी तरह एडमिशन की टिकट लेकर आता है और साढ़े दस बजे उसे रोक दिया जाता है कि तुम किसी कारण से इम्तिहान नहीं दे सकते हो। एक उदाहरण ऐसा भी है जिसे मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। एक लड़की को लॉ में एडमिशन मिला, जिसे 67 या 68 प्रतिशत से कम मार्क्स मिले थे, उसको इम्तिहान के लिए रोका गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसने कोर्ट से जजमेंट लिया कि नहीं, इसे इम्तिहान देने का अवसर मिलेगा, उसे 11 बजे इम्तिहान में जाने से रोका गया, उसने जजमेंट दिखाया, लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया। पुलिस आई, पौने बारह बजे उसे इंट्री मिली, लेकिन तीन साल हो गए हैं, उस विभाग ने उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला है। ऐसे बच्चे कहां जाएंगे? ट्रिब्यूनल लाने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि बहुत से ऐसे लोग जो कोर्ट नहीं जा पाते हैं, कोर्ट की पेंचीदगियां नहीं समझ पाते हैं, अपनी समस्या को केवल सरल भाषा में बता सकते हैं, जिनके पीछे उस तरीके के भाव नहीं हैं कि वे कहीं भागदौड़ कर सकें, जब टीचरों को यूनिवर्सिटी सिस्टम के साथ सिर तोड़ना पड़ता है, उनके लिए ये ट्रिब्यूनल्स हैं। जैसा आपने बताया, नई-नई यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिनमें दिखाते कुछ हैं और यथार्थ में कुछ और स्थिति होती है। वे बच्चे, वे अध्यापक, उन मां-बाप को आज कम से कम न्याय मिलने एक जरिया मिलेगा। हमने बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज नए बनते देखे हैं। आपने देखा होगा कि एक अच्छी सी बिल्डिंग की फोटो दिखाई जाती है, नीचे बीफार्मा आदि अनेक कोर्सेज के नाम लिखे होते हैं। लेकिन उसके नीचे का छोटा से प्रिंट कोई नहीं पढ़ता है कि this building is being built. जब बच्चा जाता है एडमिशन लेकर, मां-बाप से डेढ़ लाख रुपये लेकर जाता है, तो देखता है कि वहां लकड़ी का एक बड़ा किवाड़ बना हुआ है, उस किवाड़ को ठोंककर अंदर जाओ तो चार प्रोफेसर साहब बैठे होते हैं। खुदा जाने वे कहां से अपनी डिग्री लेकर आए हैं। उसे बताया जाता है कि बेटा, यूनिवर्सिटी अभी बन रही है, अभी तुम यहां पढ़ो। वह बच्चा कहां जाता है? कहीं

नहीं जा पाता है। मां-बाप पड़ोसियों से पैसा लेकर डेढ़ लाख रुपये देते हैं। उनका बच्चा जब 12वीं पास करता है, तो उनको लगता है कि जीवनभर की उनकी मेहनत सफल होगी, मेरा बच्चा बीफार्मा करेगा, तो मेरी भी जिन्दगी आगे चलकर सुधरेगी। उस समय वह बच्चा हाहाकार करते हुए जगह-जगह भागता फिरता है। उसको अपने सामने अंधकार दिखता है, अंततः वह सिस्टम से हारकर उन्हीं प्रोफेसरों के साथ बैठकर, उसी एक किवाड़ के कमरे में यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेता है। तीन साल बाद जब वह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसे बताया जाता है कि बेटा जिस कॉलेज से आप आए हो, उसका नाम भी हमने अब तक नहीं सुना है। वह बताता है कि वह एबीसीडी यूनिवर्सिटी से प्रमाणित है, तो उसे बताया जाता है कि एबीसीडी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है दुनिया में, तो प्रमाण तुमको किसका मिल गया। वह बच्चा कहां जाए? उस समय जब उसके सामने उसका भविष्य मंडरा रहा होता है, जब तक वह किसी भी यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटाएगा, उसके बच्चों के पढ़ने का समय आ जाएगा, उसे न्याय मिलेगा। यह सत्यता है हमारे लॉ सिस्टम की। कपिल सिब्बल साहब बहुत काबिल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि स्टैण्डिंग कमेटी से हमें जो सुझाव आए हैं, जैसे-जैसे हम सीखते जाएंगे, परिवर्तन करते जांएगे। जोशी जी कुछ बातें ठीक कही हैं कि हो सकता है आपको उसमें जज देने पड़ें। क्या 55 साल की उम्र सही है या उसे कम करने की आवश्यकता है। सबको हम देख सकते हैं, लेकिन इन ट्रिब्यूनल्स का आना अति आवश्यक है। इनका कोर्ट से बिल्कुल अलग नजरिया होता है। वही जज जब कोर्ट में बैठता है, तो एक दूसरे एटीट्यूड से, अलग सोच-समझ से हर केस को देखता है, उसके सामने मेजेस्टी ऑफ लॉ को सामने रखने की बात होती है, लेकिन जब वही लोग ट्रिब्यूनल में आते हैं, उनके अंदर मानवीयता ज्यादा दिखने लगती है। स्पीडी जस्टिस उनके लिए सबसे प्रथम बात बन जाती है। इससे पहले जब हम इसी सदन में ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल पास किया था, उसे इसीलिए सर्वसम्मति से पास किया गया था क्योंकि हम लोगों को मालूम था कि आने वाले समय में पर्यावरण से जुड़े हुए विषय धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएंगे, उससे होते हुए नकारात्मक असर हमारे जीवन में बढ़ेंगे, इसलिए एक अलग पद्धति की आवश्यकता है जिससे हमें न्याय मिले। आज अगर हमारे पास 25,000 कॉलेज हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीस, चालीस या पचास हजार कॉलेज भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि नए तौर-तरीके के कॉलेज बढ़ें, उनके लिए कई ऐसी समस्याएं आगे आएंगी, हो सकता है कि आज हमारे पास जो कानून हैं, जो न्याय व्यवस्था है, उनमें वह सब निहित न हो।

इंटर युनिवर्सिटी ट्रांसफर हो सकता है उन सब्जेक्ट्स का, आप नए तौर तरीके लाएंगे नई तरीके की रिसर्च करने के। आज अगर हमारे पास बाहर से भी कुछ युनिवर्सिटीज आएंगी जो अपनी-अपनी पद्धतियां यहां लाती हैं, तो हो सकता है हमारे लॉयर्स में, हमारे लोगों में उतनी काम्पिटेंसी न हो। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइब्युनल्स होंगे, जिनमें एक कुलपति स्तर का भी व्यक्ति होगा, जो अध्यापकों की और युनिवर्सिटीज की विपदा को और सिस्टम को समझता हो। एक एडमिनिस्ट्रेशन से व्यक्ति होगा, जो प्रशासन की सोच-समझ रखता हो। एक जज होगा जो न्याय को समझता हो, जो समझता हो कि किस तरह से हम न्याय का तर्क दे सकते हैं, तो हो सकता है कि बेहतर रूप से उन बच्चों को, उन अध्यापकों को युनिवर्सिटीज के बीच में या युनिवर्सिटीज सिस्टम के और कालेजेज़ के बीच जो विवाद होंगे, उन्हें सर्वोपरि रखते हुए कि बच्चों की एजुकेशन सफर न हो, उस टीचर का हटना सफर न हो, उस बात को ध्यान में रखकर अपना न्याय दे सकें। स्पीडी की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि कई और चीजों में अगर न्याय देर से भी मिल जाए, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे और आपके बीच में या मेरे और किसी के बीच में हमारे घर का विवाद है तो उस समय कहीं न कहीं घर में रह रहा हूं। सिविल मुकदमा है, कुछ दिनों के बाद घर मिल जाएगा। ऐसे ही जमीन का अगर झगड़ा है, दो-चार साल भी न्याय मिल जाएगा, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यह ठीक है कि जल्दी न्याय मिलना चाहिए। क्रिमीनल जस्टिस में आज नहीं तो कल मैं जेल जाऊंगा, अगर मैंने गलत काम किया है। लेकिन अगर कोई बच्चा दो साल खो देता है या बच्चे को अगर गणित की परीक्षा मिलनी है, सबसे अच्छा प्रोफेसर गणित का बनने वाला है, वह अगर बाहर हो जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता है तो उस बच्चे की वे कक्षाएं वापस नहीं आतीं। बच्चे का वह समय फिर वापस नहीं आता है। वह समय अगर एक बार चला गया, तो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए एजुकेशन में justice delayed is certainly justice denied. इसलिए उसके लिए ट्राइब्यूनल्स की आवश्यकता है। ऐसे रूप में ऐसी कामकाज चीज की आवश्यकता है जो तुरंत बच्चों का भविष्य देखकर, टीचर्स का भविष्य देखकर और उनके शिक्षण संस्थानों का भविष्य देखकर उसे सामने रखकर जजमेंट दे।

एक बहुत बढ़िया बात मंत्री जी ने कही है। मैं उसका स्वागत करता हूं, जब उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार को हमें धीरे-धीरे शिक्षा प्रणाली से अलग करना पड़ेगा। सरकार का रोल है नीति बनाना, सरकार का रोल है मोटे-मोटे रूप से इस बात को तय करना कि हमारे बच्चों में, आने वाली जेनरेशन में किस तरीके की पढ़ाई हो। कहीं न कहीं किस तरह के मूल्यों को उनके बीच में डाला जाए, किस तरीके की राष्ट्रीयता की भावना को हम उनके स्तर पर उनके बीच में रखें। हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों को,

हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे साधु-संतों को, हमारे धर्मों को, हमारी पर्यटन की जगहों को किस तरीके से उनके सामने प्रस्तुत किया जाए कि उनके अंदर अपने देश के बारे में गौरव महसूस हो। वहां तक सरकार का रहना अतिआवश्यक है। इस बात को देखना कि हम ऐसे कानून लाएं कि बच्चों को कहीं बेवकूफ न बनाया जाए। उनके मां-बाप को, जो अपने बच्चों में अपना भविष्य देखते हैं, कहीं काम्प्रोमाइज न हो, बहुत आवश्यक है। लेकिन हर चीज में इंटरफियर करने से भी सरकार को हटना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा सांसद बता दे कि उसकी अपनी आपबीती न हो कि हर दूसरे दिन हमारे पास कोई न कोई आता है कि यह हमारी बहू है या बहन है, इसका हिस्ट्री में इंटरव्यू आया है। अगर आप कह देंगे तो वह हिस्ट्री में इंटरव्यू चला जाएगा। कभी-कभी मेरे बोलने से अगर वह हिस्ट्री में इंटरव्यू चला गया, तो हो सकता है कि उससे बेहतर कोई हिस्ट्री पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, जिसकी मुझ तक पहुंच न हो, अगर उस व्यक्ति के हटने से कोई दूसरा व्यक्ति हिस्ट्री में चला जाता है तो 30 साल एक सबस्टेंडर्ड हिस्ट्री का प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता चला जाएगा। केवल इसलिए कि उस समय मुझे अपनी राजनीति ठीक करनी थी, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को न नहीं बोल सकता था या मेरे प्रभाव के कारण कुलपति न नहीं बोल सकता था। इसलिए हमें एजुकेशन सिस्टम से इस चीज को कहीं न कहीं अलग करना पड़ेगा। कई जगह पर, कई नौकरियों में हम लोग जानते हैं कि हम प्रभाव डालते हैं। हम देखते हैं कि हमारे इलाके के किसी कमजोर व्यक्ति को मौका नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी मदद करते हैं, क्योंकि हम हर कमजोर व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, जिससे उसका जीवन सफल हो सके, सरकारी कार्यालय में या प्राइवेट में नौकरी मिल जाए, भले ही दैनिक वेतन पर नौकरी मिल जाए। लेकिन जब हम शिक्षा में काम्प्रोमाइज करते हैं, तो हम अपने बच्चे को काम्प्रोमाइज करते हैं। इसलिए वहां भी सरकार का जो प्रभाव बढ़ा हुआ है, वह अगर घटे, तो यह स्वागतयोग्य है।

इस ट्राइब्युनल में और बाकी आने वाले कानूनों में मैं एक बात जरूर चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे। हम इस बात को भी सुदृढ़ करके रखें कि अगर हमारी आर्बिट्रेरीनेस उससे हट रही है, तो किसी और की आर्बिट्रेरीनेस भी उसमें नहीं आनी चाहिए। कई बार प्राइवेट कालेज में या संस्थानों में इस डर को हम जरूर देखते हैं। वहां पर किस तरीके के प्रोफेसर आ रहे हैं, क्या उनकी चुनने वाली पद्धतियां अपने में परिपूर्ण हैं या नहीं। आज अगर हम बिल लाएंगे, धीरे-धीरे हम नई युनिवर्सिटीज को लाएंगे, तो हमारे आने वाले बच्चे और उनके मां-बाप जब उन युनिवर्सिटीज के पीछ भारत सरकार की सील को देखेंगे, जब यह देखेंगे कि कानून द्वारा ये कालेजेज़ और ये युनिवर्सिटीज को मान्यता मिली है तो वे विश्वास के साथ अपने बच्चों को उसमें भेजेंगे। क्योंकि भारत के हर व्यक्ति का अंततः भारत सरकार की सील पर भरोसा होता है। लेकिन इस कारण से भारत सरकार, जब अपनी ही युनिवर्सिटीज को और उसके

रिकोग्नाइज कालेजेज़ को मान्यता देती है तो इस बात को भी सुनिश्चत करके रखे कि जो प्राइवेट कालेजेज़ आएंगे या पीपीपी माडल में आएंगे, चाहे किसी भी माडल में आएं, वे भी गुणवत्ता में काम्प्रोमाइज न करें।

बल्कि हमारी इस यूनिवर्सिटी से शायद बेहतर ही शिक्षा दें। माननीय मंत्री जी, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं कि आप बहुत तत्परता से इस बिल को लाए। माननीय जोशी जी ने कुछ बातें कही थीं कि 15-16 रिक्मेंडेशन्स स्टेंडिंग कमेटी की हैं, मैंने भी उन्हें पढ़ा है, बहुत सब्सटेंटिव इनमें रिक्मेंडेशन्स नहीं हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि दो-तीन में आपकी भी टिप्पणी आई है कि जो आने वाले अधिनियम इसमें आयेंगे, उसमें उन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और मेरा कहना है कि उन चीजों का आप ध्यान अवश्य रखें। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि जो तीन-चार बिल आप आगे लाने वाले हैं, पिछली बार जब आप राइट टू एजूकेशन का एक्ट लाये थे या दूसरा एक्ट लाये थे और चूंकि हम संसद में और चीजों में जूझते रहे थे, चर्चा करने का हमें कम समय मिला था, बहुत से सांसद अपनी बात नहीं रख पाए थे, लेकिन आपने हमारा आत्मबल जगाया, जब आपने कहा कि आप विस्तार से उसमें चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन मैं केवल इतनी विनती करुंगा कि अगर आपको लगे कि संसद में समय नहीं मिल पा रहा है तो किसी अलग जगह भी सांसदों को बुलाकर अगर आप हमारे विचारों को ले लें, तो अपनी बात हम रख पाएंगे, जिन बच्चों के मां-बाप ने संसद में हमें भेजा है, उनकी बात भी हम आपके बीच में रख पाएंगे। हो सकता है कि हममें से कुछ के ऐसे सुझाव आयें जो आपके कानूनों को, आने वाली व्यवस्था को और बेहतर रूप में बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी इस विधेयक को लेकर हमारे बीच में आये हैं और अभी बड़े ध्यान से मैं आदरणीय जोशी जी का, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफैसर और हमारे गुरु रहे हैं, उनकी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और उनकी काफी बातों से मैं सहमत भी हूं। उनका बहुत अनुभव भी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अब तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी है और हैड ऑफ डिपार्टमेंट होने के नाते उनका अनुभव भी था, जिससे उन बातों का उन्होंने उल्लेख भी किया।

19.27 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair)*

जहां तक इस विधेयक में देखा गया है कि प्राइवेट संस्थाओं और खासकर एजूकेशन से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा यह विधेयक करेगा।

तकनीकी, मैडिकल शिक्षण संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में कदाचार निषेध विधेयक, अनिवार्य मान्यता, राष्ट्रीय मान्यता प्राधिकरण और विवादों को निपटाने के लिए शैक्षणिक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए यह विधेयक है, जिसमें उच्च शिक्षा-संस्थाओं, छात्रों व अध्यापक, कर्मचारियों और प्रबंधकों में मुकदमेंबाजी में जो वृद्धि हो रही है, उसको जल्द निपटाने के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रिब्यूनल होगा। संसद की स्थाई समिति जो होती है, उसकी सिफारिश की जो बात कही गयी है, मुझे भी लगा कि बहुत जल्दी में यह विधेयक लाया गया है और इसकी सफलता-असफलता में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं शंका है। ईश्वर करे कि यह ट्रिब्यूनल सफल हो। यह बात सत्य है कि आज मुकदमों की संख्या बहुत बड़ी है और खासकर मुकदमों में जो पैसा खर्च हो रहा है और लम्बे समय तक जो विवाद चलता है, लम्बे समय तक जो निपटारा नहीं हो पाता, उसे देखते हुए आप इसे लाए हैं। मैं चाहूंगा कि इस ट्रिब्यूनल विधेयक में एक टाइम-बाउंड यानी समय-सीमा निश्चित कर दें कि इतने दिन, इतने महीनों में, इतने सालों में इसका निपटारा कर दिया जाए तो बहुत उचित होगा।

छात्रों को भी आपने इसमें जोड़ा है, जिनके प्रवेश को लेकर, एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर, जो उनका सेमेस्टर पीछे जा रहा है, कैसे उसे कवर करें, साल उनका बर्बाद न हो, उसकी तरफ भी यह ट्रिब्यूनल देखेगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर इस ट्रिब्यूनल में फैसला न हुआ तो आगे वह हाई-कोर्ट भी जा सकता है।

मैं उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सदन में शून्य प्रहर में हमारे कई सम्मानीय सदस्यों ने बात उठाई है कि छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। बहुत से ऐसे विवाद हैं, जैसा डॉ. जोशी जी कह रहे थे कि गवर्निंग बॉडी में एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग हैं, उससे ज्यादा विवाद होते हैं, क्योंकि उनकी मोनोपोली हो जाती है। कुछ वाइस चान्सलों द्वारा विवाद उत्पन्न हुआ है। ये देखा गया है कि यूनीवर्सिटी में जो पहले छात्र संघ थे, वहां ऐसे विवादों को जल्दी से निपटाते थे। आज बहुत से विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों का चुनाव न होने के कारण भी बहुत से विवाद कोर्ट में गए हैं। मैं खास कर आपका ध्यान यशपाल समिति की रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आप चुनाव करा दें, तो बहुत अच्छा होगा और जो छात्रों की मंशा है, वह भी पूरी हो पाएगी। जहां तक यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात है, मेरे खयाल से इसमें और सरकार के बीच में कोई समन्वय नहीं हो पाया है। यूजीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22.5 परसेंट आरक्षण एससी और एसटी को मिलेगा। वह चाहे लेक्चरर, प्रोफेसर या अतिथि शिक्षक होते हैं। इस प्रकार के बहुत से विवाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी है। हमारे मित्र ने कुछ दिन पहले इंगित किया था कि दिल्ली यूनीवर्सिटी में भी अभी कोटे का बैकलाग है। जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात है 112 पोस्ट आज की तारीख में खाली हैं। 71 एससी और 41 एसटी कोटे के पद खाली हैं, जिसे यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार भरा जाना है। जबकि यूजीसी की दो सदस्यों की टीम वहां गई भी थी। उन्होंने सिफारिश भी की थी, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। वहां शिक्षक तथा छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे गम्भीरता से देखें।

दूसरी बात धारा 6(a) में आरक्षण नीति लागू करने की बात यूजीसी ने की है, उस बैकलाग को अगर आप भरेंगे, तो मेरे खयाल से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की भरपाई हो पाएगी। जहां तक इस बिल में यह कहा है कि केपिटेशन फीस वसूलना अपराध होगा। इसमें सजा का भी प्रावधान किया है और पचास लाख जुर्माना और तीन वर्ष की सजा का भी प्रावधान किया है। यह बात सच है कि आज छात्रों के साथ जबरदस्त शोषण हो रहा है। उनसे डोनेशन लिया जा रहा है, चाहे वे मेडिकल के छात्र हों, चाहे तकनीकी शिक्षा के छात्र हों या अन्य विषय में पढ़ने वाले हों। आपने इसमें जो व्यवस्था की है, उसके बारे में जोशी जी ने थोड़ा सा सवालिया निशान खड़ा किया है कि एक अध्यक्ष सहित आठ सदस्यों का प्रावधान किया है और बीस वर्ष का अनुभव भी है। मेरे खयाल से आपके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी। आपने बताया कि पांच हजार विश्वविद्यालय हैं और 25 हजार कालेज हैं तथा देश में 800 कालेज की और जरूरत

है। यह बहुत बड़ी समस्या आज की जनसंख्या को देखते हुए देश के सामने है। खास कर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर है, इसे आपको देखना है।

मेरे पास बहुत से प्वायंट्स थे, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में छात्रों के हित की बात होनी चाहिए। खास कर विश्वविद्यालय या कालेज हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। छात्रों का डोनेशन के नाम पर जो शोषण हो रहा है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: May I request the hon. Members to cooperate with the Chair as only half-an-hour time is left for the Bill to be disposed of and there are 15 more Members to speak on the Bill. If you take five minutes each and be brief, it will be useful for every one of us. Moreover, there is Zero Hour also and about 30 Members are there to speak in the Zero Hour also.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please take your seat. What I am saying is that, the BAC has decided to allot two hours for this Bill. If you want to take more time, then it is a different issue. Out of those two hours, each party has been allotted time. This is what I am informing the Members. Then, "Zero Hour" will also to be taken.

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, पहले मुझे यहां से बोलने की अनुमति दीजिए। मेरी सीट पीछे थी क्योंकि हमारे नेता बगल में बैठे थे, इसलिए मैं यहां से ज्यादा ठीक महसूस कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ही यह लिखा हुआ था कि ट्राईब्यूनल बने और विवादों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो। यही चीज वर्ष 1992 में भी एजुकेशनल ट्राईब्यूनल की जब एजुकेशन पॉलिसी फेल हुई, तब हुआ। मुझे इसमें थोड़ा सा अफसोस है कि 1986 से अब तक 24 साल हो गये हैं, यह अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपने योग्य एचआरडी मिनिस्टर को निजी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 1986 से जो जगह रिक्त थी, उसको एक सकारात्मक रूप दिया। इस हिसाब से एक ट्राईब्यूनल हो और विवादों का निस्तारण जल्दी हो, यह पूरी नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड है। यह बहुत जस्टीफाइड डिमांड है लेकिन हमें इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि इससे जल्दी-जल्दी निस्तारण होगा, मैं इसमें ज्यादा न जाकर सीधे मैं इस बिल पर आना चाहता हूं कि इस चैप्टर 2 में स्टेट लैवल और चैप्टर थ्री में नेशनल लैवल की बातें दी गई हैं। इसमें लिखा हुआ है:

> "Each State Educational Tribunal shall consist of a Chairperson and two other Members of which not less than one shall be a woman, to be appointed by the appropriate Government."

स्टेट लैवल पर तीन लोग होंगे जिसमें एक महिला होगी और दो दूसरे लोग होंगे। अब हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह तो स्टेट एजुकेशनल ट्राईब्यूनल लैवल पर है लेकिन जो नेशनल लैवल पर है, वह आप चैप्टर थ्री में देखें क्योंकि यहां कमपैरीजन जरूरी है।

> "The National Educational Tribunal shall consist of eight members. Two shall be Judicial Members; three shall be Academic Members; three shall be Administrative Members."

अगर महिला स्टेट लैवल पर कंपीटेंट है तो आप समझिए कि क्या नेशनल लैवल पर महिला इंकंपीटेंट है? यह आपने कांशियस अगर ओमीशन है तो इस पर मैं अपना एतराज दाखिल करता हूं। आज जब रोज संसद में विचार हो रहा है कि 30 प्रतिशत रिजर्वेशन, 40 प्रतिशत रिजर्वेशन और पंचायत में 50 प्रतिशत रिजर्वेशन महिला के लिए हो तो आपने किस रीजन से महिला को हटाया, यह एक निरादर का भाव है, इसको आप देखें और समझें नहीं तो आपकी मुसीबत होने वाली है। इसी के साथ मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं। अब मैं सैक्शन 6 के सब क्लॉज 2 पर आता हूं। मैं बहुत जल्दी करूंगा। उसमें लिखा है:

> "A person shall be qualified to be appointed as a Member is not less than fifty years of age."

SHRI KAPIL SIBAL: If the hon. Member looks at Clause 21 (3), it says that "not less than one-third of the total number of Members appointed under sub-section (1) shall be women".

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : It should be clear in the Appointment Section itself.

SHRI KAPIL SIBAL: It is there.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : I have seen that Section. I will come to that. अभी हम डिले के बारे में बात करना चाहते हैं। इसमें क्लियर बात हो, ऐसा न हो कि डायरेक्टली और मेंडेटरी हो जाए। It is written very clearly in the Bill and I quote:

> "Each State Educational Tribunal shall consist of a Chairperson and two other Members, of which not less than one shall be a woman, to be appointed by the appropriate Government."

यही लाइन इसमें लिख देते - Eight will be there and out of eight, one should be the woman. I will come to that. I will place that Section 21. I am grateful to the hon. Minister, if it is so. … (*Interruptions*)

Now, I come to the second point. The hon. Minister has mentioned, `not less than fifty-five years of age.' एजिंग सिस्टम के बारे में देखिए, जहां तक 55 साल के मकसद की बात है, हाई कोर्ट जज को एकोमेडेट करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडीशनल और ज्वाइंट सैक्रेट्री को एकोमेडेट करना है, ये एकोमेडेट तो हो जाएंगे लेकिन जो मेन फोकस है कि जल्दी होगा तो यह नहीं होगा। मैंने एज ए लॉयर देखा है कि जब सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना तो इसके कम्पोजिशन में एडीशनल और ज्वाइंट सैक्रेट्री लैवल पर लोग आए। रेलवे बोर्ड के सैक्रेट्री एडवर्स एंट्री का डेलिगेटिट लेजिसलेशन क्या हो, समझ ही नहीं पाए। वे कहते हैं कि आप रिटन ऑर्ग्यूमेंट दे दीजिए फिर इसमें कुछ सही कर दिया और कुछ गड़बड़ कर दिया। इसका नतीजा यह होता है कि लिटिगेंट पब्लिक का विश्वास घट जाता है। मैं आपको दूसरा रास्ता बताना चाहता हूं। एजुकेशन का विस्तार हो रहा है यह बहुत अच्छी बात है। आप नेशनल एजुकेशन सर्विस का गठन कीजिए। जिस तरह से आईएएस लैवल पर क्रीम आप सलैक्ट करते हैं उसी तरह हायर नेशनल एजुकेशन सर्विस के बारे में सोचिए। इसमें यंग आदमी भी आ सकते हैं।

अगर 42 साल की उम्र में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, who has just been blessed with a daughter. हमारे माननीय प्रधानमंत्री 39 या 40 साल के हो सकते हैं तो 55 साल की सीमा लगाकर ट्रिब्यूनल के मैम्बर ही थके-थके होंगे तो जजमेंट भी थका-थका ही होगा। हमने देखा है कि जब हाई कोर्ट का जज आता है तो तीन साल के लिए वह पेंशन और कम्फर्ट की पोजीशन ले लेता है। He is busy in getting the grand children's marriage, etc. finalized, not in the dispensation of justice. मैं आपको बताता हूं कि इलाहाबाद में कैट बने हुए आठ साल हो गए हैं, यह सैंट्रल की सर्विस प्लेस करते हैं, वहां 11 साल की पेंडेंसी है। जजमेंट ही नहीं होते, 11 बजे आते हैं और दो बजे कोर्ट खत्म हो जाता है। लिटिगेशन पब्लिक का ऑलमोस्ट कैट से विश्वास घट गया। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने दो जजमेंट दिए जिससे रिट में ज्यूडिशियल रिव्यू के सिस्टम से पोजीशन में कुछ गति आई। मैं चाहता हूं कि यह ट्रिब्यूनल बहुत अच्छा बने। सिब्बल साहब को मैं करीब 20-25 साल से जानता हूं, मुझे मालूम है इनके कम्पिटेंस में दो राय नहीं है और इनके इरादे बहुत अच्छे हैं। ...(व्यवधान) वकील एक दूसरे को तो जानते ही हैं। मेरा कहना है कि आप इस लाइन को भी सोचें कि अगर कोई हायर नेशनल उस लैवल पर आ जाए जिसमें ईमानदारी और कम्पीटेंस हो तो वे 30 साल तक एक्सपर्ट हो जाएंगे। 65 साल का ब्यूरोक्रेट जब तक बात समझता है तब तक उसका एंड आ जाता है, रिटायर हो जाता है। इस तरह से उसकी जजमेंट में कोई दम नहीं आता है। छोटा-मोटा जजमेंट जैसे एज घटाना, रस्टीकेशन कैंसलेशन तो कर लेगा लेकिन जब यूनिवर्सिटी इंटर-से में डिस्पयूट होगा, डिसिप्लिन्स में डिस्पयूट होगा तो वह कम्पीटेंट नहीं होगा। हर लिटिगेशन को हाई कोर्ट आना पड़ेगा, हर मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। इस तरह से नया फोरम बन जाता है, आप इसे देख लें। हाई कोर्ट की व्यवस्था है, हाई कोर्ट का जजमेंट है लेकिन Judicial review is always possible. अगर आप कहें कि ये जानते हैं, अगर लिखा हो कि यह फैसला अंतिम होगा तो उसके बाद भी आर्टिकल 226 कांस्टीचुएशन में स्टेट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में रास्ता हमेशा के लिए खुला है, अगर यह रास्ता नहीं खुला होगा तो एनआरपी या कैट की जो कंडीशन होगी, उसमें दो बात नहीं है।

लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह सिस्टम फेल हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इंकम टैक्स ट्रिब्युनल ठीक से चल रहे हैं। परंतु चाहे एमआरटीपी हो, चाहे सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या अन्य कोई हों, ये ट्रिब्युनल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

अंत में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं कि सैंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल्स का जो गठन है, इसमें थोड़ा ब्यूरोक्रेटिव इनवोल्वमैन्ट ज्यादा है। जैसे नेशनल एजूकेशनल ट्रिब्युनल्स के बारे में क्लाज-21 में लिखा है -

> "Two shall be judicial members, two shall be academic members and three shall be administrative members."

अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैम्बर्स में अगर कोई सैक्रेटरी है या इकोनोमिक मिनिस्ट्री के सैक्रेटरी हैं। उनका लाइफ में एजूकेशन से कोई मतलब नहीं है। एक बार आईएएस क्वालिफाई कर गये और अफसर बन गये। लेकिन जब वह नेशनल एजूकेशनल ट्रिब्युनल में बैठेंगे तो सिर्फ टाइम पास करेंगे। बस इधर से उधर घूमेंगे और उसके बाद रिटायरमैन्ट बैनिफिट्स लेंगे और कहां मकान बनना है, कहां कैसे करना है, यही सब करेंगे। इसलिए आप इस कम्पोजीशन में एकेडेमिक इम्पार्टेन्स को जरूर ध्यान में रखें। अन्यथा क्या हो रहा है, 48 ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होकर कैट जा रहे हैं। अभी इलाहाबाद में इंकम टैक्स के सीनियर कमिश्नर रिटायर हो गये और वह कैट में आ गये, लेकिन उन्हें सर्विस लॉज मालूम ही नहीं हैं।

मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि आप जो इस ट्रिब्युनल का गठन करने जा रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन आपने सिविल कोर्ट को बार कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि एक ट्रिब्युनल सफीशिएंट नहीं है। यूपी में कम से कम पांच हजार ऐसे कालेज हैं और अगर एक ट्रिब्युनल स्टेट में होगा तो वह इसे कोप अप नहीं कर सकता। इसलिए या तो आप इनकी संख्या बढ़ाइये या डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह को एक्सपर्टाइज करके उसमें कुछ बनाइये और एडमिनिस्ट्रेटिव मैम्बर की जगह यदि आप डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह को इंडक्ट करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा।

इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आपको बैस्ट ऑफ लक कहता हूं। He is trying to have a tightrope walking. I wish him all the best.

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति जी, यह विधेयक समय की मांग है और मेरे हिसाब से यह सुविचारित भी है। यह ठीक है कि 1986 की शिक्षा नीति के आलोक में बहुत दिनों के बाद यह विधेयक आया है। लेकिन यह बात भी सही है कि राइट टू एजूकेशन के आलोक में जो संविधान संशोधन हुआ था, जहां तक मुझे याद है वह 1986 में ही हुआ था और चूंकि वह विधेयक नहीं बना था, इसलिए संविधान का जो संशोधन था कि मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, संविधान के संशोधन के बाद प्रभावी नहीं हो पाया था। इसीलिए यह विधेयक जो आया है, यह एक क्रांतिकारी कदम है, ऐसा मैं मानता हूं। इससे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने बहुत लोगों की आंखें खोल दीं। टंडन कमेटी बनी, 44 लोगों के बारे में अलग से कार्रवाई हुई। इस तरह से यह अच्छा कदम था। मैं माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, शिक्षा समवर्ती सूची में है, कंकरेन्ट लिस्ट में है। मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं कि जब वह विधेयक पेश करें तो इन पर प्रकाश डालें, चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो दो स्तरीय ट्रिब्युनल बनाने की बात हो रही है तो कितने राज्यों से इन्होंने सम्पर्क किया और कितने राज्यों से इन्होंने अभिमत लिया? इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिक्मैंडेशन है, उसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि कितने मुकदमे राष्ट्रीय स्तर पर लम्बित हैं। जब इन्होंने कहा कि 25900 महाविद्यालय हैं और पांच हजार के लगभग विश्वविद्यालय हैं तो इन्हें इस बात की जानकारी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी, प्रबंधन, प्राचार्य और शिक्षण संस्थान के कितने मुकदमे लम्बित हैं? इन्होंने इसमें उद्देश्य और कारणों के बारे में बताया है, इन्होंने कहा कि पांच घटक हैं और पांचों घटक से मुकदमे और विवाद होते हैं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वह जवाब देंगे तो इस पर प्रकाश डालेंगे कि उन्होने कितने राज्यों से सम्पर्क किया, कितने राज्यों की इस मामले में क्या राय थी और अब तक कितने मुकदमें लम्बित हैं.? श्री विजय बहादुर जी ने ठीक कहा कि जो कमेटी का गठन है, राज्य स्तर पर बहुत सारे मुकदमें होते हैं। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि बिहार में 1986 में चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों का अंगीभूतिकरण हुआ था, अभी तक उनका निपटारा नहीं हुआ है। यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उसने एक स्पेशल बैंच बना दी। उसकी बैठक सम्राट होटल में हुई जिसने निर्णय दे दिया। उसके बाद मामला फिर से यूनिवर्सिटी में चला गया। यूनिवर्सिटी ने कई कारण लगाकर उसकी संवीक्षा करके नहीं माना तो विद्यार्थी हाई कोर्ट में चले गये। कभी शिक्षक रखे जाते हैं तो कभी नॉन-टीचिंग स्टाफ छंट जाते हैं, कभी नॉन-टीचिंग स्टाफ रखे जाते हैं तो टीचिंग स्टाफ छंट जाते हैं। ऐसे मामले अभी तक चल रहे हैं। मैं

बताना चाहता हूं कि जब ऐसे मामले चल रहे हैं तो राज्य स्तर पर बहुत से मुकदमें हैं। यहां वुमैन के बारे में कहा गया कि राज्य से एक सदस्य होगा लेकिन यहां उसके अनुपात में होगा। मैं एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार का दृष्टिकोण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये और पिछड़े वर्ग के लिये था तो ये तीनों आपको सुपात्र क्यों नहीं हैं? यह बनेगी गौशाला। कम से कम 65 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष। इसमें 15 वर्षों के लिये वजीफा मिलेगा जो रिटायर्ड आईएएस आफिसर्स होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिटायर्ड होंगे। तो वहां अपने-अपने लोगों को बैठाया जायेगा। अगर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के जज नहीं हैं तो आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स तो हैं। अगर पिछड़ा वर्ग का आदमी आपको नहीं मिलता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये प्रावधान होना चाहिये था। आपने मंडल कमीशन को माना है तो ओ.बी.सी. के लिये प्रोवीजन होना चाहिये था जो आपने नहीं किया है। जब आपने स्वीकार किया है तो आगे जाकर आपको समस्या आयेगी कि राज्य स्तर पर तीन-राज्यीय ट्रिब्यूनल बनाने की बात की है, मुकदमों की संख्या देखते हुए सदस्यों की संख्या को बढ़ाना होगा। जब सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी तो इसे दृष्टि में रखते हुये, जब आपने महिला के लिये प्रावधान किया है, आपने अच्छा काम किया है, प्रशंसनीय काम किया है जिसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिये प्रावधान करना चाहिये था। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उनके बारे में मेरी राय अच्छी है कि उन्होने शिक्षा मंत्री बनकर अच्छा कदम उठाया है, अच्छा सुधार किया है। लेकिन समाज के कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है, वह न्याय से वंचित होता है। यह ठीक है कि आपके बिल में कृषि नहीं है, मैडिकल के लिये प्रावधान नहीं है, जो शोध संस्थान हैं, उनके बारे में नहीं है। यह बात भी ठीक है कि उच्च्व शिक्षा में आप गुणवत्ता लाना चाहते हैं और गुणवत्ता लाने के लिये यह विधेयक बहुत आवश्यक है। इसके बनने से बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा लेकिन कैपिटेशन फीस की बात है और जिस तरह से एक जजमेंट हाई कोर्ट का होता है और एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बैंच का होता है और जब उसका डबल बैंच बनता है तो सिंगल बैंच के जजमेंट को पलट देता है और कैपिटेशन फीस चलती रहती है। इसलिये, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कृषि विभाग है, जो मैडिकल विभाग है, उन से बात करके उन्हें भी इस विधेयक के दायरे में लाना चाहिये।

सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वह यह विधेयक लाये जो एक क्रान्तिकारी काम है, क्रान्तिकारी कदम है क्योंकि इस प्राधिकरण से हम लोग आगे बढ़ेंगे, शैक्षणिक क्षेत्र में जो मुकदमें बाकी हैं और जो गुणवत्ता का ह्रास है, उन्हें दूर करने के लिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Respected Chairman, Sir, I express my thanks to you for giving me an opportunity to speak on the Educational Tribunals Bill, 2010. This is a very important Bill for discussion keeping in view the rapid increase of educational disputes in the country.

The National Policy on Education states that Educational Tribunals would be established at the national and State level. Taking into account the rapid growth in the higher education sector, which has resulted in increasing litigations involving students, teachers, employees, managements of higher educational institutions, universities and others, there is an urgent need to set up Educational Tribunals. There is an urgent need to provide for mechanism for speedy resolution of their disputes to maintain and improve the quality and efficient functioning of institutes of higher education.

Sir, supporting the Bill, I would like to say that the goals of expansion in higher education, to effectively compete with other countries, can be achieved only if the regulatory regime and dispute-settlement process engender credibility assurance.

It is rightly proposed to establish a two-tier structure of Educational Tribunals at national and State levels to adjudicate on the entire gamut of disputes that arise in the higher education system through a fast track, speedy justice delivery.

Clause 16 empowers the appropriate Government to prescribe the manner, the form, the documents required and the fees to be paid in making an application before the State Educational Tribunal for adjudication of any grievance. I urge the Government that the procedure should be simple and should be operated from a single window as far as the processing part of the grievance is concerned.

Clause 17 of the Educational Tribunal Bill provides that the State Educational Tribunal shall not admit an application for adjudication in disputes under sub-clause (a) of Clause 15 relating to service matters of any teacher or any other employee of a higher educational institution unless it is satisfied that the

applicant had availed of all the remedies available under the relevant service rules for redressal of grievances or settlement of disputes.

In Clause 18, in the sub-clause (2), there is a good point which provides that the State Educational Tribunal may admit an application after the specified period of six months if the applicant satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not making the application within this period.

With these words, I conclude, and I support the Bill.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Thank you Mr. Chairman, Sir. Education is a tool to measure the progress of a society. This is the reason why the Indian society encourages education. But, mushrooming of the new self-financing education and the corporate education will curb educational progress in our country. But the Central Government is not ready to accept the situation and is not ready to take any serious measures to strengthen our own education.

At this juncture, the Central Government has come up with a solution of setting up a tribunal to resolve the complaints revolving round the education sector especially to adjudicate disputes involving teachers, students and statutory regulatory authorities as well as the unfair practices of higher educational institutions. This we welcome. However, the clauses in the Bill have not rendered a solution to solve the disputes among students, teachers, management, educational institutions, and State and Central Government.

In clauses 5, 6, 21 and 22 of the Bill related to the composition of education tribunal, there is violation of the 2010 Supreme Court judgement which states that whenever any two-member or larger benches of tribunal are constituted, the number of technical members should not exceed the number of judicial members. Here in this Bill, the proposed National Tribunal shall consist of two judicial, three academic and three administrative members and the State Education Tribunal shall be chaired by a judicial member and shall have two members, one of whom is required to have the experience of a vice-chancellor and the other is required to be or have been a Chief Secretary in the State Government. How will the Ministry of Human Resource Development take this into account?

<u>20.00 hrs.</u>

In clause 12 (1) and (2), that is, at the State Tribunal level; in case the chairperson resigns or dies, the senior most member of the Tribunal shall act as the Chairperson till a new Chairperson is appointed and also if the Chairperson seat is vacant due to the absence or illness, there is a possibility to hearing a case with non-judicial member. How can this problem be resolved?

Clauses 6(2)(a), 22(2)(a) and 3(a) related to the minimum age requirement for tribunal members, requires members of the national and State Tribunals to be at least 55 years old. This is higher than the minimum age required for other higher officials. The 2010 Supreme Court judgment states that if the tribunals are to function efficiently and effectively, they should be able to attract younger members who will have a reasonable period of service. This Bill does not mention any data with regard to the number of matters related to the higher educational sector pending in courts at various levels, the time spent in litigating the process and the cost involved in processing the litigation. Presently a number of complaints have accumulated in various courts.

Various countries have mechanisms to settle disputes among the stake holders in the higher education. In the USA, both private and public Universities have internal grievances settlement mechanisms for students and staff. In the UK, Higher Education Act, 2004 states that student complaints may be reviewed by a body corporate to be designated by the Secretary of State and the National Assembly for Wales. Each higher education institution has a formal procedure for addressing the complaints of students. In Australia, students can use the internal grievance redressal procedures in the first instance and after may contact the relevant commonwealth, State or territory ombudsman or the Government Accreditation Authority. In Sweden, the Higher Education Act was enacted in 1996 and modified in 2006. In all these countries, if there is a problem in the primary level adjudication, there is an alternative of approaching higher level. Does the Central Government have any mechanisms to solve any grievances in the Indian higher education sector?

The HRD Standing Committee submitted its 225th Report on the Educational Tribunal Bill 2010 on Aug 20, 2010. The Standing Committee pointed out that since the number of educational institutions varies from State to State, one Educational Tribunal per State cannot be made uniformly applicable. Gujarat and Orissa have followed a system of Education Tribunal. Has the

Ministry of Human Resource Development looked into how the Tribunal in these States has worked so far, whether they were successful or not and how will the introduction of this bill affect the existing tribunal system there? Are there any measures taken to identify the lacunae in the existing tribunal systems in Gujarat and Orissa?

The Standing Committee also recommended that the term "unfair practice" be defined in the Bill. Has the Bill looked into this matter as students across the country face several injustices and this should have been elaborated in the Bill? The Standing Committee has noted that the word 'student' be included in the main body. How has the Ministry of Human Resource Development looked into this matter? At the same time are there any separate mechanisms devised to ensure justice in case of public and private institutions? How has the Ministry of Human Resource Development responded to the suggestion of SC/ST representatives in the Tribunals?

Education is under the Concurrent List. Has the Ministry of Human Resource Development asked for the opinion of the State Governments/UT regarding introduction of the Tribunal System? The Committee observes that only the State Governments of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Kerala and Himachal Pradesh, that is, a very few states have formally supported the Bill. Hence what will be impact of this Bill on the rest of the States?

The Bill suggests a two-tier system. In 2002, in the TMA Pai judgment, the Hon'ble Supreme Court suggested a three-tier education tribunal system. Why is the Bill restricted to two-tier system when a three tier system that also includes district level tribunal is more efficient in tackling issues swiftly? Who will bear the expenses of the Tribunal? Is it the State or the Central government?

Hence, I would suggest that the Ministry of the Human Resource Development should consider the observations and recommendations of the Standing Committee before the finalization of the Tribunal Bill.

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to express my views on this Bill.

At the outset I would like to congratulate our hon. Minister for piloting this Bill in Parliament.

Sir, education plays a vital role in shaping a society and a nation. We cannot dream a modern democratic society without proper education. To quote a famous personality “a nation takes birth from the classroom”. Thus, the management of education and the way it is imparted to the students and solving of disputes relating to education says a lot about a nation’s achievement.

Times have changed. Gone are the days when education was only confined to the elites of the society, doors of classrooms were closed to the Ekalavyas and the commoners were kept away from education. Now-a-days education has become a birth right of everybody.

At this juncture we must not forget the tremendous sacrifices made by our youth in the pre-Independence era. At the clarion call of Deshabandhu Shri Chittaranjan Das that "Education can wait but Swarajya cannot". Many students of the then India joined the Freedom Movement to achieve the goal of education and to make education an instrument for nation-building. Now is the time from self-introspection. How far have we succeeded? Only recently we passed the ‘Right to Education’ Bill which means education is yet to reach every nook and corner of the country even after 64 years of Independence. We have failed miserably in fulfilling our constitutional obligation of making each child educated between the age group of six to 14. The Right to Education Act attempts to make each child educated in the eyes of the law. However, against this backdrop, the initiative taken by hon. Minister, Shri Kapil Sibal-ji is praiseworthy.

Our Minister is striving hard to bring the disorderly educational system into order. Due to this laudable efforts of our Minister, the four Bills, namely, 1)Prohibition of unfair practices in Technical, Medical Educational Institutions and Universities Bill; 2) Educational Tribunal Bill; 3) The National Accreditation

Authority for Higher Educational Institutions Bill; and 4) The Foreign Educational Institutions (Regulation of Entry and Operation) Bill have come to the floor of the Parliament.

These four legislations will act as landmarks in the arena of education and tame the wild horses in the field. In this context, I would like to present my views with regard to the Education Tribunal Bill.

It is pertinent to mention here that the National Policy on Education 1986 inter-alia, states that 'Educational Tribunals would be established at the national and State level.' Further the programme of Action - 1992 of the National Policy on Education also states that 'Educational Tribunals would be set up considering large volume of legal disputes generated in the education system.' Now we are going to fulfill that long pending requirements.

I would like to give my support to the very Objects and Reasons of the Bill but with some amendments and changes.

Sir, Clause 21 provides the composition of NET. There are some norms in sub-clause 2 a, b and c regarding who will be members of the NET. Apart from Chairperson, eight members of NET will be nominated from judicial, academic and administrative sector. But my point of difference is this. Is this sector free from social division? Is this so-called sector is cent per cent socially inclusive? So, we should provide the legal mechanism to accommodate the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backwards, Minority and women in apex body of the NET. Accordingly, Section 5 and 6 of this Bill which provide State Educational Tribunals should be amended.

Sir, Clause 21(6) provides another point to re-think. According to proposed Bill the headquarters of NET shall be in New Delhi. So, the apex committee of National Education Tribunal shall function from New Delhi. In this context, I would like to suggest and I think it will be better keeping in mind the federal structure of our country, that it will be better to provide four to five Regional Benches of NET in different parts of the country. For example, an aggrieved

employee of Tamil Nadu or Jammu or Jalpaiguri of West Bengal or Koraput of Odisha have to take tremendous financial burden to come to New Delhi to appear or appeal before the apex body of NET.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI MOHAN JENA : Sir, I am concluding. Please give me some time. I am the only speaker from my party.

MR. CHAIRMAN: Each party has only one speaker.

SHRI MOHAN JENA: So keeping this aspects in view, it should be decentralized.

Clause 24, Sub-clause 8(1) provides that the Chairman and the members of National Educational Tribunal and State Educational Tribunal respectively shall not hold office as such after he has attained the age of 70 years. So, on behalf of our party I would like to suggest that the age limit in both State and National Tribunal should be 60 or 65.

Clause 15, (a) to (d) and Clause 31(1) from (a) to (e) narrate jurisdiction, powers and authority of State Educational Tribunal and National Educational Tribunal very clearly. Both the clauses are very, very important sections of this Bill.

Sir, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister to Tandon Committee Report about the grey areas of deemed universities. Many deemed universities and private educational institution of our country have become business centres to extract money from students.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI MOHAN JENA : They have reduced themselves from the citadel of learning to citadel of corruption. They are selling certificates, degrees and Ph.Ds like shops. The Tandon Committee constituted by the HRD Ministry to investigate the deemed university scam has found that out of the 130 deemed universities, 44 had abysmal academic and physical infrastructure and they mainly belong to family groups. On the recommendation of the Tandon Committee Report, the

HRD Ministry derecognized 44 deemed universities. The case of the derecognized deemed universities having two lakh students on their rolls, is with the Supreme Court.

MR. CHAIRMAN: Please wind up. Next is Dr. Sanjeev Naik.

SHRI KAPIL SIBAL: If the hon. Member permits me, there is no derecognition of any university so far. We have not even issued them show cause notices.

SHRI MOHAN JENA : It has appeared in the newspaper.

SHRI KAPIL SIBAL: I am only informing you that there is no derecognition. The Report of the Tandon Committee has, in principle, been agreed to by us and we have placed that before the Supreme Court. We have not even issued any show cause notice. So, we will abide by the decision of the Supreme Court in that regard. So, factually I just want to point out that there is no derecognition.

SHRI MOHAN JENA : Thank you, Sir.

As per the newspaper report, the Medical Council of India has also a dubious record for granting approval.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, you cannot speak. That is over. Now, Dr. Sanjeev Naik.

SHRI MOHAN JENA : Sir, please give me one minute.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Sir, I am on a point of order. There is no quorum.

MR. CHAIRMAN: He has said there is no quorum. We are ringing the bell. The bell is being rung--

Now, there is quorum. Dr. Sanjeev Naik to speak.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, you give Shri Mohan Jena one minute to complete his speech.

MR. CHAIRMAN: That is over. I have already called the next speaker. He has already taken 10 minutes.

SHRI B. MAHTAB : Let him complete his speech.

MR. CHAIRMAN: All right, you complete your speech.

SHRI MOHAN JENA : As per the newspaper report, the Medical Council of India has also a dubious record for granting approval to different medical colleges.

MR. CHAIRMAN: No, do not bring that here. That is not connected.

SHRI MOHAN JENA : Sir, please allow me at least to lay my points.

MR. CHAIRMAN: No, that is not connected. It is not connected.

SHRI MOHAN JENA: Sir, with these words, I conclude my speech and I extend my whole-hearted support to the Bill.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सरकार और मंत्री जी को भी धन्यवाद करूंगा कि अच्छा हुआ कोरम हुआ, मैं सब को इसके लिए धन्यवाद करता हूं, नहीं तो हमें बोलने का मौका ही नहीं मिलता। इतने सालों के बाद लगभग 120 करोड़ की आबादी होने के बाद ये बिल लाए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करूंगा। You will always be the pioneer. आप इसमें रहेंगे, आपका नाम हरदम रहेगा और सब का नाम रहेगा। जब मैं स्कूल में था, कालेज में था तो इस बात से दुखी था, लेकिन आज मेरे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए यह बिल आ रहा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उस वक्त ऐसा नहीं था।

मैं मंत्री जी से दो ही बातें कहना चाहूंगा। आपने इसके क्लाज़ में कहा है कि 55 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अभी हम सब लोग यंग हैं, हमको भी उसमें एक्सपीरिएंस लेना चाहिए। हम सभी लोग, हमारे जो सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बारे में रिक्वैस्ट की है। इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। हम आपसे कहेंगे कि आप इसमें रिजर्वेशन रखिये और कोई एक-दो सदस्य आप उसमें ले लीजिए ताकि कम से कम उनको एक्सपीरिएंस हो। अगर वे इसके करीब में रहेंगे तो उनको एक्सपीरिएंस हो जायेगा कि किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।

दूसरी बात, आपने जो कैपीटेशन फीस के बारे में कहा है, जो उनके ऊपर कानून कार्रवाई होगी, मैं समझता हूं कि यह कम है। इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, नहीं तो और कई लोग इससे परेशान होंगे। इसके बारे में दूसरे वाले बिल में आ जायेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी चीज़ है। यह सैकिण्ड बिल में आयेगा, लेकिन इसमें प्रावधान होना जरूरी है।

तीसरी बात है कि आपकी जो इच्छा है कि ट्रिब्यूनल होने से फायदा होगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन उसके बाद में अगर कोई ऐसी घटना होती है कि जिसके लिए एमेंडमेंट करना पड़े और उसमें संशोधन की जरूरत हो तो उसके लिए वापस 15-20 साल नहीं लगने चाहिए, तुरन्द बाद उसमें एमेंडमेंट हो, ताकि उसका हल निकल सके। यह चीज़ आपने आने वाले भविष्य के बारे में सोची है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और सभी मैम्बर्स को, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, धन्यवाद करता हूं। आगे चलकर आपके बच्चे हैं, उनके आने वाले बच्चे हैं, सब के बच्चों के लिए यह बिल जरूरी है।

*SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): Mr. Chairman, Sir, this august House has now taken up for consideration the Educational Tribunals Bill, 2010 and I am thankful to the Chair for giving me an opportunity to speak on this Bill on behalf of All India Anna Dravdia Munnetra Kazhagam.

Sir, this move by the Government is a welcome one. This Bill has been conceived to attend to the urgent need for speedy resolution of disputes involving the academic community in the higher education sector.

The fast paced growth in the higher education sector has given rise to establishment of various higher academic institutions. The disputes resulting in litigation involving higher education institutions and universities and their managements with students, teachers and employees are sought to be resolved by the establishment of this Tribunal by this piece of legislation. A speedy disposal of cases and early delivery of justice is intended and hence, this Bill for creating Tribunals both at State and Central level is welcome.

In the recent times, whenever we go through the newspapers we invariably find several clashes and clash of interests in the academic world especially in higher educational institutions and universities.

Teachers outraging the modesty of female students, wage disputes between teachers and the managements, caste clashes within the academic campus involving students, political interference causing problems in the educational institutions, clashes between the police force and students in the educational institutions, increased fee resulting in problems between educational institutions and the parents, problems arising out of permissions granted by certain authorities for educational institutions that may not have adequate infrastructural facilities, students uprise against the managements of higher education institutions for not providing adequate infrastructural facilities are the various problems that take the parties concerned to seek justice in any of the judicial forums.

---

*English translation of the Speech originally delivered in Tamil

Apart from this, the mandatory recognition to be given to run educational institutions has also led to litigations. As such, we do not have the mechanism to render justice in a speedy manner. Hence, this Bill seeks to establish educational tribunals. So, I would like to welcome the move to pilot this Bill and the efforts of our HRD Minister.

It is stated that State Tribunals will have 3-Members, one from the Judiciary, the other from the academic world, and the third from the Government at the level of Chief Secretary. I would like to suggest that there can be at least 2 Judicial officials; and it can be expanded to be a 4-Member body so that a Judicial official will always be available for rendering justice. At the national level, a retired Chief Justice will be heading an 8-Member body consisting of 2 Members from the Judiciary. I wish non-IAS officials with suitable qualifications also must be considered for appointment in the Tribunal. I would also like to urge upon the Government to reduce the requirement of 20 years of experience to 10 years. I would like to believe that this would pave way for bridging the gap and arriving at early resolution of problems and disputes in running smoothly higher educational institutions.

The pronouncements of the Tribunals must be implemented immediately extending punishments to those who have been found to have violated the laws. It must be ensured that there is no delay and political interference. If there is anything coming in the way of implementing the pronouncements, an Appellate Authority may be in place to render justice. Only then, the public would be able to get justice from these Tribunals. Streamlining the functioning of higher educational institutions and overcoming the hurdles that come in the way of smooth functioning and ensuring quality education are the objectives of this Bill and hence I welcome this Bill.

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Mr. Chairman, first of all I congratulate and thank our hon. Minister because at a time of turning point in our country, this Bill has been introduced. I say it is a turning point in our country because when our Government is encouraging the setting up of private educational institutions here, so many universities have been established, and in the PPP mode of investment so many educational institutions are going to be established, it is a turning point and this Bill is required.

Coming to the composition of the National and State Tribunals, in regard to State Tribunals it has been stated that three members will be there. But the Law Commission in 1988 had recommended that the number of members should be increased to five. I suggest that two judicial members should be there. In the case of the National Tribunal, there are eight members excluding the Chairperson. I suggest that the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and women should be duly represented in those bodies. In the case of State Tribunals, uniformity should not be maintained because there are various States with different kinds of population. It must depend upon the State Government to decide how those Tribunals should be constituted and how many members should be there in the Tribunal. In the Bench of the National Tribunal, the number of technical members should not exceed the number of judicial members. Otherwise, it will be bureaucratized. If there are no judges, people cannot get proper justice.

The term ‘unfair practice’ which has been mentioned, should be clearly defined. The Bill should make provisions for students so that they can seek justice. You say that the Selection Committee should consist of the Chief Justice and Secretaries of Higher Education, Law and Justice, Medical Education, Personnel and Training. But academicians have not been included. So, academicians should be included in the Selection Committee.

Another point is relating to the age of members of the Tribunal. When a person of 25 years of age can become a Lok Sabha Member and a 35 year old

person can become a Rajya Sabha Member, why not a Judge of a High Court who has ten years of experience of practicing, who has expertise, who has efficiency can become a member of this Tribunal? So, age bar should not be there. Expert and efficient persons should be made members of the National and State Tribunals.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, अभी नालंदा विश्वविद्यालय बिल को सदन ने पारित किया है। विश्वविद्यालय का विधेयक विदेश विभाग लाया था और उस समय माननीय शिक्षा मंत्री हम लोगों की तरह श्रोता थे। विश्वविद्यालय विदेश विभाग बना रहा है। शिक्षा का न्याय ज्यादा जल्दी हो, अच्छा हो, उससे शिक्षा में सुधार हो जाएगा आदि के बारे में माननीय मंत्री जी विधेयक लाए हैं। माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि चार विधेयक हैं। यह भी दावा किया गया है कि सन् 1986 की शिक्षा नीति में जाहिर किया गया था कि शिक्षा का दो स्तरीय न्यायाधिकरण बनाएंगे। सन् 1992 के कार्यक्रम में भी था। सन् 1984 से आज तक 26 वर्ष हो गए। सन् 1992 से 18 वर्ष हो गए। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि 26 और 18 वर्ष तक, बीच में माननीय जोशी जी भी उस दौर से गुजरे, क्या इस विधेयक को लाने में अगर-मगर था या क्या कारण था कि 26 और 18 वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने में विलंब हुआ? क्या इस पर मंत्रालय या अन्य जगह से मतैक्य नहीं था?

इसमें देर हुई लेकिन फिर समिति ने चिन्ता जाहिर की कि वाइडर कन्सलटेशन नहीं किया गया। सब माननीय मंत्री जी ने दावा किया कि पांच सौ से ज्यादा विश्वविद्यालय हो गए। सबसे राय नहीं ली गई और जितने हिस्सेदार और जितनी जरूरत थी, उस बारे में वाइडर कन्सलटेशन क्यों नहीं किया गया।

हमने इसमें क्लॉज़ देखा है कि जब कोर्स ऐग्ज़ास्ट करेगा तब न्यायाधिकरण में आवेदन होगा। अभी तक वह छ: महीने, साल, दो साल तक फैसले पड़े रहते हैं। आपके यहां नहीं आएगा तो न्याय कैसे मिलेगा और शिक्षा में सुधार कैसे होगा। झगड़ा बना रहेगा, विवाद चलता रहेगा। आपने रोक लगा दी कि जब सभी आयामों से पार करेगा तभी इसमें आवेदन दिया जा सकेगा। वह आयाम ही पार नहीं कर सकेगा जो इस अधिकरण में आए। इस बारे में स्पष्ट तौर से बताया जाना चाहिए।

दिल्ली यूनीवर्सिटी में एक कॉलेज है। लोग नारी सशक्तीकरण के बारे में कहते हैं। देश के सभी उच्च और मर्यादित पदों पर महिलाएं बैठी हैं। वहां सारी शिक्षिकाओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ दरखास्त दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वाइस चांसलर के यहां कार्यवाही नहीं हुई, कॉलेज संचालन के यहां प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई। प्रिंसिपल इतना ताकवर है। वह फैसले नहीं करवायेगा, जांच नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा और न्यायाधिकरण में भी नहीं आयेगा, तो आपकी पढ़ाई और व्यवस्था कैसे सुधरेगी, यह हम जानना चाहते हैं। ऐसा होना चाहिए कि उस व्यवस्था में अनावश्यक डिले हो, तो इसमें आयेगा। हमने आपके कानून में भी क्लाज को सरसरी निगाह से देखा है। उसमें टाइम बाउंड कुछ नहीं है। मान लीजिए न्यायाधिकरण ने पेटीशन दे दी और दो साल तक सुनवाई नहीं हुई, तो वह बेचारा फिर कोर्ट मे जायेगा या आपके यहां बैठा रहेगा कि न्यायाधिकरण बना है।

उसमें एक और क्लाज है, जिसमें इन्होंने कहा कि राज्य सरकार अलग कानून बनायेगी और भारत सरकार अलग कानून बनायेगी। नियम बनाने की शक्तियां राज्य सरकार को हैं।

राज्य सरकार कानून बनायेगी और जब आप उसे यहां बहाल करेंगे तो फिर से कानून-नियम बनायेंगे। राज्यों और केन्द्र के बीच जो झगड़ा होता है, उसके निपटारे के लिए कोई न्यायाधिकरण नहीं आयेगा? इसमें कहां प्रावधान है? श्री मंगनी लाल मंडल जी कह रहे थे कि इसमें कार्यावधि यानी समय भी ठीक नहीं है। उसके आने के लिए बहुत रोक है कि सब कोर्सेज ऐग्जास्ट कर लेगा, जब उसे कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, तब वह यहां आयेगा। वह जल्दी ऐग्जास्ट ही नहीं होगा, पांच सात दस साल तक रहेगा, तो लोगों का कैसे भला होगा? नीचे से ऊपर तक जो शिक्षा है, सबमें ताकतवर और स्वर्ण लोगों ने कब्जा किया हुआ है। दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों का उसमें अभी आना मुश्किल है। आपने इसमें उनके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया है। उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिलने वाला है, चाहे आप न्यायाधिकरण भी बना दें। इस बारे में कोई ख्याल ही नहीं है। उसमें भले ही महिला रहे, लेकिन अनूसूचित जाति का कौन रहेगा? उसमें पिछड़ी जाति के लोगों के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए इन सभी बातों ...(व्यवधान) संख्या बढ़ायी जाये, इसका आपने प्रावधान क्यों नहीं किया? देश ने कमिट किया है कि डाउन ट्रोडन को विशेष अवसर दिया जायेगा। संविधान ने धारा 16(4), धारा 15(4) सोशली, एजुकेशनली, बैकवर्ड और अनुसूचित जाति के लिए अलग प्रावधान है। अनूसूचित जनजाति के रिजर्वेशन के लिए अलग प्रावधान है। इसमें कौन बहाल होगा, हमें पूरा सन्देह है कि इसमें सब ब्यूरोक्रेट्स या नजदीकी लोगों को बैठा दिया जायेगा और कहेंगे कि हम न्याय करेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, तो उसमें क्या सुधार होने वाला है? इसलिए पहले इन सभी बातों पर विचार किया जाये, उसके बाद इस बिल को पारित किया जाये।

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Dr. K. S. Rao. Please be very brief.

DR. K.S. RAO (ELURU): Sir, with your permission, I am speaking from this place.

MR. CHAIRMAN: Yes, go ahead, but please be brief.

DR. K.S. RAO : Sir, I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. I have gone through the objects of the Bill, which are excellent. He has categorically said that rapid growth in higher education sector has resulted in increased litigation also. His goal is to have speedy resolution of these disputes, and to maintain and to improve the quality and efficiency of the institutions. It is very good.

The number does not make anything unless the quality is there. So, his stress is also on quality. I have been telling for the last 25 years that no nation can prosper unless every citizen in the country is educated, more particularly, with quality education. We can conclude from this that the portfolio that he is holding today decides the career of the nation. No matter what is done elsewhere does not make any difference unless he gives right education to the countrymen. So, I wholeheartedly congratulate him for concentrating all his knowledge of being a lawyer and putting it into the human resource development.

I felt so glad and happy when the name of the Ministry of Education was changed to the Ministry of Human Resource Development. It is the most important thing in this country. Education is the key, more particularly, for the poor man. For thousand of years, they have been working right from morning to evening, but there is no change in their lifestyle. But once one child in the family of the poor was to be educated with quality education, then the style and standard of living automatically gets changed. This is what is required. All our ambition, desire and goal is to achieve this only. He is doing immense service to the nation. In this context, I just wish to bring some of the points, which I have in my mind, to tell him since quite a long time.

I am also happy that the Government of India has realized the importance of education. He has been making good allocation to the Ministry and substantial increase in the allocation in the budget for the Ministry of Human Resource Development. He has brought wonderful legislations here, and not just a couple of them. He has brought the Right to Education by which everybody realized that education has to be compulsorily provided, and now he is bringing tribunal for

quality education; increasing the efficiency; and making justice available and curbing the malpractices or wrong type of education or disputes.

I am happy with his announcement that he is bringing some more Bills also like giving accreditation to the institutions. That is more important because then people will vie with each other to improve the quality of the institution. Unless that is there, donkey and horse will remain the same. This is required in every walk of life for that matter.

Similarly, his proposal for PPP is required because the number is increasing substantially. I understand that he is also bringing another Bill dealing with foreign education providers which is required now. He is also bringing a Bill for curbing malpractices in education. I know he is a very stubborn man, but the only thing is that while implementing it, there should not be any consideration. If some institution were to commit a mistake, or resort to a false or wrong way, mercilessly, they must be jailed without any consideration for them. If some of them were to be jailed, then no other institution will come forward and indulge in malpractices. But such instances are not there till today. If he were to make a beginning in the Human Resource Development Ministry, the other Ministries will also take clue from him and implement those things in their respective Ministries.

Sarva Shiksha Abhiyan, by all his actions, the number of people going to be educated sooner will be in millions and millions by which the rate of unemployment also will go up. My humble request to him is the type of education which we are going to give should be not only quality education, but also must be vocational/skill education for improvement of skills. Today there is a shortage of skilled manpower in the country in every walk of life. For getting any small thing done, you do not get the right person. I want him to concentrate on vocational education and I request him to consider whether he can start giving vocational education right from eighth class depending upon the aptitude.

I did not come to the provisions of the Bill at all. I will just make two or three points. I have gone through the Bill. I just wish to draw the attention of the

hon. Minister to clause 6. Out of two members referred in sub-section (1), one member shall be chosen from amongst the persons who have been Vice-Chancellors. Necessarily, a person must have been a Vice-Chancellor. Coming to the second member, you say, "the other member shall be chosen from amongst persons who is or has been Chief Secretary or an equivalent", but clause 2(b) says, "a person who is to be qualified as a member must have the ability, integrity and standing and has adequate knowledge and experience of at least 20 years in dealing with matters relating to higher education, public affairs or administration in educational matters." There is some contradiction in this. Basically, he made it very clear that no Bill that is brought before the House can be foolproof. I appreciate what he has said. At least, next time, an amendment should be brought to see that no contradiction is there in that.

The other thing is in regard to the Bench. I am happy because he says, "to see that justice is delivered fast, he also wants Benches to be started". I am very happy. He also made a provision of one-third reservation for women. I am very happy. But in regard to Bench, he did not mention anything. Tomorrow, if he were to start two Benches, there will not be any women members in that. The emphasis that is given to women to make it one-third is not there in the Bench. I request the hon. Minister to see that, that provision is also made in regard to the members of the Bench.

Sir, this country is lacking in research and development. Today if America, Germany and Japan are advanced, it is only because of research and development. They are charging abnormal rates for research, and all those people who are doing research there are all our people. If you were to give some emphasis on research and development also, then we will be more excellent than many of the Western countries.

The last point is that there is an acute shortage of faculty in this country. Unless the faculty is good, there is no point in increasing the number of universities. Training of teachers is very important.

Unless the number of those people is increased, unless those people are of quality, the education will not be of quality. I would request the hon. Minister to think of starting more and more of teacher training institutes and also make it mandatory for some of those institutes to train some teachers without any extra burden on the Government. I would request him to emphasise on vocational education, teachers training, research and development, and to see that all the citizens acquire skills and do not depend on the Government so that they can be self-employed.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman Sir, we are today discussing the Educational Tribuanl Bill 2010which has the objective of setting up tribunals to deal with increasing number of litigations that crop up in higher education among the students, teachers and non-teaching staffs. The litigations have an adverse impact on quality education which is deteriorating day by day. By trying to set up tribunals, the Government of India is accepting the fact that there are rampant irregularities in the field of education. However, I am not undermining the need of such tribunals, rather I welcome this step. But if education is privatized, irregularities and malpractices will increase. Private campuses in the country will add to the problem. More and more litigations will come up as a fall out of corporatization of education. Therefore we need to resolve the cases through tribunals by giving impartial verdicts.

The jurisdictions of the National and the State Tribunals are similar. So in future, there can be disputes between the two authorities. Which body is going to settle the cases? This answer is yet to be given, otherwise problems might crop up.

We are talking of inviting foreign universities to open their campuses in India. If this happens, then the number of disputes among the students, faculties and staffs will multiply. Then which tribunal is to announce the final verdict? This Bill is silent on such issue of jurisdiction of the National and State Tribunals. The Yashpal Committee has elaborately analysed the 'use of affordability' concept. But the private institutions are charging high fees from their students. They do not follow any norm. Prof. Yashpal Says, "Since the norms of fixation of fees are vague, the quantum of fees charged has no rational basis" – the Bill mentions nothing about this aspect. Prof. Yashpal further says that "The state cannot walk

---

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali

away from its responsibility of financing higher education". But it is crystal clear that the Government is shying away from setting up new universities. Thus privatization of the education sector has become the order of the day. Times are changing and in near future, by 2012, more than 2 lakh students will enroll themselves for higher studies. Therefore measures must be taken to accommodate such huge number of students. Since education is in the concurrent list, the State Government should also be consulted with and taken into confidence. I am a member of the Standing Committee of HRD. Many of us have certain reservations about the provisions of the Bill. Therefore on the floor of this House, I tried to put forth my views for the consideration of the Government.

With these words, I thank you and conclude my speech.

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, मैं जब इस बिल को अलग से देखता हूं तो लगता है कि इसमें इतना खतरा नहीं है। मंत्री जी ने खुद कहा है कि हमारे देश में शिक्षा में सुधार, संस्कार पैदा करना और उन्नति करने के लिए यह बिल लाया गया है और फारेन युनिवर्सिटी बिल और एनसीएचईआर बिल को भी इसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो इस बिल में काफी खतरा दिखाई देता है। इस बिल के द्वारा शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण होने वाला है। लगता है कि आम जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका संहार करने के लिए जरूर साथ देंगे। यह जो ट्राइब्युनल्स बिल है, यह प्राइवेट जो कालेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, दुर्नीति को रोकने के लिए है।

मैं कहूंगा कि यह बिल माननीय मंत्री जी जो लाएं हैं, इसमें छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए कोई फीस नहीं होनी चाहिए क्योंकि 12 फीसदी जो छात्र उच्च-शिक्षण के लिए आते हैं, उसमें बीपीएल के, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र भी होते हैं और महंगाई के कारण, शिक्षा लेने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, जिसके कारण वे छात्र शिक्षा से दूर चले जाते हैं। इस कैटेगरी के छात्र जो भी ट्रिब्यूनल में आएं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए।

क्लॉज-49 में आप देखिये, जिधर ओवर-राइटिंग अफैक्ट ऑफ द एक्ट लगाया है, उसमें जब यह कानून लागू होगा तो कानून यहां राज करेगा लेकिन हर मामले में जब माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स की बात आ रही है, तो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन का कानून उसके लिए राज करेगा। इन दोनों में अंतर आ रहा है। इस समस्या को भी आपको हल करना होगा। इसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

तीसरा, एक्सक्लूसिवनेस ऑफ दिस ट्रिब्यूनल एक्ट, इसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ट्रिब्यूनल में देखा है कि इसमें इतना डिले हो जाता है कि कभी अगर तत्काल किसी केस को करना होता है तो भी उसमें निर्णय नहीं हो पाता है, देर हो जाती है। अगर आप इसे एक्सक्लूसिव बना देंगे, कोर्ट जाने का किसी के लिए रास्ता रोक देंगे, तब भी यह नहीं हो पायेगा। ट्रिब्यूनल के अंदर भी आपको स्टे राईट होना चाहिए, जैसे कोर्ट दे सकता है। आप हमारे देश का बहुत बड़ा और ईमानदार वकील है, आप मेरे से ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, इसका फैसला भी ट्रिब्यूनल के अंदर होना चाहिए।

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Thank you very much. At the outset, I wish to thank Joshi ji and all the distinguished hon. Members of this House who have participated in this debate and to have supported this very historic legislation that has been moved today.

We always get enriched by the collective wisdom of the House. The hon. Members of the House are experienced, and therefore, when they place their views before the hon. Presiding Officer, we are truly enriched. I therefore, thank all the distinguished Members who have enriched the debate today and added value to this very important Bill.

Some very important issues have been raised. First of all, let me just deal with the doubts of the hon. Members about consultations when this Bill was drafted, a copy of the Bill was sent to all the State Governments, all the concerned Secretaries in the State Governments. We awaited comments from them. Thereafter, meeting of all the concerned Secretaries of the State Governments was held in Delhi. Each of them gave their views; after which some amendments were made in the draft that was proposed. For example, the original concept was that we should have a three tier Tribunal - one at the district level, one at the State level and one at the National level. State Secretaries stated that this was not really possible because it will involve a lot of expenditure to set up Tribunal in each district. This will be an enormous financial burden on State Governments. Therefore, we decided to have only two tier Tribunal – one at the State level and one at the Central level. Some of the State Governments formally supported in writing but many State Governments did not write to us. Therefore, they did not extend their formal support. But each of them was present in all these meetings. In fact, we have not yet received a negative reaction to the Bill from any State Governments.

Thereafter, the CABE Committee meeting was held. In the CABE Committee again, the issue of this Bill was discussed. There was unanimous resolution. 19 Ministers were present of which 6-7 were Ministers of Elementary

Education and the rest were of Higher Education. Again there was no objection from them. Then, the Standing Committee sent a notice. Thereafter, representations were received. Again, there was nothing negative in the Standing Committee. Therefore, to suggest that there has been no consultation is a bit unfair.

Remember this – this was not my idea. It is way back in 1986, under the Education Policy, that this need was then perceived. Then in the 1992 Plan of Action, it was reiterated. The 123rd Law Commission also made the same suggestion. Then, the TMA Pai Foundation in the Supreme Court made the same suggestion. So, it is the collective wisdom coming from different quarters which ultimately has resulted in this legislation. So, to say therefore, that after 24 years having passed, we have not consulted anybody, is a bit unfair. This is the first point that I wanted to make.

The second point is this – some hon. Members asked, what had been the experience? The Standing Committee itself suggests what has been happening. I will read from page 2 of the Standing Committee's Report. It says:

> "As per the limited information shared by the Department, 305 cases pertaining to 11 Central Universities were pending in high courts alone in the year 2009 which meant on an average 28 cases pending per university. At this rate, about 15,000 cases could be reasonably estimated to be pending in only the High Courts of the country, besides cases pending in other courts and the Supreme Court."

This is the situation today when we have only 504 universities and around 26,000 colleges. Can you imagine what will happen when we have another 800 universities and another 35,000 colleges? So, I agree with the suggestions of the hon. Members, that maybe, one tribunal per State is not enough. I do not dispute it. I think, as we move forward and gain experience from this legislation, we may well say that let the States have more than one tribunal, because some States like Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are very large; maybe, the number of cases may be very large that we will require to have more than one tribunal; and we are not against that idea.

But we are starting with one tribunal each. As and when we gain experience, we will move forward.

There was another question that was raised – what is the experience of existing tribunals? That also is reflected in the Standing Committee's report. At page 3, it says:

> "Data was also collected by the Ministry about the extent of litigation in Education Tribunals of Orissa and Gujarat and the State Education Tribunal in Orissa has been functioning since the year 1974 under Section 24 (a) of the Orissa Education Act, 1969. It has jurisdiction over the following matters."

Then, they talk about the Gujarat University and then, they conclude:

> "The above Tribunals cover only a very limited aspect of litigation as can be seen. The proposed legislation envisages bringing under the purview of the Tribunal, litigations relating to all conceivable aspects of it, including that are entered into by private institutions, student-employees, and the respective managements, the number is going to be many times more than what obtains now."

This is the finding of the Standing Committee. Most of these Tribunals, especially in Orissa are limited by then jurisdiction as they deal only with grants-in-aid related disputes. It does not deal with other disputes. So, we have the experience of the Tribunals.

Some service matters are also with that Tribunal. So, the point is that Tribunals in the States have limited jurisdiction. There is going to be a huge expansion in the education sector. There are going to be new stakeholders, new players; there are going to be public-private partnerships; there are going to be foreign institutions coming in. All those institutions will be dealt with under the same law.

For example, the Malpractices Act is going to be the next Act that will come before the Lok Sabha. So, all disputes relating to malpractices will go to that Tribunal. Malpractices against students will go to that Tribunal. Capitation fee

issues will go to the Tribunal. All disputes will go before the Tribunals. Advertisements issued by private institutions which do not conform to the reality of imparting education – this is a ground for malpractice – this will go to the Tribunal.

In fact, the next Bill will tell you the expanse of the jurisdiction of these Tribunals, because this Bill does not define malpractice. It is that Act that defines malpractices. All malpractice disputes will come here.

Then these will be the foreign education providers. If foreign education providers indulge in a malpractice, their disputes will also come here. They are not immune from the jurisdiction of these Tribunals. Disputes between foreign education providers and our institutions; disputes between regulators and foreign education providers also will have to be dealt with by these Tribunals. Then the accreditation of an institution by the regulation authority; their disputes also will go to the Tribunal. So, this is the legislation which covers all the other sister legislations because it is the encompassing legislation which would deal with all the disputes under various legislations that are going to be adjudicted which is why it is important to get this Bill passed today. It is because this is the all encompassing Bill for resolution of disputes. I wanted to place this Bill before the hon. Members of this House first.

The other main issue that has been raised is the big problem about appointing people after 55. If the people themselves are tired or retired, how will we get effective justice is the point that the hon. Members have made. Now this is a very important issue. I want to share some thoughts and I would like you to comment on it on another point in time. How do you get a person at the age of 35 in a Tribunal where the term of the Tribunal is five years? If he is an advocate, he would not join as member of the Tribunal. Why will he leave his prosperous practice to join a Tribunal at the age of 35 and be there for five years? What will he do after that? Will he retire at 40? So people midstream their career are not going to join the Tribunal. You will not get people. A person who is a teacher is

not going to join a Tribunal. If he is doing research, will he join a Tribunal? He has no interest in adjudication. Therefore, it is very difficult to get young people midstream of their career to join a Tribunal which has a term of only five years. Then what happens? Then what you need to do is move up the ladder. We ask ourselves who is the person; who will have an interest in joining a Tribunal and this and who will like to retain the job? You will realise that only people at 55 will do that. This is a very important debate because we do want young people but where do you get young people? How do you get young people? Is an engineer who knows about education going to join a Tribunal?

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): आपने कहा कि 35 रखेंगे तो पांच वर्ष का टर्म होता है, 40 में रिटायर करेंगे। लेकिन 65 वर्ष आपने मिनिमम रखा और 70 वर्ष आपने मैक्सिमम किया है। इसमें 15 वर्ष का गैप दिया है, तो क्या आप यह मानकर चलते हैं कि 70 वर्ष तक ये काम करें?

श्री कपिल सिब्बल : नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें प्रैक्टिकल प्रॉबलम्स आएंगी, मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं। गलत या सही, यह अनुभव ही बताता है और अनुभव ने आज तक यही बताया है कि जहां मिड कोर्स चाहेंगे कि कोई यंग आदमी आए, वह नहीं आएगा। दूसरी बात, जो बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया is that in the three-member Tribunal in the States – one is a judicial member, one is an administration member and one is an academic member. If the judicial member is not there, what happens? You are right and I think this is an issue which we have to deal with. But that is going to happen rarely. Somebody passes away suddenly, then that situation will arise. Of course, the doctrine of necessity is always there. Somebody suddenly falls very seriously ill. But if we expand the State Tribunals as we intend to do in a year's time, this problem also will not arise. We will deal with these problems because these are very important issue. I agree with the hon. Members of this House that these have to be dealt with.

As far as jurisdiction of Tribunals is concerned, those jurisdictions have already been defined in Clause 15 and Clause 31 of the Act and those jurisdictions

are separate. There is no confusion in the jurisdiction. Jurisdiction under Clause 15 of the State Tribunals is different from jurisdiction under Clause 31 of the National Tribunal. Therefore, there is no possibility of any confusion. रघुवंश प्रसाद जी ने एक अच्छी बात उठाई कि 1986 से आज तक क्यों नहीं हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी यहां बैठे हैं। इस सवाल का जवाब तो वे ही दे सकते हैं।...(व्यवधान) इस सवाल का जवाब मैं तो नहीं दे सकता हूं।

21.00 hrs.

मैं तो आज यही कह सकता हूं कि आज सबने समझा है कि आज एक नए दौर की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। इस वक्त को लाने के लिए हमें सबको इकट्ठा करना होगा। शिक्षा के संदर्भ में अगर विवाद पैदा होता है तो नुकसान बच्चे का होता है। हमने बच्चे का नुकसान नहीं करना है। हमें बच्चे का भविष्य बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। यह हमारा संकल्प है इसलिए विधेयक लाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें परिवर्तन भी होगा। हम चाहेंगे कि हो क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी और नए खिलाड़ी, लोग और स्टेक होल्डर्स आएंगे। हमारे सामने नई बातें आएंगी और हम परिवर्तन करेंगे। जब हिन्दुस्तान का संविधान बना था तब यह नहीं सोचा गया था कि 120-130 संशोधन होंगे। Any document, any legislation, any Constitution is a live document. It cannot be a dead document. If it is permanent, it is a dead document. Why? It is because it does not deal with changing circumstances. Law must change with circumstances. A static law can never be an effective law.

Let us move on. Let us start. Let us take this historic step and when it requires change we shall change with your consent and with your support.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill to provide for the establishment of Educational Tribunals for effective and expeditious adjudication of disputes involving teachers and other employees of higher educational institutions and other stake holders (including students, universities, institutions and statutory regulatory authorities), and to adjudicate penalties for indulging in unfair practices in higher education and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 55

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "Clauses 2 to 55 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 55 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I beg to move:

> "That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill be passed."

The motion was adopted.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी और जवाबदेही की अवधारणा नष्ट हो रही है, उसके चलते भ्रष्टाचार बुरी तरह से पनप रहा है। आज भ्रष्टाचार की गर्त में देश की सुरक्षा से लेकर विकास योजनाएं आ गई हैं। वास्तव में आज भ्रष्टाचार गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जाती है, वह काफी कम है। जांच एजेंसियों द्वारा जांच के बाद अभियोजन की अनुमति मांगी जाती है। मेरी सुनिश्चित जानकारी के अनुसार 2007, 2008 और 2009 पिछले तीन सालों में जो अनुमतियां मांगी गई थी, उनमें 50 से अधिक मामलों में आज भी निर्णय लंबित है। इसके चलते कम से कम सौ से ऊपर सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। इस स्थिति से भ्रष्टाचारियों को तात्कालिक रूप से राहत मिलती है। केंद्रीय संस्था आयोग, सैंट्रल विजिलेंस कमीशन ने निर्देश जारी किया है कि अभियोजन की अनुमति मांगी जाए और अगले तीन माह के अंदर निर्णय लिया जाए। लेकिन ऐसा न करके तीन वर्षों से मामले लंबित हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इससे सरकार की सुशासन की पारदर्शिता की मंशा खंडित हो रही है। ऐसी दशा में अभियोजन से संबंधित मामलों में असमान विलंब सरकार के सुशासन की पारदर्शिता को प्रभावित कर रहा है। मेरी अपील है कि जांच एजेंसियों द्वारा भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति मांगी जा रही है, सरकार इस संबंध में विलंब करने के स्थान पर तात्कालिक रूप से निर्णय दे ताकि भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लग सके।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): सभापति महोदय, वर्तमान में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पा रही है। जिसके कारण किसानों में तीव्र आक्रोश है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और सिवनी धान उत्पादक जिले हैं। इन जिलों में धान की उन्नत खेती होती है। धान की खेती के लिए रासायनिक उर्वरक की नितान्त आवश्यकता होती है। इन जिलों में पर्याप्त उर्वरक, यूरिया और डीएपी नहीं होने के कारण किसानों में हाहाकर उत्पन्न हो गया है। किसान परेशान हैं, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिलने से धान की पैदावार पर विपरीत असर पड़ेगा। वर्तमान में दोनों जिलों में पांच हजार मीटरिक टन यूरिया तथा पांच हजार मीटरिक टन डीएपी की तत्काल आवश्यकता है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन जिलों में रासायनिक खाद की पूर्ति कर किसानों की समस्या हल की जाए। अन्यथा किसान बर्बाद हो जायेंगे। उर्वरक की कमी के कारण नकली उर्वरकों की बाजार में बाढ़ आ गई है, जिसके कारण किसान लुट रहे हैं। इसलिए अमानक स्तर के उर्वरकों पर शीघ्र रोक लगाई जानी चाहिए।

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman Sir, I would like to invite the attention of this august House regarding the sad plight of the Indian migrant workers in the Gulf countries of the Middle East.

More than five million people are working there out of which more than half are from my State, Kerala. Majority of the people working in the Gulf countries are doing very hard work and they are engaged in low paid jobs. They are living in labour camps which lack adequate sanitation facilities, drinking water, etc.

Now, the health problems there are increasing. They lack recreational facilities. Due to global recession, majority of the Indian migrant workers in the labour camps have not been paid their salary for the last many months. Those who have left their jobs are not paid their compensation. We are having the problem of getting back even their dead bodies which have to be transported back to their native places. It is becoming very difficult. Many countries in the world including China, Phillipines, Indonesia, etc. are now utilising the services of their Missions to constantly have a vigil checking up the labour camps and get in touch with the Labour Department of the various Gulf countries.

So, I would like to invite the attention of the Government of India through you, Sir, to utilize the good services of our Indian Embassies and Missions abroad to regularly check up the situation in the labour camps. We should also utilize the services of the Joint Parliamentary Committee to visit the various Gulf countries and enquire the details of the living conditions of the poor Indian migrant workers.

Even though we have come to the end of the day, I am saying this because as per the report of the Government of India itself, during the last year, the Indian migrant workers from these Gulf countries have made remittances for more than

Rs. 30,000 crore. When it comes to the remittances of the Indian migrant workers, we are happy but when it comes to the remedy of the problems faced by them, we are not at all lending our ears and give a patient hearing to their problems.

So, my humble submission is that, we have eyes but we do not see and when we have ears, we do not hear. I request through you the Government of India to rectify these problems.

MR. CHAIRMAN: Shri P.K. Biju may be allowed to associate with Shri Sampath on this issue.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): अधिष्ठाता महोदय, शून्यकाल के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को उठाने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान संविधान की उस धारा की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसके तहत दलित, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को समतामूलक समाज की संरचना में भागीदारी करने के लिए विशेष तौर पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। माननीय राजीव गांधी जी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी आरक्षण को लागू करके महिलाओं, दलित, पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को समतामूलक समाज की संरचना के लिए भारत निर्माण की योजना के तहत लाने का एक प्रावधान रखा था। परन्तु आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये जनपदों में घुमंतु, खानाबदोश, भूमिहीन, गृहविहीन उन जनजातियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे शिकारी, चिड़ीमार, बंजारा, चमरमंगता और दान्दी जनजातियां हैं जिन्हें अनुसूचित नहीं किया जा सका है। प्रदेश सरकारों की अवहेलना के तहत उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। यह अति महत्व का विषय है। उन जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करके उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाये जिससे पूरे हिन्दुस्तान में समतामूलक समाज की संरचना की जा सके।

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Mr. Chairman, thank you. I would like to draw the attention of the Government and the House, through you, to a very important issue concerning beggars. There is a mysterious death of 120 beggars in Bengaluru city recently due to lack of proper facilities in the Beggars Rehabilitation Centre there. There is improper health facility, improper food facility; there is lack of cleanliness; and there is total failure of the State

Government administration. So, due to this, many beggars had left the Rehabilitation Centre.

In this connection, I urge upon the Union Government, through you, to take steps to ensure proper living environment in the Beggars Rehabilitation Centre. Thank you.

SHRI K.P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Sir, I would like to raise an important issue relating to water path. I wish to point out that in 1993, a water path from Kollam to Kottappuram in Kerala, the third biggest in India, has been named as National Water Path 3. An amount of Rs. 124 crore was allotted for developing the route which has not been fully utilised by the State Government. But even after a lapse of seventeen years, no visible progress has been made.

The Central Government must take some initiatives for early completion of this prestigious project as this is very useful for a large number of people in Kerala. This project was actually commissioned on 20th November, 2007 and only one journey was performed and thereafter no progress has been made. Tourist circuit programme will also get a boost out of this project.

Taking into consideration the upcoming Vallarpadam Container Project, the above said developmental works are quite important. The Central Government should intervene and pressurise/advise the State Government for taking much more interest in the said Project. If there is any scarcity of funds, that may also be sanctioned during this financial year itself.

MR. CHAIRMAN : Shri Chandrakant Khaire to speak. Shri Khaire, your matter is *sub judice*. So, please be cautious while raising the matter.

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान राम जन्म भूमि अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बिना भगवान राम के हिन्दुस्तान का इतिहास अधूरा है। इस पर करोड़ों हिन्दुंओं की आस्था जुड़ी हुई है। भगवान राम और राम जन्मभूमि से करोड़ों हिन्दुओं की सैंटिमैंट्स भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि होने का सम्मान भी है। जहां भगवान राम ने पूर्व,पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में व्यापक बुराइयों का दमन किया, वहीं ऊंच-नीच

को मिटाकर समरसता का पवित्र संदेश दिया। भगवान राम की भक्ति में लाखों संत, धर्माचार्य अपने घर और परिजनों से विरक्त होकर समाज कल्याणार्थ हेतु अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि पर एक दिव्य और भव्य मन्दिर का निर्माण न होना अपनी मूल संस्कृति से विस्मृत होना है।

महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा। मेरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो इस संबंध में कानून बनाकर या हिन्दुओं को अधिकार देकर इस पवित्र स्थान पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। इस पवित्र काम में जितनी देर की जायेगी, उतनी ही समस्याएं ज्यादा बढ़ेंगी और वे गंभीर होती जायेंगी। अतः इस विषय का शीघ्र निबटारा करना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि श्री राम जन्म भूमि अयोध्या में नहीं बनेगी तो कहां बनेगी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): महोदय, शून्य काल के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सुपौल जिला जो मेरे संसदीय क्षेत्र का हैड क्वार्टर है, उसमें कुनौली बाजार है। आजादी के बाद से उस बाजार में अभी तक एक भी व्यावसायिक बैंक नहीं खुला है। वहां पर बहुत ज्यादा व्यापारी रहते हैं। वहां पर करोड़ों का कारोबार होता है। वहां पर एस.एस.बी. का कैंप है, वहां पर गृह मंत्रालय का कार्यालय है, वहां पर कस्टम ऑफिस है। यह नेपाल से सटा हुआ है और वहां से मात्र 50 फिट पर नेपाल है। अभी तक वहां पर व्यावसायिक बैंक नहीं खुला है, वहां पर व्यावसायिक बैंक खोलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर सरकारी बैंक खुले ताकि वहां पर लोगों का जो हजारों, करोड़ों रूपये का जो कारोबार है, वह सही सलामत रहे। इसकी बगल में 50 फिट पर जो नेपाल की सीमा है, वहां पर आप बिजली देख सकते हैं, लेकिन जो कुनौली बाजार है, वहां पर पोल गड़े हुए हैं, तार पड़े हुए हैं, लेकिन वहां अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है।

MR. CHAIRMAN: You can raise only one matter and not two or three matters.

श्री विश्व मोहन कुमार : मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां बिजली की सुविधा दी जाये। धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। मैं आपका ध्यान भारत सरकार की एक अधिसूचना जो 2 सितम्बर 1999 की है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। वह वन और पर्यावरण मंत्रालय की है। उसमें कैरी बैग को बैन करने की

---

[*] Not recorded.

बात कही गयी है। हमारी राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त 2010 से सभी तरह की प्लास्टिक थैलियां बैन कर दी हैं। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन वर्ष 1999 की अधिसूचना में कैरी बैग का जो डिजाइन दिया गया है, हम चाहते हैं कि केवल वह ही प्रतिबन्धित हो।

महोदय, इसमें समस्या क्या आयी है, अधिसूचना में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई दूध को पैक करेगा, मिल्क को पैक करेगा, कोई ब्लड को पैक करेगा, कोई नर्सरी के पौधे को पैक करेगा तो ये उसमें अपवाद हैं। यह बात अधिकारी जनता को नहीं बता रहे हैं। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि हमारे यहां पर पकौड़ी, कचौरी, दूध, चाट, रसगुल्ला, दाल इन्हें खाने वाले बहुत लोग हैं। वे सुबह-सुबह जाते हैं कि भाई साहब एक कचौरी देना, तो वह कचौरी तो कागज के लिफाफे में दे देगा, लेकिन वह चाट किसमें देगा। चाट कागज के लिफाफे में नहीं दी जा सकती है। कोई दो रसगुल्ले लेगा तो वह रसगुल्ले तो दे देगा, लेकिन अगर कोई उसका रस लेना चाहता है तो वह रस किसमें देगा। मेरा यह कहना है कि अगर कोई डोरी से बांधकर चाट देता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां के मजदूरों के प्रतिनिधि मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि हम नौ बजे मजदूरी करने जाते हैं। हम दाल लेने जाते हैं तो वह कहते हैं कि नहीं, नहीं, आप इसे पैकिंग से पैक करके ले जाओ।

MR. CHAIRMAN: You come to the point.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मेरा यह कहना है कि वन और पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार यह तय करें कि नियम लागू करते समय जो इनफोर्समेंट ऐजेंसी है, उसे अधिसूचना के अनुसार ही कार्यवाही हेतु पाबंद करें और उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे रोकें। यही मेरी भारत सरकार से मांग है।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): महोदय, मैं देश में कार्यरत चाय बागानों के लाखों श्रमिकों की दयनीय अवस्था के बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से विभागीय मंत्री का हस्तक्षेप भी चाहता हूं।

महोदय, मैं एक चाय मजदूर हूं और मैं चाय मजदूरों के द्वारा निर्वाचित हुआ हूं। चाय उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देता है। इस उद्योग से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी सरकार को प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह उद्योग पर्यावरण रक्षण में मदद देता है। चाय बागानों के मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। पश्चिम बंगाल में 67 रूपया है, असम में 68 रूपया है, तमिलनाडु में 84 रूपये से 94 रूपया है और केरला में 113 रूपया है, सब जगह विभिन्न तरह की मजदूरी है, यह बहुत कम है। इसलिए हम लोगों ने वेज बोर्ड गठित करने की मांग की है।

चाय बागान में जो कम मज़दूरी दी जा रही है, उसको बढ़ाना है। कम मज़दूरी के कारण इस बढ़ती हुई महंगाई में उनका जीवन कठिन हो गया है। मज़दूरों को अधिक मज़दूरी प्रदान करने के साथ साथ सस्ते दामों में चावल और गेहूँ उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए। खाना पकाने के लिए भी लकड़ी जलावन के रूप में दी जा रही थी जो अभी बंद हो गया है। पर्यावरण रक्षा के लिए वन काटने में पाबंदी लगाने से मज़दूरों को जलावन के बदले कोयला देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कोयला उपलब्ध न होने से चाय बागान मज़दूर परेशान हैं, चाय बागान के मज़दूरों को पर्याप्त मात्रा में कैरोसीन भी नहीं मिलता है और बिजली भी वहाँ तक नहीं पहुँची है। चाय बागान के मज़दूर दुर्गम क्षत्रों में रहते हैं जहाँ सहजता से कोई सामान नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि विशेषकर असम और बंगाल के चाय बागानों में मज़दूरों को सस्ते दामों पर एलपीजी कनैक्शन दिया जाए। यही अनुरोध मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ।

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I would like to raise a very important matter of urgent public importance relating to a problem faced by the farmers of our country.

Since Independence, India has borne the brunt of a large number of natural disasters like earthquake, flood, drought, tsunami and pest attacks. The Government provides compensation and other financial aid to farmers who are affected by such natural disasters. This is done to encourage them to continue to invest in agriculture and produce agricultural commodities. Still the farmers are facing nature’s fury and they are not adequately compensated. This is applicable to the whole country.

In Tamil Nadu and particularly in Tirunelveli District, Kalakadu, Valliyur, Ambasamudram, Alangulam and Nanguneri areas are fully agriculture oriented. Huge numbers of people are engaged in farming and their main cultivation is paddy, sugarcane, banana plantation, vegetables etc. On many occasions, their crops, which are sufficiently grown and are in the yielding and harvesting stage, suddenly get damaged due to powerful whirlwinds as a result of which they incur

heavy losses overnight and they are not able to recover even their sowing cost. As a result, the farmers are driven to debt trap.

Though the Government is providing compensation to crop loss due to flood, drought and tsunami, the authorities are refusing to grant financial relief to farmers whose crops are affected due to whirlwind. This is also a kind of natural calamity which is beyond the control of farmers. It is difficult to predict so they are entitled to compensation for such losses. Papers relating to losses of such kinds are pending with the District Collector of Tirunelveli since long. The authorities are reluctant to release compensation to farmers as there is no specific provision under the existing rules.

In view of these circumstances, I urge upon the Government to include losses incurred to the farmers due to whirlwind and also to provide adequate compensation to them under Natural Disasters and Crop Protection Scheme and do the needful.

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा): माननीय सभापति जी, किसान हित में अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे समय प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र रीवा, मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार एवं तीनों राज्य - मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के सहयोग से बन रही बाणसागर बहुद्देश्यीय जीवनदायिनी बृहद परियोजना की पूर्व नहर की नौवस्ता वितरक नहर से निकलने वाली सुमेदा और अतरौली माइनर नहरों से जेपी एसोसियेट्स के आवेदन पर क्रमशः सुमेदा का 749 हैक्टेयर तथा अतरौली का 51 हैक्टेयर, दोनों गाँवों का कुल रकबा 800 हैक्टेयर यानी 2000 एकड़ कृषि भूमि को माइनिंग लीज़ क्षेत्र दर्शाकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई गाँवों को सिंचाई से वंचित किया जा रहा है जबकि विभाग द्वारा उचित सर्वेक्षण पश्चात् नहर का एलाइनमैंट निर्धारित कर नहर हेतु भू-अर्जन का कार्य पूर्ण कर निविदा आमंत्रित कर नहर की खुदाई भी करा दी गई है। जेपी एसोसियेट्स के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक जल संसाधन विभाग को आवेदन देकर अपने प्रभाव एवं पैसे का उपयोग कर लीज़ क्षेत्र में फँस रही लगभग 200 मीटर लंबी कैनाल को मुद्दा बनाकर दोनों गाँवों के पूरे रकबे को लीज़ क्षेत्र बताकर बाणसागर के अधिकारियों को अपने दबाव में लेकर झूठा प्रतिवेदन दिलाकर नौवस्ता डिस्ट्रीब्यूटरी का सात किलोमीटर नहर का एलाइनमैंट बदलवा दिया।

जबकि जेपी सीमेंट की मात्र दो सौ मीटर लंबी जमीन ही नहर क्षेत्र से प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से सिर्फ उद्योगपति को एकतरफा लाभ पहुंचाने की नीयत से किसानों को भविष्य में होने वाले लाभ और देश में होने वाले कृषि उत्पादन को ध्यान में नहीं रखा गया है, जबकि परिवर्तित एलाइनमेंट का नक्शा जेपी सीमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित रुकी हुई स्वीकृत नहर के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान देश के तमाम किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज पूरे देश में किसानों को जमीन का मालिकाना हक नहीं है। कहीं पर वह भूमिधर हैं, कहीं सीलधर हैं, कहीं जीवन एक है, कहीं जीवन दो हैं। प्रदेश सरकार जब भी चाहती हैं, विकास के नाम पर, योजना के नाम पर या पूंजीपतियों के नाम पर कोड़ियों के भाव जमीन अक्वायर करती हैं, जिससे पूरे देश में किसानों को जमीन अधिग्रहण के मामले में आक्रोश व्याप्त है, चाहे वह मथुरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बंगाल हो, अभी मध्य प्रदेश के साथी बोल रहे थे, पूरे देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी तरह मेरे संसदयी क्षेत्र अकबरपुर में भारतपुरवा फतेहपुर सरसौर का जो मजरा है, वहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ट्रैनिंग सैंटर के नाम पर लगभग पूरे गांव की जमीन को अक्वायर कर लिया गया, जिनमें तीन-तीन फसलें होती थीं। एक साल से ज्यादा हो गया है, उन्हें मुआवजे की राशि नहीं बतायी गई है कि कितना मुआवजा मिलेगा। न राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार के लोग बताते हैं कि यह उनकी तरफ से अक्वायर की गई है। सैन्टर वाले बताते हैं कि स्टेट की ओर से अक्वायर की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उक्त जमीन पर तार खींचकर टावर बनाकर उनकी गृहीत जमीन को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस फोर्स के मना करने पर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। उक्त जमीन कानपुर-इलाहाबाद नेशनल हाइवे पर है। जिसकी प्रति बीघा कीमत 20 लाख रूपये है, लेकिन उक्त जमीन को कोड़ियों के भाव लेकर किसानों को भूखों मरने को मजबूर कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार हिदायत दे कि जहां अनउपजाऊ जमीन को अक्वायर करके...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except what Shri Majumdar says.

(Interruptions) ...[*]

[*] Not recorded.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): In BENGALI

Hon. Chairman Sir, the people of the districts of Dinajpur and Siliguri wholly depend upon bus transport. Government buses, private buses and mini buses ply on these routes in large numbers. A part of the road on which the vehicles ply is state highway and the other part is National Highway No. 31 with four lanes. Meanwhile the National Highway Authority of India has flashed a notification in the newspaper according to which it has started collecting toll tax w.e.f. 19.08.2010 for the use of that four lane highway. The rate at which toll is collected is also extremely high. On one hand, the prices of petrol, diesel and automobile parts have increased exponentially; cost of maintenance has also risen steeply and on the other hand, such high rate of toll tax has been imposed on the transport vehicles. This has become a big problem for everybody. The bus owners will shift the excess burden on the passengers. Thus through you I would like to draw the attention of the Minister of Transport and urge upon him to immediately call a meeting of the district authority, National Highway Authority, bus owners' and the workers' unions. A tripartite agreement must be signed by all parties so that the toll tax can be brought down and the concerned persons get some respite. The tax should be slashed down by about fifty person to help the commuters and the ordinary people of the district. With these words, I thank you for allowing me to raise this urgent matter of public importance in this House and conclude my speech.

---

*English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना में व्याप्त कमियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ये योजना विशेष रूप से जच्चा-बच्चा की सुरक्षा हेतु अस्पताल में डिलवरी हो, इसको प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना का हाल बेहाल है। सरकारी अस्पताल में प्रसव केन्द्र के बाहर सड़क पर ही महिलाएं बच्चे जनने को मजबूर हैं। रोज अखबारों में ये समाचार छपते हैं। यह हाल तब है, जबकि वहां की मुख्य मंत्री एक महिला है। सरकारी अस्पतालों में वही तबका जाता है, जो गरीब है। डिस्चार्ज होते समय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्हें जो धन मिलना चाहिए, वह धन उन्हें दिया नहीं जाता, बल्कि उनका अंगूठा लगा लिया जाता है और उस धनराशि की बंदर बांट वहां के डाक्टर, नर्स तथा अन्य स्टॉफ के बीच में हो जाती है। बच्चा पैदा होता है तो उसकी सफाई नहीं होती, जब तक पैसा नहीं दे दिया जाता, तब तक बच्चा ऐसे ही पड़ा रहता है। इसलिए यह बहुत ही गंभीर समस्या है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गर्भावस्था कोई रोग नहीं है, फिर भी हर वर्ष गर्भावस्था, शिशु जन्म और असुरक्षित गर्भपात के कारण हजारों महिलाएं अकारण मौत की शिकार हो जाती हैं। विचलित कर देने वाली बात यह है कि मरने वाली इन महिलाओं की कोई गिनती नहीं होती है और कोई यह भी नहीं देखता कि इन्हें हुआ क्या है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना की मोनिटरिंग की व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है। इस योजना का शत-प्रतिशत लाभ लाभार्थियों को पहुंचाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सरकार के कार्यक्रम की धज्जियां उड़ाने वाले डाक्टर नर्स एवं अन्य स्टॉफ पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, नगर-नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, आज मैं उनका हो गया, जिनका कोई पहरेदार नहीं था। देश में जिस्म बेच कर पेट पालने वाली औरतों की संख्या लाखों में है। अब संस्कृति के प्रहार ने भारत की सांस्कृतिक गरिमा को रौंदते हुए उनके जीवन को जीने के लिए जिस्म बेचना उनकी जीवन शैली बनती जा रही है। समाज ने उनके दर्द को कभी महसूस नहीं किया। कभी वह घर की चारदीवारी में प्रताड़ित होती है तो कभी जीवन का आधार ढूंढते-ढूंढते उसकी जीवन रेखा उसे कोठे पर ले जाती है। अब तो आठ-दस-बारह वर्ष की बालाएं भी इस कचरे में शामिल होने के लिए बाध्य हो रही हैं। सामन्ती समाज की कोख से जिस्म बेचने की यह दुखांत गाथा का जन्म सामन्ती सोच का ही परिणाम है। लाखों की संख्या में आज उनके बच्चे अपने पिता का नाम नहीं बता सकते और दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों

के समय संपूर्ण विश्व की अपसंस्कृति से पैदा होने वाली औरतें रूप के बाजार में सजी-संवरी उपस्थित होने वाली हैं। इससे समाज में एक अलग विकृति प्रभाव डालने वाली है। इतना ही नहीं, अब तो पत्र-पत्रिकाओं, महिला साहित्यकारों पर भी विश्वविद्यालय के कुलपति तक ने मर्यादाओं का हनन करना शुरू कर दिया है। संपूर्ण मानवता में विकृत सैक्स की अवधारणाएं उपस्थित हो रही हैं। भाई-बहन, पुत्र-पुत्री आदि के सामाजिक रिश्ते कलंकित किए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय यह है कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जीवन जीने की सांस्कृतिक धरोहर को दफन कर रहा है। राजनेताओं का इस ओर आंख बंद करना घोर आपत्तिजनक है। समाज प्राकृतिक प्रदूषणों से कुछ समय तो जीवन जी सकता है, लेकिन इस सामाजिक प्रदूषण से उसका जीवन जीना असंभव है। भारत की आत्मा अगर दफन होती है तो शायद ही विश्व की सामाजिक संस्कृति बच पाएगी। भारत को बचाना केवल देश को ही बचाना नहीं है, बल्कि विश्व की संस्कृति को भी बचाना है।

मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इस पनपती हुई विषैली फांस को उखाड़ फेंकें और जीवन की अमृत धारा की बहती नदी में डुबोकर उसे निर्मल चरित्र का स्वरूप प्रदान करें। ...(व्यवधान)

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA (UDUPI-CHIKMAGALUR): Mr. hairman, Sir, I would like to raise a very important issue pertaining to the States of Karnataka and Tamil Nadu. This is also a very sensitive issue. If it is not carefully handled, certainly there will be a law and order problem in both the States of Karnataka and Tamil Nadu.

This year, the South-West monsoon in the river Cauvery basin has totally failed. The total inflows for the month of June in the reservoirs of Karnataka were only 41 of the normal, and for the month of July the total inflows were only 54 per cent of the normal. For the months of June, July and till 25th August, the total inflows were only about 56 per cent of the normal inflows. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You cannot give a lecture in 'Zero Hour'. You can briefly tell what you want from the Government in a few minutes.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, this is a very important matter. I will take only two minutes to mention a few points.

So far Karnataka has withdrawn about 22 tmc of water from its reservoirs. So far, the position of total storages in the Cauvery basin in both the States has been 60 tmc in Karnataka and 61 tmc in Tamil Nadu.

Certain ground realities have to be taken into consideration. While looking into the facts, the basin States are expected to share the water equitably having regard to the 'ground realities' as it was done during the year 2002-03.

As per the Water Tribunal, in its final Order dated 5th February, 2007, the only obligation of Karnataka is to ensure 192 tmc of water in a normal year. Since the South-West monsoon appears to have been failed this year, the Karnataka Government could not release the share of water to Tamil Nadu. The Karnataka Government has already released 30 tmc of water this year from its reservoirs to Tamil Nadu. The weather forecast has predicted that there will be a good rainfall during the months of September and October. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You simply say what you want from the Government.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA : During the meeting of the Cauvery Monitoring Cell, under the Chairmanship of the Secretary, Water Resources held on 24th of August, 2010, the Tamil Nadu Government officials urged the Central Government to direct the Karnataka Government to release more water from the Cauvery basin. But the present situation is not like that.

Due to the failure of the South-West monsoon and also due to shortage of water in the inflows of the reservoirs, the Karnataka Government finds it difficult to release more water to Tamil Nadu at this stage. Hence, I would urge upon the Union Water Resources Minister and the hon. Prime Minister to cooperate during this difficult time and necessary instructions may kindly be given to the Tamil Nadu Government to bear with Karnataka for the time being.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी घटना, जो एक समस्या बन गई है, की ओर दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों मलेरिया और डायरिया से अनेक मौतें हुई हैं। स्वयं मेरे संसदीय क्षेत्र नरसिंहपुर (होशंगाबाद) में 5-6 लोगों की जानें गई हैं। सोहागपुर

एवं पिपरिया के पास मलेरिया और डायरिया का भीषण प्रकोप है। प्रशासन इसे सामान्य मौत बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़ कर पूजा-पाठ में लगे हैं। वे केवल भाषणबाजी कर रहे है। धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। गांव में बीमारी से लोग मर रहे हैं। भोपाल शहर में दिन-दहाड़े करोड़ों रुपये की लूट होती है, अनेक शहरों में लूट एवं हत्याएं हो रही हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना है।

आपके माध्यम से प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केन्द्र से कड़ी चेतावनी जानी चाहिए कि वह गरीबों और किसानों का ख्याल रखे, व्यापारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करे, महिलाओं की आबरू बचाए, भूख और गन्दे पानी से छोटे बच्चों की होने वाली मौतों को रोके।

मध्य प्रदेश की सरकार अक्षम साबित हो रही है। उसे समय पर जगाना जरूरी है, अन्यथा प्रदेश के निवासियों को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इससे सारे अखबार रंगे हुए हैं। पत्रिका में...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri C. Sivasami.

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity to raise a matter of urgent public importance pertaining to my constituency Tiruppur where people are finding it difficult to get cable connection of their choice.

Television channels and their programmes enable people to know of the happenings around the world with immediacy. Multi System Operators (MSO) downlink the signals of the TV channels and distribute it through cable locally. It is through them individual houses get cable connections and get to know of the latest news from the TV channel of their choice which is like a window of the world to them. MSO is like a control room and cable operation emanates from

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil

there. There are many MSOs in Tamil Nadu and among hundreds of such MSOs, Tiruppur Cable Vision is also one that operates in my Tiruppur constituency and I would like to point out that a large number of these MSOs are deprived from getting the signals of Star TV, Sony TV, Sun TV and K Tv. Even the Tamil Nadu Government run MSO is not getting these signals due to monopoly by certain operators. In order to increase their TRP rate, they give the permission and rights for MSOs like Sumangali Cable Vision that is part of the Sun TV Group. The pay channel rights are given exclusively to the chosen few depriving many of the MSOs though they are eligible under the laws of the land. In our country, there are many television channels, there are many political parties and view of various hues and newspapers. But in Tamil Nadu, there is a kind of situation that appears to promote and allow to retain only Sumangali Cable Vision as if it is a monopoly. This affects the legitimate rights and the livelihood of other MSOs who are not able to continue with their business remuneratively.

The District Collector of Coimbatore convened a meeting on 23.10.2003 which was attended by the representatives of Star TV, Sony TV, Sun TV and all the MSOs. After the deliberations, the District Collector issued an order that all the pay channels must be made available to all the MSOs. In all these years, these instructions have been violated. The Government of Tamil Nadu's own MSO is also not getting these pay channels till date. Sun TV is functioning in a monopolistic manner in Tamil Nadu for it favours only Sumangali Cable Vision. This creates a kind of situation where people are denied of their democratic rights to watch a TV channel of their choice.

Hence I urge upon the Ministry of Information and Broadcasting to take note of this and issue suitable instructions to pay channels like Star TV, Sony TV, Sun TV to make available their signals to all the MSOs in Tamil Nadu for wider distribution and better viewing enabling people to have their own choice.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 27th August, 2010 at 11 a.m.

21.43 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, August 27, 2010/Bhadrapada 5, 1932 (Saka).